



एकट इन्तकाल जायदाद

(नं० ४ सन १८८२ ई०)



मिल्की

तरमीम बजरिये एकट नं० ३ सन १८८५ वो
नं० २ सन १९०० के की गई.



मय

तशरीह न नजायर हाई कोर्ट
जिस्को

राय साहब मथुराप्रसाद, वकील
जिला छिन्दवाड़ा.

ने


तैयार किया

बाबू मोतीदास मैनेजर के प्रबन्ध से सेन्ट्रल ला. प्रेस छिन्दवाड़ा में
छपाया गया

सन १९०५ ई०



दीवाचा.



हम बहुत सुधी के साथ यह एक्ट (इन्तकाल जायदाद) आम लोगों के खरू तैय्यर करके पेश करते हैं-यह बहुत ही बड़ा मुशकिल कानून है-उस की इवारत बहुत पेचीडा और मुशकिल है-हम ने जहां तक मुमकिन हो सका है तरजुमा बहुत जियादा सहल कर दिया है और दफा का मतलब/वजरिये तशरीह वो नजायर के साफ कर दिया है-इस कानून में जायदाद गैर मनकूला के हर किस्म का इन्तकाल के वारे में अलाहादा अलाहादा हुकम दर्ज है; यानी इन्तकाल कितने किस्म के होते है, वे किस तरह अमल में आ सकते है और उन का असर जायदाद गैर मनकूला पर किन तौर पर पहुंचता है-हम उम्मेद करते है कि जुमला साहिबान जिन को अदालती कार्रवाई से वास्ता है इस एक्ट को पसन्द फरमावेंगे.


छिन्दवाड़ा
ता० १-६-०५ ई०

}


द० मथुराप्रसाद,
वकील.



तयिया जे मन्वान्य
वीनारे।



एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा वार फेहरिस्त



बाव:—१

बंठिया डेग मुन्वालय
बीजारीर ।



शुरू कार्रवाई.



दफात समझाद

१ छोटा सिजामा

शुरू

फैलाव

२. एक्टों की मसूखी

इस एक्ट का बाज कानून हफूक वो जिम्मेदारियों पर, कुल
असर नु होगा

३. तारफें

जायदाद गैर मनमूला

दस्तावेज

रजिस्ट्री दृश्या


जमीन में लगी हुई

इत्तला होना

४ अहकाम मुताल्लुक इकरार एक्ट माहदा के ताल्लुक समझे जावेंगे




बाव:—२



निसवत इन्तकाल जायदाद वजरिये फैल करीकैन

(अ) वाचत इन्तकाल जायदाद मनकूला या गैर मनकूला.



- दफात ९ “तारीफ इन्तकाल जायदाद”
६. फौनसी जायदाद काबिल इ तकाल है
 - ७ शरह्त जो इन्तकाल करने के मजाज है
 - ८ तासीर इन्तकाल
 - ९ इन्तकाल जवानी
 - १० शर्त निसबत रुकावट इन्तकाल
 ११. शर्त खिलाफ उस हक के जो पैदा किया जावे
 - १२ शर्त निसबत बन्द होने हक बहालत दिवालय होने या कोशिश करने इन्तकाल के
 - १३ इन्तकाल वहक उस शरह्त के कि जो पैदा न हुआ हो
 - १४ कायदा खिलाफ इस्तमरार
 - १५ इन्तकाल वहक चन्द शरह्तों के जिन में से कोई २ दफा १३ व १४ के अन्दर आते हैं
 - १६ इन्तकाल जो बाद गद् होने पहले इन्तकाल के अमल में आता है
 - १७ इन्तकाल हमेशा का जो आम लोगों के फायदा के वास्ते किया जावे
 - १८ जमा रहने की हिदायत
 - १९ मिलाया हुआ हक
 - २० बिना पैदा हुआ शरह्त हासिल किया हुआ हक कब इन्तकाल के बाद पावेगा
 - २१ हक शरह्तिया
 - २२ इन्तकाल बनाम उन शरह्तों के जो किसी जमाबत में दखल हो और जो किसी खास उमर को पहुच जावे
 २३. इन्तकाल बर्त होने एक खास गैर तहशीक वाकिया के

- दफात १४. इतकाल वहक मिनजुमला उन शरमो के जो कोई गैर मुक-
र्रवक्त पर जिदा रहें
- २५ इतकाल शरतिया
- २६ पहले शर्त की तामील
२७. शरतिया इतकाल बनाम एक शरस के मय इतकाल बनाम
दुमरे शरस के बहालत साफित हो जाने पहले इतकाल के
- २८ पिछला इतकाल किसी खास वाकेशा के होने या न होने
की शर्त पर
- २९ पिछली शर्त की तामील
- ३० पिछला इतकाल नाजायज होने से पहले इतकाल में कुछ
असर न पहुँचेगा
- ३१ शर्त इस मजमून की कि इतकाल उस शूरत में बेअसर होगा
कि जब कोई खास विला तहकीक वाकेशा वकूअ में अने
या न आवे
- ३२ ऐसी शर्त नाजायज न होना चाहिये
- ३३ इतकाल जो किसी काम के करने की शर्त पर कायम हो और
तामील के वास्ते कोई वक्त मुकर्रर न हो
- ३४ इतकाल जो किसी फल की तामील की शर्त पर कायम हो
और खास वक्त मुकर्रर हो

अखत्यार अहेदुल उममीन.

- ३५ अखत्यार कनूली या नाकनूली का बरतना काम जरूर है

वावत तफरीक व तकसीम.

- ३६ कायदा वावत तकनीन रकूमत मियादी हकदार शरत का
इस्तेहकाक खतम होने पर.
३७. तमसीम कायदा जिम्मेदारी दर शूरत बट जाने जायदाद के

(ब) वावत इन्तकाल जायदाद गैर मनकूला

- दफात ३८. इन्तकाल उम शहस की तरफ से जो सिर्फ चद सूतों में इन्तकाद करने का मजाज होवे.
३९. इन्तकाल ऐसी हालत में जब कि तीसरा शब्दमें परवारि का मुस्तहक हो
४०. बोभ यानी जिम्मेदारी वावत शर्त इस्तैमाळ जर्मान
४१. मालिक जाहिरी की तरफ से इन्तकाद
४२. इन्तकाल ऐसे शहस की तरफ से कि जिसे पहले इन्तकाल को मसूब करन का अखत्यार हासिल होवे
४३. ऐसे शहस गैर मजाज की तरफ से इन्तकाल कि जो पीछे से मुन्तकिल की हुई जायदाद में इस्तेहकाक हासिल करे
४४. इन्तकाल एक हिस्सेदार की तरफ से.
४५. शामलाती इन्तकाल माविजा के बदले में
४६. माविजा के बदले इन्तकाल उन शहसों की तरफ से जो जुदा जुदा हक रखते हों.
४७. हिस्सेदारों की तरफ से शामलाती हिस्सा का इन्तकाल.-
४८. मुकद्दम रहना उन हकों का जो वजरिये इन्तकाल कायम किये गये हों
४९. बीमा के रू से मुन्तकिल अयेह का हक
५०. लगान जो नेक नियती से ऐसे शहस को दिया गया हो जो वजरिये हक नाफिस काबिज होवे
५१. तरकी हंसियत जायदाद गैर मनकूला जो नेकनियत काबिज ने की हो मगर जिस का हक नाफिस होवे.
५२. इन्तकाल जायदाद दौरान नालिश जो उस जायदाद से मुताल्लुक हो
५३. इन्तकाल फरेबी.

बाब:—३



बाबत बै जायदाद गैर मनकूला.



दफात ५४ तारीफ "बै"

११. बेचने वाले व खरीदार के हुकूम व जिम्मेदारी
५९. दो जायदाद में से एक की बिक्री जिन पर मवाखजा हो.

बाबत अदाई मवाखजा बरवक्त
बै व नीलाम.


५७ हुकूम अदाकत बाबत मवाखजा व बै बरी करके मवाखजे का.



बाब:—४



बाबत रहन जायदाद गैर मनकूला व मवाख-
जेजात यानी बोझ के बारे में.



दफात ५८ तारीफ रहन राहिन व मुर्ताहिन

- सादा रहन
रहन बशर्त बै
रहन बिछ फन्ज
रहन अग्नेजी

१२. रहन फव बजरिफे दस्तावेज के होगा

राहिन के हुकूक वो जिम्मेदारियां.

- दफात ६०. हक राहिन निसबत इनफिकाऊ रहन.
 ६१. हक इनफिकाऊ दो जायदाद में से एक जायदाद का जो
 अलग अलग रहन की गई हो.
 ६२. हक राहिन विलकब्ज वामत दिला पाने कबजा.
 ६३. इजाफा जायदाद मरहूना.
 ६४. पट्टा मरहूना का नया किया जाना
 ६५. राहिन की तरफ से मानवी माहदे.
 ६६. कब्जादार राहिन का जायदाद मरहूना को नुकसान पहुंचाना

हुकूक और जिम्मेदारियां मुर्तहिन की.

६७. नीलाम या बैधात करा पाने का हक.
 ६८. जर रहन की वामत नालिश करने का हक.
 ६९. अखत्यार धै का कब जायज होगा.
 ७०. इजाफा आयदाद मरहूना.
 ७१. पट्टा मरहूना का नया कराना.
 ७२. मुर्तहिन काबिज के हुकूक.
 ७३. नीलाम बन्नाया मालगुजारी के रूप्या पर मयावजा.-
 ७४. अगला रहनदार का रूप्या अदा करने के बावत पिछले मुर्त-
 हिन का हक.
 ७५. दरमियान मुर्तहिन के हुकूक बमुकाबले मुर्तहिन अप्पल
 वो अखीर.
 ७६. कबजा करने वाले मुर्तहिन की जिम्मेदारियां.
 मुर्तहिन के कसूर की वजह से नुकसानी.
 ७७. आमदनी बएवज सूद.

हक तरजीह.

७८. पहिले वाले मुर्तहिन का

- दफात ७९. रहन बगरज इतमीनान अदा करने रकम गैर मुकरर के जत्र कि उसमें जियादा से जियादा तादाद दर्ज हो.
८०. मसला टेकिंग का मसूल किया गया

तरतीब व हिस्सा रसदी.

८१. क्किफालत नामों की तरतीब
८२. हिस्सा रसदी जर रहन.

अदालत में बतौर अमानत के दाखिल करना.

८३. रहन का रूप्या अदालत में अमानत के तौर पर जमा करने का अख्त्यार
अमानती रकम को लेने के वास्ते राहिन का हक.
८४. सूद का बन्द हो जाना.

नालिश बैवात, नीलाम या इनफिकाक

८५. फरीक नालिश बैवात वो नीलाम वो इनफिकाक में.

बैवात वो नीलाम

८६. डिगरी नालिश बैवात में
८७. जान्ता कार्रवाई उस वक्त का जब कि जर यामतनी अदा कर दिया जाय
हुकुम कतई वास्ते बैवात के.
मियाद के बढ़ा देने का अख्त्यार.
८८. डिक्ती बावत नीलाम
नालिश बैवात में डिक्ती बावत नीलाम के सादिर करने का अख्त्यार
८९. जान्ता कार्रवाई उस वक्त के लिये जब कि मुद्दामयेह जर

यापतनी अदा कर दे.

हुकम कतई वास्ते नीलाम के.

दफात १०. बाकी जरयापतनी रहेन की घसूली.

इनफिकाक रहेन.

९१. इनफिकाक रहेन को नालिश कौन कर सकत है.

९२. इनफिकाक रहेन की नालिश में डिगरी सादिर करना.

९३. इनफिकाक रहेन की सूरत में गन्जा.

दर सूरत न अदा करने के वैबात या नीलाम.

मियाद बढा देने का असल्यार.

९४. मुर्तहिन का खर्चा डिग्री के बाद का.

९५. मिन जुमला चद राहिनो के उस एक का मवाखजा जो इन-
फिकाक रहेन का कराये.

रहेन साबिक का हुकम रख कर जायदाद के नीलाम के बाबत.

९६. नीलाम जायदाद बाद कायम रखवे हुकम रहेन साबिक.

९७. जर नीलाम का खर्चा.

रहेन गैर मामूली.

९८. वह रहेन जिसका दफा ५८ के जिनन (ख) यो (ग) को
(घ) को (ङ) में बयान नहीं है.

बाबत कुर्की जायदाद मर्हूना

९९. जायदाद मर्हूना की कुर्की.

मवाखजा

१००. मवाखजा.

१०१. मवाखजा का साबिक होना.

इत्तला देना और हाजिर करना जर रहेन का.

- दफात १०२. मुख्तार पर तामील पा उस के खबरु हाजिर करना
१०३. इत्तलानामा बगैरा बनाम या धज तरफ ऐते शहस के जो मजाज महादा के न हे.
१०४ कवायद बनोम का अख्तार.



बाव:—५



बावत पट्टेजात जायदाद गैर मनकूला.



- दफात १०५. पट्टा की तारीफ.
पट्टा देने वाला और पट्टा देने वाला और जर पेशगी और जर लगान या किराया की तारीफ
१०६. बाज पट्टे की मियाद दर सूरत न होने इफरारनामा या रिवाज मौका के.
१०७. पट्टेजात कयों कर किथ जा सकते हैं.
१०८ पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वाले के हुकूक और जिम्मेदारियां

अः—हुकूक और जिम्मेदारियां पट्टा

दने वाले कीः—

बः—हुकूक और जिम्मेदारियां पट्टा

लेने वाले कीः—

- १०९ पट्टा देने वाले के मुन्तकिल अठेह के हुकूक
११०. उस रोज का हिसाब से खारिज होना कि जिस रोज से मियाद शुरू हो
पट्टा की मियाद एक साठ तक.
पट्टा की मियाद खतम कर देने का अख्तार.

- याप्तानी अदा कर दे,
 हुकम कतई वास्ते नीलाम के.
 दफ्तात १०. बाकी जरयाप्तनी रहेन की वसूली.

इनफिकाक रहेन.

९१. इनफिकाक रहेन की नालिश कौन कर सकता है,
 ९२. इनफिकाक रहेन की नालिश में डिगरी सादिर करना.
 ९३. इनफिकाक रहेन की सूरत में गन्जा.
 दर सूरत न अदा करने के वैवात या नीलाम.
 मियाद बढ़ा देने का अवतार.
 ९४. मुर्तहिन का खर्चा डिग्री के, बाद का.
 ९५. गिन जुमला चद राहिनों के सस एक का मवाखजा जो इन-
 फिकाक रहेन का कारये.

रहेन साबिक का हक रख कर जायदाद के नीलाम के वावत.

९६. नीलाम जायदाद बाद कायम रखवे हक रहन साबिक.
 ९७. जर नीलाम का खर्चा.

रहेन गैर मामूली.

९८. वद रहेन जिसका दफा ५८ के जिनन (ख) बो (ग) को
 (घ) बो (ङ) में बयान नहीं है.

वावत कुर्की जायदाद भर्हना

९९. जायदाद भर्हना की कुर्की.


मवाखजा

१००. मवाखजा.
 १०१. मवाखजा का साबिक होना


- दफ्ता १२५. हिवा बक्ष चद शह्तों के जिन में से एक कचूळ नहीं करता.
 १२६. कब हिवा बन्द या रद्द हो सकता है
 १२७ हिवा जिम्मेदारी के बोझ के साथ
 वैसा हिवा उन शह्तों के हक में जो नाकाबिल हों
 १२८. कुल जायदाद का मौहबुअलेह
 १२९ बचत हिवा की जो मरते पक्त की जावे वो बचत कायदा
 शरह मोहम्मदी




बाब:—८



बाबत इन्तकाल दावी काबिल नालिश.



- दफ्ता १३०. इन्तकाल दावी काबिल नालिश
 १३१ नोटिस तहरीरी वो दरखतों होगा
 १३२. दावी काबिल नालिश के मुन्तकिलअलेह की जिम्मेदारी.
 १३३. फरजदार के सादार होने की जिम्मेदारी
 १३४ फरजा रहन
 १३५ बीमा दरवाई या याग के हुक्क का इन्तकाल
 १३६ उन उहवेदारान की नाकाबिलियत जो अदालत इस्साफ से
 ताल्लुक रखते हों
 १३७ धरीयत दस्तावेजात काबिल वै वो शरह के



- दफात १११. पट्टा का रद्द हो जाना.
 ११२. जवती से दस्तकशी.
 ११३. आराजी छोड़ देने की इच्छा से दस्तकशी.
 ११४. जवती बयजद न पट्टागे जर छगान की दादरसी
 ११५. पट्टा दर पट्टा पर पट्टा की वापसी और जवती का असर.
 ११६. फ्राभिज बने रहने का असर.
 ११७. पट्टे जात व गरज कायतकारी का मुत्तसना होना.



बाब:—६



बाबत तबादला जायदाद के.



- दफात ११८. तारीफ तबादला
 ११९. इस्तेहफाक उस फरीक का जो तबादला में ला हुई जायदाद से महकूम हो जावे.
 १२०. इस्तेहफाक और जिम्मेदारी फरीकैन मामला तबादला
 १२१. तबादला जर नकद का



बाब:—७



बाबत हिवा यानी बखाशिश.

- दफात १२२. हिवा की तारीफ
 कब कबूली की जानी चाहिये
 १२३ किस तरह इन्तकाल छमल में आता है.
 १२४ हिवा निसबत जायदाद हाक वो आयद.

एकट इन्तकाल जायदाद

(नं. ४ सन १८८२ ई०)

जिस्की.


तरमीम वजरिये एकट नं. ३ सन १८८५ ई०

व. नं. २ सन १८८० ई०, व. नं. १५ सन

१८८५ ई० के की गई.

जारी किया हुआ


[जनाब तन्वान गवर्नर जनरल बहादुर दइजलत मौसिल.]



जनाब गवर्नर जनरल बहादुर की संजूरी तारीख


१७ भाह फरवरी सन १८८२ ई० को

हासिल की गई.



एकट वगरज तरमीम करने कानून जो इन्तकाल जाय-

दाद वजरिये फेल फरीकन से तालुक रखता है.



चूंकि यह अमर करीन मसलहत है कि कानून

तमहीन निसबत इन्तकाल जायदाद वजरिये फेल



और हर लोकल गवर्नमेंट को अखत्यार होगा कि पहले से जनाव नवाब गवर्नर जनरल बहादुर बहजलास कौंसिल की मंजूरी हासिल करके, वक्तन फवक्तन, बजरिये इशतहार मुन्दरजा सरकारी गजट मुकामी, उस मुल्क के किसी हिस्से को, जो किसी लोकल गवर्नमेंट के हुक्मत में हो, नीचे लिखे हुए कुल अहकामात से या उन में से किसी हुक्म से, चाहे गुजरे हुए किसी वक्त से या आयन्दा में किसी वक्त से, भुसतसना करे, यानी:—

दफा ५४, फिकरा दूसरा व तीसरा;

दफा ५६, व १०७ व १२३;

चाहे इस दफा के पहिले के हिस्से में कुछ भी लिखा होवे, लेकिन दफा ५४, फिकरा २ व ३, दफा ५६, १०७, व १२३ किसी ऐसे जिला या मुल्क के हिस्से से मुताल्लुक न होगी और मुताल्लुक नहीं की जावेगी जो हिन्दुस्थान के एक्ट राजिस्ट्री सन १८७७ ई० के अमल से उस वक्त उस अखत्यार की रूसे खारिज किया गया हो जो उस एक्ट की पहिली दफा के जरिये से या और तरह पर दिया गया हो—

फरीकैन के कुछ हिस्सों की तरमीम वो तारीफ की जावे, इसलिये नीचे लिखे मुताबिक हुकम होता है:—

बाब:—१.

शुरू कार्रवाई.

✽(०)३✽

दफा १. यह एक्ट “एक्ट इन्तकाल जाय-
छोटा सिरनामा. दाद सन, १८८२ ई०” के नाम से
कहलावेगा:—

यह एक्ट तारीख पहली माह जौलाई सन
शुरू १८८२ ई० को जारी होगा—

यह एक्ट शुरू में तमाम ब्रिटिश इंडिया यानी
फैलाव. सरकारी हिन्दुस्थान से तात्काल रखेगा
सिवाय उन मुल्कों के, जिनपर जनाब गवर्नर यम्बई
वो जनाब लफ्टेनंट गवर्नर पंजाब वो जनाब चीफ
कमिश्नर ब्रिटिश बरम्हा हुकूमत करते हों—लेकिन
ऊपर लिखी हुई लोकल गवर्नमेंटों में से हर एक को
अखत्यार होगा कि अपने हुकूमत के तमाम मुल्कों
में या उस के किसी खास हिस्से में इस एक्ट को,
वजरिये इशतहार मुन्दरजा गजट सरकारी मुकामी
के वक्त वक्त पर जारी किया करे—

और हर लोकल गवर्नमेंट को अखत्यार होगा कि पहले से जनाब नवाब गवर्नर जनरल वहादुर वइजलास कौंसिल की मंजूरी हांसिल करके, वक्तन फवक्तन, वजरिये इश्तहार मुन्दरजा सरकारी गजट मुकामी, उस मुल्क के किसी हिस्से को, जो किसी लांकल गवर्नमेंट के हुकूमत में हो, नीचे लिखे हुए कुल अहकामात से या उन में से किसी हुक्म से, चाहे गुजरे हुए किसी वक्त से या आयन्दा में किसी वक्त से, भुसतसना करे, यानी:—

दफा ५४, फिकरा दूसरा व तीसरा;

दफा ५६, व १०७ व १२३;

चाहे इस दफा के पहिले के हिस्से में कुछ भी लिखा होवे, लेकिन दफा ५४, फिकरा २ व ३, दफा ५६, १०७, व १२३ किसी ऐसे जिला या मुल्क के हिस्से से मुताल्लुक न होगी और मुताल्लुक नहीं की जावेगी जो हिन्दुस्थान के एक्ट रजिस्ट्री सन १८७७ ई० के अमल से उस वक्त उस अखत्यार की रूसे खारिज किया गया हो जो उस एक्ट की पहिली दफा के जरिये से या और तरह पर दिया गया हो—

ते शरी हें

यह एक सत्र के पहले हिन्दुस्थान में सन १८८२ ई० में जारी हुआ—इसके पेशतर कोई ऐसा कानून नहीं था—लेकिन इस एक के जरिये से उस कानून में सुधारनों की जाती है जो जायदाद के उस किस्म के इन्तकाळ से तात्लुक रखता है कि जिसे फरीकन खुद अपनी तरफ से करें—योंद रखना चाहिये कि इन्तकाळ दो किस्म के होते है, (१) वह इन्तकाळ जो बजरिय हुन्न कानून अमल में आता है, जैसे कि जन्ती व इजराय डिगरी के नीलाम में जायदाद का मुन्तकिल होना, (२) इन्तकाळें बजरिय फैल फरीकन, मसलन बैवामा, रहननामा, बखशियानामों व ठेकानामा जिस को एक फरीक आपुसी तौर पर दूसरे फरीक के हक में निकल देता है—पस यह एक दूसरे किस्म के इन्तकाळ से तात्लुक रखता है जैसा कि इस दफा की शुरू इबारत से जाहिर होता है—

यह एक तारीख पहली माह: जौलई सन १८८२ ई० को जारी अलाह वदी १५ समत १९१९ को अमल में आया—अब यह एक अहाता, बम्बई भी तारीख पहली जनवरी सन १८९३ ई० को जारी किया गया है—लेकिन प्रीमि कौंसिल ने वेंपुंकरमा, कादर मौरिन—बेनाम—नेपियन, [ड ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा १६५] यह नज्जर डिगरी की है कि निन जिन मुल्कों में एक इन्तकाळ जायदाद जारी नहीं है वहाँ इसी एक के हुक्मों के बमूजिव मुकदमा का फैसलों करना चाहिये—

दफा २. उन मुल्कों में, कि जहां यह एक एक्टों की मसूखी किसी वक्त तात्लुक रखता हा, इस एक के साथ लगे हुए जमीने में दर्ज किये हुए कानून उस कदम मसूख समझे जावेंगे कि जिसका जिक्र जमीना मजकू में है—लेकिन इस एक की कोई

इस एक का, बाज कानून, हुक्मों के जिम्मेदारियों पर, कुछ असर न होगा

इबारत नीचे लिखे हुए अमूरात के निम्नवत कुछ असर न पहुंचा-

वेगी.

(क) अहकामात किसी कानून के जो इस एक्ट के रूसे साफ तौर पर मंसूख न किये गये हों;—

(ख) किसी ठहराव या इरतकरार जायदाद की शर्तों या तालुक की बातों में जो इम एक्ट के हुक्मों के मुताबिक हों और जो उस वक्त चालू कानून के रूसे जायज हों;

(ग) किसी हक या जिम्मेदारी में जो किसी ऐसे तालुक कानूनी से पैदा होती हो, कि जो इस एक्ट के जारी होने के पहले करार पाई थी, या किसी दादरसी में जो वैसे हक या जिम्मेदारी से निसबत रखती हों; या

(घ) इस एक्ट की दफा ५७ वो चौथे बाव में हुक्मों को छोड़कर, किसी इन्तकाल जायदाद में जो कानून के असर से या अखत्यार मजाज की अदातत के किसी डिगरी या हुक्म की तामील में असल में आया हो; और इस एक्ट के दूसरे बाव की कोई इबारत हिन्दू, मुसलमान वो बुध लोगों के किसी जायदा कानूनी में असर न पहुंचावेगी.

ते शरीर हैं

यह एकट सब के पहले हिन्दुस्थान में सन १८८२ ई० में जाग हुआ—उसके पेश्वर कोई ऐसा कानून नहीं था—लेकिन इस एकट के जरिये से उस कानून में सुधारना की जाती है जो जायदाद के उस किस्म के इन्तकाल से तालुक रखता है कि जिसे फरीकन खुद अपनी तरफ से करें—योंद रखना चाहिये कि इन्तकाल दो किस्म के होते हैं, (१) वह इन्तकाल जो वजरीय हुजूम कानून हुजूम में जाता है, जैसे कि जन्ती व इजराय डिगरी के नीलाम में जायदाद का मुन्तकाल होना, (२) इन्तकाल वजरीय फेल फरीकन, मंसठन बैबामा, रहननामा, बखीरानामा व ठेकानामा, जिसको एक फरीकन आपुसी तार पर दूसरे फरीकन के हजूम में लिख देता है—पस यह एकट दूसरे किस्म के इन्तकाल से तालुक रखता है—जैसा कि इस दफा की शुरू इबारात से जाहिर होता है—

यह एकट तारीख पहली मही जौलई सन १८८२ ई० को यानी अंताद वदी १५ सम्मत १२३९ को अमल में आया—अब यह एकट अहाता बम्बई की भी तारीख पहली जनवरी सन १८९३ ई० को जारी किया गया है—लेकिन प्रिन्सिपल ने बमुंफदमा, कादर मौरिन—नाम—नेपियन, [ड ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ११५] यह नज्जर जारी की है कि जिन जिन मुन्तकाल एकट इन्तकाल जायदाद जारी नहीं है वहाँ इसी एकट के हुबमा के बमूबिब मुकदमा का फैसला करना चाहिये—

दफा २. उन मुलकों में, कि जहां यह एकट एकट की मन्खी किसी वक्त तालुक रखता हा, इस एकट के साथ लगे हुए जमीने में दर्ज किये हुए कानून उस कदम मसूख समझे जावेंगे कि जिसका जिक्र जमीना मजकू में है—लेकिन इस एकट की कोई

इस एकट का, राज कानून, हुक्के वो जिम्मेदारियों पर, कुछ असर न होगा

इबारात नीचे लिखे हुए असूरात के निशवत कुछ असर न पहुंचा-

वेगी.

(क) अहकामात किसी कानून के जो इस एक्ट के रूसे साफ तौर पर मंसूख न किये गये हों;—

(ख) किसी ठहराव या इरतकरार जायदाद की शर्तों या तालुक की बातों में जो इस एक्ट के हुक्मों के मुताबिक हों और जो उस वक्त चाल कानून के रूसे जायज हों;—

(ग) किसी हक या जिम्मेदारी में जो किसी ऐसे तालुक कानूनी से पैदा होती हो, कि जो इस एक्ट के जारी होने के पहले करार पाई थी, या किसी दादरसी में जो वैसे हक या जिम्मेदारी से निसबत रखती हों; या

(घ) इस एक्ट की दफा ५७ वो चौथे बाब में हुक्मों को छोड़कर, किसी इन्तकाल जायदाद में जो कानून के असर से या अखत्यार मजाज की अदालत के किसी डिगरी या हुक्म की तामील में अमल में आया हो; और इस एक्ट के दूसरे बाब की कोई इबारत हिन्दू, मुसलमान वी बुध लोगों के किसी जायदा कानूनी में असर न पहुंचावेगी.

त श री ह.

जो जो कानून इस एक्ट की रूसे मसूख किये गये है, उन की तक्रसील इस एक्ट के साथ लगे हुए जमीमा में दर्ज है—किमी कानून या कायदा या एक्ट के मसूख हो जाने से यह न समझा जावेगा कि अगर पुराने एक्ट के रूसे कोई काम किया गया हो या कार्रवाई मुकदमा शुरू की गई हो, या जुरमाना या तावान की रकम वमूल हुई हो तो ऐसा किया हुआ काम वा कार्रवाई वगैरा रद्द हो जायेगी—आम जिमनों के एक्ट न १० सन १८९७ ई० की दफा ६ में सांफ यह हुक्म दर्ज है कि जब जनाव गवर्नर जनरल बहादुर की काँसिल से कोई कानून मसूख किया जावे तो जब तक कानून की इवारत से कोई दूसरी मनशा न जाहिर होती हो, तब तक नए कानून से यह मुराद न समझी जावेगी—

(क) कि उस के रूसे कोई ऐसी बात पैदा हो जावे जो बर वक्त मसूखी कानून मौजूद न थी,

(ख) नया कानून किसी ऐसे पुराने कानून पर असर न रखेगा कि जिसके रूसे कोई काम किया गया हो या कोई मुकदमा उठाई गई हो

(ग) नये कानून की रूसे किसी ऐसी जिम्मेदारी, हक, हकूक वो इस्तेहकाक में कुछ असर न पहुँचेगा जो पुराने कानून की रूसे हासिल या कायम हो चुके हो,

(घ) किसी ऐसे तावान, जन्ती या सजा में निसबत उस के कि जो मसूख हुए कानून के बरखिलाफ किया गया हो कुछ असर न पहुँचेगा

(ङ) या किसी तहफाकात वो जायज कार्रवाई वगैरा में कुछ असर न पहुँचेगा जो किसी ऐसे हक, जिम्मेदारी तावान, जन्ती वो सजा के बारे में की गई होवे

इन्तकाळ वजगिये हुक्म कानून में इस एक्ट के किसी दफा के अहकामात लागू न होंगे—मसलन एक शरस ने इजराय डिगरी के निलाम में करजा का हक खरीद किया—ऐसे निलाम में इस एक्ट की दफा १३५ मुताल्लक न होगी [इ लोरी मद्रास जिल्द १५ मफा ३८३]

दफा ३. इस एक्ट में अगर मजमून या इवारत से कोई दूसरा मतलब

खिलाफ इसके न पाया जावे तो:—

“जायदाद गैर मनकूला” में इमारती लकड़ी जायदाद गैर मनकूला के खड़े दरखत, या उगती हुई फसल या घास शामिल नहीं है;

“दस्तावेज” से हर दस्तावेज विला वसीअती दस्तावेज मुराद है,

“रजिस्ट्री हुवा” से वह रजिस्ट्री होना मुराद रजिस्ट्री हुवा है जो सरकारी हिन्दुस्थान में उस कानून के मुताबिक अमल में आई हो जो उस वक्त दस्तावेजों की रजिस्ट्री के वास्ते चालू होवे;

“जमीन में लगी हुई” से मुराद है:—

जमीन में लगी हुई

(अ) वह चीज जो जमीन में जड़ रखती हो, जैसे झाड़ व पौधे;

(ब) वह चीज जो जमीन में गड़ी हो, जैसे दीवारें या मकानात;

(क) वह चीज जो ऐसी चीज के साथ लगी हो जो उस चीज के मुस्तकिल फायदावर इस्तेमाल के वास्ते, कि जिसके साथ वह लगी हुई है, जमीन में गड़ी हो---

त र री ह.

जो जो कानून इस एक्ट की रूखे मसूख किये गये है, उन की तरफील इस एक्ट के साथ लगे हुए जमीमा में दर्ज है-किसी कानून या कायदा या एक्ट के मसूख हो जाने से यह न समझा जायेगा कि अगर पुराने एक्ट के रूखे कोई काम किया गया हो या कार्रवाई मुकदमा शुरू की गई हो, या जुरमाना या तावान की रकम वसूल हुई हो तो ऐसा किया हुआ काम या कार्रवाई वगैरा रद्द हो जायेगी-आम जिमनों के एक्ट न १० सन १८९७ ई० की दफा ६ में साफ यह हुकम दर्ज है कि जब जनाव गवर्नर जनरल बहादुर की काँसिल से कोई कानून मसूख किया जाये तो जब तक कानून की इवारत से कोई दूसरी मनशा न जाहिर होती हो, तब तक नए कानून से यह मुदाद न समझी जायेगी—

- (क) कि उस के रूखे कोई ऐसी बात पैदा हो जाये जो बर वक्त मसूखी कानून मौजूद न थी,
- (ख) नया कानून किसी ऐसे पुराने कानून पर असर न रखेगा कि जिसके रूखे कोई काम किया गया हो या कोई नुकसानी उठाई गई हो
- (ग) नये कानून की रूखे किसी ऐसी जिम्मेदारी, हक, हकूक वो इत्तेहकाक में कुछ असर न पहुँचेगा जो पुराने कानून की रूखे हासिल या कायम हो चुके हो,
- (घ) किसी ऐसे तावान, जन्ती या सजा में निसबत उस के कि जो मसूख हुए कानून के बरखिलाफ किया गया हो कुछ असर न पहुँचेगा
- (ङ) या किसी तहफाकात वो तायज कार्रवाई वगैरा में कुछ असर न पहुँचेगा जो किसी ऐसे हक, जिम्मेदारी तावान, जन्ती वो सजा के बारे में की गई होवे

इन्तकाल बजरिये हुकम कानून में इस एक्ट के किसी दफा के अहकामात लागू न होंगे-मसलन एक शरस ने इजराय डिगरी के नीलाम में करजा का हक खरीद किया-ऐसे नीलाम में इस एक्ट की दफा १३९ मुताब्बक न होगी [इ ला री मदरास जिल्द १९ सफा ३८३]

दफा ३. इस एक्ट में अगर मजमून या इवारत से कोई दूसरा मतलब

खिलाफ इसके न पाया जावे तो:—

“जायदाद गैर मनकूला” में इमारती लकड़ी
जायदाद गैर मनकूला के खड़े दरख्त, या उगती हुई
फसल या घास शामिल नहीं है;

“दस्तावेज” से हर दस्तावेज विला वसीअती
दस्तावेज मुराद है,

“रजिस्ट्री हुवा” से वह रजिस्ट्री होना मुराद
रजिस्ट्री हुवा है जो सरकारी हिन्दुस्थान में उस कानून
के मुताबिक अमल में आई हो जो उस वक्त दस्ता-
वेजों की रजिस्ट्री के वास्ते चालू होवे;

“जमीन में लगी हुई” से मुराद है:—

जमीन में लगी हुई

(अ) वह चीज जो जमीन में जड़ रखती हो,
जैसे झाड़ व पौधे;

(ब) वह चीज जो जमीन में गड़ी हो, जैसे
दीवारें या मकानात;

(क) वह चीज जो ऐसी चीज के साथ लगी
हो जो उस चीज के मुस्तकिल फायदावर
इस्तैमाल के वास्ते, कि जिसके साथ वह लगी
हुई है, जमीन में गड़ी हो—

त श री ह.

जो जो कानून इस एक्ट की रूखे मंमूख किये गये है, उन की तकसील इस एक्ट के साथ लगे हुए जमीमा मे दर्ज है—किसी कानून या कायदा या एक्ट के मसूख हो जाने से यह न समजा जावेगा कि अगर पुराने एक्ट के रूखे कोई काम किया गया हो या कार्रवाई मुकदमा शुरू की गई हो, या जुरमाना या तावान की रकम बमूल हुई हो तो ऐसा किया हुआ काम वा कार्रवाई बगैरा रद्द हो जावेगी—आम जिमनों के एक्ट न १० सन १८९७ ई० की दफा ६ में सांफ यह हुकम दर्ज है कि जब जनाव गवर्नर जनरल बहादुर की कौंसिल से कोई कानून मसूख किया जावे तो जब तक कानून की इवारत से कोई दूसरी मनशा न जाहिर होती हो, तब तक नए कानून से यह मुराद न समझी जावेगी—

(क) कि उस के एखे कोई ऐसी बाल पैदा हो जावे जो बर वक्त मसूखी कानून मौजूद न थी,

(ख) नया कानून किसी ऐसे पुराने कानून पर असर न रखेगा, कि जिस्के रूखे कोई काम किया गया हो या कोई मुकदमा उठाई गई हो

(ग) नये कानून की एखे किसी ऐसी जिम्मेदारी, हक, हकूम वो इस्तेहकाक में कुछ असर न पहुचेगा जो पुराने कानून की रूखे हासिल या कायम हो चुके हो,

(घ) किसी ऐसे तावान, जन्ती या सजा में निसबत उस के कि जो मसूख हुए कानून के बरदिलफ किया गया हो कुछ असर न पहुचेगा

(ङ) या किसी तहकीकात वो लायज कार्रवाई बगैरा में कुछ असर न पहुचेगा जो किसी ऐसे हक, जिम्मेदारी तावान, जन्ती वो सजा के बारे में की गई होवे

इन्तकाल बजरिये हुकम कानून में इस एक्ट के किसी दफा के अहकामात लागू न होंगे—मसलन एक शाख्त ने इजराय डिगरी के नीलाम में करजा का हक खरीद किया—ऐसे नीलाम में इस एक्ट की दफा १३५ मुताबक न होगी [इ ला. री मद्रास जिल्द १५ नफा ३८३]

दफा ३. इस एक्ट में अगर मजमून या इवारत से कोई दूसरा मतलब

खिलाफ इसके न पाया जावे तो:—

“जायदाद गैर मनकूला” में इमारती लकड़ी जायदाद गैर मनकूला के खड़े दरख्त, या उगती हुई फसल या घास शामिल नहीं है;

“दस्तावेज” से हर दरतावेज विला वसीअती दस्तावेज मुराद है,

“रजिस्ट्री हुवा” से वह रजिस्ट्री होना मुराद रजिस्ट्री हुआ है जो सरकारी हिन्दुस्थान में उस कानून के मुताबिक अमल में आई हो जो उस वक्त दस्तावेजों की रजिस्ट्री के वास्ते चालू होवे;

“जमीन में लगी हुई” से मुराद है:—

जमीन में लगी हुई

(अ) वह चीज जो जमीन में जड़ रखती हो, जैसे झाड़ व पौधे;

(ब) वह चीज जो जमीन में गड़ी हो, जैसे दीवारें या मकानात;

(क) वह चीज जो ऐसी चीज के साथ लगी हो जो उस चीज के मुस्तकिल फायदावर इस्तमाल के वास्ते, कि जिसके साथ वह लगी हुई है, जमीन में गड़ी हो—

“दावा काविल नालिश” से मुराद है वह दावा निसबत किसी करजा के, सिवाय उस करजा के कि जिसकी क्वाफालत दजरिये जायदाद गैरमनकूला के या वजरिये रहन या गिरवी जायदाद मनकूला के हुई हो, या दावी निसबत हक फायदावार वाकै किसी जायदाद मनकूला के जो दावीदार के कबजा में दरअसल या इरतस्वाली तौर पर, न हो, जिसके जोर के अदालत हाय दीवानी की राय में दादरसी मिलने के लिये वजूहात मिलते हो, चाहे ऐसा करजा या फायदावार हक उस वक्त वजूद में आगया हो या पैदा होता हो या शरतिया हो या मशरूत हो—

और किसी शख्स को किसी बात से “इत्तला होना” उस वक्त कहा जावेगा कि जब वह दर असल उस बात को जानता हो, या जब यह हाल हो इत्तला होना कि अगर वह उस तहकीकत या तलाशी से जानबूझकर बाज रहता, जो उसपर करना वाजिब थी, या अगर भारी सुरती न करता तो उस बात से वह इत्तला पाजाता, या जब इत्तला उस बात की उसके एजन्ट यानी कारिन्दा को उन हालात की मौजूदगी में जो हिन्दुरथान के एक माहदा सन

१८७२ ई० की दफा २२६ में दर्ज हैं की गई हो या हासिल हुई हो---

त श री ह.

जायदाद:—वह चीज कि जिसके बावत नालिश बअदालत दीवानी दायर हो सकती है जायदाद की तारीफ में दाखिल है [३ ला रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा १६८ इज़लास कामिल] जायदाद दो किस्म की होती है, [१] जायदाद मनकूला जिसे हिन्दी भाषा में स्थावर माल कहते हैं, यानी वह माल जो एक जगह से दूसरे जगह उठाया जा सकता हो जैसे मवेशी, दाना बो, सामान बगैरा, [२] जायदाद गैर मनकूला जिसे हिन्दी में अस्थाय माल कहते हैं जैसे मकान, जमीन बो झाड बगैरा—

जायदाद गैर मनकूला:—उस एक्ट मे जायदाद गैर मनकूला की तारीफ कहीं नहीं की गई है बल्कि सिर्फ यह बतलाया गया है कि उस में कौन कौन सी चीजें शामिल समझी जायें—आम जिनमें के एक्ट सन १८९७ ई० में, जो जनाव नब्बाब गवर्नर जनरल बहादुर के सब एक्टों से ताल्लुक रखता है, “ जायदाद गैर मनकूला ” की तारीफ पूरी तौर पर लिखी गई है, जो नीचे दर्ज की जाती है—जायदाद गैर मनकूला में शामिल है जमीन, वो जमीन से मिलने वाले मुनाफा, और वे कुल चीजे जो जमीन यानी प्रथवी में लगी है या मुस्तकिल तौर पर ऐसी चीजों से भिटी है जो जमीन में लगी है— इस एफज की तारीफ एक्ट रजिस्ट्री वो एक्ट निरासत वो एक्ट मियाद बगैरा में भी लिखी है—मसलन एक्ट मियाद की गरज के बाते खडी फसल बतौर जायदाद गैर मनकूला के समझी जावेगी [३ ला रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६६९] वो हस्ब मनशाय एक्ट मतालमा अदालत खफाफा न ११ सन १८६९ ई० खडी फसल वो दरख्त मनकूला जायदाद में दाखिल नहीं है [३ ला रि प्रन्वेइ जिल्द १३ सफा ८७] और इसी तरह मजमुला जान्ता दीवानी वो एक्ट मुक्की अदालत मतालमा खफाफा न ९ सन १८८७ ई० की मनशा के ट्रिये खडी फसलें वो दरख्तान जायदाद गैर मनकूला में दाखिल है—एक्ट रजिस्ट्री में जो तारीफ दर्ज है उस के मुताबिक खडी फसल, दरख्त वो घास बगैरा जायदाद गैर मनकूला में शामिल न समझे जायेंगे—जमीन यानी मालियाना बजाफा

“दावा काबिल नालिश” से मुश्राद है वह दावा निसबत किसी करजा के, सिवाय उस करजा के कि जिसकी किफालत बजरिये जायदाद गैरमनकूला के या बजरिये गहन या गिरवी जायदाद मनकूला के हुई हो. या दावी निसबत हक फायदावार वाकै किसी जायदाद मनकूला के जो दावीदार के कबला में दरअसल या इरतम्वाती तौर पर, न हो, जिसके जोर के अदालत हाय दीवानी की राय में दादरसी मिलने के लिये बजुहात मिलते हो, चाहे ऐसा करजा या फायदावार हक उस वक्त बजुद में आगया हो या पैदा होता हो या शरतिया हो या मशरूत हो—

और किसी शख्स को किसी बात से “इत्तला होना” उस वक्त कहा जावेगा कि जब वह दर असल उस बात को जानता हो, या जब यह हालत हो इत्तला होना कि अगर वह उस तहकीकत या तलाशी से जानबूझकर बाज रहता, जो उसपर करना वाजिब थी, या अगर भारी सुरती न करता तो उस बात से वह इत्तला पाजाता, या जब इत्तला उस बात की उसके एजन्ट यानी कारिन्दा को उन हालात की मौजूदगी में जो हिन्दुस्थान के एकट माहदा सन

१८७२ ई० की दफा २२६ में दर्ज हैं की गई हो या हासिल हुई हो---

त श री ह.

जायदाद:— यह चीज कि जिरके बाबत नालिश अदालत दीवानी दायर हो सकती है जायदाद की तारीफ में दायिल है [इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा १६८ इज़लास कामिल] जायदाद दो किस्म की होती है, [१] जायदाद मनकूला जिसे हिन्दी भाषा में स्थानर माल कहते है, यानी वह माल जो एक जगह से दूसरे जगह उठाया जा सकता हो जैसे मवेशी, दागा वो सामान वगैरा; [२] जायदाद गैर मनकूला जिसे हिन्दी में अस्थानर माल कहते हैं जैसे मकान, जमीन वो झाड वगैरा—

जायदाद गैर मनकूला:— इस एक्ट में जायदाद गैर मनकूला की तारीफ कही नहीं की गई है बल्कि सिर्फ यह बतलाया गया है कि उस में कौन कौन सी चीजें शामिल समझी जायें—आम जिनमें के एक्ट सन १८९७ ई० में, जो जनाव नब्बाव गवर्नर जनरल बहादुर के सब एक्टो से ताल्लुक रखता है, “जायदाद गैर मनकूला” की तारीफ पूरी तौर पर लिखी गई है, जो नीचे दर्ज की जाती है—जायदाद गैर मनकूला में शामिल है जमीन, वो जमीन से मिलने वाले मुनाफा, ओर वे कुछ चीजें जो जमीन यानी प्रथमी में लगी है या मुस्तकिल तौर पर ऐसी चीजों से भिटी है जो जमीन में लगी हैं—इस लफज की तारीफ एक्ट रजिस्ट्री वो एक्ट विरासत वो एक्ट मियाद वगैरा में भी लिखी है—मसलन एक्ट मियाद की गरज के वारेते खडी फसल बतौर जायदाद गैर मनकूला के समझी जावेगी [इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६६९] वो हस्त मनगाय एक्ट मतालवा अदालत खर्फाफा न ११ सन १८९९ ई० खडी फसल वो दरख्त मनकूला जायदाद में दारिल नहीं है [इ. ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा ८७] और इसी तरह मजमूआ जान्ता दीवानी वो एक्ट मुझी अदालत मतालवा खर्फाफा न ९ सन १८८७ ई० की मनशा के लिये खडी फसलें वो दरख्तान जायदाद गैर मनकूला में दायिल है—एक्ट रजिस्ट्री में जो तारीफ दर्ज है उस के मुताबिक खडी फसल, दरख्त वो घास वगैरा जायदाद गैर मनकूला में शामिल न समझे जायेंगे—वर्षासन यानी साठियाना यजेत्ता

जो प्रव्रिदिश के वास्ते मिलता है और जिसका बोन जायदाद गैर मनकूला पर रखा गया है तारीफ "जायदाद गैर मनकूला" में दाखिल है [३ ला. रि बम्बई जिल्द २३ सफा २२ केशव-बनाम-विनायक]

इमारती लकड़ी के दरख्तः—इमारती लकड़ी से अकसर वह लकड़ी समझी जाती है जो मकानात बनाने व उन की मरम्मत करने के काम में लाई जावे-जलाने की लकड़ी इस तारीफ में दाखिल नहीं है-पस वे दरख्तान जिन ने इमारत बनाने की लकड़ी निकल सकती है, उस की मनशा को मुताबिक "जायदाद गैर मनकूला" में दाखिल है

ऊगती हुई फसलः—अलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि साला की फसल हव मनशाय एकट इन्तकाळ जायदाद वो एकट रजिस्ट्री के मनकूला जायदाद में शामिल है (३ ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा २०) लेकिन आयन्दा साल की फसल "ऊगती हुई फसल" में दाखिल न समझी जावेगी उन लिये वह मनकूला है [३ ला रि कलकत्ता जिल्द १३ सफा २६२-मिसरी लाल-बनाम-मजहर] एकट माहदा की दफा ८७ के रत्ते ऐसी फसलों की धिनी बतौर धिनी ऐसे साल के समझी जाती है जो बन्द में नहीं आई है और माल मजकर के बन्द में आजानेके बाद उस की मिलकियत ऐसे कामो के जरिये से मुन्तकिल हो सकती है जो ठहराव की शर्त के मुताबिक बेचने वाला या खरीदार बरजामन्दी बेचने वाला के करे

जमीन में लगी हुईः—इसे वे कुल धिनि शामिल हैं जो इमारते, मकानात व दीवानों में मुस्तकिल तौर पर लगी होवे, जैसे, चौरखट, दरवाजे, विड-किया बंगरा, क्योंकि यह कुल सामान मकान के फायदापर इस्तेमाल के वास्ते बहुत जरूरी है- [देखो ३ ला रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा १६४ पीरू बेपारी-बनाम-रोनुवा, ३ ला रि मद्रास जिल्द १३ सफा ११८, सरकार-बनाम-शेख डबराहीम; ३ ला रि मद्रास जिल्द १४ सफा ४६७] दरख्तान व फसलें भी जमीन में "लगी हुई" समझी जावेगी-पस दररत और फसल जमीन के साथ जाती है-यानी जिस किसी की जमीन में हक हासिल हो गया है उसे उस जमीन में खड़े दररतान वो फसलें पर भी इस्तेहकाक मिलेगा [३ ला रि मद्रास जिल्द १३ सफा १९]

“इत्तला होना” :— किसी शरस के निसबत तीन तरीके पर इत्तला का मिलना कहा जायेगा, यानी (१) इत्तला वार्ड, जब कि शरस मजदूर को साफ तौर पर किसी बात की इत्तला दी गई हो, जैसे डाकखाना के जरिये से रजिस्ट्री करा कर नोटिस का देना या साफ तरह पर किसी अमर या वक़्फ़ा का हाल किसी शरस को कह देना या जता देना—जब कोई रजिस्ट्री नोटिस किसी शरस को बजरिये डाकखाना के भेजा जाये और वह शरस उस के लेने से इकार करे तो ऐसी हक़्त में इत्कार किया हुआ नोटिस पेश कर देने में यह बात बख़ूबी सन्नित की जा सकेगी कि उस के मजमून की इत्तला शरस मजदूर को मिल चुकी [ड ला रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६८१ जोगेन्द्रो-बनाम-द्वारकानाथ] जब किसी शरस पर नोटिस की तामील बजरिये डाकखाना हो गई हो और पीछे से उस के मजमून की निसबत उस शरस के मुकाबले में शहादत पेश करना मजूर होवे कि जिसके कबजा में असल नोटिस है, तो ऐसी शहादत पेश किय जाने के पेशतर उस शरस से असल नोटिस तलब करना जरूर है [देखो दफा ६६ एकट शहादत न १ सन १८७२ ई०]

(२) इत्तला मानवी :— किसी शरस के निसबत उस सुरत में मानवी इत्तला का पाना कहा जायेगा जब कि उस ने जानबूझ कर ऐसी तहकीकात या तलाशी न की हो कि जिसका करना उसपर बाजिव था, या जब कि वह बड़ी भारी सुरती का कसूरवार होवे—बम्बई हाई कोर्ट व अलाहाबाद हाई कोर्ट की यह नज़ीर है कि हर दर्तापेश की रजिस्ट्री होने से तमात लगेको को माफ़ूल तौर पर नोटिस यानी इत्तला मिल जानी है क्योंकि जब कोई शरस किसी जायदाद के निसबत कोई दर्तापेश लिखाता है तो उसपर दफतर रजिस्ट्री में इस बात की तलाशी करना लाजिमी है कि आया वहाँ जायदाद पेशतर कहीं रहन या वे बैंगरा हो चुकी है या नहीं [देखो ड ला रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ४३२, ड ला रि बम्बई जिल्द ६ सफा १६८, ड ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा ४४४,] लेकिन कलकत्ता वे मदरास हाई कोर्ट ने इस राय को मजूर नहीं की है—[देखो ड ला रि मदरास जिल्द १५ सफा २६८], कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि उसफिया इन अमर का कि आया रजिस्ट्री दर्तापेश की बराबर नोटिस के है या नहीं सुनानर इस बात पर है कि थाया रजिस्ट्री दफतर में नज़ारी न, वगना भारी सुरती का सन्न धा—और हर मुकदमा में फैसला इन अमर का करना चाहिये

[देखो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ७ सफा १९९, वो कलकत्ता वीही नोट जिल्द २ सफा ७९०]

(३) मुखत्यार या कारिन्दा की बकफियतः—यानी जब किसी शख्स के मुखत्यार या कारिन्दा को किसी बात का हाल मालूम हो चुका है तो क्यास कर लिया जावेगा कि उस के मालिक को उस बात का इल्म मिले चुक—कानून माहदा की दफा २२९ में साफ यह हुबम दर्ज है कि जब कोई इत्तला निंसवत किसी अमर के कारिन्दा को दी जावे या उस की तरफ में हमिळ की जावे उस वक्त कि जब वह अपने मालिक की तरफ से बराबर अपना काम कर रहा है, तो ऐसा मान लिया जावेगा कि इत्तला मजकूर उस के मालिक ही के पास भेजी गई, क्योंकि कानून की मनशा यह पाई जाती है कि हर एक कारिन्दा अपना काम ईमानदारी के साथ करता है और जो कुछ खबर उसे मिलती है वह अपने मालिक को बतलादेवेगा—लेकिन जब कोई शख्स बनिमत फरेब किसी अमर की इत्तला अपने मालिक को न देवे और तीसरे फरीक से साजिश करके उस के साथ अपने मालिक को नुकसान पहुंचाने की गरज से मिल जावे तो ऐसी सूगत में मालिक मुखत्यार की इत्तला का पाबन्द न होगा [दम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द १२ सफा २६२ हुरमसजी—अनाम—मानकुवर बाई]

दफा ४. इस एक्ट के कुल बाब वो दफाएं जो माहदों से ताल्लुक रखने हैं, एक्ट माहदा सन १८७२ ई० के जुज समझे जावेंगे; और दफा. ५४, फिकरा २ व ३, दफा ५६ व १०७ व १२३ बतौर तितम्मा एक्ट रजिस्ट्री सन १८७७ ई० के पढ़े जावेंगे—

त श री ह.

दफा ९४ डम बारे में है कि जायदाद गैर मनकूला का वै किस तरह किया जा सकता है, दफा ९९ रहन के बारे में है दफा १०७ पशों के बारे में है व दफा १२३ दान पत्र यानी बखशिग नामों के बारे में है—

बाब:—२

निसबत इन्तकाल जायदाद बजरिये फैल फरीकैन

—०५०—

(अ) बाबत इन्तकाल जायदाद मनकूला या
गैर मनकूला.

—०५०—

दफा ५. नीचे लिखी दफों में “इन्तकाल
जायदाद” से वह फैल मुराद है जिसके
जरिये से एक शख्स जिन्दा, जमाना
हाल या आयन्दा में, एक या कई और जिन्दा
शख्सों के नाम, या खुद अपने और एक या कई
और जिन्दा शख्सों के नाम जायदाद मुन्तकिल
करे और ऐसे फैल का करना “इन्तकाल जायदाद”
कहलाता है—

त श री हे.

दफा ५ से लेकर ३७ तक हर किस्म की जायदाद से, यानी जायदाद मनकूला
व गैर-मनकूला दोनों से ताल्लुक रखती है, दफा ३८ से ११७ तक सिर्फ जायदाद
गैर मनकूला से वास्ता रखती है, दफा ११८ से १३९ तक दोनों किस्मों की जायदाद
से मुताल्लुक है—इस दफा का मतलब यह है कि जब कोई शख्स ऐसा काम करे
जिस्के जरिये से वह अपनी जायदाद [१] एक-जीते शख्स के नाम, या [२]
कई और जीते शख्सों के नाम, या [३] खुद अपने और एक जीते शख्स के नाम,
[४] या खुद अपने और कई जीते शख्सों के नाम इन्तकाल करदे, तो शख्स मजबूर

का ऐसा काम 'इन्तकाल जायदाद' में दखल होगा—इस दफा के पढ़ने से यह बात साफ मालूम पड़ती है कि इन्तकाल करने वाला शान्स और वह शान्स कि जिसके नाम जायदाद का इन्तकाल किया जाये दोनों जीव हों, अर्थात् दोनों में से कोई एक भी जिन्दा मौजूद न हो तो जायदाद का इन्तकाल मुताबिक कानून के न कदा होगा—

तारीफ जायदाद:—इस एक्ट में लफ्ज "जायदाद" की तारीफ कहीं दर्ज नहीं है—मगर तारीफ "जायदाद मन्कूरा" व "जायदाद गैर मन्कूरा" के पढ़ने से साफ यह जारि होता है कि लफ्ज "जायदाद" से वह चीज मुपर है जिसकी चायत हक मिलनियत हो [इ ल रि अग्रहवाद जिल्द १३ सफा ४७३ माता-दीन-बनाम-काजिम हुसेन]

इन्तकाल:—इस लफ्ज से यह मतलब निकलता है कि जब कोई शान्स, जो किसी जायदाद का मालिक हो या उस में कुछ हक रखता है, अपनी जायदाद या हक किसी दूसरे को दे देवे या हस्तांतर करे, तो कहा जायेगा कि शान्स मजकूर ने अपनी जायदाद का इन्तकाल किया—लफ्ज इन्तकाल में नीचे लिखे मामले शामिल हैं—
[१] ब्रेनामा यानी, बिती पत्र, [२] रहननामा—यानी, गहन पत्र, [३] पट्टा या ठेका नामा [४] त्तवाखानामा जायदाद, यानी एक जायदाद के बदले दूसरी जायदाद लेना या देना, [५] बखशिशनामा यानी दान पत्र, (६) इन्तकाल दानी काबिल इजराये नाखिश, यानी उस दानी का इन्तकाल जिसकी चायत दीवानों अदालत में नाखिश दायर हो सकती है—

दफा ६. जायज है कि हर किसम की जायदाद मुन्तकिल की जावे सिवाय उस सूरत में कि जब इस एक्ट में या किसी और कानून में जो उस वक्त जारी हो, इस के बरखिलाफ कुछ हुक्म होवे:—

(क) यह इमकान कि कोई वली अहेद किसी

जायदाद को विरास्तन पावे, या यह इमकान कि कोई रिश्तेदार किसी नातेदार के मरने पर ही हुई कोई जायदाद पावे या इम किस्म की और कोई बात जिस्का होना सिर्फ मुमकिन हो, काविल इन्तकाल नहीं है.

(ख) दखल वापस लेने का सिर्फ हक व वजह टोडने किसी शर्त पिछली के, किसी शख्स के नाम मुन्तकिल न किया जा सकेगा सिवाए वनाम उस शख्स के जो ऐसी जायदाद का मालिक होवे कि जिस्से वह हक मुताल्लुक है.

(ग) कोई हक इस्तेफादा मिलकियत मालिव से अलाहादा होकर मुन्तकिल न किया जा सकेगा.

(घ) किसी जायदाद का ऐसा हक, कि जिस्मे जायदाद उठाना मालिक की जात खास के लिये मुकरर किया गया है, मालिक की तरफ से मुन्तकिल न किया जावेगा.

(ङ) सिर्फ तालिश वावत हरजा या माविजा दायर करने का इस्तेहकाक मुन्तकिल न किया जावेगा.

(च) उहदा सरकारी काबिल इन्तकाल नहीं है और उहदेदार सरकारी की तनखाह, उस के वाजिबुलअदा होने के पेशतर या बाद, काबिल इन्तकाल नहीं है.

(ख) फौजी और सुक्री सरकारी पिनशन्दारों की मशाहरा व पोलिटिकेल पेनशन के रूप्या इन्तकाल के लायक नहीं है.

(ज) इन्तकाल नहीं हो सक्ता है, (१) जब कि इन्तकाल उस इस्तेहकाक की नौईअत के बरखिलाफ हो जिस्पर वह इन्तकाल असर रखता है, (२) या जब वह किसी गरज नाजायज के लिये हो, (३) या जब वह ऐसे शरूस के नाम किया जावे जो कानून की रुसे मुन्तकिलअलेह होने के लायक न हो.

(झ) इस दफा के किसी मजमून से यह नहीं समझा जावेगा कि किसी ऐसे काशतकार को जो कब्जा काबिल गैर इन्तकाल रखता हो, या किसी ऐसे महाल के इजारेदार को जिस्की मालगुजारी की अदाई में कसूर किया गया हो या किसी ऐसे महाल के ठेकेदार को जो

कोर्ट आफ वार्डस के एहतेमाम में हो, यह अस्वत्यार दिया गया है कि वह अपनी कार्तकारी या ठेकादारी का हक किसी शरस के हवाला कर दे.

त श री ह.

इस दफा मे साफ तौर पर यह हुकम है कि हर किसम की जायदाद का इन्तकाल हो सक्ता है बशर्तेकि उस के इन्तकाळ के निसवत उम एाट नी रुसे या किसी दूमेरे एक्ट की रुसे मनाई न की गई है—ऊपर लिखे हुए किताबे मे (क) मे (झ) तक, उस जायदाद की तफसील लिखी है जो काबिल इन्तकाल नहीं ठहराई गई है—इस्का मतलब यह है कि अगर किसी मुक में कोई मुकामी (स्थानिक) कानून होवे, जैसे मय्य प्रदेश मे एक्ट कार्तकारी न ११ सन १८९८ ई० का जारी है, तो उस कानून के हुकमो पर एक्ट इन्तकाल जायदाद के इस हुकम से कुछ अत्तर न पटुचेगा कि हर किसम की जायदाद काबिल इन्तकाल है—मसलन मय्य प्रदेश के कानून कार्तकारी के रुसे मामूली वो मौखली किताब के कबजे की जमीन काबिल इन्तकाल नहीं है—

जायदाद.—जायदाद से सिर्फ वैसी ही जायदाद मुराद नहीं है कि जो जाहरा में नजर पडती हो जैसे जमीन, मकान वो ढोर वंगरा वल्कि इस लफ्ज में वह इस्तेहकान वतौर जायदाद शामिल समझा जावेगा जो किसी शरस को किसी जौयदाद के निसवत हासिल हो गया हो, जैसे जायदाद मरहूनो को रहन के बौज से छुडाने का हक जो काबिल इन्तकाल है—इसी तरह पर किसी देव या देवो की पूजन करने व चट्टेरो का हिस्सा पाने का हक इन्तकाळ किया जा सकता है लेकिन यह हक सिर्फ ऐसे ही शरस के नाम मुन्तकिल किया जा सकेगा जो काम करने के कादिल व लायक हो आर जो वारिसो की जेल में होवे [इ ला रि इम्बई गिल्ड १ सफा २९८ मनठाराम—ग्रनाम—प्रानशकर] लेकिन मजहबी बन्का [गानो जो जायदाद धर्मो के कामो के वस्ते अरपण की जावे] का इन्तकाळ न किया जावेगा (इ ला रि इम्बई जिल्द ६ सफा ११२) हालाकि उन की आमदानी जल्दरी काम के वाले, जैसे मदर की मरम्मत कराना, वतौर इतजाम चड रोज के

रहन की जा सकती है. [नजीर प्रीमि कौंसिल ला. रि. जिल्द २३. अ सफा १४५ व १५१ प्रसनों कुमारी देविया-बनाम-गुलाबचंद बाबू, इ ला रि वर्म्बई जिल्द ५ सफा ३९३ व ३९६ नारायन-बनाम चिन्तामन] अजरख्य वर्म शांन मोल ली हुई जायदाद मे खरीदार का पूरा हक्क हो जाने के वास्ते कबजा देना लाजमी नहीं है (इ ला रि. मद्रास जिल्द ५ सफा ६, इ. ला रि, कलकत्ता जिल्द ८ सफा ५९७, इ ला रि वर्म्बई जिल्द ६ सफा ३८७) मगर शरह मोहम्मदी के रू से हिवा यानी बखशिश जायज होने के वास्ते यह लाजमी है कि जायदाद का कबजा हवाला किया जावे (इ ला रि वर्म्बई जिल्द १३ सफा १५६ मेहर अली-बनाम-ताजूदीन)

इमकान वली अहेद, फिकरा (क):- इस फिकरे का मतलब यह है कि जब किसी चीज का होन मुमकिन है किसी दूसरी बात के बकूब में आने पर तो, ऐसी हालत में वह चीज का विल इन्तकाल नहीं है, जैसे कोई शख्स उम्मेद करे कि मैं फलाने रिस्तेदार के मरने पर उस की कुल जायदाद का वारिस हो जाऊंगा-यह सिर्फ वली अहेद के वारिस बने का इमकान है और इस बजह से काविल इन्तकाल करार नहीं दिया गया है-क्योंकि ऐसा इमकान "जायदाद" में दाखिल नहीं है-लेकिन बमुकदमा ब्रह्म देव नारायन-बनाम-हरजन सिंग (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २५ सफा ७७८) यह तजवीज करार पाई है कि किसी देवा के मरने पर जो हक्क हिन्दू वारिस को देवा मजकूर की जायदाद पाने के निस्वत हासिल है उसे काविल इन्तकाल नहीं समझना चाहिये-

हक्क वापसी दरखल, फिकरा (ख):- इस फिकरा का मतलब आसानी के साथ समझ में नहीं आता है-बहुत बारीकी के साथ पढ़ने से उस का यह मतलब निकलता है कि अगर कोई शख्स, जो असली मालिक की तरफ से किसी जायदाद पर कबजा रखता हो, किसी शख्स के पास वही जायदाद इस शर्त के साथ मुन्तकिल कर देवे कि अगर इन्तकाल लेने वाला [मुन्तकिल अलेह] किन्ना माहदा यानी टहराय की शर्त को तोड़े तो इन्तकाल करने वाले को दरखल वापस पाने का हक्क हासिल होगा-इस जिमन की रूमे दरखल वापस पाने का हक्क असली मालिक जायदाद के सिवाय किसी और शख्स के नाम मुन्तकिल न किया जावेगा-दरखल वापस पाने का हक्क फरीक के जाती फायदा के वास्ते है

और यह हक किसी ऐसे गव्हस के फायदा के वास्ते कायम नहीं किया जा सकता है कि जिसकी जायदाद यानी जर्मान में कोई इस्तेहफाक जाती हासिल न हो—

हक इस्तफादा:—हक इस्तफादा यानी किसी दूसरे गव्हस की जायदाद से फायदा उठाने का हक फायदा उठाने वाले गव्हस की जायदाद के साथ लगा रहता है—इस फिकरा की रूसे ऐसा हक असली जायदाद से अलाहादा करके काबिल इन्तकाल न होगा, क्योंकि एकट हक इस्तफादा न ५ सन १८८२ ई० की दफा १९ में साफ यह हुकम है कि ऐसा हक जायदाद से अलग नहीं हो सकता—

हक जो जाती फायदा के वास्ते होवे, फिकरा (घ):-इस

फिकरा का मतलब यह है कि जब किसी जायदाद में कोई ऐसा हक कायम किया गया हो जो अजरूय कानून, या रिवाज या माहदा के जायदाद मजकूर के मालिक खाम के फायदा के वास्ते होवे, तो ऐसा इस्तेहफाक काबिल इन्तकाल न होगा—नीचे लिखी हुई चीजों का इन्तकाल न किया जावेगा—डिगरी बाबत कायम करने हक शफा (३ ला रि जिल्द ५ अलाहाबाद सफा १८३, ३ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा १०७) प्रोहती उहदे का मौरूसी हक, देवी या देवता की पूजन करने का हक (मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ३२ व २१०, ३ ला रि बम्बई जिल्द ६ सफा १९८) जेपरात जो पूजा करने के वक्त काम में लाए जाते हों (बी रि जिल्द ५ सफा १८ प्रीमी कौंसिल) मजहबी उहदे की तनखाह [म हा रि जिल्द ४ सफा ३३६, म हा रि जिल्द ३ सफा ३८०, ३ ला रि मदरास जिल्द ६ सफा ७६, ३ ला रि मदरास जिल्द १५ सफा १८३] मजहबी वफक [३ ला रि अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ८१] वह जायदाद यानी स्टेट जो अजरूय सनद व शरायत अतिया व रिवाज काबिल गैर इन्तकाल होवे

पोलिटिकल पेनशन:—इस्से उस पेनशन का रूपा मुराद है जो बतौर तनखाह बाबत मुल्की मामलात के सरकार की तरफ से दी जाती है, मसलन तनखाह, जो नव्यान वाजिद अली शाह व दीगन राजों को जो नजर बंद कैदी सरकार के हैं मिल्य करती है—वास्ते कुरकी पेनशन के देखो दफा २६६ मजमूआ जान्ता दीयानी—

फिकरा (ज):-इस फिकरा के बमाजिव हर इन्तकाल, उस कदर कि जहा तक वह उम इस्तेहफाक की नाईअत के बरखिलाफ है, कि जिसपर इन्तकाल

मजमूर असर रग्यता है रद समझा जावेगा—मसलून, अगर किसी गहस को एक वगीचा से सिर्फ फल पाने का हक हासिल है तो वह गहस वगीचा मजमूर का इन्तकाल इस तरह पर नहीं कर सकता है कि मुन्तकिल अलेह यानी इन्तकाल कराने वाला ज्ञातों की लकड़ी भी काट लेवे, इसी तरह पर कोई हिन्दू ब्रेगा अपने खान्दि की जायदाद का इन्तकाल इस तरह पर नहीं कर सकती है जो उस के इन्तकाल के खिलाफ होवे—

दफा ७. हर शख्स जो माहदा यानी ठह-

शख्स जो इन्तकाल करने का मजाज हो और जो जायदाद काबिल इन्तकाल

के, मुन्तकिल करने का हकदार हो, या जो ऐसी जायदाद काबिल इन्तकाल के, कि जिसका खद वह मालिक न हो, मुन्तकिल करने का हकदार हो ऐसी कुल या जुज जायदाद के इन्तकाल करने का अखत्यार रखता है, चाहे कतई तौर पर या किसी शर्त के साथ बपाबन्दी उन हालात के और उस हद तक व उस तरीक पर कि जो किसी ऐसे कानून के रूसे, जो उक्त वक्त चालू हो, जायज रखा गया है या मुकरर हुवा हो.

तै श री ह.

इस दफा में यह हुकम दर्ज है कि जायदाद मुन्तकिल करने के मजाज कोन से लोग समझे जायें, यानी वे लोग कि जो किसी गहस के साथ माहदा यानी कौल, नरार करने का अखत्यार रखते हैं और जिन का जायदाद में हक हो या जिन को किसी दूसरे की जायदाद देने का अखत्यार हासिल हो—कानून माहदा, एकट न ९ सन

१८७२ ई०, की दफा ११ में यह लिखा है कि हर ऐसा शफ्त माहदा करने का मजाज है जो उस कानून के मुताबिक, कि जिम्का वह ताबे है, पूरी उमर का हो गया हो और जो सप्रित अयल का हो और जो बिस्ती ऐसे कानून की रूसे माहदा करने का नाकाबिल करार न दिया गया हो—जो शरस अक्सर बढ़ होश रहता है मगर कभी कभी होश में आजाता है वह उस वक्त माहदा यागी कौट करार वगैरा कर सकता है कि जब वह होश में आवे और न उस वक्त कि जब उस की अकल दुसरत न हो [देखो एक्ट माहदा दफा १२] हिन्दुस्थान के एक्ट बलुगियत न ९ सन १८७५ ई० की रूसे जो हिन्दुस्थान में बसे हुए सब लोगों से तालुक रखता है, मुदत नालगी की अठारवीं साल तक रहती है—एक्ट बलुगियत ऐसे अगरेज से तालुक न रहेगा जो हिन्दुस्थान में गान बनाकर न बसता हो बल्कि इस मुक्त में बतौर चदरोजा के बह रहता हो—ऐसा अगरेज उस कानून जाती के पाबन्द होगा कि बिके ताबे वह अपने बतनी मुक्त में होता [३ टा रि. अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४९०]—

दफा ८. सिवाय उस सूरत में कि जब तासीर इन्तकाल खिलाफ मुराद जाहिर किया जावे या जरूर करके मतलब से निकलता हो, इन्तकाल जायदाद से इन्तकाल करने वाले का तमाम हक व हुकूमत तमाम हक उस का उस के मुतालुकात कानूनी में, जिस्को वह उस वक्त इन्तकाल कर सकता है, फौरन मुन्तकिल अलेह की तरफ मुन्तकिल हो जाते हैं.

ऐसे मुतालुकात में, जब कि जायदाद जमीन हो, वह हक इस्तफादा दाखिल है जो उससे लगे हैं और किराया, लगान व मुनाफा जो वाद इन्तकाल

के पैदा होवे और वे सब चीजें जो जमीन यानी धरती में लगी हैं.

और, जब वह जायदाद आलात कल के किस्म से हो जो जमीन से लगी हो, तो उस के टुकड़े भी, जो अलग किये जाने के काबिल हों, शामिल हैं.

और, जब वह जायदाद कोई मकान होवे तो उस के तालुक का हक इस्तफादा और उस के किराया का रूप्या, जो दाद इन्तकाल के पैदा हो, और उस के ताला, कुंजी, गज व दरवाजे और खिड़कियां और दूसरी वे कुल चीजें, जो उस के साथ दावामी (हमेशा का) इस्तेमाल के लिये कायम की गई हों, शामिल है.

और, जब वह जायदाद कोई करजा हो या ऐसा दावा हो जिस के बाबत नालिश दायर हो सके, तो उस करजा वगैरा की किफालतें भी शामिल हैं (सिवाए उस हालत में कि जब वे किफालतें ऐसे दूसरे करजे या दावियों के भी बाबत हों जो मुन्तकिलअलेह के नाम मुन्तकिल न किये गये हों) मगर बक्राया सूद का रूप्या जो इन्तकाल के पहिले

पैदा हुआ हो शामिल नहीं है.

और जब वह जायदाद नकदी रूप्या के किस्म से या और कोई चीज हो, जिस्से आमदानी होती है, तो उस का सूद या आमदानी भी शामिल है जो इन्तकाल के बाद पैदा हो.

त श री ह.

इन दफा का मतलब यह है कि जब तक दस्तावेज के हस्ते कोई खास हक जायदाद का रख न छोटा गया हो, इन्तकाल के जरिये से इन्तकाल करने वाले का कुल हक व हुकूम उस के पास से चला जाता है कि जिस्के इन्तकाल करने का वह उस बत्त नजाज होवे—यह कायदा इस उसूल पर कायम है कि कोई शरस उस हक से जिदादा, कि जो उसे उस की जायदाद में हासिल है, मुन्तकिल नहीं कर सक्ता है—लेकिन जब कोई शरस अपनी जायदाद को रहन के बोझ से बरी करके बेंचने का इक़रार करे तो खरीदार उसे इस बात पर मजबूर कर सक्ता है कि रहन का रूप्या पटाया जावे वो जायदाद मरहूना रहन से छुड़ा दी जावे [देखो गौर साहिब वैरिस्टर की किताब शरह इन्तकाल जायदाद सफा ४९]

इन्तकाल करजा.—इस दफा के बमूजिव करजा के इन्तकाल का यह असर होवेगा कि करजा मजबूर की जिस कदर जमानते वो किफालते होवे वे मत्र मुन्तकिल अलेह के पास जाती हैं लेकिन जो कुल शुरू में बेंचा गया वह जिम्मेदारी यानी मवाखजा या बोझ रहन नहीं है बल्कि करजा है [देखो इ ल रि मदराम जिल्द १८ सफा ४९४] इस लिये ऐने इन्तकाल के दस्तावेज की रजिस्ट्री लजमी नहीं है (इ ल रि बम्बई जिन्द २ सफा ९७ सतरा कुमाजी—बनाम—विसराम)

मुताल्लुकात:—जो ताल्लुकात यानी सम्बधी चीजें जमीन के इन्तकाल के साथ जाती है वे यह हैं, यानी हक इस्तफादा, जमीन का किराया, लगान वो मुनाफा लेने का हक और कुल ऐसी चीजें जो जमीन से लगी है—हक इस्तफादा एक ऐसा हक है जो किसी जमीन का काबिज या मालिक उस जमीन के फायदा के वास्ते रखता है, यानी इस बात का हक कि जो जमीन उस की मिलकिमत न होवे

उस पर जाकर कुछ काम करना [देखो दफा ४ एक्ट इस्तफादा न. ५ सन १८८२ ई०] एक्ट इस्तफादा की दफा १९ को इस एक्ट की दफा हाजों के साथ पढ़ना चाहिये—हफा इस्तफादा गिनाफियत गाफियत के साथ जाती है—मसलन [अ] किसी ऐसी जमीन का माफिक हो जिसमें रास्ता का हक लगा है और इस जमीन को उस ने बीस साल के आसने ठेके पर दिया तो ऐसी हालत में रास्ते का हक ठेकादार को मिलेगा और ठेका की गिनाद तक रहेगा.

लगान व गुनाफा:—लगान यानी किराया या भाडा वो गुनाफा जमीन से हासिल होता है, इस लिये हरव तारीफ मुन्दरजा दफा ३ वो १७ एक्ट रजिस्टरी न. ३ सन १८७७ ई० के पर गैर मनकूला जायदाद में दाखिल है—इस वजह से लगान के इन्तकालनामा की रजिस्टरी लाजमी है [इ ला रि बम्बई जिल्द १९ सफा ६६७—] लगान वो गुनाफा में हर एक चीज शामिल है जो मुन्तकिल अटेह जमीन से खींच सकता है—

आलात कल:—एक मुकदमा में दायी टिका पोन हरजा वावत उठा ले जाने सेल निफालने व आटा पीसने की कलों के वो एक धुवा वाला इंजिन जो इजराय डिगरी की कार्रवाई में युक्त किये गये थे—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ये सब चीजें जमीन में लगी हुई हैं, माल मनकूला में दाखिल नहीं हैं, इस लिये उन की कुरकी अदालत मतालवा खफीफा की तरफ से नाजायज थी [इ ला रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ९४६] इसी तरह पर गुना का इंजिन जो जमीन में वजीरिये पैच वो बुल्लों के इस तरह भिडा दिया जाता है कि वह अलग नहीं हो सकता, इस लिये यह जमीन का जुज समझा जायेगा

करजा वो किकालत:—जब करजा मुन्तकिल किया जावे तो उस के साथ किकालत याने करजे की जमानत वोगा भी मुन्तकिल हो जाती है—जिम करजे का बोझ यानी मनाखजा जायदाद गैर मनकूला पर है वह “दायी काबिल इराय नालिश” में शामिल हो और ऐसी हालत में इस करजे का हवालदार करजा के वावत जाती डिगरी व नीज मनाखजा पोन का हकदार होगा (इ ला रि मद्रास जिल्द १८ सफा ४९४) लेकिन अगर खरीदार डिगरी खरीद करे न कि करजा जिसके वावत वह डिगरी है तो सूरत दूसरी होगी जैसे कि अगर कोई खरीदार सिर्फ नक्दी खेप्या की डिगरी मोल लेने तो ऐसी हालत में वह वेंचने वाले से असली किकालतें

यानी जमान्तें वगैरा तालब नहीं कर सकता है [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १ सफा ४४६ व ४४७]

दफा. ६. इन्तकाल जायदाद बिला तहरीर
 इन्तकाल जमानी उस सूरत में जायज होगा कि जब कानून में इन्तकाल मजकूर के तहरीर किये जाने के बावत कोई साफ तौर पर हुक्म न हो.

त श री ह .

इस दफा का मतलब यह है कि हर ऐसा इन्तकाल, जिस्के बावत किसी खास कानून की रू से तहरीरी होने का हुक्म होवे, जमानी न हो सकेगा—जैसे कि नीचे लिखे हुए इन्तकालों के बावते तहरीर दरकार है—[१] रहननामा, तवादलानामा वो वैनानामा जायदाद गैर मनकूला जब कि उस की मालियत एक सन रूप्या से जियादा होवे, [२] पछा साल दर साल या एक साल से जियादा के लिये या जिस्में सालि—याना लगान मुकरर है (देखो दफा १०९ एकट हाजा); [३] बखशिशानामा यानी दान पत्र, [४] दाबी काबिल इरजाय नालिश के इन्तकाल का नोटिम, देखो दफा १३२, एकट इन्तकाल जायदाद, [५] जायदाद गैर मनकूला का अमानत करना, देखो दफा ९ एकट न १ सन १८८२ ई०, [६] अमानतनामा माळ मनकूला सिवाए उस सूरत में कि जब उस की मालकियत वनाम अमानतदार के मुन्तकिल की जावे [मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ४ सफा ३४५], ऊपर लिखे किस्म के इन्तकाल को छोडकर बाकी के दीगर इन्तकाल, जहा तहरीर की जरूरत न हो, जमानी भी हो सकते हैं—वसीअतनामा के लिये तहरीर दरकार नहीं है—

दफा १० जब किसी जायदाद का इन्तकाल
 शर्त निसवत रुकानट इन्तकाल ऐसी शर्त या कैद के साथ किया जावे, जिस्की रू से मुन्तकिल अलेह या उस शख्स को जो उस के जरिये से दावीदार हो, कतई मुमानियत निसवत अलाहदा करने या सर्फ करने

अपनी हकीयत वाकै जायदाद के की गई है, तो ऐसी कैंद या शर्त रद्द होगी; सिवाए उस सूरत में कि जब इन्तकाल ठेका की किरम से हो जिसमें वह शर्त ठेका, देने वाले या उन शरुसों के फायदा के लिये होवे जो ठेका देने वालों के जरिये से दावीदार हों— मगर जायज है कि कोई जायदाद ऐसी औरत को (जो हिन्दू मुसलमान या बुध मजहब की न हो) या उस के फायदा के लिये इस शर्त के साथ मुन्तकिल की जावे कि वह औरत अपनी शादी के अख्याम में जायदाद मजकूर को या नफा उठाने का अपना हक जो उस को उसमें हासिल हो मुन्तकिल या किसी करजे की जिम्मेदारी में माखूज न करने पावे---

त श री ह.

इस दफा की रूसे जब किसी इन्तकाल के साथ यह शर्त लगी हो कि इन्तकाल लेने वाला या उस का दानीदार जायदाद को मुन्तकिल करने से बिलकुल मना किया जावे तो ऐसी शर्त रद्दी समझी जावेगी—लेकिन सिर्फ दो सूरतों में ऐसी शर्त कायम रहेगी—[१] जब इन्तकाल बजरिये ठेका के हो तो ठेका देने वाला शरस अपने या अपने कायम मुकामो के फायदा के वास्ते ऐसी शर्त लगा सकता है, [२] जब इन्तकाल बहक ऐसी औरत के किया जावे जो हिन्दू मुसलमान या बुध मजहब की न हो, तो ऐसी हालत में जब तक उस की शादी कायम रहेगी, तब तक मनाई की शर्त भी गनी रहेगी—इस दफा में लिखा हुआ कायदा इस उसूल पर कायम है कि हर शरस अपनी जायदाद का मालिक कामिल तसौगर किया जाता है और उसे अपनी जायदाद के मुन्तकिल करने का पूरा अख्तियार मिलना चाहिये—और जो शरस ऐसे मालिक

कामिल से वही जायदाद हासिल करता है बजरिये वै वगैरा के तो उसे भी उसी किस्म का अख्तियार उस जायदाद में मिलना चाहिये—इस लिये इस दफा में इन्तकाल की मनाई के वाक्य साफ हुक्म दर्ज है—इस दफा का मतलब तमसील के पढ़ने से बहुत अच्छी तरह समझ में आयेगा, जैसे कि, रामलाल ने अपनी जायदाद शिवलाल के हाथ बेचदी और बैनामा में बरजामन्दी शिवलाल के यह शर्त लिखी कि वह उसे यानी मोल ली हुई जायदाद को मुन्तकिल न करेगा—यह शर्त मनाई की नाजायज है और अजरूय बैनामा शिवलाल इस जायदाद का पूरा मालिक हो जायेगा—एक हिन्दू बेवा ने अपने खाविन्द की जायदाद के निसवत अपने खाविन्द के रिस्तेदारों के हक में एक इकरारनामा लिखी जिस्के रूसे उस ने यह बात मजूर की कि वह उन रिस्तेदारों के दस्तखत के बगैर जायदाद मजकूर को ठेके पर न देवेगी और उस ने यह भी इकरार की कि अगर दस्तावेज में इस तरह 'पर दस्तखत न लिया जाये तो वह नाजायज व रद्द समझा जायेगा—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि जो इकरारनामा बेवा ने लिख दिया है वह जायज है क्योंकि इकरारनामा मजकूर न तो अजरूय इस दफा के व न बमूजिव दफा १५ के नाजायज करार दिया जा सकता है [३ ला रि कलकत्ता जिल्द २५ सफा ८६९ कुलदीप सिंग—बनाफ़—रेक्टराइन कुनर]

शामिल शरीक हिन्दू धराने के हिस्सेदारों ने अपनी जायदाद न तकसीम करने के बारे में आपस में इकरारनामा तहरीर किये लेकिन एक हिस्सेदार ने अपना हिस्सा मुन्तकिल कर दिया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि इन्तकाल न करने के बारे में जो शर्त दर्ज है वह नाजायज है और मुन्तकिल अलेह को अजरूय इन्तकाल जायज इस्तेहकाफ मिटेगा (बगाल ला रिपोर्टे जिल्द ३ सफा १४)

अक्सर हिन्दुस्थान में ऐसा रिवाज है कि राहिन अपने रहननामा में यह शर्त लिखे देता है कि जब तक रहन कायम रहेगा मैं जायदाद मरहूना को कहीं रहन या बे वगैरा नहीं करूंगा—ऐसी शर्त से रहन नहीं पैदा होता है [३ ला रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा ३३६] अब यह देखना चाहिये कि अगर इस शर्त से रहन नहीं कायम हो सकता है तो उसमें पिछड़े रहनगर या रागीदार के हक में क्या अनार पहुँचेगा—यह तजवीज करार पाई है कि इन्तकाल जायदाद मरहूना खिलाफ शर्त निसवत न करने इन्तकाल के मिलकुल नाजायज नहीं है, लेकिन वह निर्णय उसी कदर नाजायज होगा कि जिस कदर उस के जरिये से मुर्तहिन के जरिये से गुहसान पहुँचता हो.

दफा ११ जब किसी जायदाद के इन्तकाल

शर्त खिलाफ उस हक के जो पैदा किया जाये.

के वक्त उस जायदाद में कोई

इस्तेहकाक कर्तई तौर पर किसी शख्स के हक में पैदा किया जावे मगर उस इन्तकाल की इवारत में यह हिदायत हो कि एक खास तौर पर उस हक का इस्तेमाल किया जाए या उस्से फायदा उठाया जावे, तो वह मुस्तहक इस बात का होगा कि उस हक को हासिल करके इस तरह सर्फ करे कि मानों ऐसी कोई हिदायत उस इवारत में दर्ज न थी---

मगर इस दफा की किसी इवारत से यह न समझा जावेगा कि उस्से उस हक में नुकसान पहुंचेगा जिस्के एतबार पर कोई शख्स एक जायदाद गैर मनकूला से माकूल मुनाफा पाने के लिये उसी जायदाद के दूसरे हिस्से पर कब्जा रखकर फायदा उठाने में कुछ रुकावट करे या किसी को एक खास तौर पर उस्से फायदा उठाने पर मजबूर करदे---

त श री ह

पिछली दफा और इस दफा में यह फर्क है कि दफा १० की रू से जब इन्तकाल में ऐसी शर्त लगाई जाये जिस से मुन्तकिल अलेह या उम का कायम मुकाम कर्तई तौर से इन्तकाल किये हुए हक को मुन्तकिल करने से रोका जावे

तो ऐसी शर्त नाजायज होगी, और इस दफा में यह हुक्म है कि जब किसी जायदाद का कोई हक मुन्तकिल कर दिया जाये तो ऐसे इन्तकाल के साथ इस किस्म की शर्त नाजायज होगी कि उस हक का इस्तैमाल यानी उपयोग एक खास तरीके पर किया जाए—

इ र यत मनाई इन्तकाल वगैराः—एक हिंदू वसीअत करने वाले

ने अपनी कुल जायदाद अपने लडकों के नाम वसीअत कर दी लेकिन उस ने वसीअतनामा में यह शर्त दर्ज किया कि लडके बीस साल तक उस जायदाद का बटवाडा न करें—तजरीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि इस किस्म की मनाई के वास्तु शर्त मुन्दरजा वसीअतनामा नाजायज है और लडके, फौरन जायदाद का बटवाडा करने के हकदार हैं (इ लॉ रि कलकत्ता जिल्द १ सफा १०४ भगवती देवी—बनाम—भोलानाथ सरकार) किसी जायदाद का मालिक अपनी हीन हयात में इकरारनामा के जरिये से अपने वारिसों को अपने मरने के बाद जायदाद का बटवाडा करने से नहीं रोक सकता है और ऐसी मनाई की शर्त किसी मुन्तकिल अलेह या वारिस पर पाबन्द न होगी और न वह वजरिये बखशिशनामा या वसीअत नामा के ऐसा कर सकता है कि किसी दूसरे शख्स को जायदाद में तो पुरा हक दे दिया जाये मगर उसपर कबजा रखकर उसे फायदा उठाने के बारे में किसी किस्म की शर्त दर्ज करे [इ लॉ रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ११६ राजेन्द्रदत्त --नाम—शाम चंद मित्र] इसी तरह पर इस किस्म का इकरार नाजयज होगा कि जिसके रू से खरीदार ने लगान न वसूल करने, या बटवाडा न तलब करने का ठहराव किया हो या यह कौड़ किया हो कि वह जायदाद को रहन या बै न करेगा [इ लॉ रि अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ४९३ महरामदास—बनाम—अजुधिया]

दफा १२. जब किसी जायदाद के इन्तकाल

में यह शर्त या कैंद शामिल की जाए कि उस जायदाद का कोई हक, जो किसी शख्स के फायदा के वास्ते रख छोड़ा गया हो या उसे अत्ता किया गया हो, उस

सूरत में साकित हो जायगा कि जब वह शरूस दीवालिया हो जाए या जायदाद के इन्तकाल या सर्फ की कोशिश करे, तो ऐसी शर्त या कैद नाजायज होगी---

इस दफा की कोई इबारत किसी ठेका की ऐसी शर्त से ताल्लुक न रखेगी जो ठेका देने वाले या उन शरूसों के फायदा के वास्ते हो कि जो ठेका देने वाले के जरिये से दावी करते हो---

त श री ह.

कानून माहदा, एक्ट न. ९ सन १८७२ ई०, की दफा ९६ में लफज "दीवालिया" की तारीफ इस तरह पर की गई है - "वह शरूस दीवालिया कहा जयेगा जिस ने मामूली कारोबार मे अपने करजों की अदाई करना बन्द कर दिया हो या जो करजों की अदाई करने के काबिल न होवे" - अजरुथ कानून इङ्गलिस्थान जायदाद के खरीद करने वाले से बात चीत करना या उसे बेचने की गरज से जायदाद की मालियत मुकरर करने के लिये किसी शरूस को बुलवाना "इन्तकाल की कोशिश" में दाखिल नहीं है

अलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तजनीज की है कि दफा १० के मुनाफिक यह दफा भी इन्तकाल जायदाद बजरिये फैल फरीकैन से ताल्लुक रखती है लेकिन अगर जायदाद इजराय डिगरी के दौरान मे मुन्तकिल की जावे तो इस दफा के अहकामात लागू न होंगे.

दफा १३ जब किसी जायदाद के इन्तकाल

इन्तकाल वरक उस शरूस के कि जो पैदा न हुवा हो

की रू से उस जायदाद में कोई हक

ऐसे शरूस के फायदा के लिये पैदा होता हो कि जो

इन्तकाल के वक्त मौजूद न रहा हो, और वह हक किसी और हक के ताबे होवे, जो उसी इन्तकाल की रू से पेशतर कायम हो चुका है, तो वह हक जो शख्स मजकूर के फायदा के लिये कायम किया जावे असर न रखेगा सिवाए उस सूरत में कि जब वह इन्तकाल करने वाले की जायदाद में बाकी के कुल हक पर हावी (यानी लागू) होवे—

तमसील

रामदत्त ने कुछ जायदाद, कि जिरका वह खुद मालिक है, शिवलाल के हक में वास्ते फायदा अपने वो एक औरत के कि जिसके साथ वह शादी करने वाला है, इस शर्त पर मुन्तकिल किया कि रामदत्त वो उस की औरत अपनी अपनी हयात तक काबिज रहें, और पस मांदा के मरने पर रामदत्त का बड़ा लड़का जो उस की शादी से पैदा हो अपने जीतेजी काबिज रहे और उस के मरने पर दूसरा लडका रामदत्त का काबिज रहेगा—ऐसी हालत में वह हक जो सब से बड़े लड़के के फायदा के लिये कायम किया गया है असर न रखेगा क्योंकि वह बाकी बचे हुए उस हक पर लागू नहीं होता है जो रामदत्त को जायदाद में हासिल है—

त श री ह.

मतलब इन दफा का यह है कि जब कोई जायदाद इस तरह मुन्तकिल की जाये कि उस में किसी जाते शरम के नाम एक हक पैदा किया जाये इस शर्त के

सूरत में साकित हो जायगा कि जब वह शरूस दीवालिया हो जाए या जायदाद के इन्तकाल या सर्फ की कोशिश करे, तो ऐसी शर्त या कैद नाजायज होगी---

इस दफा की कोई इवारत किसी ठेका की ऐसी शर्त से ताल्लुक न रखेगी जो ठेका देने वाले या उन शरूसों के फायदा के वास्ते हो कि जो ठेका देने वाले के जरिये से दावा करते हो---

त श री ह.

कानून माहदा, एकट न ९ सन १८७२ ई०, की दफा ९६ में लफज "दीवालिया" की तारीफ इस तरह पर की गई है - "वह शरूस दीवालिया कहा जयेगा जिस ने मामूली कारोबार मे अपने करजों की अदाई करना बन्द कर दिया हो या जो करजों की अदाई करने के काबिल न होवे" - अजरूथ कानून इङ्गलिस्थान जायदाद के खरीद करने वाले से बात चीत करना या उसे बेचने की गरूज से जायदाद की मालियत मुकरर करने के लिये किसी शरूस को बुलवाना "इन्तकाल की कोशिश" में दाखिल नहीं है

अलहाबाद हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि दफा १० के मुवाफिक यह दफा भी इन्तकाल जायदाद बजरिये फैल फरीकैन से ताल्लुक रखती है लेकिन अगर जायदाद इजराय डिगरी के दौरान मे मुन्तकिल की जावे तो इस दफा के अहकामात लागू न होंगे

दफा १३ जब किसी जायदाद के इन्तकाल

इन्तकाल बरहक उस शरूस के कि जो पैदा न हुवा हो

की रू से उस जायदाद में कोई हक

ऐसे शरूस के फायदा के लिये पैदा होता हो कि जो

इन्तकाल के वक्त मौजूद न रहा हो, और वह हक किसी और हक के ताबे होवे, जो उसी इन्तकाल की रू से पेशतर कायम हो चुका है, तो वह हक जो शख्स मजकूर के फायदा के लिये कायम किया जावे असर न रखेगा सिवाए उस सूरत में कि जब वह इन्तकाल करने वाले की जायदाद में बाकी के कुल हक पर हावी (यानी लागू) होवे—

तमसील

रामदत्त ने कुछ जायदाद, कि जिरका वह खुद मालिक है, शिवलाल के हक में वास्ते फायदा अपने वो एक औरत के कि जिसके साथ वह शादी करने वाला है, इस शर्त पर मुन्तकिल किया कि रामदत्त वो उस की औरत अपनी अपनी हयात तक काबिज रहें, और पस मादा के मरने पर रामदत्त का बड़ा लडका जो उस की शादी से पैदा हो अपने जीतेजी काबिज रहे और उस के मरने पर दूसरा लडका रामदत्त का काबिज रहेगा—ऐसी हालत में वह हक जो सब से बड़े लडके के फायदा के लिये कायम किया गया है असर न रखेगा क्योंकि वह बाकी बचे हुए उस हक पर लागू नहीं होता है जो रामदत्त को जायदाद में हासिल है—

त श री ह.

मतलब उम दफा का यह है कि जब कोई जायदाद इस तरह मुन्तकिल की जावे कि उस में किसी जीते शख्स के नाम एक हक पैदा किया जावे इस शर्त के

साथ कि जब तक वह शल्स जीता रहेगा उस जायदाद पर अपना कब्जा रखकर उसे फायदा उठावेगा, बाद मरने उस के कोई दूसरा शल्स जो उस वक्त पैदा नहीं हुवा है उस जायदाद पर काबिज हो कर उस का मुनाफा पायेगा—इस दफा की रूसे ऐसा इन्तकाल नाजायज करार दिया गया है जैसा कि तमसील के पढने से मालूम होता है—मुमकिन है कि रामदत्त को कोई लडका ही पैदा न होवे या अगर पैदा भी होवे तो छोटे लडके के पहले ही बड़ा लडका मर जावे.

दफा १४ कोई इन्तकाल जायदाद ऐसे कायदा खिलाफ इस्तेहकाक के पैदा करने का असर नहीं रख सकता है जो बाद हयात एक या चंद शख्सों के, जो ऐसे इन्तकाल की तारीख को जिते रहे हों, अमल में आवेगा और जो किसी शख्स की नाबालगी की मुद्दत के बाद अमल में आवेगा और जो उस मुद्दत के खतम हो जाने पर जीता हो और जिसके हक में यह शर्त हो कि जब वह पूरी उमर पर पहुंचे तब हक मजकूर का मालिक होवे—

त श री ह

इस दफा के रू से कोई जायदाद इस तरह मुन्ताकिल न की जावेगी कि जिस्से हमेशा के लिये उस जायदाद के इन्तकाल के बावत किसी किल्म की मनाई की जावे—हर शल्स अठारा साल की उमर में वालिग समझा जाता है—

इस दफा का मतलब इस तमसील से जियादा साफ होता है कि रामदत्त ने एक जायदाद शिवदत्त को उस के हीन हयात के लिये, इस शर्त पर मुन्ताकिल किया कि शिवदत्त के मरने पर वही जायदाद रामलाल को हीन हयात के लिये और बाद मरने रामलाल के उस के बेटों में से उस बेटे को दी जाये जो सन से पहिले पच्चीस साल की उमर को पहुंच जाये—शिवदत्त, और रामलाल दोनों के सामने रामदत्त

पर गर्भावस्था शीलत में मुमकिन है कि वह बेटा रामलाल का जो सन् से पहिले पचास बरस की उमर को पहुचे शिवदत्त के मरने के बाद पैदा होये और यह भी मुमकिन है कि वह लडका शिवदत्त या रामलाल में से जियादा जिन्दा रहने वाले की तारीख माता से अठारह बरस तक पचास बरस की उमर को न पहुचे--इस लिये यह मुमकिन है कि जायदाद की मिलकियत का हक शिवदत्त व रामलाल की हयात से बढ़कर और रामलाल के बेटे की नाबालगी तक मुस्तगी रहेगा तो ऐसी हालत में इन्तकाल बाद मरने रामलाल के नाजायज समझा जावेगा

यह दफा इस उसूल पर कायम की गई है कि जायदाद एक माकूल आसे से जियादा के लिये पावन्द न की जाये और इन्तकाल में बहुत सी रूखावट न होवे क्योंकि कानून की यह मनशा है कि जायदाद को एक के कब्रजा से दूसरे के कब्रजा में फिरती रहे, एक ही जगह न कायम रहे

दफा १५. जब किसी जायदाद के इन्तकाल

इन्तकाल बहक चन्द शरमों की रूसे कोई हक उस में चन्द के जिन में से कोई २ दफा लोगों के फिरके के फायदा के लिये पैदा किया जावे और उस फिरके में से कोई कोई शरमों के लिये वह बवजह कायदा मुन्द-दरजा दफा १३ व १४ के बेअसर हो जावे, तो कुल फिरके के लिये वह हक बे असर समझा जावेगा--

तै शि शी (ह.)
 इस दफा का मतलब यह है कि जब कोई इन्तकाल ऐसे चन्द शरमों के नाम किया जावे जिन में से किसी एक के हक में यह इन्तकाल अजरर अहकामात दफा १३ व १४ के बे असर है तो इन्तकाल मजकूर इस दफा की रू से इन सब शरमों के हक में अरद समझा जावेगा और मुतकिल की हुई जायदाद में किसी को कुछ हक न हासिल होगा
 इस दफा में खयज फिरके से सुपद है चन्द शरमों का गिरोह यानी समाज

साथ कि जब तक वह शख्स जीता रहेगा उस जायदाद पर अपना कब्जा रखकर उससे फायदा उठावेगा, बाद मरने उस के कोई दूसरा शख्स जो उस वक्त पैदा नहीं हुवा है उस जायदाद पर काबिज हो कर उस का मुनाफा पावेगा—इस दफा की रूसे ऐसा इन्तकाल नाजायज करार दिया गया है जैसा कि तमसील के पढने से मालूम होता है—मुमकिन है कि रामदत्त को कोई लडका ही पैदा न होवे या अगर पैदा भी होवे तो छोटे लडके के पहले ही बड़ा लडका मर जावे.

दफा १४ कोई इन्तकाल जायदाद ऐसे कायदा खिलाफ इस्तेहकाक के पैदा करने का असर नहीं रख सकता है जो बाद हयात एक या चंद शख्सों के, जो ऐसे इन्तकाल की तारीख को जीते रहे हों, अमल में आवेगा और जो किसी शख्स की नाबालगी की मुद्दत के बाद अमल में आवेगा और जो उस मुद्दत के खतम हो जाने पर जीता हो और जिसके हक में यह शर्त हो कि जब वह पूरी उमर पर पहुंचे तब हक मजकूर का मालिक होवे—

त श री ह

इस दफा के रू से कोई जायदाद इस तरह मुन्ताकिल न की जावेगी कि जिस्से हमेशा के लिये उस जायदाद के इन्तकाल के वावत किसी किसम की मनाई की जावे—हर शरस अठारा साल की उमर में वालिग समझा जाता है—

इस दफा का मतलब इस तमसील में जियादा साफ होता है कि रामदत्त ने एक जायदाद शिन्दत्त को उस के हीन हयात के लिये इस शर्त पर मुन्ताकिल किया कि शिन्दत्त के मरने पर वही जायदाद रामलाल को हीन हयात के लिये और बाद मरने रामलाल के उस के बेटों में से उस बेटे को दी जावे जो सन से पहिले पचास साल की उमर को पहुंच जावे—शिन्दत्त, और रामलाल दोनों के सामने रामदत्त

मर गया-ऐसी हालत में मुमकिन है कि वह बेटा रामलाल का जो सत्र से पहिले पचास वरस की उमर को पहुचे शिवदत्त के मरने के बाद पैदा होने और यह भी मुमकिन है कि वह लडका शिवदत्त या रामलाल में से जियादा जिन्दा रहने वाले की तारीख मौत से अठारा वरस तक पचास वरस की उमर को न पहुचे-इस लिये यह मुमकिन है कि जायदाद की मिलकियत का हक शिवदत्त व रामलाल की हयात से बढकर और रामलाल के बेटे की नाबालगी तरु मुल्तगी रहेगा तो ऐसी हालत में इन्तकाल बाद मरने रामलाल के नाजायज समझा जावेगा

यह दफा इम उसूल पर कायम की गई है कि जायदाद एक माकूल आसे से जियादा के लिये पाबन्द न की जावे और इन्तकाल में बहुत सी शर्कापेट, चहाप क्योकि कानून की यह मतगा है कि जायदाद को एक के कबजा से दूसरे के कबजा में फिरती रहे, एक ही जगह न कायम रहे

दफा १५. जब किसी जायदाद के इन्तकाल

इतकाल वहक चन्द शरसो की रूसे कोई हक उस में चन्द के जिन में से कोई २ दफा लोगों के फिरके के फायदा के लिये पैदा किया जावे और उस फिरके में से कोई कोई शरसों के लिये वह ववजह कायदा मुन्द- दरजा दफा १३ व १४ के बेअसर हो जावे, तो कुल फिरके के लिये वह हक बे असर समझा जावेगा-

इस दफा का मतलब यह है कि जय कोई इन्तकाल ऐसे चद शरसों के नाम किया जावे जिन में से किसी एक के हक में वह इतकाल अजरख्य अहकामात दफा १३ व १४ के बे असर है तो इन्तकाल मजकूर इम दफा की रूसे इन सब शरसो के हक में मद समझा जावेगा और मुत्तकिलों की हुई जायदाद में किसी को कुछ हक न रासिल होगा

इस दफा में लफज "फिरके" से मुयद है चद शरसों का गिरोह यानी समाज

दफा १६. जब कोई हक दफा १३, १४ व

इन्तकाल जो चांद रह होने
पहले इन्तकाल के अमल
में आता है.

१५ में लिखे हुए कायदों की
वजह से बेअसर हो जाए, तो

वह दूसरा हक भी, जो उसी मामले से पैदा हुवा
और जिस के निसबत यह मकसूद होवे कि वह
पहले हक के खतम या बेअसर होने पर अमल में
आवेगा, बेअसर हो जाता है—

त श री ह.

इस दफा का मतलब यह है कि जब एक ही मामले की रू से, किसी जायदाद
में कई हक कायम किये जावें, यानी एक हक वह कि जो पहिले अमल में आने
और दूसरा हक वह कि जो पहिले हक के बाद में असर रखे और इन्तकाल करने
वाले की मनशा यह होवे कि अगर पहला इन्तकाल किसी वजह से रह हो जावे तो
दूसरा इन्तकाल अमल में आवेगा—पस ऐसी हालत में अगर पहिला इन्तकाल उन
कायदों की रू से, कि जिन का जिक्र दफा १३ व १४ व १५ में किया गया है,
नाजायज करार दिया जावे तो दूसरा इन्तकाल भी बेअसर अंतसौब्वर किया
जावेगा क्योंकि हर इन्तकाल काबिल तकसीम नहीं होता है—

दफा १७. जो जो कैदें व रुकावटें दफा १४

इन्तकाल हमेशा का जो
आम लोगों के फायदा के
वास्ते किया जावे

व १५ व १६ में दर्ज हैं वे सब उस
जायदाद से ताहुक न रखेंगी कि

जो आम लोगों के फायदा की गरज से मजहब या
इलम या तिजारत या तनदुरुस्ती या हिफाजत की
तरकी के लिये या किसी और गरज से, कि जो
इन्सान को फायदा पहुंचावे, मुन्तकिल की गई हो—

इस दफा के पढ़ने से यह मतलब निकलता है कि जब कोई जायदाद खैराती या मजहबी कामों के वास्ते दान में दी जावे या मुन्तकिल की जावे तो ऐसे इन्तकाल में वे शर्तें लागू न होंगी जिनका जिकर दफा १४ व १५ व १६ में है—खैरात चार किस्म की होती है—(१) वह खैरात जिस्से गरीबों व कगालों को मदद मिलती है, (२) वह खैरात जिस्से इल्म निया की तरफ़ी होती है, (३) वह खैरात जिस्से मजहब या नी धर्म की बढ़ती होती है, (४) वह खैरात जिस्से आम तौर पर लोगों को फायदा पहुंचता है—नीचे लिखे कामों के वास्ते जो इन्तकाल किसी जायदाद का बतौर बखशिश के किया जावे वह जायज तसौब्वर किया जायेगा—सदाबर्त के वास्ते, यानी जहाँ सब मुसाफ़रों को मुफ्त में खाना तकसीम किया जाता है, मंदिर या मूर्ति के नाम जायदाद का इन्तकाल करना (देखो इ ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा ४३२), मजहबी या खैराती कामों के वास्ते वक्फ या नी जायदाद का सिपुर्द करना (देखो मूर्स इंडियन अपील जिल्द २ सफा ३९०), किसी अस्पताल की परवारिश के वास्ते कोई जायदाद मुन्तकिल करना जायज है [देखो बगाल ला रिपोर्ट जिल्द १४ सफा ४४२]; सिर्फ़ आम तौर पर धर्म के वास्ते किसी जायदाद का इन्तकाल करना जायज न होगा [देखो इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा १३६, व इ ला रि बम्बई जिल्द १७ सफा ३९१] लेकिन जैन मन्दिर व पुजारियों या गरीबों की परवारिश के लिये किसी मद का कायम करना कानून के मुताबिक जायज होगा [इ ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा ४३२]

दफा १८. जब किसी जायदाद के इन्त-

जमा रहने की हिदायत काल की शर्तों में यह हिदायत हो, कि आमदानी जो उस जायदाद से वसूल होवे जमा रखी जाए, तो ऐसी हिदायत रह होगी और जायदाद उस तरह पर सर्फ़ की जावेगी कि मारों जमा रखने की हिदायत नहीं की गई थी—

दफा १६. जब कोई हक दफा १३, १४ व

इन्तकाल जो चाद रह होने
पहले इन्तकाल के अमल
में आता है.

१५ में लिखे हुए कायदों की
वजह से बेअसर हो जाए, तो

वह दूसरा हक भी, जो उसी मामले से पैदा हुवा
और जिस के निसबत यह मकसूद होवे कि वह
पहले हक के खतम या बेअसर होने पर अमल में
आवेगा, बेअसर हो जाता है—

त श री ह.

इस दफा का मतलब यह है कि जब एक ही मामले की रू से, किसी जायदाद
में कई हक कायम किये जावें, यानी एक हक वह कि जो पहिले अमल में आये
और दूसरा हक वह कि जो पहिले हक के बाद में असर रखे और इन्तकाल करने
वाले की मनशा यह होवे कि अगर पहला इन्तकाल किसी वजह से रह हो जावे तो
दूसरा इन्तकाल अमल में आवेगा—पर ऐसी हालत में अगर पहिला इन्तकाल उन
कायदों की रू से, कि जिन का जिक्र दफा १३ व १४ व १६ में किया गया है,
नाजायज करार दिया जावे तो दूसरा इन्तकाल भी वे असर उत्तसौव्वर किया
जावेगा क्योंकि हर इन्तकाल काबिल तकसीम नहीं होता है—

दफा १७. जो जो कैदें व रुकावटें दफा १४

इन्तकाल हमेशा का जो
आम लोगों के फायदा के
वास्ते किया जावे.

व १५ व १६ में दर्ज हैं वे सब उस
जायदाद से ताल्लुक न रखेंगी कि

जो आम लोगों के फायदा की गरज से मजहब या
इल्म या तिजारत या तनदुरुस्ती या हिफाजत की
तरकी के लिये या किसी और गरज से, कि जो
इन्सान को फायदा पहुंचावे, मुन्तकिल की गई हो—

इस दफा के पढ़ने से यह मतलब निकलता है कि जब कोई जायदाद खैराती या मजहबी कामों के वास्ते दान में दी जावे या मुन्तकिल की जावे तो ऐसे इन्तकाल में वे शर्तें लागू न होंगी जिनका जिकर दफा १४ व १५ व १६ में है—खैरात चार किस्म की होती है—(१) वह खैरात जिसे गरीबों व कगालों को मदद मिलती है, (२) वह खैरात जिसे इल्म विद्या की तरफ़ी होती है, (३) वह खैरात जिसे मजहब या नबी धर्म की बढ़ती होती है, (४) वह खैरात जिसे आम तौर पर लोगों को फायदा पहुंचता है—नीचे लिखे कामों के वास्ते जो इन्तकाल किसी जायदाद का बतौर बखशिश के किया जावे वह जायज तसौब्वर किया जावेगा—सदाबर्त के वास्ते, यानी जहाँ सब मुसाफ़रों को मुफ्त में खाना तकसीम किया जाता है, मंदिर या मूर्ति के नाम जायदाद का इन्तकाल करना (देखो इ ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा ४३२), मजहबी या खैराती कामों के वास्ते वक्फ या नबी जायदाद का सिपुर्द करना (देखो मूर्स इंडियन अपील जिल्द २ सफा ३९०), किसी अस्पताल की परवारिश के वास्ते कोई जायदाद मुन्तकिल करना जायज है [देखो बगाल ला रिपोर्टे जिल्द १४ सफा ४४२], सिर्फ़ आम तौर पर धर्म के वास्ते किसी जायदाद का इन्तकाल करना जायज न होगा [देखो इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा १३६, व इ ला रि बम्बई जिल्द १७ सफा ३९१] लेकिन जैन मन्दिर व पुजारियों या गरीबों की परवारिश के लिये किसी मद का कायम करना कानून के मुताबिक जायज होगा [इ ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा ४३२]

दफा १८. जब किसी जायदाद के इन्त-
जमा रहने की हिदायत काल की शर्तों में यह हिदायत हो,
कि आमदानी जो उस जायदाद से वसूल होवे जमा
रखी जाए, तो ऐसी हिदायत रह होगी और जाय-
दाद उस तरह पर सर्फ़ की जावेगी कि मारों जमा
रखने की हिदायत नहीं की गई थी—

मुसतसना:—जब जायदाद गैर मनकूला हो या जब यह हिदायत की जावे कि आमदानी का जमा रहना तारीख इन्तकाल से शुरू होगा तो ऐसी हिदायत सिर्फ बाबत उस कदर आमदानी के जायज होगी जो तारीख मजकूर के बाद ही एक साल के अन्दर जायदाद से वसूल आई हो और इस साल के खतम होने पर वह जायदाद और वह आमदानी उसी तरह पर सर्फ की जावेगी कि मानो वह मियाद खतम हो गई है कि जिस मियाद तक आमदानी जमा करने की हिदायत की गई थी—

त श री ह

इस दफा का मतलब यह है कि जब किसी जायदाद का इन्तकाल इस शर्त के साथ किया जाये कि उस जायदाद की आमदानी जमा यानी इकट्ठा रहे, खर्च न की जावे, तो इस दफा के बमूजिव ऐसी शर्त नाजायज होगी—अलबत्ता दो सूरतों में छोड़कर और इन दोनों सूरतों में भी सिर्फ एक साल की आमदानी के बाबत शर्त जायज समझी जावेगी—[१] जब जायदाद गैर मनकूला हो, [-२] जब आमदानी तारीख इन्तकाल से शुरू हो और एक साल भर के बाद उस आमदानी का खर्च करना मुन्तकिल अल्लेह की मरजी पर होगा—तमसील, रामदत्त ने रामदत्त के नाम एक मौजा इस शर्त पर मुन्तकिल किया कि कुल आमदानी उस मौजा की दस साल तक जमा की जाये—शियदत्त बाद गुजरने एक साल के कुल आमदानी और मौजा दोनों के पाने का हकदार होगा, अगरचे आम जायदाद यह है कि हर जायदाद का देनेवाला उस के साथ जो शर्त चाहे लगा सकता है—

दफा १६ जब बर वक्त इन्तकाल जायदाद मिलाया हुआ एक कोई हक उस जायदाद में किसी गरूस के लिये मुकरर कर दिया जावे और उस में इस बात की कुछ सफाई न हो कि किस वक्त

उस इस्तेहकाक से फायदा मिलेगा या इस बात की सफाई की जाए कि वह इस्तेहकाक फौरन या किसी ऐसे वाक्या के जहूर में आने पर अमल में आवेगा, कि जिसका जहूर में आना जरूरी अमर हो, तो ऐसी हालत में यह समझा जावेगा कि वह हक उस शख्स को हासिल हो गया, सिवाए उस सूरत में कि जब इन्तकाल की शर्तों से कोई दूसरा इरादा खिलाफ इसके पाया जावे—

वह इस्तेहकाक कि जो हासिल हो चुका है मुत्तकिल अलेह के, कब्जा पाने से पहले, मर जाने की वजह साकित यानी नष्ट न हो जावेगा—

तसरीह.

इन्तकाल करने वाले का यह इरादा कि कोई हक का हासिल करना साकित हो जावे इन्तकाल नामा की ऐसी शर्तों से न निकल सकेगा कि जिन के जरिये से इन्तकाल मजकूर से फायदा उठाना मुत्तवी किया गया हो या जिन के रुसे उसी जायदाद में कोई हक पेगतर से किसी दूसरे शख्स को दे दिया गया हो या उस के वास्ते रख छोड़ा गया हो, या जिन के रुसे यह हिदायत होवे कि आमदानी जायदाद की उस रोज तक जमा रखी जाए कि जब उस से नफा उठाने का वक्त आन पहुंचे, या जिन में यह इरादा लिखा हो कि अगर एक खास अमर वकूअ में आवे तो

वह इस्तेहकाक, किसी और शरूस को पहुंचेगा—

त-श-री-ह-

जब कोई जायदाद इन्तकाल की जाये और इन्तकाल के रूसे किसी शरूस के लिये कोई हक पैदा किया जाये मगर इन्तकालनामा की शर्तों से यह ना पाया जाता हो कि वह किन् वक्त से अमल में आयेगा या उस की शर्तों से यह साफ मतलब निकलता हो कि इन्तकाल मजबूर का असर फौरन या किसी मोकेआ के हो जाने पर अमल में आयेगा तो ऐसी हालत में यह समझा जावेगा कि इन्तकाल लेने वाले को वह हक हासिल हो गया—अमर बाकेआ ऐसा होना चाहिये कि जिस्का हो जाना जरूरी बात हो, मसलन, यह शर्त कि किसी शरूस के मरने पर इन्तकाल का असर होगा, क्योंकि कोई शरूस हगेशा कभी नहीं जीता रह सकता है, कभी न कभी जरूर मरेगा—इस दफा के दूसरे फिकरे की रूसे वह हक कि जो हासिल हो चुका है इन्तकाल लेने वाले के मरने के साथ ही मिट नहीं जाता है बल्कि ऐसे शरूस की मौत के बाद उस के वारिस उस इस्तेहकाक से उसी तरह पर जायदाद उठोयेगा कि जिस तरह इन्तकाल लेने वाला उसे मुनाफा लेता—इस फिकरा के पटने से साफ यह पाया जाता है कि वह हक जो हासिल हो चुका है काबिल तकसीम वा काबिल इन्तकाल समझा जावेगा [देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द-९ सफा ९९ व ६३] इस दफा की असली इबारत के नाचे जो तशरीह दर्ज है उस में यह हुक्म है कि नीचे लिखी बातों से यह मतलब नहीं निकालना चाहिये कि हक हासिल नहीं हो चुका है—(१) ऐसी शर्त कि जिस्के रूसे जायदाद से मुनाफा उठाना मुत्तबी किया गया हो, [देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द ८ सफा ३७९] वह शर्त कि जिस्के जरिये से उसी जायदाद में पहले ही से किसी दूसरे आदमी को दे दिया गया हो या उस के वास्ते बचा रखा गया हो, [९] ऐसी शर्त जिस्में यह हुक्म हो कि जायदाद की आमदानी का कुल रूप्या जमा रहे, खर्च न किया जाये, (देखो इ ला रि बम्बई जिल्द-१३ सफा ४६३) [३] यह शर्त कि किसी खास अमर कि हो जाने पर जायदाद का हक दूसरे शरूस को पहुंचेगा—

दफा २० जब किसी जायदाद के इन्तकाल

बिना पैदा हुआ शरूस हासिल किया हुआ हक कब इन्तकाल के बाद पायेगा

के वक्त उस में कोई इस्तेहकाक उस शरूस के जायदाद के वास्ते

मुकरर किया गया हो, जो उस वक्त जिन्दा नहीं है, तो अगर इन्तकाल की शर्तों से इसके बर खिलाफ कोई दूसरा इरादा न पाया जाए तो शरूस मजकूर को उस की पैदायश के वक्त एक हक वाकई हासिल हो जाता है, हालांकि वह पैदा होने पर फौरन ही उस हक से फायदा उठाने का मुस्तहक न होता हो-

त श री ह.

इस दफा की रूसे ऐसे शरूस के वास्ते भी हक मुत्तकिल किया जा सकता है कि जो अभी पैदा नहीं हुआ मगर आयदा किसी वक्त पैदा होने वाला है-मामूली तौर यह कहा जा सकता है कि जब कोई शरूस इस दुनिया में कायम ही नहीं है तो उस के नाम जायदाद कैसे मुत्तकिल हो सकती है-मगर इस दफा में वा दफा १३ और दफा १४ में इसके बारे में कुछ शर्तों के साथ हुक्म दर्ज है-इस दफा को दफा १३ के साथ पढ़ना चाहिये

दफा २१. जब किसी जायदाद के इन्त-
हक शरतिया काल के वक्त कोई हक उस जायदाद में किसी शरूस के लिये मुकरर किया जाए जो एक खास अमर गैर तहकीक के जहूर में आने की सूरत में अमल में आने के लायक करार दिया गया हो या अगर कोई खास अमर गैर तहकीक जहूर में न आवे, तो ऐसी हालत में शरूस मजकूर को उस जायदाद में एक इस्तेहकाक शरतिया

वह इस्तेहकाक किसी और शरूस को पहुंचेगा—

त श री ह :

जब कोई जायदाद इन्तकाल की जाये और इन्तकाल के रूसे किसी शरूस के लिये कोई हक पैदा किया जाये मगर इन्तकालनामा की शर्तों से यह ना पाया जाता हो कि वह किस वक्त से अमल में आवेगा या उस की शर्तों से यह साफ मतलब निकलता हो कि इन्तकाल मजकूर का असर फौरन या किसी वाकैआ के हो जाने पर अमल में आवेगा तो ऐसी हालत में यह समझा जावेगा कि इन्तकाल लेने वाले को वह हक हासिल हो गया—अगर वाकैआ ऐसा होना चाहिये कि जिसका हो जाना जरूरी बात हो, मसलन, यह शर्त कि किसी शरूस के मरने पर इन्तकाल का असर होगा, क्योंकि कोई शरूस हगेशा कभी नहीं जीता रह सकता है, कभी न कभी जरूर मरेगा—इस दफा के दूसरे फिकरे की रूसे वह हक कि जो हासिल हो चुका है इन्तकाल लेने वाले के मरने के साथ ही मिट नहीं जाता है बल्कि ऐसे शरूस की मौत के बाद उस के वारिस उस इस्तेहकाक से उसी तरह पर फायदा उठावेगा कि जिस तरह इन्तकाल लेने वाला उससे मुनाफा लेता—इस फिकर के पटने से साफ यह पाया जाता है कि वह हक जो हासिल हो चुका है काबिल तकसीम वा काबिल इन्तकाल समझा जावेगा [देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा १९ व १३] इस दफा की असली इबारत के नीचे जो तशरीह दर्ज है उस में यह हुक्म है कि नीचे लिखी बातों से यह मतलब नहीं निकालना चाहिये कि हक हासिल नहीं हो चुका है—(१) ऐसी शर्त कि जिसके रूसे जायदाद से मुनाफा उठाना मुत्तनी किया गया हो, [देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द ८ सफा ३७९] वह शर्त कि जिसके जरिये से उसी जायदाद में पहले ही से किसी दूसरे आदमी को दे दिया गया हो या उस के वास्ते बचा रखा गया हो, [२] ऐसी शर्त जिसमें यह हुक्म हो कि जायदाद की आमदानी का कुल रुपया जमा रहे, खर्च न किया जाये, (देखो इ ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा ४६३) [३] यह शर्त कि किसी खास अमर के हो जाने पर जायदाद का हक दूसरे शरूस को पहुंचेगा—

दफा २० जब किसी जायदाद के इन्तकाल

के वक्त उस में कोई इस्तेहकाक
के बाद पायेगा
के बाद पायेगा
उस शरूस के फायदा के वास्ते

शरतिया हक कहेंगे, ऐसा शरतिया हक "हासिल किया हुआ हक" उस सूरत में हो जाता है कि जब वह वाकेआ गैर तहकीफ जहूर में आ जाये या उस का जहूर में आना गैर मुमकिन हो जाये—तमसीख से यह मतलब साफ तौर पर समझ में आयेगा— एक वसीअतनामा की रू से कुछ जायदाद मुसम्मि [ड] को उस हालत में मिलेगी कि जब [अ] [न] व [क] अठाराह साल की कम उमर से पहिले मर जाये—इस सूरत में [ड] को वसीअत की हुई जायदाद में उस वक्त तक शरतिया हक मिला रहेगा कि जब तक [अ] [व] व [क] अठारा साल से कम उमर में न फात हो जाये या जब तक उन में से कोई एक उस उमर तक न पहुँचे—इसी तरह पर, [अ] ने बैपनी जायदाद [क] के नाम मुन्तकिल की इस शर्त पर कि उस इन्तकाल का असर एक जहाज के न वापस आने की सूरत में होगा—यह जहाज समुन्द्र में डूब गई—पस ऐसी हालत में [क] का हक जो जहाज के डूबने की शर्त पर कायम था जहाज के डूबने के साथ ही 'हासिल किया हुआ हक' हो जायेगा क्योंकि जहाज का वापस आना अब गैर मुमकिन है—

यह दफा एकट पिरासत हिन्द की दफा १०७ के मुाफिका है, हिन्दुस्थान के कानून -माहदा, यानी एकट न ९ सन १८७२ ई० की दफा ३१ में "शरतिया माहदा" की तारीफ की गई है और उस के बाद की दो दफों में यह बतलाया गया है कि ऐसे माहदा का असर कहा तक पहुँचता है—

दफा २२. जब किसी जायदाद के इन्त-

इन्तकाल बनाम उन शरतों के जो किसी जमाअत में दखल हो और जो किसी खास उमर को पहुँच जायें

काल के वक्त उस जायदाद में कोई हक शर्तों के किसी जमाअत में से सिर्फ उन्ही लोगों के

लिये मुकर्रर किया गया हो, कि जो एक खास मुकर्रर की हुई उमर को पहुँचजाएँ, तो ऐसा हक उस जमाअत के किसी शर्त को हासिल न होगा जो उस उमर को न पहुँचा हो.

हासिल हो जाता है—ऐसा इस्तेहकाक पहली सूरत में उस वक्त हासिल किया हुआ हक हो जावेगा जब कि वह अमर जहूर में आजावे व दूसरी सूरत में जब कि उस अमर का जहूर में आना गैर मुमकिन हो जावे।

मुसतसना—जब किसी इन्तकाल जायदाद की रूसे कोई शख्स किसी जायदाद में हक पाने का मुस्तहक उस वक्त हो जाए कि जब वह एक खास उमर को पहुंचे और इन्तकाल करने वाला भी उस शख्स को उस इस्तेहकाक की आमदानी, जो आयन्दा मिलने वाली हो, उस के उस उमर तक पहुंचने के पेशतर तकतई तौर पर देदे या यह हिदायत करे कि वह आमदानी या उस का कोई हिस्सा, जिस कदर कि जरूरत हो, उस के जायदा के लिये काम में लगा दिया जावे, तो ऐसा हक शरतिया हक न समझा जावेगा।

पिछली दफा में "हासिल हुआ हक" की तारीफ दर्ज है और इस दफा में यह धतलया गया है कि "शरतिया हक" किसे कहते हैं—जब किसी जायदाद का इन्तकाल किया जावे और उस की रूसे किसी शख्स को उस वक्त जायदाद में हक मिले कि जब कोई एक खास वकैआ बिल्वा तहकीफ, यानी वह बात कि जिसके हो जाने का ठीक पक्का भरोसा नहीं है, जहूर में आने या न देखने में अथवा उस हालत में हक मिलेगा कि जब ऐसी बात देखने में न आये, तो ऐसे हक को इस दफा में लिखी हुई तारीफ के मुताबिक

पहले जहूर में आया हो कि जिस वक्त इस्तेहकाक दरमियानी या पहला खतम हो जाए.

त श री ह

जब नजरिये इन्तकाल जायदाद किसी शख्स को सिर्फ उसी सूत में हक मिलता हो कि जब कोई खास अमर विला तहकीक वकूअ में आजाने लेकिन इन्तकाल नामा की शरतो से यह नहीं पाया जाता हो कि ऐसा अमर कब वकूअ में आना चाहिं तो ऐसी हालत में यह समझना जरूर है कि एक मजकूर मिट गया—लेकिन अगर ऐसा अमर गैर तहकीक उसी वक्त या उस्ते पहले वकूअ में आजाने यानी दिखने में जाने कि जब दरमियानी या उम के पहले के हक की मियाद पूरी हो जाती है यानी वह हक खतम हो जाता है तो अलवत्ता ऊपर लिखा हुआ हक जायल न हो जायेगा—इससे यह पाया जाता है कि इन्तकाल के पहले ही कोई हक किसी शख्स के नाम का-म हो चुका हो—इस दफा की असली गरज यह है कि कोई जायदाद विला मालिक न रहे—फर्ज करो कि कोई जायदाद मुसम्मी (अ) को उसके हीन हयात तक दी गई हो और उसके बाद (ब) को और उसमें यह शर्त हो कि अगर (क) (ड) के साथ शादी करेगा तो वह जायदाद [ब] को बखशी जायेगी—यहां पर जब तक [क] [ड] के साथ, [अ] का हीन-हयाती हक कायम रहने के दौरान में, शादी न करे, तो [ब] के हक में जो हिजा हुआ है वह मिट जायेगा क्योंकि मानों कि [क] [ड] के साथ [अ] के जीते जी शादी नहीं करता है तो ऐसी सूत में जायदाद बिना मालिक रहेगी इस वजह से कि शर्त के रूसे [ब] वारिस तो, नहीं हो सक्ता और कानून का अमल उमूल यह है कि कोई जायदाद बिना मालिक न रहे

“वाकेआ गैर तहकीक” से मतलब है किसी ऐसी बात का वकूअ में अना, यानी नजर में आना जिस्के होने का ठीक पक्के तौर पर भरोसा न होवे

दफा २४. जब किसी जायदाद के इन्तकाल

इन्तकाल वहका मिनजुमला उन शख्सों के जो कोई गैर मुक़रर वक्त पर जिन्दा रहें

के, वक्त उसमें कोई हक चन्द शख्सों में से उन लोगों के लिये

त श री ह

इस दफा का मतलब बहुत साफ है—जब किसी इन्तकाल की रू से किसी जायदाद में हक पैदा किया जावे और उसमें यह शर्त दर्ज हो कि जब किसी जमाअत यानी समाज के शरीकदार यानी साजेदार लोग एक रास उमर तक पहुंच जावे तो सिर्फ उन्हीं को वह हक मिलेगा—पस ऐसी हालत में जो लोग उस उमर को न पहुंचे उन्हें उस जायदाद में कुछ हक नहीं मिलता है—उस दफा की स्पष्ट यह मनशा है कि जब तक इन्तकालनामा के साथ लगी हुई शर्त की तामील न हो जावे तब तक इन्तकाल करने वाले का इरादा पूरा न किया जायेगा—एक तमसील देकर इस दफा का मतलब आर जियादा साफ किया जाता है—एक धनीयत करने वाले ने कुछ खूया उन लडकों के नाम दिया किया, यानी दान किया, जो अठारा साल की उमर को पहुंचे और यह हिदायत की कि जब तक रामदत्त के किमी लडके की उमर अठारा बरस से कम रहे, मुनाफा उन हिस्से का, जो बहुत करके अर्दीर में उसे पहुंचेगा, उस लडके की परवारिश और तालीम में खर्च किया जावे—इस सूरत में रामदत्त का कोई लडका जो अठारा साल से कम उमर का रहे दी हुई जायदाद में “हासिल किया हुआ हक” नहीं रखता है

दफा २३. जब किसी जायदाद के इन्तकाल

इन्तकाल नशर्त होने एक खास और तहकीक वा-
केआ के

के वक्त यह शर्त की गई हो कि उस जायदाद में कोई हक किसी

खास मुकर्रर किया हुआ शरूस को उस वक्त हासिल होगा कि जब कोई खास अमर गैर तहकीक वाकै हो जावे और शर्त में उस के वाकै होने का कोई वक्त मुकर्रर न हुआ हो, तो ऐसा इरतेहकाक साकित यानी नष्ट हो जाएगा, सिवाए उस सूरत में कि जब वह अमर गैर तहकीक उसी वक्त या उरसे

हो जाने की तारीख पर जिन्दा हो और उस अमर का वाकै होना लाजमी है मगर उस के बकूअ यानी दिख पडने की तारीख मुकरर न हो सकती हो—ऐसे अमर के वाकै होने पर यह बताना लाजमी है कि कोन शरस मिन जुमला उन कुल लोगों के जिन्दा हैं—इस वाकैआ के होजाने के पक्षतर उन लोगों मे से किसी को कोई हक हासिल न होगा—

दफा २५. जो हक जायदाद के किसी इन्त-
इन्तकाल शरतिया काल की रूसे पैदा होता हो और किसी शर्त पर कायम हो वह उस सूरत में बातिल पानी रह हो जाता है कि जब उस शर्त की तामील गैर मुमकिन हो जाए या अजरूय कानून उस की मनाई हो या वह इस किस्म का हो कि अगर जायज रखा जाए तो उरसे किसी कानून की शर्तें रह हो जावेंगी या जो फरेव पर कायम हो, या जिस्से दूसरे शरस की जात या जायदाद को साफ तौर पर या छुपे तौर पर नुकसान पहुंचता हो, या जिस्को अदालत खिलाफ तहजीब या खिलाफ मरूलहत आम समझती हो.

तमसीलें.

(अ) रामदत्त ने शिवदत्त को एक इजारा इस शर्त पर दिया कि वह एक घंटे में एक सब भील चले—यह इजारा यानी ठेका रह है—

(ब) रामदत्त ने शिवलाल को इस शर्त पर पाच सब रूप्या दिया कि वह रामदत्त की बेटी जमुनावाई के साथ

कायम किया गया हो जो किसी वक्त तक जीते
 रहें मगर उस ठीक वक्त की कोई तफसील न बयान
 की गई हो, तो वह हक उन में से उन शरहों को
 हासिल होगा जो उस वक्त जिन्दा रहे कि जब
 इस्तेहकाक दरमियानी या पहले का बन्द हो
 जावे सिवाय उस सूरत में कि जब इन्तकाल की
 शर्तों से इसके खिलाफ इरादा पाया जावे—

तमसील.

रामदत्त ने कुछ जायदाद रामलाल के नाम इस शर्त पर
 मुन्ताकिल कर दी कि रामलाल अपने जीते जी उस को
 रखे और रामलाल के मरने पर शिवलाल व रामसेवक
 उस को आधा आधा बांटलें और अगर शिवलाल वो
 रामसेवक में से कोई मर जावे तो जो कोई जिन्दा रहे
 वह उसे लेवे—शिवलाल रामलाल के जीते जी मर गया
 और रामलाल रामसेवक के सामने मर गया तो ऐसी
 हालत में रामलाल के मरने पर जायदाद रामसेवक को
 मिलेगी—

त श री ह

इस दफा का मतलब ऊपर लिखी तमसील के पढ़ने से साफ तरह पर मालूम
 हो जाता है—याद रखना इस बात का जरूर है कि यह दफा कानून विरासत हिन्द-
 की दफा ११२ के मुताफिक है—यह दफा सिर्फ ऐसे इन्तकाल से ताल्लुक रखती है
 जो चन्द शरहों के नाम इस शर्त पर किया जावे कि वे एक खास अमर के बाँके

“छुपे तौर पर”:-उरदू मे “मानवी तौर पर” कहते है-

“खिलाफ तहजीब”:-खिलाफ मायनी उलटा यानी विरुद्ध, “तहजीब”

से मुगद चलन, आदत वगैरा मुगद है-वे इन्तकाल कि जिन से जुर्म की तर्फी होनी ह या जिन से कुचाली की बटती होती है वे सन खिलाफ तहजीब हे-मसलन कोई ओरत अपना विहाता खाविन्द के छोड देने का माहदा यानी ठहरान करे, (देखो ड ला रि बम्बई जिल्द १० सफा १५२, बगाल ला रिपोर्ट जिल्द ११ सफा १२९, ड ला रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ३१३) या कोई शरस किमी हाकिम को रिशवत यानी घूस देने का इकरार करे, या कोई इन्तकाल बागरज रटीवाजे, लेकिन अगर किसी रडी के साथ पेशतर कोई शरस ने हमनिस्तरी कर चुका है तो जो इन्तकाल इसके बदले किया जावेगा वह जायज रहेगा [ड ला रि जिल्द ३ अलाहाबाद सफा ७८७, व जिल्द १ सफा ४७८], हाई कोर्ट से यह बात तै हो चुकी है कि जब कोई शरस ने किसी ऐसे इन्तकाल खिलाफ तहजीब की हसे कुछ जायदाद हासिल करली हो और उरपर बहुत अरसे तक अपना कजजा कायम रखा हो तो शरस मजकूर का ऐसा कजजा न उठाया जायेगा [ड ला रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा ४३३ लडमीनारायन -बनाम-पिलायत बेगम]

“खिलाफ मरलहत आम”:-इन्तकाल खिलाफ मरलहत आम वह

इन्तकाल समजा जायेगा जिसे आम लोगो को नुकसान पहुचता हो या जिम्का किया आम तौर पर मरलहत यानी गुनासिव नही है-मसलन सरकारी नोकरी या उहदा ल्या लेकर बेचना, यह आम तरह पर मरलहत के खिलाफ है, अगर शरस बरादुर नमान किमी गैर मुल्क में हो, और अगर सरकार की इजाजत के बिना यदाद बेचने का माहदा करे तो ऐसा माहदा नाजायज माना जायेगा

कानून से हो”:-कोई ऐसी शर्त जायज

होने से किसी कानून की मनशा बाणिल होती है, यानी निराह, वा निरुक्ते रग्ने कोई शरस के, या जिम्के जोर से कोई शरस मायनी

शादी करे-इन्तकाल की तारीख को जमुनावाई मर चुकी थी-यह इन्तकाल नाजायज यानी रद्द है—

(क) सूरजप्रसाद ने पांच सव रूप्या जमुनावाई को इस शर्त पर दिया कि वह महादेव को मारडाले-यह इन्तकाल रद्द है—

(ड) रामसेवक ने पांच सव रूप्या अपनी भतीजी रूपरानी को इस शर्त पर दिया कि वह अपने खाविन्द को छोड़ देवे-ऐसा इन्तकाल रद्द है—

त श री ह

इस दफा मे उस किस्म के इन्तकाल का जिक्र है जो नाजायज है यानी जिन की तामील कानून की रूसे न कारई जावेगी—

“किसी शर्त पर कायम है”:-इस्का मतलब यह है कि जब किसी इन्तकाल के साथ ऐसी शर्त लगी हो कि बिना पूरी किये हुए इस शर्त के उस इन्तकाल की तामील न हो सकेगी-मसलन, अगर मुसमी (अ) नागपूर से जबलपूर जावेगा तो एक सत्र रूप्या पावेगा-यहा पर नागपूर से जबलपूर तक जाने की शर्त पर सव रूप्या का मिलना मुनहसर है-और इस शर्त की तामील सव रूप्या पाने के पेश्तर ही करना जरूर है-

“वातिल”:-इस्के लफ्जी मायनी झूठे के है-मगर कानूनी मतलब “नाजायज” यानी खियाफ कानून है-और नाजायज इन्तकाल से वह इन्तकाल मुगद है कि जिस्की तामील अदालत से किसी हालत मे न कारई जावेगी-जैसे कोई शख्स कुछ रूप्या लेकर अपना घेठा दूसरे शख्स के हाथ बेचने का माहदा यानी टेहगान करे

“गैर मुमकिन”:-असमभव, यानी जिस्का होना मुमकिन न हो-जैसे एक घंटे में सत्र मीठ चटना-किसी शख्स का एक घंटे में इतना जियादा पैदल चलना गैर मुमकिन है-

“छुपे तौर पर”:-उरदू मे “माननी तौर पर” कहते हैं-

“खिलाफ तहजीब”:-खिलाफ मायनी उलटा यानी विरुद्ध, “तहजीब”

से मुगद चलन, आदत वगैरा मुराद है-वे इन्तकाल कि जिन से जुर्म की तरफ़ी होती है या जिन से कुचाली की घटती होती है वे सब खिलाफ तहजीब हैं-मसलन कोई ओरत अपना विहाता खाबिन्द के छोट देने का माहदा यानी टहराव करे, (देखो इ ला रि बर्बई जिल्द १० सफा १५२, बगाल ला रिपोर्ट जिल्द ११ सफा १२९, इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ३१३) या कोई शरस किसी हाक़िम को रिशरत यानी घूस देने का इकरार करे, या कोई इन्तकाल बागरज रटीबाजी, लेकिन अगर किसी रटी के साथ पेइतर कोई शरस ने हमनिस्तरी कर चुका है तो जो इन्तकाल इसके बदले किया जावेगा वह जायज रहेगा [इ ला रि जिल्द ३ अलाहाबाद सफा ७८७, व जिल्द १ सफा ४७८], हाई कोर्ट से यह बात तै हो चुकी है कि जब कोई शरस ने किसी ऐसे इन्तकाल खिलाफ तहजीब की रूसे कुछ जायदाद हासिल करली हो और उरपर बहुत अरसे तक अपना कबजा कायम रखा हो तो शरस मजकूर का ऐसा कबजा न उटाय़ा जायेगा [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा ४३३ लखमीनारायन -वनाम-विलायत बेगम]

“खिलाफ मरलहत आम”-इतकाल खिलाफ मरलहत आम वह

इतकाल ममझा जायेगा जिरसे आम लोगो को नुकसान पटुचता हो या जिरका किया जाना आम तौर पर मरलहत यानी पुनासिब नहीं है-मसलन सरकारी नौकरी या उहदा का कुछ रुपया लेकर बेचना, यह आम तरह पर मरलहत के खिलाफ है, अगर सरकार अगेरज वहादुर का दुश्मन किसी गेर मुत्क मे हो, ओर अगर सरकार की रिआया ऐसे दुश्मन को कोई जायदाद देंचने का माहदा करे तो ऐसा माहदा नाजायज होगा व मरलहत के विरुद्ध समझा जायेगा

“शर्त जिरकी मनाई कानून से हो”-कोई ऐसी शर्त जायज

न समझी जायेगी कि जिरकी तामील करने मे किसी कानून की मनशा बानिल होती है-मसलन, शर्त नामत रकाट शारी यानी दिनाह, या जिम्के रसे कोई शरस अपना जायज रोजगार करने मे रोका जाये, या जिम्के जोर से कोई शरस मामूली

उस पर कुछ लिहाज न होकर यह तसौब्वर किया जाएगा कि पहिला इन्तकाल विला शरतिया है, और उसी पहिले इन्तकाल की तामील की जावेगी—नाजायज इन्तकाल से वह इन्तकाल मुराद है जो कानून के विरुद्ध हो—जैसे ऊपर लिखी तमसील में यह लिखा है कि अगर मु रूपी अपने खाविन्द को न छोडेगी तो जायदाद शिवराम को पडचे—यह शर्त नाजायज है क्योंकि हिन्दुओं के धर्म शात्र का असल उसूल यह है कि कोई औरत अपने खाविन्द को न छोडे—

दफा ३१ वपाबन्दी उन शर्तों के जो दफा

शर्त इस मजमून की कि इन्तकाल उस सूरत में बेअसर होगा कि जब कोई खास विला तहकीक वाकेआ वकूअ में आवे या न आवे

१२ में दर्ज हैं किसी जायदाद के इन्तकाल के वक्त जायदाद मजकूर में कोई इस्तेहकाक

जायज तौर पर इस शर्त के साथ पैदा किया जा सकता है कि वह हक्क उस सूरत में बन्द हो जावेगा कि जब एक खास वाकेआ विला तहकीक वकूअ में आवे या कि जब कोई खास वाकेआ विला तहकीक वकूअ में न आवे—

तमसीलें

(अ) रामदत्त ने एक इजारा शिवदत्त के नाम उस की हयात के लिये मुन्तकिल कर दिया और उस में यह शर्त रखी कि अगर शिवदत्त फलाना जंगल काट डाले तो इन्तकाल बेअसर हो जावेगा—शिवदत्त ने वह जंगल काट लिया—पस ऐसी हालत में शिवदत्त का इस इजारा में हीन हयाती हक्क बन्द हो गया.

(ब) रामदत्त ने एक इजारा शिवदत्त के नाम इस शर्त के साथ इन्तकाल किया कि अगर शिवदत्त इन्तकाल की तारीख से तीन साल के अन्दर इंगलिस्थान को न चला जाए तो उस का हक जो इजारा में हो मिट जावेगा--शिवदत्त मुकर्रर मियाद के भीतर इंगलिस्थान को नहीं गया--पस उस का हक उस इजारा में साकित हो गया-

त श री ह.

इस दफा के रू से इन्तकाल जायदाद का बपावदी किसी शर्त के जायज तौर पर किया जा सकता है सिवाए उन शर्तों के जिन की तफसील दफा १२ में दर्ज हैं--मसलन शर्त निसबत जन्ती हक दीयालिया होने की सूत में घो र्कावटे निसबत हक इन्तकाल उस शर्त के कि जिस के नाम जायदाद मुत्तकिल की जाये-

यह दफा वो इस के नीचे लिखी हुई दोनों तमसीले एक्ट विरसत हिन्द की दफा १२१ के मुताबिक है-

दफा ३२ इस शर्त के, कि कोई इस्तेहकाक

ऐसी शर्त नाजायज न होना चाहिये-

साकित हो जाएगा, जायज

होने की गरज से यह जरूर है कि वह वाकैआ जिस्से शर्त मजकूर मुतालुक है, ऐसी हो कि वह कानून की रू से उस इस्तेहकाक के कायम करने की शर्त होने के काबिल हो-

त श री ह.

इस दफा की रू से यह बात जरूरी है कि वह शर्त, कि जिस्से किसी

हक का बन्द हो जाना मुकम्मद हो, उस किस की होनी चाहिये कि जो किसी इस्तेहकाक के कायम करने के वास्ते काफी समझी जाने, यात्री इस्तेहकाक के बन्द करने वाली शर्त भी उसी तरह की होना चाहिये, जैसे कि हक के पैदा करने वाली शर्त होती है—पिछली दफा के पैदे से मालूम होगा कि किस किस की शर्तों से इस्तेहकाक का पैदा होना कानून की रूख से मुमकिन है—
 यह दफा एकद्विन्तकाल, हिन्दी की दफा १२२ से ली गई है—

दफा ३३— जब किसी जायदाद के इन्तकाल

इन्तकाल जो किसी काम के करने के वक्त उस में कोई इस्ते-
 की शर्त पर कायम हो और हकाक इस शर्त के साथ
 तामील के वास्ते कोई वक्त मुकरर कायम किया जाए कि उस

शरूख को, जो उसे हासिल करे, एक खास काम करना लाजिम है मगर कोई खास वक्त उस काम की तामील के लिये मुकरर न हो तो इस शर्त का तोड़ा जाना उस वक्त सम्भो जावेगा कि जब शरूख मजकर शर्त की तामील को, हमेशा के लिये या किसी गैर मुकरर मुद्त के वास्ते, गैर मुमकिन करदे—

त शरी ह.

इस दफा का सिर्फ यह मतलब है कि जब किसी इन्तकाल के साथ कोई शर्त छगी हो कि जिसके रू से जायदाद लेने वाले को किसी काम का करना लाजिम हो तो शर्त की दू उस वक्त तसौबुर की जावेगी कि जब जायदाद पाने वाला शरूख हमेशा के वास्ते या विला मुकरर मुद्त के लिये इस काम का किया जाना गैर मुमकिन करदे—नीचे लिखी तमसीलों से इस दफा का मतलब और जियादा साफ हो जावेगा—मुसमी रामलाल एक वसीअतनामा इत

मजमून का लिखकर मर गया कि अगर रामकिशन फौजी नौकरी न करेगा तो उस की कुल जायदाद हीराखाल को मिले—रामकिशन ने फौजी नौकरी न करके पडिताई का पेशा अख्तियार किया—पस रामकिशन ने अपने ही फैल से इस शर्त की तामील गैर मुमकिन कर दिया—उस लिये हीराखाल जायदाद पाने का हुक्दर है—दूसरी तममील, एक हिवानामा [दानपत्र] रामदत्त के नाम किया गया इस शर्त पर कि अगर वह रामखाल की लडकी के साथ शादी न करे तो उस हिवानामा का कुछ असर न रहेगा—रामदत्त ने एक गैर शन्स की लडकी के साथ शादी कर लिया और इस वजह से उस ने शर्त मजकूर की तामील बिना तादाद मुल्तनी करदी-पैमी हालत में हिवानामा का असर जाता रहा—

दफा ३४ जब इन्तकाल में यह शर्त हो कि


इन्तकाल जो किसी फैल की तामील की शर्त पर कायम हो और खास वक्त मुकर्रर हो कोई शख्स किसी इस्तेहकाक के, जो जायदाद के इन्तकाल के वक्त उस के लिये मुकर्रर हुवा हो, हासिल करने के पेशतर किसी फैल की तामील करे, या इन्तकाल नामा में यह शर्त हो कि उस फैल की तामील न करने की सूरत में वह इस्तेहकाक उससे निकल कर दूसरे शख्स को पहुंचेगा और उस फैल की तामील के वास्ते एक कोई वक्त मुकर्रर हुवा हो, तो अगर ऐसे फैल की तामील मुकर्रर मियाद के अन्दर उस शख्स के फरेव के सबब से न हो सके, कि जिसको शर्त मजकूर की तामील न होने से साफ तौर पर फायदा मिलेगा, तो वमुकावले उस के उस फैल की तामील के लिये उस कदर जियादा

मोहलत दी जावेगी जो ऐसी देरी के दूर करने के वास्ते जरूर हो कि जो उसी के फरेब के सबब से हुई हो—लेकिन अगर फैल की तामील के वास्ते कोई वक्त खास मुकर्रर न हुवा हो तो अगर उस की तामील उस शरह के फरेब की बजह से गैर मुमकिन या किसी मियाद गैर तहकीक तक मुलतवी हो गई हो कि जिस्को शर्त की तामील न होने से फायदा पहुंचता है तो ऐसी सूरत में शरह मजकूर के मुकाबले में यह समझा जाएगा कि शर्त की तामील हो चुकी---


त श री ह.

यह दफा इस उसूल पर कायम है कि कोई शरह अपने ही बेजा फैल का फायदा नहीं उठा सकता है—इस दफा का मतलब यह है कि जब किसी जायदाद में कोई हक हासिल करने के लिये किसी शर्त की तामील करना जरूर हो और अगर उस शर्त की तामील में कोई शरह, कि जिस्को शर्त की तामील न होने से फायदा पहुंचता हो, बजरिये फरेब ऐसा फदा डालदे कि जिस्की बजह से मुकर्रर वक्त के अन्दर शर्त की तामील गैर मुमकिन हो जावे तो ऐसे फदा डालने वाले शरह के मुकाबले में उस को शर्त की तामील के लिये और मोहलत जियादा दी जावेगी—लेकिन अगर शर्त की तामील के वास्ते कोई खास वक्त मुकर्रर हुवा हो और फदा डालने वाले की तरफ से फरेब की बजह से शर्त की तामील मुकर्रर वक्त के अन्दर न हो सकी हो तो ऐसी हालत में फदा डालने वाले शरह के मुकाबले में शर्त की तामील पूरी समझी जावेगी—नीचे लिखी तमसीखों से और भी दफा का मतलब जियादा साफ मानूम पड़ेगा—(१) रामदत्त ने कुछ जायदाद शिवदत्त के हक में इस शर्त के साथ मुन्तकिल किया कि अगर वह रामदत्त की लडकी के साथ तारीख इन्तकाळ से

एक साल के अन्दर शादी न करेगा तो वह जायदाद शिन्दत्त को न मिलेगी वल्कि रामलाळ को मिलेगी—जब साल खतम होने को एक महिना बाकी रह गया उस वक्त रामलाळ ने चालाकी से रामदत्त की छटकी एक ऐसे मुल्क में भिजवा दिया जहा कि उस का पता शिन्दत्त को न मिल सके और इस वजह से अन्दर मियाद शादी न हो सकी—ऐसी हालत में वमुक्ताबले रामलाळ शिन्दत्त को एक महिना की मोहलत और दी जावेगी—(२) अगर इसी तमसीळ में रामलाळ फरेव से रामदत्त की छटकी को मियाद खतम होने के पहले मरवाडाले तो ऐसी हालत में समझा जावेगा कि रामलाळ के मुकाबले में शर्त की तामीळ हो गई—(३) अगर इसी तमसीळ में कोई मियाद शर्त की तामीळ के लिये मुकर्रर न हो ओर रामलाळ फरेव से रामदत्त की छटकी की शादी दूसरे शख्स से करदे तो ऐसी हालत में भी समझा जावेगा कि रामलाळ के मुकाबले में शर्त की तामीळ हो गई—



अखत्यार अहेदउल उमरीन.



दफा ३५. जब कोई शरूत ऐसी जायदाद

अखत्यार कबूली या ना कबूली का वरतना कर जरूर है

मुन्तकिल करे जिसके इन्तकाल का उस को कुछ हक न हासिल हो और

वतौर जुज उसी मामला इन्तकाल के मालिक जायदाद को कोई फायदा देदे तो ऐसे मालिक को चाहिये कि अपनी मरजी के मुताबिक ऐसे इन्तकाल को कबूल या नामंजूर करे और इस अखीर सूरत में लाजिम है कि वह इस तरह पर दिये हुए फायदा को छोड़दे और यह छोड़दिया हुवा फायदा इन्तकाल करने वाले को या उस के कायममुकामों को उसी

तरह फिर वापस मिलेगा कि मानों वह मुन्तकिल नहीं हुवा था; मगर शर्त यह है कि.

जब इन्तकाल बिला माविजा किया गया हो और इन्तकाल करने वाला अपना अखत्यार (कबूली या नामंजूरी का) बरतने के पहिले मर जावे या किसी और वजह से नया इन्तकाल करने के नाकाबिल हो जावे, और

हर सूरत में जब कि इन्तकाल माविजा के साथ किया गया हो.

उस फायदा पर यह मवाखजा यानी बोभा रहेगा कि इन्तकाल करने वाला मुन्तकिल अलेह को जो महरूम किया गया है उस जायदाद की कीमत या मालियत भर दे कि जिस जायदाद के उस के नाम इन्तकाल करने का कस्द किया गया था.

तमसीलें.

मौजा सुलतानपुर का इजारा मुसम्मी रामदत्त की मिलकियत है और उसकी कीमत आठ सव रूप्या है—उस को रामलाल ने बजरिये बखशिशनामा शिवलाल के नाम इन्तकाल किया और उसी इन्तकालनामा की रूमे उस ने एक

हजार रूप्या रामदत्त को दिया—रामदत्त ने वह इजारा अपने ही पास रखना मंजूर किया—पस ऐसी हालत में रामदत्त को एक हजार रूप्या न मिलेगा.

ऊपर लिखी तमसील में, रामलाल अपनी नामंजूरी जाहिर करने के पेशतर सर गया—ऐसी हालत में उस के कायम मुकाम को चाहिये कि उस एक हजार रूप्या में से आठ सब रूप्या शिवलाल को देवे.

इस दफा के पहिले फिकरा में खिला हुआ फायदा हर सूरत में लागू होगा चाहे इन्तकाल करने वाला शख्स मुन्तकिल की हुई चीज को वतौर अपनी मिलकियत के यकीन करे या न करे.

वह शख्स जो किसी मामला इन्तकाल की खुसे कोई फायदा सरीहन हासिल न करे वल्कि उस की खुसे कोई फायदा गैर सरीही तौर पर पावे उस के लिये, अखत्यार मंजूरी या नामंजूरी का अमल में लाना जरूर नहीं है.

जायज है कि कोई शख्स एक हैसियत से कोई फायदा कबूल करे और दूसरी हैसियत से उस को नामंजूर करे.

ऊपर लिखे हुए पहिले चार फायदों के ताल्लुक

मुसतसनाः--जब उस जायदाद के मालिक को, कि जिसे इन्तकाल करने वाला मुन्तकिल करना चाहता हो, कोई खास फायदा दिया जाना जाहिर हो और इस फायदे का दिया जाना बएवज जायदाद मजकूर के जाहिर होता हो, अगर ऐसा मालिक उस जायदाद को लेना मंजूर करे तो उसे वह खास फायदा छोड़ देना पड़ेगा; मगर उसे किसी दूसरे कायदे को छोड़ना लाजिम नहीं है कि जो उसे उसी मामले की रू से अता किया गया हो.

कबूल करना किसी फायदा का उस शरूस की तरफ से जिस्को वह अता हुवा हो बराबर इसके है कि शरूस मजकूर ने अखत्यार कबूली या नाकबूली का अमल में लाकर इन्तकाल को मंजूर किया, बशर्तेकि शरूस मजकूर को कबूली या नाकबूली के अखत्यार को अमल में लाने के इस्तेहकाक से और उन हालात से वकफियत हो कि जो किसी माकूल अकल वाले शरूस के मिजाज में अखत्यार कबूली या नाकबूली के अमल में लाते वक्त असर पहुंचावे, या बशर्तेकि वह हालात मजकूर के दरयाफ्त करने से बाज रहे.

दर सूरत न होने कोई शहादत खिलाफ इसके ऐसा इल्म या बाज रहने के निसबत उस हालत में क्यास किया जावेगा कि जब उस शख्स ने, कि जिसे वह फायदा अता हुवा है, दो बरस तक उरसे फायदा उठा लिया हो विना करने किसी ऐसे फैल के जिस्से नामंजूरी जाहिर होती हो.

ऐसा इल्म या (तहकीकात से) बाज रहना शख्स मजकूर के किसी ऐसे फैल से मफहूम होगा (यानी मतलब से पाया जावेगा) जिस्की वजह से उन शख्सों को, जो मुन्ताकिल की हुई चीज में गरज रखते हों, वही हैसियत देना गैर मुमाकिन हो जो उन को उस फैल के बकूअ से पहिले हासिल थी.

तमसील.

मुसम्मी (अ) ने (ब) के नाम एक इलाका, जिस्का (क) हकदार है, मुन्ताकिल किया और बतौर जुज उसी मामला के उस ने एक कोयले की खदान (क) को दिया—(क) ने खदान पर कब्जा करके तमाम कोयला उस का खोद-लिया—पस इस सूरत में उस ने इलाका का इन्तकाल बनाम (ब) के मजूर किया.

अगर वह तारीख इन्तकाल से एक साल के अन्दर अपना इरादा निसबत कबूल या

नामंजूर करने इन्तकाल के इन्तकाल करने वाले या उस के कायम मुकामों पर जाहिरून करे तो इन्तकाल करने वाला या उस के कायम मुकाम को अखत्यार होगा कि उस मियाद के गुजर जाने पर मुन्तकिल अलेह से, अखत्यार कबूली या नाकबूली को अमल में लाने के वारते दरखास्त करे, और अगर मुन्तकिल अलेह दरखास्त मजकूर के पहुंचने से एक अरसा माकूल के अन्दर उसकी तामील न करे तो यह समझा जावेगा कि उस ने इन्तकाल को बहाल रखना मंजूर किया.

मुन्तकिलअलेह की नाकावलियत की सूरत में अखत्यार कबूली या नाकबूली का अमल में लाना उस वक्त तक मुलतवी रहेगा कि जब नाकावलियत मजकूर बन्द हो जावे या कोई हाकिम मजाज अखत्यार कबूली या नाकबूली को अमल में लावे.

त श री ह

यह दफा बेशक बहुत बडी है और समझ में जल्दी न आवेगी—मगर उस का मतलब मुहत्तिसर तौर पर यह है कि जब कोई शाहस किसी दूसरे शाहस की जायदाद को उस की मरजी के बगैर बेच डाले और उस मामला विक्री के रू से जायदाद के असली मालिक को भी कुछ फायदा दे देते तो इस मालिक को अखत्यार है कि दो बातों में से कोई एक पसन्द करे, यानी (१) उस मामला

वै को कबूल करले (२) या उसे नामजूर करे—अगर वह नामजूर करे तो उसे वह फायदा वापस दे देना पड़ेगा, कि जो उस को उस मामले के जरिये से मिला था—चद शर्तें इस दफा के साथ लगी हैं उन-पर भी गौर करना जरूर है—

उसूलः—यह दफा इस उसूल पर कायम है कि जो कोई शख्स किसी दस्तावेज या वसीअतनामा की रू से कोई फायदा कबूल करे उसे दस्तावेज मजकूर के कुल मजमून की पाबन्दी करना लाजिम है, और उस की कुल शर्तें कबूल करना जरूर है, व उसे हर ऐसे इस्तेहकाक को छोड देना पड़ेगा जो दस्तावेज मजकूर की शर्तों के बरखिलाफ हो—मसलन मुसम्मि [अ] ने एक ही दस्तावेज या वसीअतनामा की रू से कुछ जायदाद, जो [क] की मिलकियत थी, [ब] को दिया और उसी दस्तावेज के रू से उस ने दूसरी जायदाद, कि जो खुद उसी की मिलकियत थी, मुसम्मि [क] को दे दिया—अब ऐसी हालत में [क] उसे दी हुई जायदाद के पाने का हकदार सिर्फ उसी सूत में होगा कि जब वह यानी [क] दस्तावेज की कुल शर्तें कबूल करले और जो जायदाद [ब] के नाम अजरख्य दस्तावेज के दिया गया है उस में अपना हक बिडकुल छोड दे—उसे ऐसा करना वाजिब नहीं है कि अपनी जायदाद की वापसी का दावा करे और जो जायदाद दस्तावेज के रू से उस को मिली है वह लेले—कानूनी मसला यह है कि जो कोई फायदा छेता है उसे बोझा भी उठाना चाहिये—कोई शख्स एक दस्तावेज की रू से और उसी के बरखिलाफ किसी जायदाद का दानीदार नहीं हो सकता है—

अहेद उल उमरीनः—यह फारसी का लफज है और इस एकट के उरदु तरजुमा में इस्तेमाल किया गया है—उस का मतलब यह है कि दो बातों में से किसी एक को पसंद करना, यानी किसी इन्तकाठ की कबूली या नाकनूली का अख्तियार—यह फायदा हर एक दस्तावेज से ताल्लुक रखता है चाहे वह वसीअतनामा हो या और कोई दस्तावेज, और वह जायदाद मनकूला व गेर मनकूला दोनों में लागू होगा—

इन्तकाल करने वाले को फायदा वापस मिलेगा.—अगर मुन्तकिल अहेद, यानी वह शरम कि जिस के नाम जायदाद मुन्तकिल की गई है,

कबूली या ना कबूली का अखत्यार अमल में न लाने, तो इन्तकालनामा की रू से जो कुछ फायदा उसे पहुंचने वाला है वह कुछ इन्तकाल करने वाले या उस के चारियों को वापस मिलेगा, क्योंकि यह दरयाफ्त करना गैर मुमकिन है कि अगर इन्तकाल करने वाले को उस के दस्तावेज का नुक्स मालूम हो जाता तो वह क्या करता—लेकिन यह फायदा नीचे लिखे मुसतसना के ताबे है—[१] मुफती यानी बिला बदल इन्तकाल की सूत में, जब इन्तकाल करने वाला शाह्स मर जाए या नया इन्तकाल करने की ताकत न रखता हो, या [२] जब इन्तकाल बएवज कुछ माविजा यानी बदल के होंवे, तो ऐसी हालत में इन्तकाल लेने वाला इस कदर माविजा की रकम पाने का मुस्तहक होगा जो उस जायदाद की मालियत के बराबर हो कि जिरके निसबत इन्तकाल करने की तदवीर की गई—

गैर सरीही तौर पर कबूल या नाकबूल करना:—जब एक मर्तबा किसी इन्तकाल की कबूली या ना कबूली जाहिर कर दी जावे तो फिर उससे इकार न किया जा सकेगा और ऐसी कबूली या ना कबूली का वह खुद और उस के वारिस लोग पाबन्द रहेगे—कबूली या ना कबूली का अखत्यार सरीहन या गैर सरीही तौर पर अमल में लाया जा सकता है—सरीहन से मुराद है साफ तौर पर—उस दफा की रू से गैर सरीही तौर से कबूली या ना कबूली नीचे लिखी बातों से पाई जावेगी—(१) फायदा का कबूल कर लेना, (२) तहकीकात न करना; (३) दो साल तक फायदा उठाना, (४) जायदाद से इस तरह फायदा उठाना कि जिस्से उस की मालियत बहुत घट जावे, (५) जायदाद पर कब्रजा रख कर एक साल तक फायदा उठाना और जब कहा जावे तो अपनी नामजूरी न जाहिर करना—

एक मुकदमा में मुहायलेह राहिन के बली ने अपनी जायदाद बिला मजूरी अदालत के रहन की मजूरी दरका इकार यानी नाम उस से

को जायज रखने के लिये अदालत करार पाई कि राहिन रहन को इसी शर्त पर कि जो कुछ वापस मिल जावे

२८९]

बावत तफरीक व तकसीम



दफा ३६. दरसूरंत न होने कोई माहदा

फायदा बावत तकसीम रकूमात
मियादी हकदार शाहस का
इस्तेहकाफ खतम होने पर

यानी ठहराव या रिवाज मुका-
मी खिलाफ इस के, तमाम

रकमें बावत जर लगान, सालियाना पटनी, व
पेनशन व मुनाफा वो दीगर रकमें जो मुकर्रर मियाद
पर आमदानी की किस्म से पटाई जाती हैं, उस
शाहस के हक के इन्तकाल के वक्त, जो ऐसी रकमों
के लेने का मुस्तहक हो, दरमियान इन्तकाल करने
वाले व इन्तकाल लेने वाले के ऐसे समझे जाएंगे
कि मानों वह रोज वरोज काबिल वसूल है और
उन की तकसीम उसी तरीके पर की जावेगी; मगर
वे रकमें उन्हीं दिनों पर बाजिबुलअदा होंगी कि जो
उन की अदाई के लिये मुकर्रर हैं--

त श री ह.

- इस दफा का मतलब यह है कि जब कोई जायदाद किसी शाहस की तरफ से
दूसरे शाहस के नाम मुत्तकिल की जाये तो इन्तकाल लेने वाला उस जायदाद से उसी
तरह फायदा उठावेगा कि जिस तरह इन्तकाल करने वाला उसे मुनाफा उठाता-
मसलन, (अ) की कोई जायदाद जो (ब) के कब्जा में है, [क] की बेची गई-
ऐसी हालत में [ब] मुसम्मी (अ) का जिम्मेदार बना रहेगा और (अ) वो [क]
दोनों हर एक उम्मे हिस्सा रसदी के मुताबिक आमदानी जायदाद की तलब करने
का दानी न कर सकेंगे-इस लिये अगर (ब) ने कई घरों का लगान बतौर पेशगी

कबूली या ना कबूली का अख्तियार अमल में न लये, तो इन्तकालनामा की रू से जो कुछ फायदा उसे पहुँचने था वह कुछ इन्तकाल करने वाले या उस के वारिसों को वापस मिलेगा, क्योंकि यह दरयाफ्त बरना गैर मुमकिन है कि अगर इन्तकाल करने वाले को उस के दस्तावेज का नुकस मान्य हो जाता तो वह क्या करता—लेकिन यह फायदा निचे लिखे मुसतसना के तावे है—[१] मुफती यानी बिला बदल इन्तकाल की सूरत में, जब इन्तकाल करने वाला शख्स मर जाए या नया इन्तकाल करने की ताकत न रखता हो, या [२] जब इन्तकाल बपबन बुछ माविजा यानी बदल के हेवे, तो ऐसी हालत में इन्तकाल लेने वाला इस कदर माविजा की रकम पाने का मुस्तहक होगा जो उस जायदाद की मालियत के बराबर हो कि जिरके निसवत इन्तकाल करने की तदवीर की गई—

गैर सरीही तौर पर कबूल या नाकबूल करना:—जब एक मर्तबा किसी इन्तकाल की कबूली या ना कबूली जाहिर कर दी जावे तो फिर उसे इफार न किया जा सकेगा और ऐसी कबूली या ना कबूली का वह खुद और उस के वारिस लोग पाबन्द रहेंगे—कबूली या ना कबूली का अख्तियार सरीहन या गैर सरीही तौर पर अमल में लाया जा सकता है—सरीहन से मुराद है साफ तौर पर—इस दफा की रू से गैर सरीही तौर से कबूली या ना कबूली नीचे लिखी बातों से पाई जावेगी—(१) फायदा का कबूल कर लेना, (२) तहकीकात न करना; (३) दो साल तक फायदा उठाना, (४) जायदाद से इस तरह फायदा उठाना कि जिसे उस की मालियत बहुत घट जावे, (५) जायदाद पर कबजा रख कर एक साल तक फायदा उठाना और जब कहा जावे तो अपनी नामजूरी न जाहिर करना—

एक मुकदमा में मुदायलेह राहिन के बली ने अपनी जायदाद बिला मजूरी अदालत के रहन रखा और ऐसे मामले को जायज रखने के लिये अदालत की मजूरी दरकार है—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि राहिन रहन को इफार यानी नामजूरी कर सकता है लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर कि जो कुछ फायदा उसे उस रहन नामा की रू से मिला है वह उस शख्स को वापस मिल जावे कि जिसे पास से उस ने पाया [३ ला रि मदरास जिल्द २२ सफा २८९]

बावत तफरीक व तकसीम



दफा ३६. दरसूरत न होने कोई माहदा

कायदा बावत तकसीम रकमात
मियादी हकदार शास्त्र का
इस्तेहकाक खतम होने पर

यानी ठहराव या रिवाज मुका-
मी खिलाफ इस के, तमाम

रकमें बावत जर लगान, सालियाना पटनी, व
पेनशन व मुनाफा वो दीगर रकमें जो मुकरर मियाद
पर आमदानी की किसम से पटाई जाती हैं, उस
शास्त्र के हक के इन्तकाल के वक्त, जो ऐसी रकमों
के लेने का मुस्तहक हो, दरमियान इन्तकाल करने
वाले व इन्तकाल लेने वाले के ऐसे समझे जायेंगे
कि मानों वह रोज बरोज काबिल वसूल है और
उन की तकसीम उसी तरीके पर की जावेगी; मगर
वे रकमें उन्हीं दिनों पर बाजिवुलअदा होंगी कि जो
उन की अदाई के लिये मुकरर हैं--

त श री ह.

इम दफा का मतलब यह है कि जब कोई जायदाद किसी शास्त्र की तरफ से
दूसरे शास्त्र के नाम मुन्तकिल की जाये तो इतकाल छेने वाला उस जायदाद से उसी
तरह फायदा उठावेगा कि जिस तरह इन्तकाल करने वाला उसे मुनाफा उठाना -
मसउन, (अ) की कोई जायदाद जो (ब) के कब्जा में है, [क] को बेंची गई-
ऐसी हालत में [ब] मुसमी (अ) का जिम्मेदार बना रहेगा और (अ) को [क]
दोनों हर एक उसे हिस्सा रमदी के मुताबिक आमदानी जायदाद की, तलब करने
का दायी न कर सकेंगे--इस लिये अगर (ब) ने कई बरनों का उगाव बगैर पेशगी

[अ] को दे दिया हो तो [क] उसे उन्हीं, सालों के वास्तु लगान का दानी नहीं कर सकेगा—

लफजों के मायनीः—“लगान” की रकम में कास्तकारी खेतों का जर लगान वो मकान का किराया भी शामिल है—सोलियाना पटनी में वे रकमें शामिल हैं जो हर साल बतौर पेनशन वो वास्तु तनखाह के किसी शरस को अदा की जाती हों—“दर सूरत न होने कोई माहदा”—इन लफजों से यह मतलब निकलता है कि फरीकैन इसके बरखिलाफ भी आपुस में दूसरे तौर पर ठहराव कर सकते हैं—

दफा ३७ जब इन्तकाल होने के सबब से

कोई जायदाद तकसीम हो
तकसीम फायदा जिम्मेदारी दर
सूरत बट जाने जायदाद के
जाए और उस के अलग
अलग हिस्सों पर कबजा हो जावे और उस के वाद
फायदा किसी जिम्मेदारी का, जो पूरी जायदाद से
ताल्लुक रखता हो एक मालिक से चंद मालिकों की
तरफ मुन्तकिल हो जाए तो, दर सूरत न होने
किसी माहदा खिलाफ इसके, दरमियान मालिकों
के वह फैल जो उस जिम्मेदारी की रू से करना
वाजिब है हर एक ऐसे मालिक के साथ बकदर
हिस्सा रसदी मुताबिक मालियत उस के हिस्सा के
जो उस जायदाद में रखत ~~हो~~ जावेगा, व—
शर्तेंकि उस वाजिब फैल

किन हो और

भा सचमुच

मुम--

का
अगर

उस फैल वाजिव का तकसीम करना मुमकिन न हो या उस के तकसीम करने से जिम्मेदारी का बोझा सत्रमुच में जियादा बढ़ जाता हो, तो वह फैल वाजिव उस एक खास मालिक के फायदा के लिये किया जावेगा जिसको कुल मालिकान फायदा मजकूर पाने के लिये शामिलानी नाम लेकर ठहरा देवें---

मगर शर्त यह है कि कोई शख्स जिस्पर जिम्मेदारी का बोझा हो इस बात का जवाबदार न होगा कि उस ने ईफाय उस जिम्मेदारी का इस दफा की हिदायत के मुताबिक नहीं किया, सिवाए उस सूरत में और उस वक्त तक कि उस को हिस्सों के तकसीम की इत्तला माकूल तौर पर मिल चुकी हो---

इस दफा की कोई इवारत उन पट्टों से ताल्लुक न रखेगी जो काश्तकारी कामों के लिये तहरीर होते हो, सिवाए उस सूरत में और उस वक्त पर कि जब लोकल गवर्नमेन्ट ने वजरिये इश्तहार मुन्दरजा गजट सरकारी उस के मुताल्लुक किये जाने की हिदायत की हो---

तमसीलें

(अ) रामदत्त ने एक मकान, जो किसी गांव में बाँके है और जो शिवलाल के पास इस इकरार के साथ किराया पर था कि शिवलाल उस की बाबत सालाना किराया तीस रूप्या और एक मोटा भेड़ा देता रहे, शिवदत्त व पन्नालाल व रामलाल के पास बँच दिया— शिवदत्त ने खरीदी के रूप्या का आधा हिस्सा वो एक चौथाई पन्नालाल ने वो दूसरा चौथाई रामलाल ने अदा किया—पस ऐसी हालत में अगर शिवलाल को इस बात की इत्तला मिल चुकी है तो उस को लाजिम है कि वह पदरा रूप्या शिवदत्त को व ७॥ रूप्या पन्नालाल वो ७॥ रूप्या रामलाल को अदा करे और शिवदत्त व पन्नालाल व रामलाल की सामलाती हिदायत के मुताबिक भेड़ा भी हवाला करे.

(ब) उसी तमसील में मौजा मजकूर में हर मकान के मकानदार को वाजिव है कि हर साल दस रोज की मेहतत यानी बेगार एक बंधिया पर पानी का रैला रोकने की गरज से पहुँचावे शिवलाल ने रामदत्त को किरायानामा इस इकरार से लिख दिया था कि वह रामदत्त के लिये यह काम कर देगा—तब शिवदत्त व पन्नालाल व रामलाल ने शिवलाल से यह दावा किया कि वह तीनों के मकानों की बाबत दस दस रोज तक काम करे तो ऐसी हालत में शिवलाल पर वाजिव नहीं है कि कुल दस रोज से जियादा काम करे मुताबिक उन हिदायतों

के जो शिवदत्त व पन्नालाल व रामलाल शामलाती में
देंवें.

त श री ह.

इस दफा का असली मतलब यह है कि जब एक सालिम यानी पूरी जायदाद के मालिक को कोई खास फायदा मिलता है तो अगर वह जायदाद इस तरह पर मुन्तकिल की जाये कि उस का कई एक मालिक बन जाये तो ऐसी सूरत में वह खास फायदा भी कुछ मालिकों को एकजाई की हालत में पहुंचेगा और हर एक मालिक दी हुई जर खरीद को हिस्सा रसदी के मुताबिक उस फायदा के पाने का मुस्तहक होगा—अगर यह फायदा कुछ खरीदारों को बट नहीं सक्ता हो तो उन को सब मिलकर उस फायदा के लेने के बारे में शामलाती हिदायत जारी करना चाहिये—जैसा कि इस दफा में लिखी हुई तमसीलों के पढ़ने से मालूम होता है कि तीस रूप्या की तकसीम बराबर हर एक मालिक को की जाये व मोटा भेडा सब मालिकों की मरजी के मुताबिक किमी एक शरस के हवाला किया जावे

याद रखना चाहिये कि यह दफा काइतकरो की जमीन से तालुक नहीं रखती है

—

(व) वाबत इन्तकाल जायदाद गैर मनकूला

—

दफा ३८. जब कोई शरस, जिस्को सिर्फ

इन्तकाल उस शरस की तरफ से जो सिर्फ चद सूरतों में इन्तकाल करने का मजाज होवे

उन हालात में जायदाद गैर मनकूला के इन्तकाल का

अखत्यार है, जो जरूर करके बदलते रहते हैं, ऐसी कोई जायदाद किसी माविजा के बदले मुन्तकिल करे और ऐसे हालात का मौजूद होना बयान करे

तो ऐसी सूरत में उन हालात की मौजूदगी, दरमियान मुन्तकिल अलेह बतौर फरीक औव्वल, और इन्तकाल करने वाला व उन शख्सों के (अगर कोई हों) जिन को इन्तकाल का असर पहुंचता हो, बतौर फरीक दोयम, उस वक्त वाजिब और दुखरत समझी जावेगी, कि जब मुन्तकिल अलेह ने उन हालात को जानने की गरज से माकूल खबरदारी लेकर नेक नियती के साथ कार्रवाई की हो.

तमसील.

मुसम्मात राधा ने, कि जो एक हिन्दू बेया है और जिसका खाविन्द चद तरफी वारिसों को छोड़ कर मर गया, यह बयान किया कि उस के कब्जा की जायदाद उसकी परवरिश के लिये काफी नहीं है और ^{हमी} चाहती है कि वह अपने खेत को, जो उस जायदाद का एक हिस्सा है रामदास के नाम ऐसे कामों के वास्ते बँच दे जो धर्म या खैरात से कुछ ताल्लुक नहीं रखते हैं—रामदास ने माकूल तहकीकात करके अपना इतमीनान कर लिया कि जायदाद की आमदानी मुसम्मात राधा की परवरिश के लिये गैर काफी है और खेत का बँचना जरूर है—फिर उस ने नेक नियती पर अमल करके उस खेत को मु० राधा से मोल ले लिया—पस जहां तक मुकदमा को रामदास से, जो एक फरीक है और मुसम्मात राधा से व

उस के तरफी वारिसों से जो दूसरे फरीक है ताल्लुक है यह क्यास कर लिया जावेगा कि दर असल खेत के बै करने की जरूरत थी.

त श री ह.

इम एक्ट के दूसरे बार्न के दो टुकडे किये गये हैं—पहिले टुकडे मे ३३ दफा हैं यानी १ मे लेकर ३७ दफा तक—दो दूसरे टुकडे मे १६ दफा है यानी दफा ३८ से लेकर ५३ तक—पहिले टुकडे का कुल दफा हर किस्म के जायदाद से लागू हैं, यानी जायदाद मनकूला व गैर मनकूला—मगर दूसरे टुकडे की दफा यानी दफा ३८ से लेकर ५३ तक सिर्फ जायदाद गैर मनकूला से ताल्लुक रखती है—हालाकि बार्न २ हिन्दुओं से मुताल्लुक नहीं किया गया है ताहम इस दफा में कानून मुताल्लुक अहल हिन्दू का मुतासिर तौर पर दर्ज किया गया है—

यह दफा इस गरज मे कायम की गई है कि जिस शरस ने नेकनियती के साथ कोई जायदाद रूपा देकर खरीद किया हो उस की हिफाजत की जाये—अगर शरस मजकूर ने नेकनियती के साथ मामला किया हो और माकूल तहकीकात करने के बाद जायदाद को उस शरस के पाम से हासिल किया हो, कि जिसका उस जायदाद में सिर्फ महरद हक है, तो ऐसी हालत में शरस मजकूर घेखल न किया जावेगा—इस लिये अगर कोई शरस किसी हिन्दू ने से कोई जायदाद खरीद करे और उस ने जरूरत कानूना की माजदगी के बारे मे मुनामिय तहकीकात कर लिया हो तो हालाकि उस की ठीक २ तहकीकात करने मे गलती हुई हो, ताहम वह इस दफा की रू से बचाया जावेगा—उस को यह देखना लाजमी नहीं है कि रूपा किस तरह खर्च किया जाता है [इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३१ सफा १९० उदेचद्र चक्रवर्ती—बनाम आशुटोश मुजुमदार]—

नेकनियती से उम काम का होना क्यास किया जावेगा जो दर असल ईमानदारी के साथ किया गया हो चाहे उस के करने मे सुस्ती हुई हो या नहीं [देखो आम निमो के एक्ट न १० सन १८९७ ई० दफा ३ [२०]—

दफा ३६ जब किसी तीसरे शरस को यह

मे उस जायदाद की आमदानी से वन्चे की तालीम वो हर किरम की तरकी की जाती है—अक्सर इस किस्म की देनगी वो इन्तजाम अगरेजो की बियायत मे हुवा करते है— “इन्तजाम शादी” से मुराद है कि बिना बियाही हिन्दु के लडकी की शादी का खर्चा जो जायदाद मतख्का पर वतौर वार यानी वोश के कायम रहेगा—और ऐसी जायदाद के वारिस की जात खास पर कुछ वोश न रहेगा—मतलब इस का यह है कि जो जायदाद वारिस मनकूर को बजरिये हक विरासत मिली हो, उस मे से न कि उस की किसी दूसरी निज की जायदाद मे से, सरफा शादी वो तरकी का बसूल किया जावेगा

“खरीदार” से मुगद है वह शख्स कि जो जायदाद का कामिल यानी पूरा हक माल लेवे, उससे वह शख्स मुराद नहीं है कि जो किसी का हक मुतेहनी खरीद करे, क्योंकि ऐसा हक सिर्फ हवाला किया जाता है न कि मुन्तकिन होता है—कोई ऐसा खरीदार वतौर खरीदार नेक नियत के न समझा जावेगा कि जिसे इस्तेहकाक में कोई नुकस यानी ऐव होने के बावत इत्तल दी गई और उस ने यह हाल जानबूझकर जायदाद को माल ली हो

दफा ४० जब कोई तीसरा शख्स, अलावा

वोश यानी जिम्मेदारी बावत किसी इस्तेहकाक या हक इस्त-
शर्त इस्तेमाल जमीन फादा के जो उस को दूसरे शख्स

की जायदाद गैर मनकूला पर पहुंचता हो, खुद अपनी जायदाद गैर मनकूला से जियादा फायदा उठाने के लिये ऐसा हक भी रखता हो कि उस दूसरी जायदाद के कबजा वो तसर्फ को रोक देवे या उस के मालिक को एक खास तरिके पर उससे फायदा उठाने को मजबूर करे, या

जब कोई तीसरा शख्स किसी जिम्मेदारी से

फायदा उठाने का मुस्तेहक हो जो माहदा से पैदा होता हो और जायदाद गैर मनकूला की मिल-कियत से ताल्लुक रखती हो मगर वह जायदाद मजकूर में कोई इस्तेहकाक या हक इस्तेफादा की हद तक नहीं पहुंचता हो, तो

जायज है कि ऐसा हक या जिम्मेदारी उस मुन्तकिल अलेह के मुकाबले में जवरन तामील कराया जा सकता है कि जिरको उसका इल्म रहा हो या उस शख्स के मुकाबले में कि जिस ने भूगड़े की जायदाद को, विला अदा करने किसी माविजा के, खरीद किया हो; मगर उस मुन्तकिल अलेह पर हक मजकूर तामील न कराया जावेगा कि जिस ने माविजा अदा करके और बिना जाने ऐसे इस्तेहकाक या जिम्मेदारी के खरीदा हो और न जायदाद मजकूर पर जो ऐसे खरीदार के कब्जा में हो--

तमसील

रामलाल ने मौजा सुलतानपूर के बँचने का माहदा यानी ठहराव रामदत्त के साथ किया—उस माहदा के दौरान में रामलाल ने वही मौजा शिवदत्त के हाथ, कि जिस्को माहदा का हाल मालूम था, बँच डाला—पम रामदत्त को

अखत्यार है कि माहदा की तामील शिवदत्त से उसी मिकदार तक कराए कि जिस मिकदार तक वह रामलाल के मुकाबले में उस की तामील करा सकता है--

त श री ह .

इस दफा के साथ कानून माहदा की दफा १०९ मुसतमना न २ का मिलान करना चाहिये, जिसके रूसे किसी माल के कई शामिलती मालिकों में से कोई एक, जिसके अकेले का माल पर कबजा होवे, दूसरे मालिकों की इजाजत से कुल माल किसी खरीदार नेकनियत के साथ ऐसे हालत में मुन्तकिल कर सकता है कि जिन से माकूल तोर पर यह गुमान पैदा न होता हो कि जिम् शस्स के कबजा में वह माल है उसे उस के बेचने का अखत्यार नहीं है--बमूजिव दफा २७ [ब] कानून दादरसी खास [एकट न १ सन १८७७ ई०] किसी माहदा यानी ठहरान की खास तामील ऐसे शस्स के मुकाबले में कराई जा सकती है कि जो किसी हक के रूसे दानी करता हो और यह हक माहदा के वाद पैदा हुआ हो, सिवाय बमुकाबले उस मुन्तकिल अलैह के जिस ने कीमत देकर जायदाद खरीदी हो और जिस ने रूप्या नेकनियती के साथ और असली माहदा का हाल जानने के बगैर दिया हो-- देखो दफा २४ [३] वो २९ [क] एकट दादरसी खास न १ सन १८७७ ई०

इस दफा के पहिले फिकरा का मतलब तमसीलो के जरिये से बखूबी समझ में आवेगा--तमसील न १ [स] ने कई मकानात मुसम्मी [क] से इस शर्त पर खरीद किये कि वह उन को सिर्फ रहने के काम में इस्तैमाल करेगा और किसी दूसरे रोजगार या कारंवार के कामों में नहीं इस्तैमाल करेगा और न वह उन मकानों के जरिये से [क] के नजदीक पास वाली जायदाद के किरायादारों को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचावेगा-- [स] ने पाँछे से उन्हीं मकानात को ऐसे शरसो को किराया पर दिया कि जो इन कुल शर्तों से बाकिफ थे--तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी हालत में पड़ेदार इन मकानों को रोजगार के कामों में नहीं इस्तैमाल कर सकते--तमसील न २--कुल्लेजर्मान के मालिक ने उस का एक टुकड़ा बेचा और खरीदार से यह शर्त ठहरी थी कि नजदीक का एक टुकड़ा जमीन दोनों के फायदा के वास्ते खुला रखा जावे-- असली खरीदार के पास से जिस शस्स ने यह जमीन माल लिया उस ने इस खुली जमीन पर एक मकान बना लिया कि जिस्की बजह से जमीन मजकूर खुली न रही और

उरसे दोनों फरीकैन फायदा न उठा सकें—मुद्दई की तरफ से नालिज होने पर अदालत ने इस मकान को तुंडवा दिया—तमसील न ३ मुसम्मी [स] ने एरु दरतोज के, जरिये बएवज माविजा कीमती, अपनी औरत मुसम्मात रूपा को, कुल जमीन की आमदनी में से, नकदी रूप्या देने का इकरार किया और उस ने यह भी शर्त किया कि आमदनी में से ऐसी रकम की अदाई का इन्तजाम करने के बगैर वह जमीन मजकूर को कभी मुन्तकिल न करेगा—पीछे से उस ने वह जायदाद [ल] के पग कबजा के साथ बगर्त अदा करने रकम मजकूर के रहन कर दिया—(ल) ने वह जायदाद मुसम्मा [र] के पास रहन रखा, और इस शर्त को जायदाद की जिम्मेदारी का हाल मजूम था—पस ऐसा हालत में तजवीज यह करार पाई कि मुसम्मी [र] मुसम्मात रूपा को नकदी रूप्य, जो मुकरर हो चुका है, अदा किया करेगा—(देखो इ ल रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा १६२ आबादीवेगम—बनाम—आसाराम) .

जो तमसील इस दफा के नीचे दर्ज है उरसे दफा मजकूर के फिकरा न २ का मतलब जाहिर होता है और जो जायदाद गैरमनकूला के बंधे के माहदा के बारे में है—माहदा बंधे जायदाद गैरमनकूला की तारीफ एक्ट इतकाल जायदाद की दफा १४ फिकरा न ९ में दर्ज है—उस दफा में साफ यह लिखा है कि माहदा बंधे की रसे किसी फरीक को जायदाद में कोई इस्तेहाक नहीं पदा होता है

दफा ४१. जब कोई शख्स उन शख्सों की

मालिक जाहिरी की तरफ
से इन्तकाल

रजामन्दी सराही या मानवी से,

कि जो किसी जायदाद गैरमनकूला

में हकदार हों, उस का मालिक जाहिरी हो और उस हैसियत से जायदाद को नकदी माविजा के बदले में मुन्तकिल करदे, तो ऐसा इन्तकाल इस बुनियाद पर मंसूखी के काविल न होगा कि इन्तकाल करने वाला शख्स मुन्तकिल करने का मजाज नहीं था बशर्ते कि मुन्तकिलअलेह ने इस बात के दरयाफ्त

करने की माकूल खबरदारी ली हो कि इन्तकाल करने वाला इन्तकाल करने का अखत्यार रखता था और उस ने साथ नेकनियती के खरीद किया।

त श री ह

यह दफा इस उसूल पर कायम है कि जब कोई शाह्म अपनी जायदाद का किसी दूसरे शरस को जाहिरी मालिक बने दे और चाहे इस बात में उस ने अपनी इजाजत साफ तौर पर जाहिर करके या छुपे तौर पर दी हो, और अगर कोई तीसरा शरस उस जायदाद को जाहिरी मालिक से कीमत के बदले में डम यकीन के साथ मोठले लेवे कि शाह्म मजूर उस जायदाद का अपनी मालिक है तो ऐसी हालत में जिन शाह्म ने उस दूसरे शाह्म को जायदाद का मालिक बने की इजाजत दी वह पीछे से अपना इस्तेहकान उस जायदाद में न कायम कर सकेगा, मियाय इस सूत्र में कि जब यह बतलाया जावे कि खरीदार को उस के इस्तेहकान की इत्तला जाहिरी तार पर या छुपे तौर पर हो गई थी [देखो नजीर प्रिवी कौंसिल बमुकदमा बगाल ला रिपोर्ट जिल्द ११ सफा ५२]—

लब्जों के मायनी:—“मालिक जाहिरी” से वह शरस मुराद है जो मालिक कामिल के पूरे अखत्यारत रखता हो और इस्तेमाल करता हो—“रजामन्दी” की तारीफ कानून माहदा की दफा १३ में की गई है—“जाहिरी या मानवा” से मुराद है साफ तौर पर यानी सब लोगो को जाहिर करके या छुपे तरीके से यानी जाहिरा में कुछ न मालूम होता हो मगर मतलब से कोई बात पाई जाती है—

बेनामी इन्तकाल:—जब एक शरस बेनामीदार जायदाद इन्तकाल करदे और बेनामीदार से, कि जो जायदाद का मालिक जाहिरी है, एक दूसरे शाह्म ने नकदी कीमत देकर, मगर बेनामी इन्तकाल की इत्तला न रखकर, खरीद किया तो ऐसी हालत में तजवीज करार पाई कि खरीदार बमुकदमे असल मालिक और उस के वारिसो के कि जो फरेव में शरीक न थे, महफज रहेंगे [बगाल ला रिपोर्ट जिल्द ११ सफा ५३] इन्तकाल बेनामी यानी डम फरजी से हर ऐसा इतवाल मुराद है जिस के जरिये से जायदाद की मिलकियत अगली मालिक के पास बनी रहती है सिर्फ बराय

नाम बतौर खरीदार की तसौबद की जाती है।

दफा ४२ जब कोई शख्स किसी जायदाद

इन्तकाल ऐसे शख्स की तरफ से कि जिसे पहले इन्तकाल को मसूख करने का अखत्यार हासिल होवे,

गैर मनकूला को मुन्तकिल करे और उस इन्तकाल की मसूखी का अखत्यार अपने हाथ

में रखलेवे, अगर पीछे से वह उसी जायदाद को किसी और शख्स के हाथ माविजा हासिल करने के बाद मुन्तकिल करदे, तो ऐसे दूसरे इन्तकाल का असर वहक मुन्तकिल अलेह यह होगा कि वपान्वन्दी किसी शर्त के, जो उस अखत्यार से मुताल्लुक की गई हो, पहिला इन्तकाल बकदर उस अखत्यार के मसूख समझा जावेगा।

तमसूल।

रामलाल ने एक मकान शिवदत्त को किराया पर दिया और किरायामाना में अपने लिये यह अखत्यार रखा कि अगर किसी खास अमीन, यानी पैमायश करने वाले की राय के मुताबिक शिवदत्त का मकान को ऐसे इस्तेमाल में लाना साबित हो कि जिसे मकान की मालियत घट जाए तो किरायानामा मसूख किया जावेगा—बाद रामलाल ने इस के यह ख्याल कर के कि मकान के इस्तेमाल से उस को नुकसान हुवा है वह मकान शिवलाल को किराया पर दिया—यह कार्रवाई बतौर मसूखी किराया-

नामा शिवदत्त के समझी जावेगी इस शर्त पर कि अमीन की राय ऐसी होवे कि शिवदत्त के मकान का इस्तैमाल करने से उस की कीमत घट गई.

त श री ह.

मतलब इस दफा का यह है कि जब एक शख्स जायदाद गैर मनकूला को इस शर्त के साथ मुन्तकिल करदे कि उसे अखत्यार होगा कि इन्तकाल मजकूर जब चाहे मसूख करदे—ऐसी हालत में अगर वह पीछे से वही जायदाद माविजा लेकर किसी दूसरे शख्स के हाथ मुन्तकिल करदे तो पहिला इन्तकाल मसूख समझा जावेगा और दूसरा इन्तकाल कायम बना रहेगा—लेकिन अगर पहिले इन्तकाल की मनसूखी के वास्ते कोई शर्त मुकरर हो, जैसा कि इस दफा के नीचे लिखी हुई तमसील में बयान किया गया है, तो सिर्फ पिछले इन्तकाल के जोर से पहिले इन्तकाल की मसूखी तसौव्वर न की जावेगी जब तक कि उस शर्त की तामील, कि जो पहिले इन्तकाल की मसूखी के वास्ते हो, पूरी तौर पर न हो जाये.

दफा ४३. जब कोई शख्स अपने तर्ई

ऐसे शख्स गैर मजाज की तरफ से इन्तकाल कि जो पीछे से मुन्तकिल की हुई जायदाद में इस्तेहकाक हासिल करे.

गलती से किसी जायदाद गैर मनकूला के मुन्तकिल करने का मजाज करार दे

और यह जाहिर करे कि उस ने जायदाद मजकूर माविजा के बदले में मुन्तकिल की है तो ऐसे इन्तकाल का असर, मुन्तकिलअलेह की मरजी के मुताबिक उस इस्तेहकाक पर भी होगा जो उस मुद्दत के अन्दर, कि जब तक माहदा इन्तकाल का कायम रहे, इन्तकाल करने वाले को जायदाद मजकूर में हासिल हो जावे.

इस दफा की किसी इबारत से ऐसे मुन्तकिल अलेह के हक में कुछ नुकसान न पहुंचेगा कि जिस ने साथ नेकनियती के माविजा के बदले, मगर अखत्यार मजकूर की इत्तला के बगैर, अमल किया हो.

तमसील.

रामदत्त एक हिन्दू ने, जो अपने बाप मुसम्मी शिवदत्त से अलग हो गया है, शिवलाल के हाथ तीन खेत (अ) (ब) वो (क) नाम के बेंचा यह जाहिर करके कि वह उन खेतों के बेंचने का मजाज है—इन खेतों में से एक खेत इस्मी [क] रामदत्त की मिलकियत नहीं है—इस खेत को शिवदत्त ने वर वक्त बटवाड़ा अपने पास रख छोड़ा था—लेकिन शिवदत्त के मरने पर रामदत्त ने वही खेत बहसियत वारिस के पाया—चूंकि शिवलाल ने माहदा बै का अभी रद्द नहीं किया है इस लिये वह यह दावा कर सक्ता है कि रामदत्त [क] नाम का खेत उस के हवाला कर दे.

त श री ह.

फानून वाजिनियत का आम कायदा यह है कि जब कोई इन्तफाळ करने वाला किसी खास जायदाद को मुन्तकिल करे और उस जायदाद में उस वक्त वह कुछ हक न रखता हो तो मुन्तकिलअलेह को जायदाद मजकूर में उस वक्त इस्तेहकाफ मिलेगा कि जब इतफाळ करने वाला उस में हक हामिल करे—यानी, जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को कोई ऐसी जायदाद बेंचे, कि जिसमें उसका कोई हक नहीं है, मगर

प्रीछे से बेंचने वाले को जायदाद मजकूर चाहे, बजरिये हक्क-निरासत या बजरिये बैनामा या वसीअतनामा या किसी ओर इस्तेहकाफ या दस्तावेज के रस्से कामिल तौर पर मिल जावे, तो ऐसी हालत में वह शाहस वही जायदाद मोल लेने वाले के नाम, इस दफा के बमूजिव, बेंचने के वास्ते मजबूर किया जायेगा—इस दफा के नीचे जो तमसील दर्ज है उस के पढ़ने से दफा का मतलब साफ समझ में आवेगा

लफजों के मायनी:—“गलती से अपने तई मजाज करार देवे” से मुराद है जब बेंचने वाला बजरिये फरेव, धोका वाजी, या गलत बयान करके किसी शाहस को यह यकीन दिलावे कि वह जायदाद के बेंचने का मजाज है [देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ८६४, इ ला रि कलकत्ता जिल्द १० सफा २९६ प्रिवीकौंसिल नजीर]

“मुन्तकिलअलेह की मस्जी पर” इस्का यह मतलब है कि खरीदार चाहे तो जायदाद के मिलने का दावा करे या जायदाद में अपना दागी छोड़ कर बेंचने वाले पर हरजा की नालिश करे—“उस मुदत के अन्दर कि जब तक माहदा इन्तकाल कायम रहे”—इस्का यह मतलब है कि जब तक रिस्ता दरमियान इन्तकाल करने वाला वो मुन्तकिलअलेह के बना रहे—अगर ऐसा रिस्ता बजरिये रजामन्दी आपुसी या बजरिये मसूखी माहदा के तोड़ दिया जाये या उसका तसफिया किसी और तरीक पर हो जाये तो इस दफा के मुताबिक कार्रवाई न की जावेगी—जो माहदा किसी डिगरी में शामिल हो जाये वह बेअसर उस वक्त तक न होगा कि जब तक डिगरी की अदाई न होले [इ ला रि मदरास जिल्द १८ सफा ४९९, इ ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा २५३]—

“इन्तकाल करने वाला”—इस दफा के बमूजिव इन्तकाल करने वाले में वह शाहस भी दाखिल है जो उस के जरिये से, न कि उस के बराखिलाफ, दावी करता हो और उस में नेकनियती के साथ खरीद करने वाला शाहस भी शामिल है (देखो एकट दादरसी सास दफा २७ जिमन [व] वो (क)—

मियाद:—अलाहाबाद की हाई कोर्ट ने यह तजरीज की है कि ऐसी नालिशत में मद्र-१३६ या १४४ जमीमा २ एकट मियाद के लागू होगा जिसके रू से उस तारीख से चार साल की मियाद मिलती है कि जब इन्तकाल करने वाला अब्बल

मर्तवा कब्जा पाने का मुस्तहक हो जाये या जब उस का कब्जा बमुकाबले मुत्तकिल अलेह के मुत्तकिलफ यानी निरुद्ध हो जाये [ड ला रि अलावाद जिल्द २ सफा ७१८ शिबप्रसाद-ब्रनाम-उदेसिंह]-

दफा ४४. जब दो या जियादा मालिकान

इन्तकाल एक हिस्से
दार की तरफ से

जायदाद गैर मनकूला में से कोई
एक हिस्से दार, जो कानून के मुता-

बिक इन्तकाल करने का मजाज हो, जायदाद मज-
कूर में बकदर अपने हिस्सा के या उस जायदाद
में अपना कोई इस्तेहकाक मुन्तकिल करदे तो ऐसा
हिस्सा या इस्तेहकाक के निसबत और जहां तक
इन्तकाल मजकूर को असर पहुंचाने के लिये जरूर
है, मुन्तकिल अलेह को इन्तकाल करने वाले का
हक बावत पाने कब्जा शामलाती या मुनाफा शाम-
लाती या जुज मुनाफा शामलाती जायदाद मजकूर
के और हक उस के तकसीम करा लेने का हासिल
हो जाता है; मगर बपावन्दी उन शर्तों वो जिम्मेदा-
रियों के जो इन्तकाल की तारीख को मुन्तकिल
किया हुवा हिस्सा या इस्तेहकाक से ताहुक रखती
थी-

अगर मुन्तकिल अलेह किसी हिस्सा मकान
सकूनती का, जो विना बटे खानदान की मिलकियत

हो, उस खानदान का शरीकदार न हो, तो इस दफा की किसी इबारत के रू से शरूस मजकूर को उस मकान के कब्जा शामलाती या इस्तैमाल शामलाती या उस के किसी हिस्से के कब्जा या इस्तैमाल का हक़ हासिल न होगा—

त श री ह.

इस दफा का मतलब यह है कि जब किसी जायदाद के कई एक शरूस मालिक हों, अगर उन में से कोई एक, जो इन्तकाल करने का अख्तियार रखता है, अपना हिस्सा उसी जायदाद में का किसी दूसरे शरूस के नाम मुन्तकिल करदे तो इस दफा के बमूजिव मुन्तकिलअलेह को जायदाद मजकूर में मिसल इन्तकाल करने वाले के कुल हक़ मिलेगा, बल्कि वह अपने हिस्से को, बजरिये-बटवाडा कुल जायदाद के, अलग करा सकता है—इस दफा का दूसरा फिकरा इस उस्ूल पर कायम किया गया है कि जब मुन्तकिलअलेह दूसरे मजहब का या दूसरी जात का होवे, अगर उसे मकान खानदानी पर शामलाती कब्जा दिलाया जावेगा तो लडाईं तकरार वी अमन चमन में नुक्स पडने का अदेशा रहेगा

कब्जा शामलाती—इस दफा के बमूजिव किसी जायदाद के कोई हिस्से वा खरीदार कब्जा शामलाती हासिल करने का या जायदाद मजकूर का बटवाडा कराने का मुस्तहक़ है—मगर प्रिवी कौंसिल ने एक मुकदमा में यह तजवीज की है कि “अगर किसी जमीन के दो या जियादा शामलाती जोतदार हो और उन में से एक यानी मुसम्मी [अ] जमीन मजकूर के किसी खास हिस्से पर कब्जा वाकई रखता है और उस में उस ने वाजबी तरीके पर इस तरह से काइत शुरू करदी हो कि मानों वह उसी की अल्हदा मिलकियत है, वो जमीन मजकूर का दूसरा शामलाती जोतदार मुसम्मी [ब] जमीन के उसी टुकडे में आकर इस किस्म की काइत शुरू करे कि जो [अ] की काइत के बरखिलाफ़ हो और जिस्से [अ] की काइतकारी में बहुत नुकसान पहुचे—पस ऐसी हालत में अगर [अ] [ब] को उस टुकडा जमीन में आने से रोके और इस रक़ायट से उस की नियत (ब) के इस्तैहकाक

से इकार करने की न हो बल्कि उस की नियत हो कि जो काय्तकारी उस ने उस टुकड़े में शुरू की है वह जारी रखी जाये, तो ऐसी हालत में (अ) की ऐसी कार्रवाई से [ब] शामिलती कबजा की डिगरी पाने का हकदार न तमोब्वर, किया जायेगा (इ ला रि जिल्द १८ कलकत्ता सफा १० वो २१ वो २२ वाटसन-बनाम-रामचद) एक दूसरे मुकदमा में यह तजनीज करार पाई है कि ऊपर लिखी सूरत में हिस्सेदार सिर्फ बटवाडा जायदाद का मुस्तहक होगा न कि टीगर शरीकदारों के साथ कबजा शामिलती के पाने का (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा १७२, १८५ पलकधारी-बनाम-मानर्स) लेकिन एक हाल के मुकदमा में हाई कोर्ट की यह राय हुई कि जब कोई हिस्सेदार मालगुजार मौरूसी जमीन खरीद करे तो इस खरीदी के रू से वह जमीन मजकूर का कबजा शामिलती दिला पाने की नालिश दायर कर सकेगा अलावा उस का हक निसबत करा पाने बटवाडा के [इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५५३ दिलावर सरदार-बनाम-हुसेनअली] लेकिन ऐसे मुकदमा मे यह साबित किया जा सकता है कि वह, जिस से मुद्दई ने हक हासिल किया है, जायदाद के किसी खास रकबा का कबजा शामिलती पाने का मुस्तहक न था या यह कि उस का दावा बावत कबजा जियादा अरसा गुजर जाने की वजह से बेरू मियाद हो गया [इ ला रि, अलाहाबाद जिल्द १७, सफा ४२३ महुमदहुसन-बनाम-बट्टीप्रसाद]

दफा ४५ जब कोई जायदाद गैर मनकूला,

शामलाती इतकाल माविजा के बदले में

बएवज माविजा, दो या जियादा शरखों के नाम मुन्तकिल

की जावे और ऐसे माविजा की रकम ऐसी पूंजी में से दी जावे जो उन का माल शामिलती हो, तो दर सूरत न होने कोई माहदा यानी ठहराव बराखिलाफ इस के, वे शरख जायदाद मजकूर में करीब करीब उसी कदर हक पाने के मुस्तहक होंगे कि जिस कदर हिस्सा, उन का उस पूंजी में था;

और अगर माविजा का रूप्या उन लोगों की अलग अलग पूंजी में दिया जावे तो, दर सूरत न होने कोई ठहराव बरखिलाफ इसके, वे लोग इन्तकाल की हुई जायदाद में उसी हिसाब से हुकूक पाने के मुस्तहक होंगे कि जिस हिसाब से उन्होंने ने अपने अपने जिम्मे का माविजा के रूप्या का हिस्सा अदा किया---

अगर इस बात की कूछ शहादत न हो कि हर एक को पूंजी में कितना कितना हक पहुंचता है या यह कि उन लोगों ने माविजा के रूप्या का कितना कितना हिस्सा अदा किया, तो इन शर्हों के निसबत यह क्यास किया जावेगा कि उन के हुकूक जायदाद में बराबर है--

त श री ह

इस दफा से यह जाहिर होता है कि जिन दो या दो से जियादा शर्हस कोई जायदाद गैरमनकूला रूप्या देकर खरीद करे और माविजा का रूप्या उन की किसी शामलाती पूजी में से अदा किया जाये तो जब तक इस के बर खिलाफ कोई सास माहदा न साधित किया जाये तब तक यह तमौब्वर किया जायेगा कि उन लोगों का जायदाद मजकूर में उतना ही हक है कि जितना हिस्सा उन का शामलाती पूजी में था--मसलन रामलाल वो रामरूप की एक शामलाती पूजी है जिसमें रामलाल का दस हजार रूप्या है वो रामरूप का सिर्फ दो हजार रूप्या जमा है--इन दोनों ने मिलकर एक जायदाद एक हजार रूप्या में खरीद किया और शामलाती पूजी में से खरीदी का रूप्या

अदा किया गया—ऐसी हालत में खरीद की हुई जायदाद में रामरूप का हिस्सा रामलाल के हिस्से का पाचमा होगा—अगर खरीदी का रूप्या खरीदारों ने अपनी निजी जो अलाहादा अलाहादा पूजा में से अदा किया हो तो जितना रूप्या जिस्का लगा हो उसी हिस्सा से उस जायदाद में उस का हक रहेगा—मसलन रामदत्त व शिमदत्त ने मिलकर एक जायदाद तीन सब रूप्या में खरीद किये—इसमें रामदत्त का दो सय रूप्या लगा और शिमदत्त का एक सय रूप्या खर्च हुआ—इस हालत में शिमदत्त, कुल जायदाद का तीहाई हिस्सा पायेगा। वो रामदत्त को दो तिहाई हिस्सा मिलेगा—लेकिन अगर यह न मालूम होता हो कि हर एक खरीदार का कितना कितना रूप्या जायदाद की खरीदी में लगा और न यह पाया जाता हो कि जायदाद शामिलती पूजा से खरीदी की गई या नहीं तो ऐसी सूरत में हर एक खरीदार को मोल ली हुई जायदाद में बराबर बराबर हक हासिल होगा—

दफा ४६ जब कोई जायदाद गैर मनकूला,

माविजा के बदले इन्तकाल उन बिएचल माविजा के ऐसे शर्तों की तरफ से जो जुदा जुदा हक रखते हैं शरतों की तरफ से मुन्तकिल की जावे कि जिन का जायदाद मजकूर में अलग अलग हक हो, तो दर सूरत न होने कोई माहदा बरखिलाफ इस के इन्तकाल करने वाले उस हालत में माविजा की रकम में बराबर बराबर हिस्सा पाने के मुस्तहक होंगे कि जब जायदाद में उन के हुकूक बराबर मालियत के हों; लेकिन जब ऐसे हुकूक बराबर मालियत के न हों तो उन को हिस्सा रसदी के मुताबिक हकीयत की मालियत पर माविजा की रकम मिलेगी—

तमसीले

(अ) शिवदत्त मौजा सुलतान पूर के श्राधे हिस्से का मालिक है और रामदत्त वो रामलाल दोनों का चौथाई चौथाई हिस्सा मौजा मजकूर में है-इन लोगों ने इस मौजा का तबादला बएवज चौथाई हिस्सा मौजा लालपूरा के किया-जो कि इस के बरखिलाफ कोई इकरार नहीं है इस लिये शिवदत्त मुस्तहक है कि मौजा लालपूरा का आठवां हिस्सा वो रामदत्त और रामलाल मुस्तहक है कि मौजा मजकूर में हर एक सोलवां हिस्सा पावे.

(ब) रामदत्त ने कि मौजा अतराही में हीन हयाती हक रखता है और जिस्के कि रामलाल वो शिवदत्त रामदत्त के मरने पर मालिक होंगे एक हजार रूप्या के बदले में मौजा मजकूर बेंचडाला दरयाफत हुवा कि रामदत्त का हीन हयाती हक छे सब रूप्या की मालियत रखता है और राम

त श री ह

इस दफा से यह जाहिर होता है कि शिवदत्त

दाद गैरमनकूला रूप्या देकर
छाती पूजी में से अदा कि
न साबित किया

मजकूर

मौजा की मालियत

मुस्तहक है कि

शिवदत्त वो

सब रूप्या लेवे

शिवदत्त
रूप्या

हो—इस दफा से सिर्फ यह मायूस होता है कि ऐसे इन्तकाल के मामिला की रकम का कितना कितना हिस्सा इन्तकाल करने वालों को मिलेगा—कानून इगलिस्थान के रू से यह तर्जोर्ज है कि मालियत हक हीन-हयाती वो हक पस मान्दगी की जो एकजार्द रकम के बदले में इकठे बेचे जायें, अलाहादा अलाहादा तखमीन करना चाहिये—ऐसा नहीं करना चाहिये कि एक हक की मालियत का तखमीन करके उसे दोनो हक की पूरी मालियत में से घटा देना और जो कुछ बाकी बचे वह दूसरे हक की मालियत समझी जाये [देखो केन्सरी डिवीजन, रिपोर्ट जिब्द ४ सफा ८०२]

117 लपजों के मायनी:—“हक हीन हयाती” से वह हक मुराद है जो किसी शरस को उस के जीते जी तक मिलता है, जैसे बेवा का हक उस के खाविन्द की जायदाद में हीन हयाती समझा जाता है क्योंकि उस के मरने के बाद हक मजकूर उस के खाविन्द के वारिसों को मिलेगा—“हक पस मान्दगी” यह हक है जो एक शरस के मरने के बाद या एक शरस का हक जायल हो जाने के बाद दूसरे शरस को वही हक मिलता है—“माहदा” मायनी ठहराव, कौल करार—“बरखिलाफ” के मायनी रिब्त—“तनाददा”—से मतलब है एक चीज देकर दूसरी चीज लेना, यानी ज़ीजों का बदला बदल करना—

अलाहादा अलाहादा हक:—हर जायदाद में दो किस्म के हक होते हैं, यानी [१] अलाहादा हक [२] शामिलती हक—अजरह्य कानून इगलिस्थान शादी वाली औरत का उसकी जायदाद में अलहदा हक है, उस के खाविन्द का उसकी जायदाद में शामिलती हक नहीं है—अगर कोई हिन्दू शरस एक से जियादा बेवा छोड़कर मर जावे तो अजरह्य कानून धर्मशास्त्र उस की बेवों को उन के खाविन्द की जायदाद में शामिलती हक मिलेगा, न कि अलहदा हक, इस लिये उन सब को इतकाल करते वक शामिल होना चाहिये (इ लो रि अलाहादाद—जिब्द ७ सफा ११४ रामप्यारी—बनाम—मूलचद)

दफा ४७. जब किसी जायदाद गैर मनकूला

हिस्सेदारों की तरफ से शामिलती हिस्सा का इन्तकाल

के चंद हिस्सेदार लोग जायदाद मजकूर का कोई हिस्सा मुन्तकिल

करें और इस बात की सराहत न करें कि वह इन्तकाल इन्तकाल करने वालों के किसी खास हिस्सा या हिस्सों पर असर रखेगा, तो दरमियान ऐसे इन्तकाल करने वालों के, जब उन के हिस्से बराबर बराबर हों, ऐसा इन्तकाल कुल हिस्सों पर बराबर असर रखेगा और जब वे हिस्से बराबर न हों तो इन्तकाल मजकूर हर हिस्सा पर उस की मिकदार के मुताबिक असर रखेगा.

तमसील.

रामदत्त ने, कि जो मौजा सुलतानपुर में आठ आना का हिस्सेदार है, शिवदत्त वो रामलाल के साथ शामिल होकर, कि जो हर एक मौजा मजकूर में चार चार आना के मालिक हैं, उस मौजा में दो आना हिस्सा बनाम राम सेवक के मुन्तकिल कर दिये बगैर साफ करने इस असर के कि उन कई हिस्सों में से किस हिस्सा से इन्तकाल किया जाता है—पस इस बिकरी के मामले को पूरा करने के लिये रामदत्त के हिस्से से एक आना वो शिवदत्त और रामलाल के

दिया जावेगा—

में

आध आना

इस दफा

ऊपर

हो जावेगा—

का

हिसा जायदाद हर एक इन्तकाल करने वाले के होगा न कि बकदर तादाद रकम मारिजा की जो हर एक को माना बाजिव हो-एफजे " सराहत" के मायनी " साफ कर देने" के है—

दफा ४८: जब कोई शरूस बजरिये इन्तकाल अलग अलग वक्तों पर एक ही जायदाद गैर मनकूला में या उस के वाबत हुकूक कायम करे और यह गैर मुमकिन हो कि वे सब हुकूक एक ही वक्त कायम रह सकें या उन का पूरे तौर पर इस्तेमाल एक ही वक्त हो सके, तो हर एक पीछे से कायम किया हुवा हक, दर सूरत न होने कोई खास इकरार या जिम्मेदारी जिसके जरिये से पेशतर के मुन्ताकिल अलेह बांधे गये हों, तावे यानी आधीन उन हकों का रहेगा जो पेशतर कायम किये गये हैं—

त श री ह

जो हक इस दफा के रू से एक शरूस के नाम मुन्ताकिल किया जावे वह ऐसा न हो कि उस के जरिये से जायदाद की पूरी हकीयत शरम मजकूर को मिल जावे-अगर ऐसा हक इन्तकाल किया गया हो तो यह दफा लागू न होगी क्योंकि जब एक शरूस ने इन्तकाल के रू में पूरी हकीयत जायदाद की ले लीया तो इन्तकाल करने वाले के पास दुबारा इन्तकाल करने के वास्ते कोई हक नहीं रह गया-इस दफा को गैर के साथ पढ़ने से यह भी मालूम होता है कि उस के धमजिव कारिबाई उस हालत में की जायगी कि जब दोनों हुकूक यानी अगल हक को पिछला हक एक दूसरे के बरखिलाफ न हो-मसलन, जब कोई जायदाद एक शरूस के पास पहिले रहन की गई और फिर पीछे से वही जायदाद दूसरे शरूस

के नाम बेची गई हो, तो ऐसी सूत में यह दफा लागू न होगी, क्योंकि इस सूत में खरीदार ने इनफिकाक रहन का हक खरीद किया है और यह हक व. रहन हक दोनों एक ही साथ इकोठे कायम रह सकते हैं—इसी तरह माहदा वै. वै. कुछ मुखाबफत नहीं है, क्योंकि माहदा वै की रू से जायदाद में कोई हक न पहुँचता है [देखो दफा १५४, एकट इन्तकाल, जायदाद] इसी तरह पर बैनाम विला रजिस्ट्री के रू से, जहाँ उस की रजिस्ट्री लाजमी हो, खरीदार को कुछ नहीं मिल है, इस लिये वह वमुकाबले खरीदार जायदाद मजकूर अजरूय बैनामा रजिस्ट्री शुदा के कुछ न पावेगा [ड ला रि बम्बई जिल्द ४ सफा १२७ वामन रामचन्द्रनाम—दोडिवा, ड ला रि कलकत्ता जिल्द १० सफा ३५०; ड ला रि अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ५४०] लेकिन अगर खरीदार अजरूय बैनामा रजिस्ट्री शुदा पहिले वै की इत्तल मिल चुकी हो तो ऊपर लिखा हुआ कायदा लागू नहीं होगा [मुसतसना अपील जिल्द ४ सफा १५३]

मुसतसना:—याद रखना चाहिये कि जो कायदा कानून को इस दफा में दर्ज है वह उस मुसतसना के तमि है कि जो इसी एकट की दफा ७८ बयान किया गया है, जिन्ही मुनशा यह है कि जब अगले मुन्तकिल अलेह वै फरेव, गलत बयानी या भारी सुस्ती की वजह से दूसरा शरूत इन्तकाल करने वाले को जायदाद मरहूना के एतबार पर रूय्या दे देवे तो ऐसी हालत में अगले रहनदार का हक, हालाकि वह पेशतर का है, वमुकाबले पिछले रहनदार के कुछ अस नहीं रखेगा—एक मुकदमा में पहिले रहनदार यानी मुतहिन ने पिछले रहन नाम में अपनी गवाही डाली थी ऐसी हालत में जो इस अमर का सबूत नहीं है कि उसे पिछले रहन नामा का मजमून पूरे तौर पर मालूम हो गया, ताहम क्यास यह होता है कि उसे रहन नामा का मजमून जरूर मालूम हो गया होगा, इस लिये उस के रहन का असर वमुकाबले पिछले रहनदार के कुछ नहीं होगा [देखो ला रिपोर्ट प्रोवेट डिप्रीजन जिल्द १ सफा ३९४, नजीर इगलिस्थान की] एक मुकदमा में यह पाया गया कि खरीदार अजरूय बैनामा रजिस्ट्री शुदा उस वक्त हाजिर था कि जब खरीदार वजीरिये बैनामा विला रजिस्ट्री शुदा को जायदाद का कवजा दिया गया, तो ऐसी हालत वै रजिस्ट्री वमुकाबले वै विला रजिस्ट्री के बेअसर तसौबूर किया गया [सी पी ला रि जिल्द ९ सफा ९७ सोमनाथ—दास—बनाम—सिधू]

असर दस्तावेज:—एक दस्तावेज का असर तारीख तहरीर से होता है, अगर उस की रजिस्टरी लाजमी हो ताहम तहरीर की तारीख से उस का असर होगा न कि तारीख रजिस्टरी से [देखो दफा ४७ एकट रजिस्टरी न ३ सन १८७७ ई० वो ड ला रि कम्बई जिल्द ८ सफा १८२] एक मुकदमा में दस्तावेज तहरीर किये जाने के बाद अगर उस की रजिस्टरी होने के पेंतर गुम हो गया और उसकी जगह पर दूसरा दस्तावेज लिखा गया—जायदाद के मादिक ने इन दोनों तारीखों के दरमियान नही जायदाद दूसरे गरस के नाम बेच डाला जिस्को पहले व का हाथ मादम था—तजनीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि पहला खरीदार अपने बेनामा की रु से डिगरी पाने का हकदार है [देखो इ ला रि मद्रास जिल्द २० सफा २९०]

दफा ४६: जब कोई जायदाद गैर मनकूला बीमा के रु से मुन्तकिल माविजा के बदले मुन्तकिल की गई हो और ऐसी जायदाद या उसी के किसी हिस्सा का बीमा तारीख इन्तकाल पर चावत नुकसानी या हरजा वजरिये लगाने आग के हो गया हो तो ऐसी नुकसानी या हरजा वकूअ में आने की सुरत में मुन्तकिल अलेह को अखत्यार होगा कि अगर फरीकत के दरमियान कोई माहदा बरखिलाफ इसके न हुवा हो तो वह रूप्या जो पालिसी यानी इकरारनामा बीमा की रु से इन्तकाल करने वाले को हकीकत में पावे या उस का कोई हिस्सा (जिस कदर जरूरत पड़े) जायदाद को असली हैसियत में लाने के लिये खर्च करे—

(४) त श री ह
 यह दफा उस हालत में कारबामद होगा कि जब इन्तकाल की हुई जायदाद का

बीमा हो चुका है यानी जब किसी ने इस बात का जिम्मा लिया हो या इकरार किया हो कि अगर जायदाद आग से जल कर नुकसान हो जावेगी तो कुल रूप्या नुकसान का भर दिया जावेगा—पुस जब कि जायदाद का बीमा इस तौर पर हो गया है और इन्तकाल की तराख को बीमा का इकरार कायम हो तो, अगर दर असल आग लगने के सवत्र जायदाद नुकसान हो जाये, तो जिस शख्स ने जायदाद बजरिये इन्तकाल ली हो उसे अखत्यार होगा कि जो कुल रूप्या इन्तकाल करने वाले को बजरिये इकरार बीमा मिला हो वह कुल, या जितने क्री जरूरत हो, जायदाद को उस की असली हालत में लाने के वास्ते खर्च करे क्योंकि आम उम्मूले कानून का यह है कि जायदाद के लेने वाले को वही हक मिलता है कि जो इन्तकाल करने वाले को हासिल था—

दफा ५०. कोई शख्स वावंत जर लगान

लगान जो नेक नियती से ऐसे या मुनाफा किसी जायदाद गैर शख्स को दिया गया हो जो बजरिये हक नाकिस काबिजे हो **मनकूला**, जो उस ने नेकनियती के साथ ऐसे शख्स को अदा या हवाला किया हो कि जिस्से उस ने जायदाद मजकूर नेकनियती से हासिल की हो, जिम्मेदार न होगा गो पछि से यह जाहिर हो जाए कि वह शख्स जिस्को ऐसा जरलगान या मुनाफा अदा या हवाला किया गया हो उस के लेने का हकदार न था.

तमसिल:

मुसम्मी (अ) ने एक खेत पचास रूप्या लगान पर (ब) को ठेके पर दिया और बाद में उस ने वही खेत (क) के नाम मुन्तकिल कर दिया—(ब) को उस इन्तकाल से कुछ खबर नहीं है—अगर वह नेकनियती के साथ

लगान मजकूर (अ) को अंदा करे तो वह यानी (ब)

ऐसे पेटाए हुए लगान का जिम्मेदार न होगा—

त शरी ह.

मतलब इस दफा का यह है कि जब कोई शख्स नेकनियती के साथ किसी शख्स की तरफ से कबजा किसी जायदाद गरमनकूला का हासिल करे और नेकनियती से उस शख्स को लगान या मुनाफा उस जायदाद का अदा करे तो वह इस वजह से जिम्मेदार न होगा कि उस शख्स को, जिसको कि उस ने लगान या मुनाफा अदा किया, उस के पाने का हक नहीं था—मगर याद रखना चाहिये कि जो कायदा कानून इस दफा में दर्ज है वह ऐसे कबजादार वो जोतदार के बचाव के लिये है कि जिस ने नेकनियती के साथ अपनी जमीन का लगान अपने मालिक जमीन को अदा कर दिया हो और जिसे इन्तकाल का हाल कुछ-न मालूम हो [इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा ८७ व १०१ अलीमुद्दीनखा—बनाम—हीरालाल सेन] लेकिन जिस शख्स को लगान का रूप्या मिला है उसे ऐसे रूप्या को अपने पास रखने का कुछ हक नहीं है और न वह शख्स कि जो रूप्या मजकूर के पाने का हकदार हो वजरिये नाद्विश वसूल करने से मना किया जावेगा

दफा ५१. जब किसी जायदाद गरमन-

तरकी हैसियत जायदाद गरमनकूला जो नेकनियत काविज ने की हो मगर जिस्का हक नाकिस होवे

कूला का मुन्तकिल अलेह उस में कोई तरकी का काम करे नेकनियती के साथ यह

समझ कर कि वह जायदाद मजकूर में मिलाकियत का पूरा हक रखता है और वह पीछे से ऐसे शख्स की तरफ से बेदखल किया जावे जिस्का हक उस जायदाद में बढ़कर हो, तो मुन्तकिल अलेह को यह दावा करने का अखत्यार होगा कि जो शख्स उस

को बेदखल करे वह तरकी का तखमीना सही तैय्यार करा कर उस की मालियत मुन्तकिलअलेह को अदा करदे या उस का इतमीनान करादे, या कि जायदाद में जो हक उस को हासिल हो उस कदर कीमत पर मुन्तकिलअलेह के नाम बेच डाले जो उस वक्त उस की बाजारी कीमत होवे, विला लिहाज मालियत ऐसी तरकी के—

वह तादाद कि जो बावत तरकी के अदा होनी चाहिये या जिस्का इतमीनान होना चाहिये उसी कदर होगी कि जो बेदखली के वक्त उस की तखमीना की हुई मालियत रही हो.

जब ऊपर लिखी हालतों में मुन्तकिलअलेह ने जायदाद पर ऐसी फसलें लगाई या बोई हो जो उस की बेदखली के वक्त उरपर खड़ी हो तो वह ऐसी फसलों का मुस्तहक होगा और उस के जमा करने वाले जाने के लिये जमीन पर विला रोक टोक आने जाने का भी मुस्तहक है.

त श सी ह

इस दफा को मतलब यह है कि जब कोई शख्त किसी जायदाद गैर मनकूला पर अजरिये इन्तकाळ कबजा हासिल करे और खुद अपने को उस जायदाद का नेकनियती

के साथ कामिल मालिक समझ कर उस में कुछ ऐसी तरकी करे कि जिसे जायदाद की हेसियत बटजावे तो ऐसी हालत में अगर उस को कोई दूसरा शर्त्स, कि जिस्का उस जायदाद में उससे बढकर हक हो, बेदखल करदे तो वह शर्त्स, यानी जो बेदखल निया जावे, दो किस्म के दानी कर सकता है, यानी—[१] यह कि जो तरकी उस ने जायदाद में की है उस की कीमत उसे दिखनाई जावे, [२] यह कि बेदखल करने वाले का इस्तेहकाफ उस का बाज़ार कीमत पर उसी के हाथ बेच दिया जावे—इस दफा में लिखा हुआ कायदा सिर्फ उसी मूरत में लागू होगा कि जब तरकी करने वाला शर्त्स नेकनियती के साथ यह मकीन करता हो कि वह कामिल तौर पर जायदाद मजकूर का मालिक है—अगर बाकैआत व हालत मुकदमा से यह पाया जावे कि तरकी करने वाले को जरूर मान्य हुआ होगा कि उस का कज्जा फरेबी है तो वह इस दफा के बमोजिव कोई फायदा पाने का मुस्तहक न होगा [३ ला रि बम्बई जिल्द ५ सफा ४९० सदाशिव—बनाम—ढाकूवाई] तरकी करने वाले शर्त्स की नेकनियती का सबूत हालत मुकदमा से निकालना चाहिये (कलकत्ता ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफा १९४)

तरकी:—इस लफ्ज की तारीफ इस एक्ट में कहीं नहीं की गई है; मगर जो तारीफ लफ्ज मजकूर की एक्ट कायतकारी बगाल वो मध्य प्रदेश में दर्ज है उस के हसे हर ऐसा काम तरकी मे दाखिल है जिस्के जरिये से जमीन की हेसियत बटजावे यानी वह बनिसबत पहले के जियादा रूप्या पर ठेके से दिये जाने के काबिल हो जावे या उसमें पहले के बनिसबत जियादा पैदावार हुआ करे—मसलन कुना खोदना या तालाब बनाना इस गरज से कि जमीन की उससे आवपाशी हो या जमीन में किनी मुकाम से पानी की नहर खाना.

।- जब कोई मुर्तहिन, जो जायदाद भरहना का कज्जा पाने का मुस्तहक न हो मगर वह उस में कुछ तरकी करे तो इस सूरत में उसे रहिन से बढकर हेनियत न मिलेगी जिसे अदालतार है कि जितना चाहें उतना रूप्या उस जायदाद में खर्च करे [३ ला रि मद्रास जिल्द २० सफा १२० व १२३] अगर डिगरी बँबत में मुर्तहिन को तरकी के बानन माविजा दिलाया जावे और फाटे में यह मान्य हो कि डिगरी सादिर होने के बाद तरकी का कुछ हिस्सा तद गया है या बन्द हो गया है तो ऐसी हालत में जो फरीक उस के फायदा का मुस्तहक हो पर उन के

कीमत की दुबारा तशखीस कराने का दावी कर सक्ता है [इ ला रि मद्रास जिल्द १० सफा ३६७, वो इ ला रि मद्रास जिल्द २० सफा १२४ व १२६] जिस फरीफ ने जायदाद में तरक्की की है वह सिर्फ उसी तरक्की के बाबत माविजा पाने का हकदार है जो माकूल तौर पर अच्छी हालत में हो और बिगडी हालत में न हो [इ ला रि जिल्द २० सफा १२८].

जब कोई शास्स ऐसे हालात में खामोशी अखत्यार करके चुपचाप बैठ रहे कि जिस्से दूसरे शास्स को इस बात का यकीन हो जाए कि कोई ठेका जो काबिल ख है जायज मसज्जा जावेगा और ऐसी हालत में अगर ठेकेदार ठेका की जमीन में कुछ तरक्की करे तो इस तरक्की के निसबत ठेकेदार माविजा पाने का मुस्तहक होगा [इ ला रि बम्बई जिल्द २१ सफा ७४९, बगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफा १८, अपील, मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ४ सफा ३१२, इ ला रि बम्बई जिल्द १९ सफा ७१, इ ला रि बम्बई जिल्द १७ सफा ७३६, वो इ ला रि मद्रास जिल्द १२ सफा ३२०] अगर कोई काश्तकार अपने मालिक जमीन की धरती पर कोई मकान बनावे तो इस के बाबत वह माविजा का दावा नहीं कर सकता है (इ ला रि बम्बई जिल्द २० सफा १).

इस दफा की इवारत से साफ यह जाहिर होता है कि सिर्फ उसी हालत में जायदाद गैर मनकूला के हिसियत की तरक्की के बाबत कीमत दिलाई जा सकती है कि जब वह तरक्की नेकनियती के साथ और इस्तेहकाक की मजबूती के ख्याल से की गई हो—लेकिन जब एक शास्स अपने इस्तेहकाक के नुकस को जान कर जमीन में कोई इमारत रखे तो वह उस इमारत की कीमत का मुस्तहक न होगा—रामदत्त ने यह जान कर कि शिनदत्त एक जमीन का दावीदार है उस जमीन को खरीद करके उसपर एक बगला बनावे—लेकिन शिनदत्त ने बगला बनाने की मनाई नहीं की—नजबीज हाई कोर्ट फरार पाई कि अगरचे उसूल कानून इगलिस्थान की रस्से रामदत्त को जमीन मय बगला के मिलना चाहिये मगर बाछिहाज हालत हिन्दुस्थान रामदत्त को इस अमर की इजाजत मिलना चाहिये कि वह अपना बनाया हुआ बगला खोदकर ले जावे—[बम्बई रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ८०, नारायण—बनाम—भोलगिर]

दफा ५२ जब कोई ऐसा मुकदमा या मामला

इन्तकाल जायदाद दौरान
नालिश जो उस जायदाद
से मुताल्लक हो

जिस्में भूगड़ा निसबत किसी
इस्तेहकाक जायदाद गैर मनकूला
साफ तौर पर या खास तौर पर हो और जिस्में
मुदायलेह जवाब देही ऐसी अदालत में करता हो
जो सरकारी हिन्दुस्थान के अन्दर हुकूमत रखती
हो या बमूजिव हुकम जनाव गवर्नर जनरल बहादुर
ब इजलाम कौंसिल सरकारी हिन्दुस्थान के बाहर
कायम हुई हो, दाखिल हो तो जब तक फरीकैन
उस की पैरवी में सरगर्मी के साथ लगे रहें तब
तक किसी फरीक को अखत्यार न होगा कि जायदाद
मजकूर को मुन्तकिल या और तौर पर उस के
निसबत ऐसी कार्रवाई करे जिस्से किसी फरीक
सानी के हकों में, जो किसी डिगरी या हुकम की
रू से हासिल हुए हों जो उस मुकदमा में सादिर
हुवा हो, नुकसान पहुंचे, सिवाय उस सूरत में कि
जब ऐसा इन्तकाल अदालत के हुकम से या मुता-
विक उन शरतों के हो जो अदालत तजवीज करे-

त श री ह.

जो कायदा कानून इस दफा में बयान किया गया है उसे कायदा "दौरान
नालिश" कहते हैं, और वह इस उसूल पर कायम है कि जब तक किसी मुकदमा
की कार्रवाई अदालत में जारी रहे इगडे की जायदाद का इन्तकाल इट तसाल्वर

किया जायेगा, क्योंकि अगर ऐसा इन्तकाल जायजमान लिया जावे तो कभी कोई मुकदमा खतम न होगा—याद रखना इस बात का जरूर है कि यह कायदा सिर्फ जायदाद पर मनकूला से ताल्लुक रखता है और हिन्दू व मुसलमान दोनों कौम के लोग उस के पाबन्द होते हैं—[इ. लॉ. रि. बम्बई जिन्द ६ संफा १६८.]

कायदा "दौरान नालिश" ऐसे इन्तकाल से ताल्लुक रखता है जो "रेन टुकूक" के बराबरी का है—जिसे मुकदमा में डिगरी के रूप से कायम किया गये हो—[इ. लॉ. रि. मद्रास जिन्द ५ संफा ३७१.] इस छिपे खरीदार नीलाम, जो अजरख्य एक जरे लगान मद्रास के अमल में आया है, ऐसे मुकदमा की कारवाइ से निवृत्त जायेगा जो दरमियात पट्टादार को उस के मुतहिन के दायरे में [इ. लॉ. रि. मद्रास जिन्द ५ संफा ३७१, इ. लॉ. रि. बम्बई जिन्द १० संफा ४००.] कवजा जायदाद पर ऐसे शर्त्स का कि जिस में मुदायलेह से उस वक्त हासिल किया हो कि जब उसी जायदाद के ताल्लुक कोई मुकदमा दायर होने वतोर कवजा खुद मुदायलेह का तैसा चर किया जायेगा—[वी. रि. जिन्द २२ संफा ५४७. रामकिशन-बनाम-दुलीचद] जिस शर्त्स ने किसी डिगरी के इजराय में नीलाम में कोई जायदाद खरीद की हो वह जायदाद "दौरान नालिश" का उसी तरह पाबन्द होगा कि जैसे खरीदार बजरिये-बैनामा-बनिगी के जिम्मेदार होता (कलकत्ता वीकी नोट सन १८९९ ई. संफा ३ श्यामा चरन-बनाम-अनन्दा चन्द्र दास) एक मुकदमा में मुद्दई ने तजवीज रूप्या की डिगरी बरोखिलाफ [अ] के नीलाम में कुछ जायदाद तारीख २ माह अगस्त सन १८६८ ई. को खरीद किया और तारीख ७ माह जौलाई सन १८६६ ई. को उसी जायदाद के निस्वत एक डिगरी बैनात की सादिर हो चुकी थी—खरीदार नीलाम ने डिगरी दार के कायम मुकाम पर जायदाद मजबूत मिलने की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि चूकि जो नीलाम मुद्दई के नाम खतम हुआ वह "दौरान नालिश" या इस लिये यह नीलाम ऐसी डिगरी के तबे समझा जायेगा जो "रेन" की नालिश में सादिर होवे [बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिन्द ११ संफा १३९ रामजी नारायण-बनाम-कृदनाजी लक्ष्मण] पेशतर कभी कभी नजीर वमुकदमा अनन्दा बाई दासी-बनाम-वरेन्द्र चन्द्र मुकदमी [वी. रि. जिन्द १ संफा १०३; जो वी. रि. जिन्द १६-संफा १९८] के एतबार पर यह बहस की जाती थी कि कायदा "दौरान नालिश" नीलाम अदाखत से मुताल्लुक नहीं है, लेकिन वमुकदमा गोविन्द चन्द्र राव-बनाम-गुरुचरन कुस्मोकर [इ. लॉ. रि. कलकत्ता जिन्द १९ संफा ९८.]

घोस साहिब जस्टीस ने अपने फैसला में यह बतला दिया है कि खरीदार - नौबाम कायदा "दौरान नालिश" का पाबन्द होगा और अब यही राय प्रिवी कांसिल में भी मजूर की है [इ ला रि कलकत्ता जिल्द २९ सफा १७९ मोतिलाल-बनाम-कराबउद्दीन] - अगर कोई खरीदार जायदाद में मनकूड़ा कायदा "दौरान नालिश" की बजह पर मोल ली हुई जायदाद से महरूम किया जाये तो वह जायदाद मजूर पर किसी ऐसे दूमेरे इस्तेफाक के जरिये से काबिज बना रह सकता है जो उसे हासिल हो [वी रि जिल्द १९ सफा १९७ इन्दरजीत कुवर-बनाम-पेटो वेगम] लेकिन वह ऐसी डिगरी या कार्रवाई अदालत के निसमत एतराज नहीं कर सकता है कि जिसके रू से उस का इन्तकाल नाजायज करा दिया गया है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ८ सफा ७९, इ ला रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा १८८ किशोरी मोहन-बनाम-मोहम्मद) उसे ऐसी नालिश या कार्रवाई अदालत में फरीक मुकदमा बनाने की जरूरत नहीं है (इ ला रि बम्बई जिल्द ११ सफा ६४ गुलाबचंद-बनाम-टोडी) हालांकि मुई को उस के इन्तकाल का हाल मादूम हो गया है [अलाहाबाद बीही नोट जिल्द ९ सफा ९१ दमात मिंग-बनाम-नजरिउद्दीन] लेकिन मजमूआ जान्ता ठीकानी एक्ट नं० १४ सन १८८२ ई० की दफा ३७९ के बमोजिम वह फरीक मुकदमा बनाया जायेगा [इ ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा ३२३ अहमद भाई-बनाम-वली भाई] मगर बाद सादर होने डिगरी के दौरान कार्रवाई इजराय डिगरी में वह फरीक नहीं बनाया जा सकता है [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ९७ गुडल-बनाम-मसूरी बंक] कायदा "दौरान नालिश" का सिर्फ नाश करने वाले फरीक के हुक्क बचाने की गरज से इस दफा में कायम किया गया है लेकिन जो इन्तकाल दौरान नालिश में किया जाये वह बिलकुल ही नाजायज नहीं है बल्कि वह उस कदर नाजायज तसद्वर किया जायेगा कि जहां तक वह उसी जायदाद में उन हुक्क के इम्प्लिक पाया जाये कि जिन का तसफिया मुकदमा में किया गया है—

जो शास्त्र किसी जायदाद मरहूना-को दौरान कार्रवाई ऐसे मुकदमा के खरीद करता है कि जो रहन का रू से दायर किया गया है वह बमोजिम कायदा "दौरान नालिश" के उस डिगरी के पाबन्द समझा जायेगा जो मुकदमा मजूर में सादर की गई हो—इस स्थिति ऐसी डिगरी के नीग्रम में जो कोई जायदाद खरीद करेगा उसे ब निसमत खरीदार जायदाद "दौरान नालिश" के बचकर हउ मिटेगा [बम्बई

हाई कोर्ट नजीर बाबत सन १८७४ सफा १८९ इ ला. रि. बम्बई जिल्द २२ सफा ९३९ शीवाजी राम-बनाम-वामन] एक मुकदमा में मुद्दे को डिगरी बाबत कबजा जायदाद मरहूना के ता अदाई जर रहन सादिर की गई-जिस शास ने इसी जायदाद को बाद में खरीद किया हो वह मुद्दे के कबजा को रोक नहीं सकता क्योंकि तारीख दायरी नालिश से यह जायदाद इन्तकाल मे मरफूज की गई है [देखो नजीर बम्बई हाई कोर्ट त्रिवा छपी हुई न ५ सन १८७२ ई० तुकाराम-बनाम-गोपाल]

कायदा "दौरान नालिश" नालिशात, कारिवाई इजराय डिगरी को अपील से ताल्लुक रखता है और यह कायदा ऐसे मुकदमा मे भी लागू होगा जब कि उस की अपील दायर होकर मुत्तवी होवे क्योंकि अदालत अपील की कारिवाई इन्तदाई मुकदमा के सिलसिले में तसौब्वर की जाती है [इ ला, रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ९४ गोविन्द चद्र राव-बनाम- गुरु चरण बुमोकर, इ ला रि मदरास जिल्द ७ सफा ९६, वो इ ला रि मदरास जिल्द ५ सफा १०६, वो इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा ७२४] लेकिन जो इन्तकाल मुकदमा में डिगरी सादिर होने के बाद मगर अपील दायर होने के पेरतर किया जाने वह ऊपर लिखे कायदा के बरखिलाफ न समझा जावेगा क्योंकि उस वक्त किसी अदालत में कोई अपील दायर न थी-मित्तार साहिब जरटीस ने इस राय से नाइत्फाकी जाहिर करके यह तजर्वाज की है कि खरीदार को मियाद अपील गुजरने तक इन्तजार करना चाहिये था इस सबब से कि यह मुमकिन है कि अदालत अपील अदालत अव्वल की डिगरी को मसूख करके दूसरी डिगरी सादिर करे [देतो वी रि. जिल्द २० सफा २०४ वो सी पी. ला रि. जिल्द १ सफा १९ दनमल-बनाम-दौलतराम] इस के बाद की नजीरों में ऊपर लिखी राय नामजूर की गई है और अब यह तै हो चुका है कि खरीदार को अपील की इन्तजारी करना लाजिम नहीं है [इ ला रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा १८८ किशोरी मोहन राव-बनाम-मुजपफर, इ ला रि मदरास जिल्द ७ सफा ९६ राधिका-बनाम-राधामोनी] लेकिन चूकि डिगरीदार इस कायदा का उसी तरह पाबन्द होता है कि जैसे मदयून डिगरी है इस लिये वह, दौरान कारिवाई अपील में, जिस जमान की उसे डिगरी मिली है उस के निसबत पछा-दवामी (हमेशा के वारते) तहरीर नहीं कर सकता है ताकि उस को फरीक सानी पहली अदालत की डिगरी मसूख किये जाने की सुरत में उस का पाबन्द तसौब्वर किया जाने [इ ला रि.

मदरास जिल्द ७ सफा ९६] अलाहाबाद की हाई कोर्ट ने एक मुकदमा में यह तजवीज की है कि जब कोई मुद्दायलेह ऐसी जायदाद का पट्टा तहरीर करदे कि जिस के निसबत उस के बरखिलाफ डिगरी नीलाम की सादिर हो चुकी है तो ऐसी हालत में पट्टा मजमूर नाजायज होगा, चाहे उस की गरज कुछ भी होवे, क्योंकि उस का अतर जायदाद मजमूर के खरीदार नीलाम का एक दुबाने का होगा [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ३४९ ठाकुर प्रसाद-बनाम-गया साहू] अगर कोई जायदाद डिगरी के पहिले कुरकी जाये, जैसा कि मजमूआ जाबता दीवानी की दफा ४८४ में हुक्म है, तो डिगरी सादिर होने के बाद नई कुरकी की जरूरत न होगी [अलाहाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफा १७२,] अपस इन सूत में कुरकी के बाद कोई इतकाल जायदाद का जायज तौर पर नहीं किया जा सकता है (देखो दफा ४९० मजमूआ जाबता दीवानी, बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा १४२)

लफजों के मायनीः—“पैरवी में सरगरमी के साथ लगे रहना” इस का यह मतलब है कि जब तक कोई मुकदमा अदालत इसाफ में तसफिया के वास्ते मुल्तगी रहे—तब तक उस का पैरवी में लगे रहना जो मुकदमा अदालत में दायर न हुआ हो उस के निसबत यह नहीं कहा जावेगा कि मुद्दई की तरफ से उसकी पैरवी हुई हाकि दायीदार उम की दायरी के बाबत तदवीर कर रहा है—नारीस दायरी नालिश से लेकर दौरान कार्रवाई इजराय में उसका अखीर तसफिया होते तक ऐसा समझा जायेगा कि उम की पैरवी सरगरमी के साथ होती रही [इ ला रि मदरास जिल्द १४ सफा ४९१, इ ला रि बम्बई जिल्द १२ सफा २१७ बेंकटेश-बनाम-मारोती]

“अदालत हुक्मत रखती हो”ः—इस का मतलब यह है कि सरकारी हिंदुस्तान के अन्दर नालिश किसी ऐसी अदालत में दायर हो कि जो उम की मुनाई करने का अखत्यार रखती हो, यानी यह अदालत कि जो दाना की हुई दादरसी अता करने की मजाज होने—अदालत मुकदमर की डिगरी का असर सरकारी हिंदुस्तान में किमी जमीन पर न होगी (इ ला रि मदरास जिल्द १९ सफा २९७)

“मुकदमा या मामला जिसमें झगडा हो”ः—यह तजवीज अगर पढ़ी है कि मुकदमा में उस वक्त से झगडा शुरू होता है कि जब मुद्दायलेह पर समन की

तामील हो जावे [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १५-सफा ६४७, राधा श्याम-वनाम-सिवू पटा, इ. ला. रि. मदरास जिल्द १३ सफा १८०, ड. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द-२१ सफा ४०८ परसोतम सरन-वनाम-सचीलाल]

जायदाद गैर मनकूलाः—कायदा “दौरान नालिश” मिर्के उस वक्त लागू होगा कि जब किसी नालिश में दावा की हुई जायदाद गैर मनकूला हो—अगर मनकूला जायदाद के निसवत झगटा हो तो अदालत से हुकम वमूजिव दफा ४९२ मजमूआ जान्ता दीवानी के हामिल करना चाहिये—

“मुकदमा या मामला”:—मुकदमा वह कार्रवाई है जिसमें अखीर डिगरी दी जाती है और कार्रवाई इजराय डिगरी वमूजिव दफा २४४ मजमूआ जान्ता दीवानी भी मुकदमा मे दाखिल है [इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ५४, इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २६९] मुकदमा मामला से दीवानी अदालत के मुकदमा की कार्रवाई मुराद है क्योंकि फौजदारी अदालतों को फरीकैन के हुकूम के निसवत तसफिया करने का अखत्यार नहीं है—इसी तरह पर जिस जायदाद के बाबत दर असल दावा नहीं किया गया है और उस के निसवत दूसरी नालिश अजरख्य दफा ४३ मजमूआ जान्ता दीवानी के काबिल समाहत न होगी, वह कायदा “दौरान नालिश” के तबिये न होगी [इ. ला. रि. मदरास जिल्द ९ सफा ९२] और यह कायदा ऐसे मुकदमा में ताल्लुक न रखेगा कि जिस्का फरीकैन ने आपुसी तसफिया कर लिया हो, मगर अदालत ने उस तसफिया नामा को मिसल में तहरीर न किई हो, क्योंकि किसी मामला का आपुसी तसफिया हो जाने पर अदालत उस के निसवत अदालती कार्रवाई नहीं कर सकती बल्कि उसे तसफिया मजकूर के तहरीर करने के बारे में सिर्फ इन्तजामी कार्रवाई करने का अखत्यार बाकी रह जाता है [इ. ला. रि. मदरास जिल्द १२ सफा ४४२, वो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १८ सफा १८८ किशोरी मोहन राम-वनाम-मुजफ्फर हुसैन]

“फरीक मुकदमा”:—इस्का मतलब यह है कि कायदा “दौरान नालिश” सिर्फ ऐसे इन्तकाल से ताल्लुक रखेगा जो मुकदमा के किसी फरीक की तरफ से न कि किसी गैर-शख्स की तरफ से किया गया हो [बंगाल-ला-रिपोर्ट जिल्द ८ सफा ४७४ कालीदास चंद्र घोस-वनाम-फूलचंद]

दफा ५३. जायदाद गैरमनकूला का हर इन्तकाल फरेवी ऐसा इन्तकाल, जो उस के पेशतर या बाद के इन्तकाल दारान जायदाद मजकूर को, कि जिन्हों ने माविजा दिया हो, फरेव देने की नियत से किया जावे या जो दूसरे हिस्सेदार या ऐसे दूसरे शख्सों को फरेव देने की नियत से किया जावे कि जो उस जायदाद में कुछ हक रखते हो, या जो इन्तकाल करने वालों के साहूकारों का हक डुवाने या देरी में डालने की गरज से किया जावे, उस शख्स की मरजी पर काबिल रह होगा कि जिसका हक डुवाया गया हो या जो देरी में डाला गया हो.

जब नतीजा किसी इन्तकाल जायदाद गैर मनकूला का फरेव देना, हक डुवाना या देरी में डालना किसी ऐसे शख्स का हो और वह इन्तकाल माविजा अदा करने के बगैर या, ऐसा माविजा अदा करने पर हुवा हो, कि जो बिलकुल गैर काफ़ी है, तो ऐसी हालत में यह मान लिया जावेगा कि वह इन्तकाल उसी नियत से हुवा है जि जिसका ऊपर जिक्र किया गया.

कोई इवारत इस दफा की किसी ऐसे मुन्तकिल अलेह के हुकूम में कुछ नुकसान न पहुंचावेगी जिस ने नेक नियती से और माविजा के बदले इन्तकाल लिया हो।

त श री ह

इस दफा का मतलब यह है कि जब कोई शाहस अपनी जायदाद में मनकूली इस नियत से इन्तकाल करे कि [१] जिन जिन शाहसों ने उस इन्तकाल की तारीख के पहिले या बाद में माविजा के बदले में वह जायदाद ली हो उन के हुकूम डूब जावे [२] उसी जायदाद के दायर हिस्सेदारों या ऐसे शाहसों की हक तलफी हो जावे कि जो उस में कुछ हक रखते हों [३] या इस गरजे से कि इन्तकाल करने वाले शाहस के साहकारों का करजा मारा जाए या उस की अदाई में देरी होने, तो इस दफा की रूसे ऐसा इन्तकालनामा उस शाहस की मरजी पर ममूल किये जाने के काबिल होगा कि जिसे इन्तकाल मजकूर के जिरथे से पहुंचा हो इस दफा के दूसरे फिकरा का मतलब यह है कि जब किसी जायदाद का इन्तकाल ऊपर छिड़ी गरजों से किया गया हो और इन्तकाल का माविजा कुछ न दिया गया हो यानी मुफ्त में जायदाद मुन्तकिल की गई या उस का माविजा बहुत ही कम होवे, मसलन एक सन रूप्या के मालियत की जायदाद पाच रूप्या में बेची जावे, तो ऐसी हालत में यह क्यास कर लिया जावेगा कि इन्तकाल फरेब की नियत से किया गया—

“ फरेब साबित करने के वास्ते शहादत:— लफ्ज “ फरेब ” की

तारीफ कानून माहदा की दफा १७ में दर्ज है— इस दफा के धमकिये जिन शाहस ने कौमती माविजा देकर जायदाद खरीदी हो उस का हक सभ से बढ़ कर होगा— और जो खरीदार पहिले के मुन्तकिल अलेह के हक को कम दरजा का साबित करने का दावा करता है उसे मफूत करना चाहिये— [१] कि उसने कौमती माविजा देकर नेकनियती से जायदाद खरीद ली है, [२] कि खरीदार के मुन्तकिल अलेह ने इस तरह पर जायदाद नहीं ली है [३] यह कि पदतर का इन्तकाल साजिश के साथ और उस का दावा बुवाने की नियत से किया गया है [देखो बंगई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिन्द

१० सफा ३२७] ऐसे बहुत कम मुकदमों में फरेज के बारे में सीधा सीधा समूह मिल सकता है—वह कि ऐसे सबूत से फरेज का साबित करना किमी मुकदमा में मुमकिन नहीं है—इस लिये सिर्फ इतना काफी होगा कि जो शहादत पेश की गई है उस से यह पाया जाता हो कि फरेज जरूर करके किया गया होगा, अगर मुकदमा के हाजत से यह नतीजा निकल सकता है तो फरेज की सबूती के वास्ते बस है [देखो सी पी ला रि जिल्द ७ सफा ७३ लालचंद—बनाम—हस्तो बाई] मगर उस के साथ यह भी है कि ऐसा नतीजा फरेज के वास्तव माफूल सबूत पर कायम रहना चाहिये न कि सिर्फ शक वो शक पर [देखो बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट, विला छपी हुई नजीर व मुकदमा न. १२ सन १८७२ ई० रामचन्द्र—बनाम—नारायण] मुकदमा में मुईडे की तरफ से दावा इस बात का किया गया कि उस का हक उस जायदाद में है कि जो उस ने बजरिये बैनामा खरीद किया था—शहादत मुकदमा से यह पाया गया कि उस के बेचने वाले शरस पर करजा बहुत सा था मगर उस ने अपनी कुल जायदाद मुईडे के हाथ बेच दिया और अपने लिये कुछ भी नहीं रख छोड़ा, कि मुईडे ने बिना देखे जायदाद को उस की कीमत जानने के तौर खरीद किया था, कि बै के मापिजा में करजा बेरू मियादी और ऐसा करजा शामिल था जो उस तक वाजिबुलअदा न था, कि निकी हुई जायदाद उसी शरस के कब्जा में बनी रही कि जिस ने बेचा था, और उसी ने उस का खान भी पटाया और बै का बदल बहुत ही कम था—हाई कोर्ट ने इन बातों के आत से यह नतीजा निकल कि बै जायज नहीं है यानी नेक नियत के साथ नहीं किया गया वह कि वह विला मापिजा फरेजी मामला था कि जिसके रू से मुईडे के नाम जायदाद फरेज मुतकिल की गई [इ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा २९९ नाना—बनाम—रतनमल] फरेजी बै सबूत करने का बोझा उस के सिर पर डाला जायेगा कि जो उस के मनसूखी का दावा करता हो [इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा २६८, कलकत्ता ला रिपोर्ट जिल्द १ सफा ९९, सी पी ला रि जिल्द ९ सफा १४२ राजा गोकुलदाग—बनाम—मुमम्मात जानकी] लेकिन जब इन्तफाल वएज कीमती मापिजा के किया गया हो तो इस्से यह पाया जाता है कि सादकारो का करजा डुनाने या देरी में डालने के सिनाए और भी किसी दूसरी गरज से इन्तफाल किया गया हो और जो शरस ऐसे दस्तावेज की मसूखी का दावा करते हों उन के लिये ऐसी सूत में बड़ी मुगकिल होगी [सी पी ला रि जिल्द २ सफा ६३ रावजी—बनाम—अमरतराव] बेचने वाले व खरीदार के दरमियान रिश्तेमन्दी मौजूद होता फरेजी नियत के निम्नवत काफी शहादत न होगी लेकिन यह एक ऐसा अमर है कि उसपर लिहाज करना जरूर है [सी पी ला

रि. जिल्द १ सफा ६३ मु० जानकीमाता-बनाम-ठाकुरप्रसाद] कोई दस्तावेज फरेवी सिर्फ उसी सूरत में कहा जायेगा कि जब उससे यह पाया जाये, कि फरीकैन की मनशा उसे बतौर मन्चे दस्तावेज के तसौब्वर करना थी उस पर अमल करने की न थी-फैसला इस बात का कि फला दस्तावेज साथ नेकनियती के किया गया या नहीं हर मुकदमा की खयदाद पर होना चाहिये

फरेव के निराबत पहिले बयान करना चाहिये वो फिर उसे साबित करना:—मामली तौर पर जो शरम किसी दूसरे पर फरेव का इज्जाम लगाता है उसे साफ तौर पर फरेव साबित करना जरूर है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा, ६१२ मोहम्मद गुलाब-बनाम-मोहम्मद सलीमान) लेकिन साबित करने के पेशतर उसे साफ तरह पर वो खास करके फरेव की तफसील बयान करना चाहिये [इ ला रि बम्बई जिल्द १९ सफा ५९३] जब मुदायलेह पर फरेव का इज्जाम लगाया जाये तो मुद्दे को अपने इजहार में साफ तौर पर ऐसे फरेव की तफसील बयान करना चाहिये—खाली सिर्फ यह बयान कर देना कि मुदायलेह ने फरेव किया काफी न होगा, क्योंकि जब तक खास तौर पर वे वाकैआत न बयान किये जावे कि जिन-से फरेव पैदा हुआ तब तक मुद्दे यानी दूसरा फरीक फरेव के बराखिलाफ कैसे सबूती पेश कर सकता है—मसलन अगर मामला हिसाब किताब का होवे, तो अगर हिसाब करने में कोई गलती हो गई हो और मुदायलेह ने इस गलती का फायदा उठाकर फरेव अमल में लाया हो तो ऐसी गलती के निसबत पहिले बयान करना चाहिये और फिर उस की सबूती में शहादत पेश करना चाहिये (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५३३ प्रवी कौंसिल की नजीर, गगानारायन-बनाम-तिले-गराम, इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा १४४ क्रान्जाजी-बनाम-गामनजी) अगर कोई फरीक पहली अदालत में साफ तौर पर अपने इजहार में फरेव के निसबत बयान न करे तो उसे अदालत अपील में अपना अरजी दावी तरमीम करने की वो फरेव के हाखत बयान करने की इजाजत न दी जायेगी [इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा १४४]

इन्तकाल वगरज रद्द करने कार्रवाई इजराय:—मामला इन्त-काळ, जो वगरज रद्द करने कार्रवाई इजराय के अमल में आवे, जायज तसौब्वर किया जावेगा. वशतकि फरीकैन के दरमियान दर असल, सच्चा इन्तकाल हुआ हो (मदरास

हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ३ सफा -२३१, इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द -२४ सफा ८२५, सी. पी. ला. रि. जिल्द १ सफा ६३, सी. पी. ला. रि. जिल्द ३ सफा १४७) और जो इन्तकाल ऊपर लिखी गरज से किया जाने मगर उस का मापिजा कुदरती मोहब्यत वो प्यार है तो भी ऐसा इन्तकाल जायज होगा [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा ८९१ नसीर हुसैन-बनाम-माताप्रसाद] क्योंकि एकट माहदा की दफा २३ नो २४ की इवारत से यह नहीं पाया जाता है कि जो वै यानी बिक्री जायदाद की कार्रवाई इजराय डिगरी को रद्द कराने की नियत से किया जाये, यानी इस गरज से कि इजराय डिगरी की कार्रवाई में वही जायदाद कुर्क न हो सके, तो ऐसा वै जरूर करके बनियत करेब वो गरज नाजायज के साज होना न कहा जावेगा और इसी बिना पर उन दफों की मनशा के मुताबिक नाजायज न होगा (इ ला रि बम्बई जिल्द ४ सफा ७० राजन-बनाम-अरदेशिर) इस लिये हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि जज कोई वै जायदाद गैर मनकूला का बयज कीमती वो मानूल मापिजा के एक साहूकार के नाम हुआ हो काबिल मसूखी न होगा हालाकि वह वै दूसरे साहूकार का करजा डुवाने की नियत से और इन्तकाल करने वाले ने अपने तई दीनालिया करार दिये जाने की कार्रवाई करने की गरज से किया हो [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ८ सफा १७८ सुवा बीबी-बनाम-बालगोविन्द दास, वो इ ला रि मद्रास जिल्द १६ सफा ३९७] अगर कोई करजदार कुरकी के पदतर अपनी जायदाद का इन्तकाल करदे तो ऐसा इन्तकाल नाजायज न होगा हालाकि उस ने अपने साहूकारों का करजा डुवाने की नियत से उसे किया हो [सी पी ला रि जिल्द ३ सफा १४७ जुगराज-बनाम-किशन सिंग] लेकिन जज कोई शख्स रूप्या पसे की तगी में आकर अपनी कुल जायदाद अपनी औरत वो नावालिग लडको के नाम बखशिश कर दे तो ऐसा बखशिश उस के साहूकारों के दानी के मुकाबले में मजरूर न किया जावेगा और साहूकार लोग इजराय डिगरी की कार्रवाई में, वही जायदाद नीलाम कराने के मुस्तहक होंगे [इ ला. रि बम्बई जिल्द १३ सफा २९७ हरमुसजी-बनाम-कोनसजी].

इन्तकाल बिला हवालगी कब्जाः—अकसर ऐसा होता है कि इन्तकाल करने वाला सिर्फ बराय नाम अपनी जायदाद का बैनामा लिख देता है और वह खुद उस जायदाद पर अपना कब्जा रहने देता है—सिर्फ इस तरह पर उस का जायदाद

रि. जिल्द १ सफा ६३ मु० जानकीमाता-बनाम-ठाकुरप्रसाद] कोई दस्तावेज, फरेबी सिर्फ उसी सुरत में कहा जावेगा कि जब उससे यह पाया जाये, कि फरीकैन की मनशा उसे बतौर सच्चे दस्तावेज के तसौब्वर करना वो उस पर अमल करने की न थी-फैसला। इस बात का कि फला दस्तावेज साथानेफनियती के किया गया या नहीं हर मुकदमा की ख्यदाद पर होना चाहिये

फरेब के निराबत पहिले बयान करना चाहिये वो फिर उसे साबित करना:—मामलों तौर पर जो ग्रहस किसी दूसरे पर फरेब का इल्जाम लगाता है उसे साफ तौर पर फरेब साबित करना जरूर है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा, ६१२ मोहम्मद गुलाब-बनाम-मोहम्मद सलीमान) लेकिन साबित करने के पेशतर उसे साफ तह पर वो खास करके फरेब की तफसील बयान करना चाहिये [इ ला रि बम्बई जिल्द १९ सफा ५९३] जब मुद्दायलेह पर फरेब का इल्जाम लगाया जावे तो मुद्ई को अपने इजहार में साफ तौर पर ऐसे फरेब की तफसील बयान करना चाहिये—खादी सिर्फ यह बयान कर देना कि मुद्दायलेह ने फरेब किया काफी न होगा, क्योंकि, जब तक खास तौर पर वे बाकेआत न बयान किये जावे कि जिन-से फरेब पैदा हुआ तब तक मुद्ई यानी दूसरा फरीक फरेब के बराखिलफ कैसे सबूती पेश कर सकता है—मसलन अगर मामला हिसाब किताब का होवे, तो अगर हिसाब करने में कोई गलती हो गई हो और मुद्दायलेह ने इस गलती का फायदा उठाकर फरेब अमल में लाया हो तो ऐसी गलती के निसबत पहिले बयान करना चाहिये और फिर उस की सबूती में शहादत पेश करना चाहिये (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५३३ प्रिनी कौंसिल की नजीर, गगानारायन-बनाम-तिले-गराम, इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा १४४ क्रश्नाजी-बनाम-वामनजी) अगर कोई फरीक पहली अदालत में साफ तौर पर अपने इजहार में फरेब के निसबत बयान न करे तो उसे अदालत अपील में अपनी अरजी दानी तरमीम करने की वो फरेब के हालत बयान करने की इजाजत न दी जावेगी [इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा १४४]

इन्तकाल बगरज रद्द करने कार्रवाई इजराय:—मामला इन्त-काल, जो बगरज रद्द करने कार्रवाई इजराय के अमल में आवे, जायज तसौब्वर किया जावेगा। बशर्तकि फरीकैन के दरमियान दर असल सच्चा-इन्तकाल हुवा हो (मदरास

हाई कोर्ट, रिपोर्ट-जिल्द २, सफा २३१, इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २४ सफा ८२५, भी पी ला रि. जिल्द १ सफा ६३, सी पी ला रि. जिल्द ३ सफा १४७) और जो इन्तकाल ऊपर लिखी गरज से किया जाये मगर उस का मारिजा कुदरती मोह्व्यत वो प्यार है तो भी ऐसा इन्तकाल जायज होगा [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा ८९१ नसीर हुसैन-ब्रनाम-माताप्रसाद] क्योंकि एकट माहदा की दफा २३ वो २४ की इबारत से यह नहीं पाया जाता है कि जो बैयानी बिनी जायदाद की कारवाई इजराय डिगरी को रद्द कराने की नियत से किया जाये, यानी इस गरज से कि इजराय डिगरी की कारवाई में वही जायदाद कुर्क न हो सके, तो ऐसा बै जरूर करके-बनियत फरेब वो गरज नाजायज के साथ होना न कहा जायेगा और इसी बिना पर उन दफों की मनशा के मुताबिक नाजायज न होगा (इ ला रि बम्बई जिल्द ४ सफा ७० राजन-ब्रनाम-अरदेशिर) इस लिये हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि जब कोई बै जायदाद और मनकूला का बएवज कीमती वो मारूल मारिजा के एक साहूकार के नाम हुवा हो काबिल मसूखी न होगा हालाकि वह वै दूसरे साहूकार का करजा हुवाने की नियत से और इन्तकाल करने वाले ने अपने तई दीवालिया करार दिये जाने की कारवाई करने की गरज से किया हो [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ८ सफा १७८ सुभा बीबी-ब्रनाम-बालगोविन्द दास, वो इ ला रि मद्रास जिल्द १६ सफा ३९७] अगर कोई करजदार कुरकी के पेश्तर अपनी जायदाद का इन्तकाल करदे तो ऐसा इन्तकाल नाजायज न होगा हालाकि उस ने अपने साहूकारों का करजा हुवाने की नियत से उते किया हो [सी पी ला रि जिल्द ३ सफा १४७ जुगराज-ब्रनाम-किशन-सिंग] लेकिन जब कोई गलत रूप्या पैसे की तगी में आकर अपनी कुल जायदाद अपनी औरत वो नावालिया लडको के नाम बखशिश कर दे तो ऐसा बखशिश उस के साहूकारों के दानी के मुकाबले में मगर न किया जायेगा और साहूकार लोग इजराय डिगरी की कारवाई में वही जायदाद नीलाम क्ताने के मुस्ताहक होंगे [इ ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा २९७ हुरमुसजी-ब्रनाम-फोनसजी],


इन्तकाल बिल्या हवालगी कब्जा—अक्सर ऐसा होता है कि इन्तकाल करने वाला सिर्फ बराय नाम अपनी जायदाद का बेनामा थिर देता है और बाद उस जायदाद पर अपना कब्जा रहने देता है—सिर्फ इस तरह पर उस का जायदाद

पर काबिज रहने से फरेब साबित नहीं होता है, ताहम यह एक ऐसा वाकैआ है कि जिस्से मामला वै की सचावट या झुटाई जान पडती है—उस से बिल्हा शक इन्तकाल करने वाले के बरखिलाफ क्यास पैदा होता है—लेकिन ईसा क्यास की तरदीद ऐसे हालत और वाकैआत के साबित करने से हो सकती है कि जिन्से कब्जा जायदाद का खरीदार को हवाला करना गैर मुमकिन, माखूम होता हो [देखो नजीर इगलिस्थान की—ल. क. सफा १९] जब कोई इन्तकाल साहकारों के फायदाके वास्ते किया जावे मगर उस की इच्छा उन्हें न दी जाये तो करजदार इन्तकाल मजकूर को मसूख कर सकता है [देखो एन्ट अमानत हिन्द न २ सन १८८२ ई० दफा ७८ जिमन (क) —]

क्या इन्तकाल करने वाला खुद अपने ही फरेब का फायदा उठा सकता है:—जब किसी शख्स ने अपनी जायदाद किसी दूसरे के नाम उसे साहकारों से बचा रखने की नियत से मुन्तकिल किया हो और अगर जाहिरी मालिक जायदाद मजकूर को इन्तकाल करने वाले के हवाला कर देने से इकार करता है तो ऐसी हालत में सवाल यह पैदा होता है कि इन्तकाल करने वाले फरीक को इस अमर के बयान करने से साबित करने की इजाजत देना चाहिये कि जो इन्तकाल नामा उस ने लिख दिया वह फरजी और साहकारों से जायदाद बचाने की गरज से था—इस के निसबत बम्बई हाई कोर्ट ने यह तजरीज की है कि ऐसा उजुर माकूल है और साबित किया जा सकता है [इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा ३७२ बाबाजी-घनाम—क्रदना] लेकिन इस के बरखिलाफ बहुत सी नजीरें इस मजमून की हैं कि कोई शख्स अपने ही नाजायज बंधे फरेबी फैल का फायदा इस गरज से नहीं उठा सकता कि उस का किया हुआ फैल नाजायज करार दिया जाये [इ ला रि मदरास जिल्द २० सफा ३२९ यादमती—घनाम—चद्रा, इ ला रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा ९६२ व ९६६, बोड ला रि बम्बई जिल्द २३ सफा ४०६ व ४०९] लेकिन ऐसा इन्तकाल उसी हालत में मसूख किया जायेगा कि जब इन्तकाल करने वाला वो साहकारों के दरमियान किसी आपुसी तसफिया के मुताबिक कारवाई करना लाजमी आये, यानी जब बेकसूर तीसरे फरीकन के डुकूक की बचत के वास्ते ऐसा करना जरूरी माखूम पड़े [इ ला रि मदरास जिल्द २० सफा ३२९] जब किसी मुकदमा में फरेब का उजुर मुद्दायलेह की तरफ, किसी बेकसूर शख्स के बरखिलाफ नहीं बल्कि उसी फरीक के मुकाबला में पेश किया जाये कि जो खुद उस फरेब में शरीक था यानी मुद्दई खरीदार के मुकाबले में तो ऐसी हालत में साह्य जुडीशियल कमिश्नर


मध्य प्रदेश की यह राय है कि मुद्दायलेह का उजुर अच्छी तरह से सुना जायेगा क्योंकि ऐसे मुकदमा में अदायत मुद्दे को एक दूसरा फरेव करने में मदद न देवेगी और मुद्दे को ऐसे माहदा के जरिये से जायदाद वापस न दिखाई जायेगी जो फरेवी हो—उस्के रस्से मुद्दे को जायज इस्तेहकाक जायदाद में नहीं मिलता है—(सी पी ल. रि जिल्ड ७ सफा ९० जनारघन—बनाम—पेकनलाल)

मियादः—दादरसी वर बिना फरेव बजरिये ऐसी नालिश के मिळ सकती है जो उस तारीख से तीन साल के अदर दायर की जावे कि जब नुकसान उठाने वाले फरीक को फरेव का हाल मालूम हो जाये (देखो एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० मद ९९) लेकिन जब फरीक सानी बजरिये फरेव ऐसे इस्तेहकाक के इरम से अलाहदा रखा जावे या जब कोई दस्तावेज जो वास्ते दायरी नालिश के जरूर हो उस्से फरेवन उपाया गया हो तो मियाद तीन साल की उस वक्त से शुमार की जायेगी कि जब फरेव का हाल मुद्दे को मालूम हो जाये (देखो दफा १८ एक्ट मियाद)—



बावः—३

बावत बै जायदाद गैर मनकूला



दफ्तार ५४. लफज "बै" से मुराद है इन्त-
 तारीफ "बै" काल मिलकियत का उस कीमत
 के बदले में जो अदा की जावे या जिसके अदा करने
 का इकरार किया जाए या जिसका कुछ हिस्सा अदा
 किया जावे और कुछ हिस्से के बावत अदाई की
 इकरार किया जावे.

ऐसा इन्तकाल जब बावत गैर मनकूला माही
 तरीका बै के हो. जिसकी मालियत एक सब रूप्या
 या उससे जियादा हो, या बावत उस हक के हो
 जो उद करता हो या बावत किसी और शै गैर
 माही के हो, तो सिर्फ वजरिये दस्तावेज रजिस्टरी
 शुदा के हो सकता है—

जब जायदाद गैर मनकूला एक सब रूप्या
 से कम मालियत की हो तो इन्तकाल मजकूर या
 तो वजरिये दस्तावेज रजिस्टरी शुदा के किया जा
 सकता है या वजरिये हवालगी जायदाद के--हवाल-
 गी जायदाद गैर मनकूला माही की उस वक्त हो

जाती है कि जब बेचने वाला खरीद करने वाले को या जिसे वह हिदायत करे उस को, जायदाद पर काबिज करदे—

माहदा बाबत वै जायदाद गैर मनकूला यह इक्कार करना है कि जायदाद मजकूर उन शर्तों के साथ वै की जावेगी जो फरीकैन के दरमियान तै हुई हों—

वै का सिर्फ माहदा करने से जायदाद मजकूर में कोई इस्तेहकाक या उस पर कोई मवाखजा कायम नहीं हो जाता है—

त श री ह.

इस दफा में लफज "वै" यानी बिक्री की तारीफ बयान की गई है और वै से जायदाद गैरमनकूला का बेचना मुराद है—माल मनकूला के वै की तारीफ एकट माहदा न ९ सन १८७२ ई० में की गई है—इस दफा में जो तारीफ वै की लिखी है उस के मुताबिक वै से जायदाद गैरमनकूला की मिलकियन का इन्तकाल मुगद है जो कीमत के बढ़ले किया जावे, चाहे यह कीमत फौरन इन्तकाल के वक्त अदा की जावे या उस की अदाई का इक्कार किया जावे या कुछ कीमत फौरन अदा की जावे और बाकी के बाबत अदाई का इक्कार किया जाए

जायज वै के वास्ते जरूरी वांत—जायदाद गैरमनकूला का वै यानी बिक्री नाचे लिखे तरीकों में से किसी तरीके के मुनाकिक हो सकती है—

[१] अगर जायदाद गैरमनकूला की माखियत एक सन खप्या से जियादा हो तो सिर्फ बजरिये बैनामा रजिस्टरी शुदा के,

[२] अगर जायदाद गैरमनकूला की मालियत एक सव रूप्या से कम हो तो —

[अ] वंजरिये दस्तावेज रजिस्टरी शुदा, या

[व] वंजरिये हवालगी कब्जा जायदाद के

[३] अगर जायदाद गैरमनकूला की मालियत न मादूम हो सके तो वंजरिये दस्तावेज रजिस्टरी शुदा

अगर जायदाद गैरमनकूला का बेचने वाला अपनी जायदाद एक सव रूप्या से कम मावजा के बदले में वंजरिये बैनामा विला रजिस्ट्री के बेचे और जायदाद मजकूर का कब्जा खरीदार के हवाला न करदे तो उसे इस दफा की रू से मोल ली हुई जायदाद में कुछ भी हक नहीं मिलेगा—कब्जा की हवालगी से यह मतलब नहीं है कि खरीदार वाजान्ता जायदाद पर काबिज किया जावे बल्कि अगर खरीदार उस जायदाद को किसी तरह अपने कब्जा में करलेवे तो काफ़ी होगा [३ ला रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा १७९ गगानारायण गोपे—बनाम—कालीचरण गुप्ता] मद्रास हाई कोर्ट ने इस मजमून की नजीर जारी की है कि बैनामा की रजिस्ट्री कर देने से जायदाद के कब्जा की हवालगी काफ़ी तौर पर पाई जाती है [३ ला रि. मद्रास जिल्द १७ सफा १४६] जिस हालत में ब्याया यानी बेचने वाला जायदाद का मालिक न होवे तो वह उस के वै करने का मजाज न होगा क्योंकि वै से जायदाद की हकियत का इतनाल मुराद है, पस ऐसी, सूरत में खरीदार फौलन वै की, तामील नहीं करा सकता है ताहम अगर बाद में वही जायदाद घाया यानी बेचने, वाले के कब्जा में आजावे तो अलबत्ता खरीदार अपने बे की तामील उस्से करा सकेगा—चूकि वै से हक मिलनियत का इन्तकाळ वएज कीमत के मुराद है इस लिये जायज वै अमल में आने के पेशत कीमत का तसकिया होजाना बहुत लाजमी है—लेकिन ऐसी कीमत यातो बेचने वाले को अदा की जावे या उस की तरफ से उस की दरखास्त पर किसी रास्त के हवाला की जावे (बेठकी—बनाम—हार्क—बेच नजीर जिन्द १९ सफा ९९९ वो ६०१) इस में कुछ शक नहीं है कि कीमत से नक्दी भाजिजा का मतलब है, क्योंकि अगर इन्तकाल किसी दूसरे भाजिजा के बदले में होवे तो वह वै न कहा जायेगा बल्कि यातो वतोर तबादलानामा, या बखशिशानामा के तसयखर किया जायेगा [३ ला रि मद्रास जिल्द ९ सफा १४१ व १४२, ३ ला रि मद्रास जिल्द ११ सफा ४६७] जब नक्दी रूप्या के बदले सरकारी नोट या रूप्या लिया जावे तो यह मामला तनादले

को है न कि वै का [इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा ३८२] कीमत का मुना-
रिव होना या गेर मुनासिव होना वै की मुकामिली के वास्ते जरूरी नहीं है—और न
यह जरूरी अमर है कि खरीदार ने वैनामा की पूरी रकम पटा दी हो—क्योंकि अगर
इस रकम का सिर्फ कुछ हिस्सा अदा किया गया हो तो वै कामिउ समझा जावेगा और
खरीदार भोल ली हुई जायदाद के कब्जा की नालिश ठापर कर सकता है—[इ ला रि
अलाहाबाद जिल्द ११ सफा २४४ शिमलाल—वनाम—भगवानदास] इस दफा के ब्र-
जिन सिर्फ इतना होना जरूर है कि कीमत या तो अदा की गई हो या उस की अदाई
का इस्तरा किया गया हो, या कुछ कीमत पटाई गई हो और बानी के वाकत पटाने का
इस्तरा हुआ हो—पस जम कोई वाया यानी बेचो वाला वैनामा लिख कर उस की रजि-
स्ट्री करा देवे तो वैनामा की रजिस्ट्री हो जाने पर खरीदार को जायदाद में कामिल हक
हासिल हो जाता है—[इ ला रि मदरान जिल्द १७ सफा १४६, वा इ ला रि
कलकत्ता जिल्द ८ सफा ९९७ नजीर इज्जतस कामिल] और अगर खरीदार को कब्जा
जायदाद का दे दिया गया हो तो फिर इन बात से कि उस ने वै का रूप्या नहीं पटाया
वै नाजायज नहीं हो जाता है बल्कि बेचने वाले शाहस को चाहिये कि अपने रूप्या की
नलिश अदाउत दीयानी में करे [इ ला रि बम्बई जिल्द २३ सफा ९२९ सगाजी-
वनाम—नामकर]—

जरसमन यानी वैनामा का रूप्या कब वापस हो सकता
है:—अगर किसी बजह पर माहदा वै की खास तामील से इकार किया जाये तो
खरीदार, अजरूय कानून वाजायित, मागिजा नक्दी के, जो उस ने पाटाया हो,
वापस पाने का हकदार है, [इ ला रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा ८९७] लेकिन
जम खरीदार ही के कसूर ने माहदा वै की खास तामील न करई जावे तो बट उस
रकम के वापस पाने का मुसलहक न होगा कि जो उस ने बतौर शर्त माहदा के वाया
को दिया हो [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १९ सफा ४८९ निशनचद—वनाम—
राधा किशनदास]

एक सन रूप्या से कम के ददले वै का होना:— इन दफा
के तीसरे किकारा के पटने से साफ यह मतलब निकलता है कि जम कोई जायदाद
गेरगनकूटा एक सन रूप्या से कम परजाना के ददले में बेची जाये तो उस का वै
उसी बक जायज होगा कि जम यातो वैनामा की रजिस्ट्री करानी जाये या जायदाद

का कब्जा खरीदार को दे दिया जाये—एक मुकदमा में यह तजवीज करार पाई है कि जत्र कोई खरीदार वजरिये बैनामा बिना रजिस्ट्री के जायदाद गैर मनकूला में हक हासिल करे और उस का कब्जा भी पालेवे तो बैनामा बिना रजिस्ट्री नाजायज करार दिये जाने की सूरत में खरीदार को वजरिये कब्जा एक ऐसा इस्तेहकाक हासिल हो जाता है जिसके साबित करने की इजाजत उसे, प्रिये लिहाज बैनामा के दी जावेगी [इ ला रि. बम्बई जिल्द ४ सफा ८९, सी. पी. ला रि जिल्द ८ सफा १ मुसम्मात रूपा तेलन—वनाम—विसम्बर तेली]

कब्जा अजरूय इकरार जवानी वा डिगरी अदालतः— जत्र कोई शरस अपनी जायदाद गैर मनकूला वजरिये इकरार जवानी बेंचने का इकरार करे और ऐसे इकरार के रूखे जायदाद मजकूर का कब्जा खरीदार के हनाया करदे, और अगर वही जायदाद बाद में किसी दूसरे गरस के हाथ वजरिये बैनामा रजिस्ट्री शुदा के बेची जाये तो ऐसी हालत में पहिला खरीदार बमुकानले पिछले खरीदार के जायदाद पर अपना कब्जा कायम रखने का दावा कर सकता है हालांकि उस ने बैनामा का पूरा रूप्या बेंचने वाले फरीक को न पटा दिया हो [इ ला रि मदरास जिल्द ९ सफा २६७, वो इ ला रि मदरास जिल्द ११ सफा २६३ वो जिल्द ५ कलकत्ता सफा ३४२ व बम्बई जिद ९ सफा ४२७ वो अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ४६९] जत्र किमी माहदा की खास तामील करा पाने की नालिश में खरीदार को डिगरी मिल जावे और वह ऐसी डिगरी के इजराय में बेची हुई जायदाद का कब्जा हासिल कर लेवे, तो ऐसी हालत में यह इन्तकाळ बैसा ही समझा जावेगा कि मानों वह वजरिये दस्तावेज रजिस्ट्री के किया गया था (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ४१८ वो कलकत्ता जिल्द ९ सफा ९८४) लेकिन ऊपर लिखे मुतानिक डिगरी अदालत की तरफ से सादिर होने से यह मतलब नहीं निकलता है कि जायदाद का बैनामा न तहरीर किया जावे [देखो इ ला रि मदरास जिल्द १६ सफा ४६४ वो ४६५] बम्बई हाई कोर्ट की यह नजीर है कि ज्योहीं खरीदार मानजा का रूप्या दाखिल करने के कारणे के वाजत डिगरी हासिल करे तो यह इन्तकाळ पक्का समझा जावेगा (इ ला रि बम्बई जिल्द ९ सफा ९९४)

हवालगरी कब्जा से क्या मुराद हैः—जायदाद का हवाला करना उस वंक्त तमौन्नर किया जाता है कि जत्र बेंचने वाला खरीदार को या किसी ऐसे

शरम को, जिसे वह मुकर्रर करे, जायदाद का कबजा देदेवे कबजा दो तरह से दिया जाता है—(१) जाहरी तौर पर, मसलन खरीदार को लेजाकर खेत या मकान पर बैठाल देना, (२) मानवी तौर पर, मसलन जब कोई जायदाद काश्तकारों के या ठेकेदारों के कबजा में होवे तो ऐसी सूत में कबजा की तपदीली करना काफी होगा जैसा कि वक्त पर मुमकिन हो मुनामिब मालूम पड़े, यानी, जायदाद के ताल्लुक दस्तावेज का खरीदार को हनाला करना काफी होगा [इ ल रि अलहाबाद जिल्द ४ सफा ४० व मद्रास जिन्द ९ सफा २६७] या जब बेंचने वाला खरीदार को इस बात की इत्तया देदेवे कि तुम काश्तकारों से जर लगान बसूठ करो; या जब इन्त-काल करने वाले के पास जायदाद त्तौर अमानत खरीदार की तरफ से होवे तो इस बात का बेनामा में लिख देना काफी होगा, या जब खरीदार नागालिग या पागल हो तो ऐसी सूत में बेंचने वाला अपने पान जायदाद को बतौर अमानत के रख सकता है, और जब खुद खरीदार ही का कबजा तारीख में पर होवे तो वाजाय्ता कबजा देने की जरूरत नहीं है (देखो इ. ल रि बम्बई जिल्द ७ सफा ४५२ व अलहाबाद जिल्द १ सफा ३११ व मद्रास जिल्द १३ सफा ३२४)—

माहदा बैः—जब जायदाद गैर मनकूला के बै यानी बिन्नी का माहदा यानी ठहराव होता है तो बाया और खरीदार दोनों एक दूसरे के साथ बेंचने व मोल लेने का इकार करते हैं—ऐसे माहदा के रू से जायदाद में किसी किस्म का हक या बोझ पैदा नहीं होता है—माहदा बै जवानी या तहरीरी हो सकता है, अगर तहरीरी हो तो उसकी रजिस्टरी लाजमी नहीं है [एक्ट रजिस्टरी न ३ सन १८७७ ई० दफा १७] लेकिन ऐसे इकार से सिर्फ माहदा साबित होता है, उसमें जायदाद में कुछ असर नहीं पहुचता है [इ ल रि बम्बई जिल्द १८ सफा १३] यानी उस इकार की रू से यह साबित नहीं किया जा सकता है कि जायदाद की हकियत बाया से निकल कर खरीदार के पास चली गई—

जिस शरस के हक में जायदाद गैरमनकूला के बै करने का माहदा किया गया है वह अजरुय एक्ट दादरसी खास यातो अदालत से माहदा की खास तामील करकर जायदाद पा सकता है, या सिर्फ हरजाना यानी नुकसान का दावा कर सकता है या दोनों के त्रावत दादरसी माग सकता है—मद्रास हाई कोर्ट की यह नजीर है कि अगर माहदा के रगस तामील कराने की नाबिश् में जायदाद मजमूर के कबजा की दादरसी

भी न शामिल की जाये तो जायदाद मजकूर के वावत समजा की दूसरी नालिग मुनाई के लायक न होगी (इ ला रि मदरास जिल्द २२ सफा २४) अजरूया कानून इगलिस्थान, दर सूरत न होने कोई खास शर्त के, खरीदार बेची हुई फसल वो मुनाफा का हकदार उस मुदत के वावत समजा जाता है कि जो दरमियान तारीख माहदा वो तारीख कामिल होने वै के गुजरे—[देखो रिसाला टार्ट साहब का छठ गीनार छपी हुई जिल्द सफा २८५] लेकिन इस दफा की इवारत से यह साफ मालूम होता है कि खरीदार ऐसी मुदत के वावत फसल वो मुनाफा पाने का मुस्तहक नहीं है क्योंकि जब तक उस के हक में रजिस्ट्री शुदा बैनामा न तहरीर किया जाये तब तक यह जायदाद में कुछ हक नही हासिल कर सकता है—(इ ला रि मदरास जिल्द १३ सफा ४३४ व ४६६)—

बैनामा के लिये स्टाम्प:—जायदाद गैर मनकूला के बैनामा के वास्ते स्टाम्प माथिजा के उस तादाद पर लगाया जावेगा कि जिस्के एवज मे जायदाद बेची गई हो न कि जायदाद वै शुदा की असली मालियत पर [देखो एकट स्टाम्प सन १८९९ ई० जमीमा १ मद २३, इ ला रि मदरास जिल्द २० सफा २७, वो इ ला रि बम्बई जिल्द २० सफा ४६२ व कउरुता जिल्द २६ सफा २८३]

दफा ५५. अगर कोई माहदा यानी ठहराव खिलाफ इस के न हो तो जायदाद गैर मनकूला के बाया यानी बेचने वाले वो खरीदार से वे जिम्मेदारियां और हकूक लगे रहते हैं जिन का जिक्र नीचे लिखे कायदों में किया गया है और उन में से उसी कदर जो बेची हुई जायदाद से मुताल्लुक हों—

बेचने वाले के जे वाजिब है
(क) कि खरीदार हर एक

भारी नुकस जाहिर कर दे जिस्से बाया वाकिफ होवे और खरीदार वाकिफ न हो और जिस्को खरीदार मामूली खबरदारी के साथ दरयापत न कर कसता हो—

(ख) खरीदार की दरखास्त पर उस के रूबरू मुलाहिजा के लिये मिलकियत की तमाम सनदे, जो जायदाद से ताल्लुक रखती हों, और जो बाया के कब्जा या अखत्यार में हों, पेश करे—

(ग) जहां तक उसे बकफियत हो तमाम सवालात मुताल्लुके का जवाब दे जो खरीदार उस जायदाद के निसवत या उस के हक मिलकियत के बावत उस्से करे—

(घ) बर वक्त अदा करने या हाजिर करने उस रकम के जो बावत कीमत जायदाद के बाजिव करार दी गई हो सही बैनामा जायदाद का खरीदार को लिख कर मुकामिल कर दे, बशर्तेकि खरीदार ऐसा बैनामा एक माकूल वक्त और मुकाम पर तकमील के लिये उस के रूबरू हाजिर करे.

(ड) दरमियान-तारीख माहदा वै और तारीख हवालगी जायदाद के जायदाद और उस के मुताल्लुक हकियत की सन्दों की, जो उस के कबजा में हों, उसी कदर खबरदारी लेना कि जैसा मामूली अकल वो समझ का मालिक ऐसी जायदाद वो सनदों की हिफाजत करता.

(च) खरीदार की दरखास्त पर उस को या जिस शर्त को वह मुकरर करे जायदाद पर, जिस कदर कबजा बलिहाज हैसियत जायदाद के देना मुमकिन हो, देवे.

(छ) हर किसम के रसम सरकारी और जर-लगान जो बाबत जायदाद के वै की तारीख तक वाजिव निकले अदा करे, और सिवाए उस सूरत के कि जब जायदाद जिम्मेदारी का बोझा रखकर बँची गई हो कुल ऐसे करजों की अदाई करे जिन के लिये वह जायदाद उस वक्त तक मकफूल हो--

(२) बाया के निसबत समझा जावेगा कि उस ने खरीदार के साथ यह माहदा किया कि वह

हक कायम और बरकरार है' जिसे को वह अपने कौल के मुताबिक खूद मुन्तकिल करता है और वह उस के मुन्तकिल करने का अखत्यार रखता है—
 कि मगर शर्त यह है कि जब वे उस शरूस की तरफ से हो जो किसी कामो अतमिद अलेह (यानी भरोसादार) हो तो यह समझा जावेगा कि उस ने खरीदार के साथ इकरार किया है कि उस की तरफ से कोई ऐसा फैल नहीं हुवा जिस्से जायदाद भाखूज हो गई या जिम् की वजह से वह उस के इन्तकाल करने से रोका गया है—

फायदा उस इकरार का जो इस कायदा में दर्ज है खरीदार के हक में शामिल रहेगा और उस के साथ चला जाया करेगा और हर शरूस जिस को वह हक कुल या कुछ वक्तन फवक्तन हासिल होता जावे उस की जवरन तामील करा सकता है—

(३) जब तमाम जर समन यानी विक्री को रूप्पा वाया को पहुंच गया हो तो उस को लाजिम है कि कुल सनेद मिलकियत मुताबिके जायदाद जो उस के कबजा या अखत्यार में हो, खरीदार के हवाला करे—

मगर शर्त यह है कि—

(अ) जब बेचने वाला उस जायदाद के किसी हिस्से को, जो मिलकियत की सनद में शामिल हो अपने पास रखलेवे तो वह कुल दस्तावेजों को अपने पास रखने का मुस्तहक है;

(ब) जब कुल ऐसी जायदाद मुख्तलिफ खरीदारों को बेची जावे, तो वह शख्स जो उस जायदाद की सब से जियादा कीमत वाली लाट या नी हिस्सा खरीद करे वही मिलकियत की सनद लेने का हकदार होगा—

मगर सूरत (अ) में बेचने वाला और सूरत (ब) में खरीदार सब से जियादा कीमत वाली लाट का पाबन्द होगा कि जब खरीदार उसे दरखास्त माकूल तौर पर करे, या खरीदारों में से कोई दरखास्त करे, जैसी कि सूरत होवे, तो दरखास्त करने वाले से खर्चा लेकर मांगी हुई सनदें हाजिर करे; और उन की उस कदर तसदीक की हुई नकलें या इन्तखाव दे जो उस को जरूर हो और उस अरसा में वाया या खरीदार को, जैसी कि सूरत हो जिस ने वै या जिस ने सब से जियादा

कीमत वाली लाट खरीद किया, लाजिम है कि मिलकियत की सनदों को हिफाजत के साथ रखे और उन को मसूख व रद्द न करे, सिवाय उस सूरत में कि जब आग लगने या किसी और आफत व अखत्यारी की वजह से वह ऐसा करने से मजबूर हो--

(४) बेचने वाला हकदार है कि-

(अ) वह जर लगान और मुनाफा जायदाद का उस वक्त तक लेता रहे कि जब तक उस की मिलकियत खरीदार को हासिल न हो जावे—

(ब) जब जायदाद की मिलकियत विक्री का पूरा रूप्या पटाए जाने के पहिले खरीदार को हासिल हो जावे, तो वह मुस्तहक है कि खरीदार के कबजा की जायदाद पर अपने बाकी जिर समन या उस के किसी हिस्से के लिये, जो बिना पटे रह गया हो, मव. खजा यानी बोभ पावे, और भी वास्ते सूद ऐसे बाकी या जुज के--

(५) खरीदार जिम्मेदार है कि:-

(क) बेचने वाले को ऐसा हाल वावत किस्म या मिकदार हक बाया बाकै जायदाद के, जिस्से

खरीदार चाकिफ हो जाहिर करदे जिसकी निस-
बत खरीदार को इस बात के यकीन करने की
बुजह हो, कि बेंचने वाला उसे चाकिफ नहीं
है और जिसके सबबसे उस हक की मालियत
बहुत बढ़ जाती हो--

(ख) बेंचने वाले को या ऐसे शख्स को कि
जिसे वह हिदायत करे वै की तकमील के वक्त
और जमीह पर विक्री का रूप्या पटा दे या उस
के खबरे हाजिर करे मगर शर्त यह है कि
अगर जायदाद मवाखजा यानी दोभ से बरी
होकर बेंची जावे तो खरीदार को अख्तयार
होगा कि वै के रूप्या में से उन मवाखजा की
तादाद निकाल ले जो वै के वक्त जायदाद से
तालुक रखते थे और तादाद मजकूर को, जो
निकाल रखा हो उन लोगों को देदे जो उस
के पाने के हकदार हों--

(ग) जब जायदाद की मिलकियत खरीदार को
हासिल हो गई हो तो वह ऐसा हरजा उठावेगा
जो जायदाद मजकूर के तालफ होने या उस
को नुकसान पहुंचने से या कम मालियत

हो जाने से हुवा हो और जो बेचने वाले के
किसी फैल से ना हुवा हो

(घ) जब मिलकियत जायदाद की खरीदार को
हासिल हो चुकी हो और जहाँ तक बेचने वाले
और मोल लेने वाले से गरज है, ताहम रसूम
सरकारी और लगान की रकम अदा करे जो
उस जायदाद की बाबत वाजिबुल अदा हो
और मवाखजा की असल तादाद भी जिन
का वाजिब होना तसलीम होकर जायदाद
बेची गई हो और सूद जो आधेन्दा उस्पर
वाजिबुल अदा हो अदा करे

(६) खरीदार मुस्तहक है कि:-

(अ) जब जायदाद की मिलकियत उस को
हासिल हो चुकी हो, तो वह किसी तरकी का
फायदा जो जायदाद पर हुई हो या जिस्से
जायदाद की मालियत बढ़ गई हो और जाय-
दाद का तमाम जरलगान और मुनाफा हा-
सिल करे-

(ब) सिवाए उस सूरत में कि जब खरीदार ने
बेजा तौर पर जायदाद की हवालगी लेने से

इंकार किया हो और सूरतों में अपना मवा-
 खजा यानी बोभा जायदाद पर बाबत उस
 कदर जर समन के, जो खरीदार ने जायज
 तौर पर हवालगी के पहिले बाया यानी बेचने
 वाले को अदा किया हो और सूद उस रकम
 का बकदर उस मिकदार जायदाद के, जिस्पर
 बाया का हक पहुंचता है, वमुकाबले बाया और
 कुल वैसे शख्सों के जो बजरिये बाया और
 बाद हासिल करने इत्तला निसबत अदाई ऐसे
 जर समन के दावीदार हो कायम रखे और
 जिस सूरत में खरीदार ने जायज तौर पर जाय-
 दाद की हवालगी लेने से इंकार किया हो, तो
 अपना मवाखजा यानी बोभा बाबत जर बैनामा
 के [अगर कुछ हो] और उसी कदर खर्चा
 के [अगर कुछ हो] जो उस को अदालत
 से अजरूय नालिश वास्ते जबरन तामील
 करापाने खास शर्तें माहदा के या वास्ते
 हासिल करने डिगरी बाबत मसूखी ऐसे माहदा
 के दिलाया गया हो, जायदाद पर कायम
 रखे—

उन बातों के जाहिर कर देने में कसूर करना

कि जिन के बावत इस दफा के फिकरा (१) जिमन (व) वो फिकरा (५) जिमन (क) में हुक्म है फरेवी काम के तौर पर समझा जावेगा—

त श री ह.

इस दफा में वे तमाम हुकूक और जिम्मेदारिया दरमियान मोल लेने वाले और बेचने वाले जायदाद गैर भनकूला के, जिन का एक शरत्स वमुकाबले दूसरे के, दर सूरत न होने कोई ठहराव खिलाफ इस के हकदार व जिम्मेदार होगा—इस किस्म के हुकूक व जिम्मेदारिया उन लोगों को वे की तामील होते वक्त या उस के बाद भी मुस्तहक या जिम्मेदार होंगे—आर जब तक इस के बरखिलाफ जाहिर न किया जाये ऐसे हुकूक व जिम्मेदारिया बाया या खरीदार या दोनों के मरने से या दीनालिवा हो जाने की वजह से या पागल होने से मिट नहीं जाती हैं—इस दफा का असली उसूल यह है कि जिस तारीख से रिस्ता दरमियान बाया वो खरीदार के कायम किया जाये उस तारीख से फरीकैन पर एक दूसरे की हिफाजत करना लाजिम है—बाया वो खरीदारों के हुकूक और उन की जिम्मेदारिया ना वे लिखा तफसीलतार नकाशा से बखूबी जाहिर होगी —

बेचने वाले की.

जिम्मेदारी.

हुकूक

[१] अगर जायदाद में कोई भारी नुक्स यानी पैय होये तो उस की इत्तला खरीदार को देना जरूरी है—उस का इस बात की इत्तग न देना फरेव में दाखिल है

[१] अगर जायदाद की कीमत का कोई हिस्सा बिला अदा रह जाये तो जो रूख्या कीमत का बच रहा है उस के बावत वह जायदाद मजकूर पर मयायजा यानी बोझ रखेगा

[२] जायदाद या उस के इस्तेहकाक के ताल्लुक कुल सवाल्यों का जमाय देना

[२] जब तक जायदाद की मिलकियत खरीदार को न हासिल हो जाये तब तक

[३] अपनी हकीयत की सनदें मुल्हा-हिजा के वास्ते पेश करना और जायदाद

वह जायदाद मजकूर का लगान और मुनाफा पाने का हकदार है—

की कीमत पर जाने पर उन्हें खरीदार के हवाले करना,

[४] कीमत जायदाद की पटजाने पर हाजिर किये जाने पर बैनामा तहरीर

करना,

[५] तारीख माहदा वो तारीख बैनामा के दरमियान जो मुद्दत गुजरे उस अरसे तक जायदाद की खबरदारी अमानतदार की तरह पर लेना,

[६] वै कामिल किये जाने पर जायदाद का कब्जा खरीदार के हवाला करना,

[७] और उसमे अपना इस्तेहकाक का बिल इन्तकाल कायम रखना वो साबित करना,

[८] जायदाद का लगान अदा करना और अगर उसपर कोई मनाखजा यानी रहन बैगरा की जिम्मेदारी का बोझ हो तो ऐसे बोझ से जायदाद सज्जूर को छुडना.

खरीद करने वाले के जिम्मेदारी. हुकूक

(१) किसी ऐसी बात का जाहिर करना किसे जायदाद की मालियत बहुत जियादा बढ जाती हो और जिस्का हाल बेचने वाले को न माहूम होये;

(१) अगर कीमत पहिले से अदा की गई हो तो खरीद की हुई जायदाद में उस का हक कायम रहेगा.

(२) अगर धाया जायदाद का बैनामा लिख देने से इकार करे तो उस

(३) - जिस तारीख से जायदाद की मिल, का हक, क्याना की रकम के वाजत कियत उसे मिल जाये उस तारीख से उस की वो खास तामील माहदा की कराने मुकनानी का जिम्मेदार होना की नालिश के खर्चा के वाजत, उसी

(४) जिस तारीख से जायदाद की हकीयत जायदाद में बना रहेगा. उसे मिल जाये उस तारीख से करजा जायदाद (३) जर लगान और मुनाफा की पर का वो रहन वगैरा का रूप्या पटाना रकमें पाना

ऊपर लिखा इनारत से साफ यह जाहिर होता है कि जायदाद गैर मनकूला का बेचने वाला और मोल लेने वाला दोनों को चद हुकूम हासिल है और कुछ जिम्मेदारी भी उन्हें उठाना पडता है. हर एक फरीक को मामूज के वाजत स चा हाल जाहिर करना जरूर है. कोई फरीक दूसरे फरीक की बेवकूफी का फायदा नाजायज तौर पर नहीं उठा सकता है. बेचने वाले को लाजिम है कि अगर उस के हक में कुछ नुकस होवे तो इस की इत्तला खरीदार को जरूर देना चाहिये. मसलन, एक शरस ने अपना मकान दूसरे शरस के हाथ बेचा. मगर इसी मकान पर पहिले से एक डिगरी सादिर हो चुकी है. इस डिगरी का हाल खरीदार को मालूम था और बेचने वाले को नहीं मालूम था, मगर खरीदार ने इस का हाल छुपाया. पस ऐसी हालत में बेचने वाला फरीक दरजा यानी मुकसानी पाने का मुस्तहक होगा क्योंकि डिगरी का हाल न जाहिर करना फरेब में दाखिल है [इ हा रि मदरास जिद्व ९ सफा ८९ गजापथी -नाम-अलागिया] हालांकि खरीदार जायदाद के भारी नुकस की इत्तला पाने का मुस्तहक है और अगर इस तौर पर उसे इत्तला न मिले तो वह चद हुकूम के पाने का हकदार है लेकिन ऐसे हुकूम बलिहाज इस अमर के उसे दिये जायेंगे कि ऐसे नुकस का हाल बैनामा लिखे जाने के पेशतर या बाद मालूम हुवा. इस लिये यह तै हो चुका है कि जब खरीदार को ऐसे नुकस का हाल उस के नाम बैनामा लिखे जाके के पेशतर मालूम हो जाये तो यातो यह माहदा यानी ठहयव ममूख कर सकता है या माहदा की खास तामील की नालिश की रकानट कर सकता है. जब नुकस ऐसा न हो कि जिसे जायदाद का मुनाफा ब्रहुत नियादा कम हो जावे तो अजररय दफा १४-१७ एकट दादरसी खास के मुद्दे को तामील खास और माविजा दोनों मिल सकता है [देखो गौर साहब वारिस्टर की शरह एकट इन्तकाल जायदाद सफा -२०३ फिकर ३२८] अगर बेची हुई जायदाद पहिले से कहीं रहन की गई हो तो खरीदार अपने वाया को जायदाद मजफूर का बैनामा लिखने के पेशतर उस को रहन से छुड़ाने के वास्ते

मजबूर कर सकता है [देखो एकट दादरसी खास न १ सन १८७७ ई० दफा १८ जिमन [के] किसी माहदा बाबत बेंचने जायदाद गैर मनकूला की तामील खास की टिगरी देना या न देना अदालत की राय पर है—और अदालत वलिहाज हालात हर मुकदमा के ऐसी दादरसी अता करे या अता करने से इकार कर सकती है [देखो दफा १८ एकट दादरसी खास] .

बैनामा तहरीर करना:—यह कायदा कि बाया उस वक्त बैनामा तहरीर करेगा कि जब खरीदार उसे तहरीर करने के वास्ते हाजिर करे, अजरूय कानून इंगलिस्थान इस दफा में दर्ज किया गया है—याद रखना चाहिये कि कोई बै यानी बिनी जायदाद की पक्की हो जाने पर बैनामा तैय्यार करना खरीदार का काम है और उसे तहरीर करना यानी स्टाम्प पर लिख देना बाया का काम है—इस दफा में इस बाब का कुछ जिकर नहीं किया गया है कि बैनामा का खर्चा कौन फरीक के जिम्मे रहेगा, लेकिन जैसा कि इंगलिस्थान में कायदा है वैसा ही हिन्दुस्थान में कायदा है कि बैनामा का कुल खर्चा खरीदार के जिम्मे रहता है, क्योंकि यह काम खरीदार के जिम्मे किया गया है कि बैनामा तहरीर किये जाने के पदतर उस का मसौदा बाया को उस के सलाहकार कानूनी के पास भेजना वास्ते मुलाहिजा के—अगर मसबदा में कुछ तददीली की जावे तो उस की इत्तला फरीक सानी को देना चाहिये—बैनामा सिर्फ बेंचने वाले फरीक ही के तरफ से नहीं बल्कि कुल ऐसे शरूमों की तरफ से लिखा जावेगा कि जिन की रजामन्दी खरीदार को जायदाद में पूरा और बिला तकरारी हक देने के वास्ते जरूरी मालूम पड़े (देखो एकट दादरसी खास दफा १८) जब तक खरीदार निम्नी का रूप्या न अदा करे या न हाजिर करे तब तक बाया पर बैनामा का तहरीर करना लाजिमी नहीं है—कानून माहदा की दफा ४६ से ५० तक के पढने से यह मालूम होगा कि किस वक्त और किस जगह पर रूप्या अदा किया जावे या हाजिर करना चाहिये—बाया की तरफ से बैनामा की तहरीर और खरीदार की तरफ से कीमत की अटाई अक्सर एक ही साथ हुवा करती है, इस लिये अगर बाया पहिले ही से बैनामा तहरीर करने से इकार करे तो खरीदार पर लाजिमी नहीं है कि वह रूप्या हाजिर करे या बैनामा का मसबदा लिखकर बाया के खबरू पेश करे [ब्रेम्बर्ड हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ४ सफा १२५ ईसाजी आदिपजी—बनाम—भीमजी प्रशोतम]

जायदाद का कबजा हवाला करना:—बाया पर लाजिमी है कि

प्रिया हुई जायदाद का कजरा खरीदार के हनाया करे-जिस किरम की जायदाद हो उसी किरम का कजरा भी खरीदार को देना चाहिये-अगर फीकेन आपुस में यह इकफार करे कि जायदाद का कजरा किसी खाम तरीके पर दिया जावे तो ऐना इकफार तामील करना जरूर है और कजरा जायदाद का खरीदार को उसी तरीख पर दिया जावेगा-जब कोई जायदाद एक मर्तजा बजरिधे बेनामा रजिस्टरी शुदा के मुन्त-किल की गई हो तो ऐना इन्तकाल उस तार पर ममूर नहीं किया जा सकता है कि बेनामा की पीठ पर मसूरि की इवारत लिख कर उसकी रजिस्टरी न कराई जावे-यहांकि ऐसे इन्तकाल की रजिस्टरी लाजमी है-ओर अजरुय दफा ९२ एकट गवाहन ने १ सन १८७२ ई० ऐसे गवाहन की ममूरि के बात जबानी शहादत नहीं दी जा सकती है [ड ला १८ ब्रॉड जिल्द २ सफा ५४७ उमेदगळ मोतीलाल-पनाम-दायी-]

सरकारी रसूम वगैरा का अदा करना—एकट दादगमी खास गी. दफा १८ जिमन [क] के रू से जब कोई बाया जायदाद विला जिम्मेदारी किनी बोश के बेचना कनूळ कर मगर वह जायदाद बपत्र ऐमे रकम के पहिले ही भे रहन हो चुकी हो, कि जिम्मेदारी तादाद जर समन यानी प्रिया के रूप्या से लियादा न हो और बाया दर अंतर्ग निक जयदाद मजबूर के बरी करने का हक रखता है तो ऐसी हालत में खरीदार उसे उस बात पर मजबूर कर सकता है कि वह जायदाद को रहन से छुटाकर उस का बेनामा लिख दे-लेकिन इस दफा के पढ़ने से भी यह पाया जाता है कि जब कोई शर्त बरखिलाफ इसके न की गई हो, तो ऐसा गुमान कर लेना चाहिये कि इन्तकाल के साथ यह शर्त लगी है कि जायदाद पर पेजर के रहन व बगैरा की कोई जिम्मेदारी नहीं है-जायदाद को रहन या किसी दूसरी जिम्मेदारी से छुडाने का काम बाया का है और अगर खरीदार को रहन वगैरा का रूप्या देना पडा हो तो उस की अदाई बाया करेगा-लेकिन अगर खरीदार के पास जर समन का कुछ रूप्या बच रहा हो तो उसे अखत्यार है कि ऐमे रूप्या को अपने पास रखकर खुद जायदाद के रहन से छुडाने में खर्च करे-याद रखना चाहिये कि जो रकम इन किरम के प्रमूजिव अदा की जावे वह साथ नैक नियती के अदा होना चाहिये (देखो ड ला रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ५६६, ड ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ६६०) अगर कोई रकम इमगरज से पेटाई जावे कि जायदाद के निस्तत बनाने की हक पैदा किया जावे या जब ऐसी रकम जीवत विमर्गना

रहन वगैरा के या जर लगान के न हो तो पटाने वाले शरस का कुछ दावा नहीं चलेगा—मुद्दे के लिये यह साबित करना जरूर है कि जिस जिम्मेदारी की अदाई उस ने की उस में मुद्दालेह कुछ हक या गरज रखता या [इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ४ सफा ६४३ देसाई हिम्मतसिंगजी—ब्रनाम—भाना वाई] ऊपर लिखी तहरीर से यह मतलब निकलता है कि रकम मजबूर इस तरह पर न पटाई जावे कि जिस्से यह पाया जावे कि पटाने वाले ने खुद होकर अपनी ही तरफ से अदा किया हो [देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा १८ सामा मुन्दी वाई—ब्रनाम—अधर चद्र सरकार]

जिमन बाबत हक की जिम्मेदारी:—इस जिमन के रू से बाया के निसबत

यह क्यास किया जावेगा कि उस ने यह माहदा यानी ठहराव किया कि वह जायदाद के मुन्ताकिल करने का इस्तेहकाक रखता है—इसी मजमून का हुक्म एकट दादरसी खास की दफा २५ जिमन (ब) में दर्ज है—इस जिमन के बमूजिव ऐसा मान लिया जावेगा कि बेचने वाले फरीक ने जायदाद में इस्तेहकाक कामिल यानी पक्का होने के बारे में जिम्मा लिया, और अगर बाद खरीदी मोल लेने वाले को जायदाद में कोई बड़ा भारी नुकस का हाल मालूम हो जावे तो वह माहदा के मन्सूख कर देने का मुस्तहक होगा [इ. ला रि. बम्बई जिल्द २० सफा ५२२] लेकिन ऐसी सूरत में उसे कुल माहदा रद्द करना चाहिये—इस्तेहकाक पक्का होने की जिम्मेदारी का फायदा सिर्फ खरीदार और उस के कायम मुकाम लोग ही उठाने के हकदार न होंगे बल्कि पीछले मुन्ताकिल अलेह भी जो उन के रू से दावा करते हो ऐसा फायदा पावेंगे—और जब जायदाद आपुस में बांट ली जावे तो जिम्मेदारी का फायदा हिस्सा रसदी के मुताबिक हर एक मुन्ताकिल अलेह को मिलेगा [देखो नजीर इगळिस्थान जिल्द २ सफा ३४३—नोबल—बनाम—केस] जब खरीदार की तरफ से बेचने वाले पर इस्तेहकाक के मजबूती की जिम्मेदारी की शर्त के रू से हरजा की नालिश दायर की जावे तो बाया को यह उजूर करने की इजाजत नहीं दी जावेगी कि खरीदार को जायदाद के नुकस की इत्तला थी, क्योंकि अजरख्य दफा ९१ एकट शाहादत इस अमर की सबूती में जबानी शहादत फाबिल मजूरी नहीं है—

अजरख्य मद ६१ एकट मियाद जब मुद्दे ने मुद्दालेह की तरफ से रूप्या पटाया हो तो वह ऐसी रकम के बाबत तारीख अदाई से तीन साल के अन्दर नालिश दायर

कर सकता है—लम्ब “अदाई” से सच मुच में रूप्या का पटाया जाना मुराद है और न वह रकम जिसे बायत नालिश की गई हो या जो तल्ल की गई हो—यही मुदत मियाद की माहदा की मसूबि के लिये मुकरर है—और यह मियाद उम तारीख में शुमार की जायेगी कि जब मुदई को अन्वय मर्तजा उन हालत की बकफियत मिठ चुकी है कि जिन के जोर पर वह माहदा की मसूबि का दाना करता हो—

नीलाम इजराय डिगरी:—जो कायदा इस दफा में लिखा है वह

नीलाम अदालत दौरान इजराय डिगरी से ताल्लफ नहीं रखेगा—यह कायदा इस बिना पर कायम किया गया है कि खरीदार जायदाद बजरिये माहदा खानगी को बेचने वाले के हक के निसबत तहकीकात करने का पूरा मोका मिलता है और यह इम अमर में अपना इतमीनान कर सकता है कि बाया का हक पक्का है या कच्चा—और वह अपने इस्तेहकाक की मजबूती बजरिये शरतों के कर मक्ता है यानी बेचने वाले फरीक से जिस तरह चाहे शरतें तहरीर करा सकता है—अगर वह ऐसी हौशियारी न करेगा तो ऐसा तसौअर किया जायेगा कि उसी की गफलत यानी सुरती की वजह से उस को नुकसान उठाना पडा—लेकिन जो शरस अदालत के नीलाम में कोई जायदाद खरीद करता है उसे मुदाय्येट के इस्तेहकाक की तहकीकात करने का पूरा मोका नहीं मिलता है क्योंकि नीलाम करने वाला अहलकार परी पूरी बातों के निसबत सही तौर पर ज्ञान नहीं दे सकता है—नीलाम अदालत में मदयून डिगरी के हक, हुकुक वो इस्तेहकाक बेचे जाते है चाहे उन में कैसे भी नुकस वो ऐव होयें—पस मजमूआ जान्ता ठीगानी की दफा ३१३ में यह हुकम है कि खरीदार नीलाम सिर्फ इस बिना पर मसूबि नीलाम के लिये अदालत में दरखास्त पेश कर सकता है कि जिस शरस की जायदाद नीलाम हुई उस को जायदाद में कुछ हक हासिल नहीं है—इस का मतलब यह है कि नीलाम उसी सुरत में मसूख किया जायेगा कि जब यह साबित हो जाये कि मदयून डिगरी का जायदाद में कुछ हक नहीं है [देखो इ ल रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ५७७ मुन्नासिंग—बनाम—गजागर] लेकिन अगर यह पाया जाये कि मदयून डिगरी का जायदाद के सिर्फ एक हिस्से में हक है तो नीलाम बहाल रखा जायेगा [इ ल रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा ६२६ रामकुमार—बनाम—सोशी] अगर खरीदार ने यह बात जानकर जायदाद नीलाम में खरीद की हो कि मदयून डिगरी का जायदाद में कोई इस्तेहकाक कागिल इन्तकाल नहीं है तो वह नीलाम मसूख कराने में रोना जायेगा

[इलाहाबाद जिल्हा ३ सफा १२७ महावीर प्रसाद-बनाम-दुमान्द]

मुस्तसनाः—इस दफा में नर्ज किया हुआ कायदा को यह फायदा, कि अगर बेची हुई जायदाद में कोई नुकस हो तो खरीदार वै ममूख करा सकता है, तीन सूतों में जायल यानी नष्ट हो सकता है यानी, (पहिले) जब खरीदार को खाम तौर पर इत्तला हो, (दूसरे) जब उस ने चुप बैठ कर जानबूझकर अपना हक वापस ममूखी वै को छोड़ दिया हो, (तीसरे) जब फरीकन के दरमियान कोई माहदा यानी- ठहरान खास तौर पर हुआ हो—अब हर एक मुस्तसना के निम्नवत अलग अलग तशरीह लिखी जाती है

(पहिले) इसका मतलब यह है कि मोल लेने वाले को जायदाद खरीद करने के वक्त यह माहूम हो गया हो कि जायदाद में फलाना नुकस है और उस ने जान बूझ कर जायदाद मजबूर खरीद की है तो ऐसी हालत में खरीदार वै मसूख कराने का हकदार न होगा [बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्हा १ सफा ७७, ३ ला रि कलकत्ता जिल्हा ९ सफा १०६] सिवाए उस सूत में कि जब उस ने बेचने वाले फरीक के साथ साफ तौर पर यह अर्त कर ली है कि उसे उमदा हक दिया जावेगा, पर ऐसी हालत में यह क्यास न किया जावेगा कि खरीदार को जायदाद के नुकस की इत्तला मिल चुकी थी [इला रि कलकत्ता जिल्हा ३ सफा ३४१ रमचन्द्र-बनाम-द्वारकानाथ]

(दूसरे) अगर खरीदी जायदाद के बाद खरीदार जायदाद मजबूर के निम्नवत ऐसी कार्रवाई करे या अरसे तक खामोश चुप बैठे-तो क्यास कर लिया जावेगा कि जो फायदा ममूखी वै के बारे में उसे इसदफा की हसे हासिल था वह खरीदार छोड़ बैठे—मसलन, खरीदार सब लोगो से आम-तौर पर यह कहता किरे कि अब तो मेने जायदाद खरीद कर चुका, इसमें चाहे फायदा हो या नुकसान हो और अब में जायदाद का-निळा शरतिया-मालिक बन गया—जहां कहीं बंगर, कहे खरीदार जायदाद का फौरन कबजा करले तो उस का इस तौर पर कबजा करलेना यह ख्याल पैदा करता है कि खरीदार ने अपने हक की जिम्मेदारी छोड़ बैठा

लेकिन अगर फरीकैन की मंनशा के मुताबिक खरीदार ने कबजा ले लिया हो या खुदा बाया की रजामन्दी के साथ, तो इन सभ बातों से यह गुमान नहीं होता है कि खरीदार ने अपने इस्तेहकाफ की जिम्मेदारी वो मजबूती का हक्क छोड़ दिया—(देखो गौर साहिन बेरिस्टर की किताब शरह एक्ट इन्तकाल जायदाद सफा २१० फिकरा ३३५)

(तीसरे) इस के बारे में फरीकैन के दरमियान साफ शर्तें होनी चाहिये— धोखा देने वाली शर्तों की तामील कानून के रूसे न कराई जायेगी— मसलन जब फरीकैन के दरमियान यह शर्त करार पाई हो कि खरीदार भिला तक़ार बाया का हक्क कबूल करेगा, कि उस के इस्तेहकाफ के निस्तन्त कुछ तहकीक़ात न की जायेगी, कि उस का यानी बाया का हक्क वही है जो उसे हासिल है या जो उस ने मुसम्मि [अ] के पास से लिया है—[देखो गौर साहब बेरिस्टर की किताब शरह एक्ट इन्तकाल-जायदाद सफा २११ फिकरा ३३८)

हक्क बाया दरमियान तारीख माहदा व तारीख वैः—इस दफा की रूसे जायदाद गैर मनबूला के बेचने का खाली माहदा यानी ठहरान करने से जायदाद की हक्कीयत खरीदार को नहीं मिल जाती है—इस लिये जब तक वै कामिल तौर पर पूरा न किया जाये तब तक बेचने वाला फरीक जायदाद का जरलगान व मुनाफा पाने का मुस्तहक तसौवर किया जायेगा—वै कामिल हो जाने के बाद बाया को जायदाद के मुनाफा में कुछ हक्क हासिल न रहेगा, अलत्रत्ता जर समन के वाबत जो रकम बिना पटाए बच जाये उस के बारे में बाया का हक्क जायदाद में रहेगा—अगर तारीख मुकरर पर जायदाद के खरीद करने या बेचने में देरी हो और इस देरी का जिम्मेदार बाया या खरीदार में से कोई हो तो जिस फरीक के कसूर से देरी हुई है वह दूसरे फरीक दरमियानी मुद्दत के वाबत मुनाफा का देनदार होगा—मसलन, खरीदार जायदाद को कबजा तो दे दिया गया है मगर उस ने खरीदी का रूपा दारिल करने में कसूर किया तो ऐसी हालत में उसे या तो इस रूपा पर सूद अदा करना पड़ेगा या जायदाद पर कबजा रखने के वाबत लगान या किराया देना पड़ेगा—अगर बैनामा तहरीर किये जाने के लिये कोई वक्त मुकरर न हुआ तो भी खरीदार को खरीदी के रूपा पर सूद अदा करना पड़ेगा सिवाए उस सूद में कि जब बाया

को इत्तला देने के बाद रूप्या फजूल कहीं पडा रहे—अगर खरीदार माहदा की तारीख से कार्बिज हो गया है तो उसी तारीख से उस को सूद देना पडेगा लेकिन दूसरी सूत में कबजा लेने की तारीख से सूद वाजिबुलअदा होगा [देखो गैर साहब बेरिस्टर की शरह एकट इन्तकाल जायदाद कितान अगेरजी सफा २१२ फिकरा ३४२]—बिला पठाए हुए जर समन यानी खरीदी के रूप्या के बावत बाया को जायदाद पर मवाखजा यानी वोश का हक हामिल है—अगर उस ने जायदाद का कबजा खरीदार के हवाला नहीं कर दिया है तो वह कबजा की हवालगी के पेस्तर रूप्या तलब कर सकता है [३ ला रि बम्बई जिल्द २ सफा ५४७ उमेदमल—बनाम—दायाबिन ढोंडिना] एक खरीदार जायदाद गैर मनकूला ने बिना पटे हुए जर समन की अर्दाई में चद तमस्मुक बाया के हवाला किया—इन तमस्मुकों की रजिस्टरी न होने की वजह से वे शहादत में नहीं मजूर किये गये—ऐसी हालत में बाया को जर समन के रूप्या के बावत बेंची हुई जायदाद में अपना इस्तेहकाक बजरिये नालिश कायम कराने की इजाजत दी गई—[३ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा ४८ वीरचद—बनाम—कुमाजी] बाया को यह हक उस सूत में भी हासिल रहेगा कि जब खरीदार ने वही जायदाद मुफ्त में बिला बदल किसी शरस के हाथ बेच दी हो या जब मुन्तकिल अलेह को बाया का रूप्या न पटने की इत्तला मिल चुकी हो—लेकिन अगर किसी शरस ने नेकनियती के साथ रूप्या देकर या बाया को रूप्या जर समन का न पटने की इत्तला के बगैर खरीद किया हो तो ऐसे शरस पर बाया का कुछ हक न रहेगा—[देखो तशरीह—दफा १००—एकट—हाजा.]

नालिश के लिये मियादः—जो नालिश व अदालत दीवानी बाया की तरफ से बेची हुई जायदाद पर जर समन की रकम के बावत इस्तेहकाक कायम कराने की गरज से दायर की जावे उस के वास्ते मियाद बम्बई सफा १११ व १३२ एकट मियाद के शुमार की जायेगी [३ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा ४८, ३ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ८४६, ३ ला रि अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ४५४ हरलाल—बनाम—मोहम्मदी]—और, जब जर समन का रूप्या बजरिये किस्तों के अदा किये जाने के बावत इकरार या उहराव हो तो जिस वक्त हर एक किस्त की मियाद खतम हो जावे उसी वक्त नालिश दायर करने का इस्तेफान पैदा हो जाता है [देखो नजीर इंगलिस्थान चेन्सरी टिवीजन जिल्द १५ सफा ६४९.]

खरीदार पर लाजिम है ऐसे हालात का बतलाना कि जिसे जायदाद की कीमत बढ़ जावे:-मिथ वाया के मोल लेने वाले पर भी लाजिम है कि ऐसे हालात को बाया पर जाहिर करे कि जिन से जायदाद की कीमत जियादा हो जाये और जो उसे माहूम है मगर जिन का हाल बेचने वाले की नहीं माहूम था-क्योंकि हर एक खरीदार को नेकनियत के साथ मामला वै का करना चाहिये-एक मुकदमा में साहब जज हरन जल फरमाते है-“ अगर कोई शरस हमारे पास आकर अपनी जायदाद बेचने का इगटा जाहिर करता है और हम जानते है कि जो कीमत जायदाद के बावत शरस मजदूर मागता है उसमे टगअसल जायदाद मजदूर पचगुनी जियादा कीमत थी है, लेकिन वह शरस इन बात को नहीं जानता है कि उस की जायदाद में उस के किस किम्म के हुकूक हासिल हैं और उसे यह भी यकीन हो गया है कि वह अपना इतेहकाक उस में कायम नहीं करा सकता, मगर हम को माहूम है कि वह अपना हव कायम कर सकता है-पस अगर हमें यह सब हाल उससे छुपादे और जायदाद खरीद कर तो हमारी कार्रवाई फग्व में दाखिल होगी” इसी बिना पर एक बुद्धि औरत की तरफ से, कि जिसे अपनी जायदाद की, मालियत का हाल माहूम न था, देनामा बणज गेर काफी मापिजा के मसूब किया गया [देखो इ ला रि बम्बई जिल्द ९ सफा ४९० सदाशिव-बनाम-ठाकुराई]

जिम्मेदारी बावत नुकसानी जायदाद:-जब एक वै मुकाम्मिल न हो जाये और जायदाद का कबजा खरीदार के पास न चला जावे तब तक बेचने वाला जायदाद मजदूर का कुल मुनाफा पाने का मुस्तहक होगा और इसी तरह वह जायदाद मजदूर के बरवादी व नुकसानी का जिम्मेदार समझा जायेगा-बाद का मिल होने वै के यह कुल हुकूक और जिम्मेदारिया खरीदार को मुन्तकिल हो जाती हैं

दफा ५६ जब एक ही करजे का मन्नाखजा

दो जायदाद में से एक की दो अलग अलग जायदाद पर विधी जिन पर मन्नाखजा हो और उन में से एक बेच

दी जावे, तो खरीदार को बमुकबले बाया के यह अख-
त्यार होगा कि अगर कोई माहदा यानी ठहराव
इस के बरखिलाफ न हो चुका हो तो करजा मजकूर
की अदाई पहिले बिना बेची हुई जायदाद में से,
जहां तक उरमें गुंजाइश हो, कराए—


त श री ह.

यह दफा खरीदार के फायदा की गरज से कायम की गई है—मतलब उस
का यह है कि जब एक शख्स के पास दो जायदाद हों और दोनो पर भी एक ही
करजा रहन वगैरा का बोझा हो, अगर शख्स मजकूर ने अपनी ऐसी दो जायदाद में
से सिर्फ एक जायदाद किसी दूसरे शख्स के हाथ बेचा हो तो अगर इन दोनो
के दरमियान कोई इकरार या ठहराव बरखिलाफ इस के न हुवा तो करजा की
रकम उस दूसरी जायदाद में से की जावे जो उसे नहीं बेची गई, है जहा तक कि
इस जायदाद से करजा की बमूली हो सके—लफज “मगखजा” की तारीफ के वारते
देखो दफा १०० एकट इन्तकाल जायदाद—डार्ट साहब अपनी कित्ताव मे इस दफा
का मतलब तमसील के जरिये से समझाते है—अगर दो जायदाद पर जो [क]
वो [ख] के नाम से कही जाती हैं, एक ही करजा हो लेकिन [क] नाम की
जायदाद मुसम्मी [अ] के हाथ बेच दी गई—[अ] को बमुकबले बेचने वाला और
उस के कायम मुकाम के अजरूय कानून वाजाबियत यह अखत्यार होगा कि अगर
कोई खास इकरार फरीकेन के दरमियान न हुवा हो तो कुल करजा की अदाई (ख)
नाम की जायदाद में से [क] नाम की जायदाद को बरी करके कराई जावे, चाहे
उसे ऐसे करजा की इत्तला मिल चुकी हो या नहीं—अगर ऊपर लिखी सूरत में कोई
तीसरा शख्स मुसम्मी (ब) [ख] नामी जायदाद को यह जान कर खरीद करे कि
करजा की जिम्मेदारी जायदाद पर है और [क] नाम की जायदाद पहिले ही मुसम्मी
[अ] के नाम बिक चुकी है तो ऐसी हालत में उस की जायदाद [ख] दरअसल में
उन्नी तरह जिम्मेदार समझी जावेगी कि मानों वह जायदाद बिना बिकी बाया के कच्चा
में मौजूद है—

दफा के पढ़ने से साफ यह भाइयम होता है कि बापा अपनी जायदाद कई स्मोंदारी के हाथ मुन्तकिल करदे तो खरीदारों को करजे का बोझ हिस्सा रसदी के मुताबिक उठाना चाहिये—

एकट इन्तकाल जायदाद के जारी होने के पेशतर इस दफा मे लिखा हुवा कायदा नीलाम इजराय डिगरी मे मुताल्लुक किया जाता था (देखो इ ला रि मद्राम जिल्द ५ सफा ३८५, इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ७११) कुछ सूत्रों में करजे की जिम्मेदारी बफदर जायदाद समझी जायेगी—

वावत अदाई मवाखजा वरवक्त वै व नीलाम.



दफा ५७--(क) जब जायदाद गैर मन-

हुकम अदालत वावत मवाखजा कूला, जो किसी करजा के
व वै वरी करजे मखजे का

लिये मकफूल हो, चाहे वह करजा फौरन वाजिबुल-
अदा हो या नहीं, अदालत के हुकम से या इजराय
डिगरी में या बिला तवस्सुत अदालत के वै या नीलाम
की जावे, तो अदालत मजाज है कि अगर मरलहत
देखे तो किसी फरीक मामला नीलाम या वै की
दरखास्त पर नीचे लिखी तफसील के मुताबिक
अदालत में दाखिल होने की हिदायत करे या उस
की इजाजत देवे;

(१) जब जायदाद किसी सालियाना या माह-

वारी रकम की अदाई के वास्ते मकफूल हुई हो या जायदाद का कोई भियादी हक किसी असल रकम के बदले मकफूल हुवा हो, तो उस कदर तादाद दाखिल की जावेगी जिसके एवज उस कदर किफालतनामे गवर्नमेन्ट हिन्द के खरीद हो सकते हों जिन का सूद अदालत की राय में करजा के दवा रखने या उस की अदाई के लिये काफी हो; और

(२) बाकी हर सूरत में कि जब कोई जायदाद किसी असल रकम के बावत भाखूज हुई हो तो उस कदर तादाद दाखिल होगी जो करजा का रूप्या और उस के सूद के लिये जो बड गया हो किफालत करे-

लेकिन दोनों सूरतों में एक और ऐसी जायद रकम अदालत में जमा कराई जावेगी जिसे अदालत जियादा खर्चा वो इखराजात व सूद और दूसरे चिल्हर खर्चों की अदाई के वास्ते काफी समझती हो, सिवाए कमी मालियत किफालतनामों की और जो शुरू में दाखिल की हुई रकम के दसवें हिस्से से जियादा न हो, उस सूरत को छोड़ कर

कि जब अदालत किसी खास बजुहात पर (जिन्हें अदालत लिख लेवेगी) जियादा भारि रकम तलब करना मुनासिब समझे--

(ख) इस के बाद अदालत मजाज होगी कि, अगर वह मुनासिब समझे, और मवाखजेदार को इत्तला देने पर, या बिना देने इत्तला के जब अदालत ऐसे बजुहात पर, जो लिखे जावेंगे अदालत ऐसी इत्तला का देना मुनासिब न समझे, यह जाहर करदे कि जायदाद मजकूर माखूजी यानी बोभ से खलास हो गई और दूसरा कोई हुक्म बाबत तहरीर बैनामा या निसबत नीलाम के सादिर करे और जो रूप्या अदालत में दाखिल हो-गया उस के रखने और मुनाफा पर लगाने की बाबत हिदायत करे----

(ग) बाद तामील होने इत्तलानामा उन शख्सों पर जो अदालत में जमा की हुई पुंजी या नकदी रकम से चास्ता या उस के पाने का हक रखते हों अदालत यह हिदायत कर सकती है कि तादाद मजकूर उन शख्सों को हवाला

या उन के नाम मुन्तकिल की जावे जो उस के लेने या उस की बाबत फारखती यानी छूट लिखने की मजाज हों, और आम तौर पर निसबत काम में लगाने या तकसीम करने रकम जमा की हुई अदालत या उस की आमदानी के हिदायत कर सकती है—

(घ) ऐसी हर तजवीज या हुक्म या हिदायत की नाराजी से जो इस दफा की वमूजिव अदालत से सादिर हुवा हो उसी तरह अपील करना जायज है कि जिस तरह डिगरी की नाराजी से अपील हो सकती है—


(ङ) इस दफा में लफज “अदालत” से मुराद है, [१] अदालत हाई कोर्ट जब कि वह अपने अखत्यारात इब्दताई वसीगा दीवानी मामूली या गैर मामूली अमल में लाती हो. [२] उस जिला-जज की अदालत जिसकी हुकूमत के हद्द के अन्दर जायदाद या उस का कोई हिस्सा वाकें हो [३] हर दूसरी अदालत जिस्को लोकल गवर्नमेन्ट वक्त वक्त सरकारी गजट में इश्तहार के जरिये से उन

अखत्यारात के बरताव करने की मजाज करार देव जो इस दफा की रू से अता किये गये हैं-

त श गी ह


यह दफा इन गरज से कायम की गई है कि जब कोई जायदाद जिम पर कुछ जिम्मेदारी का बोधा हो, [मसलन रहन या साखियाना या माहवारी रकम उसकी आमदानी में पठाए जाने का बोझ] ऐसी जिम्मेदारी में माफ़ रखकर बेची जावे तो अदालत से इस मामले में मदद ली जा सकती है, यानी अदालत के पास दरखास्त गुजरने पर अदालत यह हुक्म दे सकती है कि जायदाद मजकूर दिल किमी जिम्मेदारी के बेची जावे बशर्त कि रकम वरते अदा करे गवाबेदार के [यानी भिस्ता करजा हो] अदालत में जमा करदी जावे या इस करार पर रुपया अदालत में जमा किया जावे जिस के सूर से, जो सरकारी कारगों की खीदी पर भिस्ता है, माहवारी को साखियाना रकम पगरी जा सके, और कुछ खर्ची वारा जो इस दफा के मुताबिक कारकिर्द करने में लगे दरखस्त करने वाले करीब जो अदा करता येगा-यार्द रखना चाहिये कि इस दफा के बर्नबव अदालत अपने ही तरफ से कुछ कारिदाई नहीं करेगा बल्कि किमी परीक याता माफ़ लेनेवाला या बेचने याजा जायदाद को दरखस्त पेश करना चाहिये पेसी दरखस्त पेश होने पर अदालत का मामूली तौर पर गवाबेदार के नाम याता जिन शास की जिम्मेदारी जायदाद पर कायम हो एक नोटिस जारी करना चाहिये इस मजबूत का कि तुम अपने करजा की तादाद बयान करो और यह बतलाव कि उस के बदले किस किस का जमानत मजूर करोगे.

लखजों के मायनी- "मजखजा" - इस लफ्ज की मारीक इत एक्ट में करी नहीं की गई है मगर उस्ने रहन वी किसी शईन को उल को आमदानी में से साखियाना या माहवारी रकम को पानी मुदा दे मनखन किमी शईन का जायदाद में से परवरिश पाने की हक- "मजकूठ करना" यानी रंशन करना या दूसरे तौरों से जायदाद पर किमी करजा या माहवारी वी साखियाना रकम की दावत जिम्मेदारी डालना "देन" के मायनी करजा या देनी,



बावः—४

बाबत रहन जायदाद गैर मनकूला व मन्दाख-
जे जांत यानी बोझ के बारे में.



दफा ५८. (अ) रहन मे मुराद है इन्त-

तारीफ रहन राहिन व
मुर्तहिन

काल हकीयत किसी खास जायदाद

गैर मनकूला का जो बगरज अदाई उस रूप्या के,
जो बतौर पेशगी या बतौर करजा हाल या आयन्दा
के दिया गया हो या जिस्के देने का इकरार हुवा
हो, या- इतमीनान तामील किसी माहदा यानी
ठहराव के, जिस्मे कोई जिस्मदगी नकदी रूप्या
के बाबत पैदा होती हो, किया गया हो-

इन्तकाल करने वाला राहिन कहलाता है
और जिस्के नाम मुन्तकिल किया जावे वह मुर्तहिन
कहलाता है; और वह अमल रूप्या मय मूद जिस्की
अदाई के इतमीनान के लिये जायदाद किसी
मुहन तक मकफूल की जाय उसे "जर रहन"
कहने हैं; और दस्तवेज (अगर कोई हो) जिस्की
रू से इन्तकाल किया जावे रहन नामा कह-
लाता है--

(ब) जब बिला हवाला करने कबजा ऊपर सादा रहन जायदाद मरहूना के राहिन अपनी जात को इस बात का पाबन्द करे कि वह रहन का रूप्या अदा कर देगा और साफ तौर पर या छुपे तौर पर इकठ्ठा करे कि कबजा की अदाई ठह-राव के मुताबिक न किये जाने की हालत में मुर्तहिन हकदार होगा कि जायदाद मरहूना को नीलाम कराए और नीलाम के रूप्या को, जिस कदम जरूरत हो, जर रहन के पटाने में लगावे तो यह माहदा रहन सादा कहलावेगा और ऐसा मुर्तहिन सादा मुर्तहिन कहलावेगा.

(क) जब राहिन जाहिरा में रहन की हुई रहन मरत में जायदाद को बेकरते इस शर्त पर कि एक खास तारीख को रहन का रूप्या न पटाने की सूचना में मामला वै का बेबात हो जावेगा, या इस शर्त पर कि अगर रहन का रूप्या इस तरह पर पटा दिया जाए तो मामला वै का रद्द हो जावेगा या

इस शर्त पर कि रूप्या मजकूर पटाए जाने की हालत में खरीद करने वाला जायदाद को बेचने वाले के नाम फिर मुन्तकिल कर देगा तो यह

मामला रहन वशर्त वैबुलवफा कहलाता है और ऐमे मामले का रहनदार मुतहिन वैबुलवफा कहलावेगा--

(ड) जब राहिन जायदाद मरहूना का रहन बिल कब्ज कब्जा मुतहिन के हवाला करदे और उस के अखत्यार देवे कि रहन के रूप्या की अदाई तक वह उस पर अपना कब्जा रखे और जर लगान व मुनाफा जो उससे पैदा हो लेता रहे और ऐमे जरलगान व मुनाफा को सूद या असल रूप्या रहन के बदले या कुछ सूद के बाबत और कुछ असल रूप्या रहन के बाबत हिसाब में लेवे तो यह मामला रहन बिल कब्ज कहलाता है और रहनदार मुतहिन बिल कब्ज कहलावेगा.

(ई) जब राहिन यह इकगार करे कि वह रहन अजेजी मुतहिन की हुई किसी तारीख पर रहन का रूप्या अदा करेगा और जायदाद मरहूना को कतई तौर पर मुतहिन के पास मुन्ताकिल करदे अगर इस शर्त के साथ कि जिस वक्त रहन का रूप्या इकगार के मुताबिक अदा कर दिया जावे तो मुतहिन जायदाद मजकूर को फिर रहन के पास

मुन्तकिल कर देगा तो यह मामला बतौर रहन इंगलिशया यानी अंगरेजी रहन के कहा जावेगा—

त श री ह

चोथा चार जायदाद गर मनकूला के रहन के बारे में हे—इस दफा मे लज्ज “रहन” की तारीफ़ तौ गर्द हे और यह बतलया गया हे कि रहन चार किस्म की हे—यानी रहन नादा, रहन जगर्न वैवान, रहन मिल कज्ज यो रहन अंगरेजी—रहन सादा का हालत मे रूप्या का कगर चूर जाने पर जायदाद मरहूना नीलाम हो सकेगी और रहन वैवात की मूरत में जायदाद मरहूना का कज्जा मुर्तहिन की मिल जात हे, मगर जब रहन कज्जा के साथ हो तो तारीख रहन मे मुर्तहिन की जायदाद का कज्जा छेलेने का अड्यार हामिल हो जाता हे, चोथे किस्म का रहन यानी रहन इंगलिशया सिर्फ़ प्रेसीडन्सी राहर में, यानी राहर कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में जागी हे और कसबेजाय मुफ्तील मे अग्रेजा के दरमिमान यह रहन जायज हे—खयाल करना चाहिये कि रहन चायदाद गैर मानकूला यो रहन जायदाद मनकूला मे फरक हे—मनकूला माल के रहन को अकसर गिरवी कहलें हे—गिरवी मे कज्जा गिरवीदार को इस दक के साथ दिया जाता हे कि जा तक करजा की अदाई न हो जाये वा किसी दूसरे इकरार की तामील न हो जाये तब तक वह उन जायदाद पर काबिज बना रहेगा—गिरवी जायदाद मनकूला की हालत मे कज्जा बहुत जरूरी हे मगर रहन की मूरत मे यह जरूरी बात नहीं हे—

लफ्ज “जायदाद गैर मनकूला” की तारीफ़ इस एक्ट की दफा ३ में दर्ज हे और मयाखजा की तारीफ़ इस एक्ट की दफा १०० मे बयान की गइ हे—

मिस्टर महमूद संहिद्वर जस्टीस ने बमुकरमा इ ला रि अउलायाद जिल्द ९ सफा १२१ (गोपाल पाडे—बनाम—परमोत्तम दास) रहन की तारीफ़ इस तौर पर बयान किये हे कि रहन से बइ करजा मुराद समझना चाहिये जिसकी अदाई के लिये जमीन

या टीगर फिरम की जायदाद गैर मनकूला का इतमीनान किया गया हो- इस तारीफ के मुताबिक रहन वह इन्तकाल जायदाद गैर मनकूला का है जिसके जागिये से जायदाद की हकीमत साहकार के नाम चंद शरतों के साथ मुन्तकिल हो जाती है-मसलन रहन कित्त कब्ज की सूरत में जायदाद पर कब्जा रखने और उस की आमदानी व मुनाफा पाने का हक साहकार के नाम मुन्तकिल किया जाता है-(इ छा रि. अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ११३)

हर रहन में नीचे लिखी तीन बातें दरकार है:- (१)

हकीमत का इन्तकाल, (२) किसी खास जायदाद गैर मनकूला में, (३) बतौर जमानत वास्ते अर्दाई करजा के- जिस मामला में ये कुछ बातें हो वह मामला रहन समझा जायेगा और जिस मामले में इन तीनों बातों में से कोई भी न हो तो वह रहन की हद तक नहीं पहुचता है-

अगर राहिन की तरफ से सिर्फ यह इकरार किया जाये कि वह अपनी जायदाद मुन्तकिल न करेगा मगर दस्तावेज में ऐसी इबारत न इस्तैमाल की जाये कि जिसे किसी खास जायदाद गैर मनकूला के रहन करने का इरादा पाया जाये तो यह मामला रहन न कहा जायेगा (इ छा रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ८८२, प्रींगी कागसिल कादर मोईदीन-बनाम-नेमिअन) यह बात कि राहिन की असठी मनशा क्या थी दस्तावेज की शरतों से हालात मामला से या दोनों बातों से दरयाप्त हो सकती है (इ छा रि अलाहाबाद जिल्द १९ सफा ४३४ बालकिशन दास-बनाम-लेगे) इस के बारे में जबानी शहादत दी जा सकती है

जायदाद मरहूना की तफसील:-हर रहन नामा में रहन की हुई जायदाद की निसबत साफ तौर पर तफसील दर्ज होना जरूर है-बहुत से ऐसे मुकदमा हो चुके हैं जिन में हाई कोर्ट का यह राय करार पाई है कि जिस रहन नामा में जायदाद मरहूना के निसबत साफ तफसील न लिखी हो वह बतौर रहन के जापज न तसौब्वर किया जायेगा-एकट रजिस्टरी न ३ सन १८७७ ई० की दफा २१ व २२ के रू से अब रजिस्टरी करने वाले अफसरो को ऐसी हालत में दस्तावेजों की रजिस्टरी इकार करने का अखत्यार दिया गया है कि जब दस्तावेज में जायदाद मरहूना के बाबत पूरी तफसील न दर्ज की गई हो-तफसील के वास्ते जायदाद का नाम लिखना जरूरी तो नहीं है मगर यह बात लिखना बेहतर है, मसलन

वजरिये एक दस्तावेज के मुसम्मी (अ) ने अपने भाई के हक में उन मौजों के निमबत मराखजा यानी बोझ रहन का कायम किया कि जो उसे अता किये गये थे, लेकिन उन मौजों का नाम नहीं लिखा गया था, तजरीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि रहननामा में मौजों का नाम न लिखने की वजह से मजमून दस्तावेज का इस फदर मोहमिल न समझा जायेगा कि निस्से रहन जायदाद का नाजायज समझा जाये (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ११ कन्हेया लाल-बनाम-मौहम्मद हुसैन खा) एक दस्तावेज रहन जिस्में सिर्फ यह शर्त दर्ज थी कि बतौर जमानत करजा के हमारी जायदाद पैमायशी न १७० व ७७८ बरकै मौजा पेठ है-[इ ला रि बम्बई जिल्द २० सफा ४०८ इजत्रास कामिल] नजीर वमुकर्रमा इ ला रि मद्रास जिल्द १० सफा ५०९ नामजूर की गई-जिस दरतावेज में सिर्फ यह लिखन हो कि "हम बतौर जमानत करजा अपनी जायदाद मय कुठ हक वो हुकूम रहन रखते हैं" और करजदार इस दस्तावेज में यह कहीं नहीं बयान करता है कि वह कौन सी जायदाद है, पर ऐसी हालत में हाई कोर्ट की यह राय हुई कि ऐसा दस्तावेज बिलकुठ मोहमिल है, वह रहने की हद तक नहीं पहुचता है-[इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १ सफा २७५ देनजी-बनाम-पितभर] इसी तरह वट्टे दरतावेज भी रहननामा न कहा जायेगा जिस्में यह शर्त दर्ज हो कि "अगर कल्प्या की अदाई हम से न होगी तो हम अपनी कुठ जायदाद से करना की अदाई करेगे-" [देखो इ ला रि मन्नाम जिल्द ३ सफा ३५१] अगर पूरी इबारत वो पूरा मजमून दर्ज न होने की वजह से किमी दस्तावेज से रहन का हक न पैदा होता हो तो रहनदार, यानी निम जहम के साथ रहन का माहदा किता गना हो, माहदा की टूट के बरबत हरजा यानी नुकसानी दिखाने की नाखिल गायर कर सकता है और विनाय मुखासमत ऐसी दाबी की उम वक्त पेश होगा कि जब करजदार अपनी जायदाद मुत्तीकठ न करने के माहदा की तामिल करने में मूठ करे यानी माहदा के तोडने की तारीख से (प उ देश रिपोर्टे जिल्द १ सफा १११ रामयस्य बनाम मुखेदव)

रहन वगरज इतमीनान करजा:—रहन के लिये तारीख शर्त जरूरी यह है कि वह वास्ते इतमीनान अदाई करजा कायम किया गया हो और इसी शर्त के जरिये से रहन का मागला वे, तनादला, बरशिश वो ठेका के मामले से

या टीगर फ़िस्म की जायदाद गैर मनकूला का इतमीनान किया गया हो--इस तारीफ़ के मुताबिक रहन वह इन्तकाल जायदाद गैर मनकूला का है जिसके जारिये से जायदाद की हकीयत साहूकार के नाग चद शरतों के साथ मुन्तकिल हो जाती है--मसलन रहन बिल कब्ज की सूरत में जायदाद पर कब्जा रखने और उस की आमदानी व मुनाफ़ा पाने का हक़ साहूकार के नाम मुन्तकिल किया जाता है--(इ. छा रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफ़ा ११३)

हर रहन में नीचे लिखी तीन बातें दरकार हैं:-- (१)

हकीयत का इन्तकाल, (२) किसी खास जायदाद गैर मनकूला में, (३) बतौर जमानत वास्ते अर्दाई करजा के- जिस मामला में ये कुल बातें हो वह मामला रहन समझा जायेगा और जिस मामले में इन तीनों बातों में से कोई भी न हो तो वह रहन की हद तक नहीं पहुँचता है--

अगर राहिन की तरफ़ से सिर्फ़ यह इकार किया जाये कि वह अपनी जायदाद मुन्तकिल न करेगा मगर दस्तावेज में ऐसा इबारत न इस्तेमाल की जाये कि जिसे किसी खास जायदाद गैर मनकूला के रहन करने का इरादा पाया जाये तो यह मामला रहन न कहा जायेगा (इ. छा रि कलकत्ता जिल्द २१ सफ़ा ८८२, प्रींगी काथसिल कादर मोईदीन--बनाम--नेमिधन) यह बात कि राहिन की असन्धी मनशा क्या थी दस्तावेज की शरतों से हालात मामला से या दोनो बातों से दरयाप्त हो सकती है (इ. छा रि अलाहाबाद जिल्द १९ सफ़ा ४३४ बालकिसान दास -बनाम--लेग्गे) इस के बारे में जबानी शहादत दी जा सकती है

जायदाद मरहूना की तफ़सील:--हर रहन नामा में रहन की हुई

जायदाद की निसबत साफ़ तौर पर तफ़सील दर्ज होना जरूर है--बहुत से ऐसे मुकदमा हो चुके हैं जिन में हाई कोर्ट का यह राय करार पाई है कि जिस रहन नामा में जायदाद मरहूना के निसबत साफ़ तफ़सील न लिखी हो वह बतौर रहन के जायज न तसौब्वर किया जायेगा--एकट्ट रजिस्टरी नं ३ सन १८७७ ई० की दफ़ा २१ व २२ के रू से अब रजिस्टरी करने वाले अफ़सरों को ऐसी हालत में दस्तावेजों की रजिस्टरी इकार करने का अख़्तियार दिया गया है कि जब दस्तावेज में जायदाद मरहूना के बाबत पूरी तफ़सील न दर्ज की गई हो--तफ़सील के वास्ते जायदाद का नाम लिखना जरूरी तो नहीं है मगर यह बात उख़ना बेहतर है, मसलन

वजरिये एक दस्तावेज के मुसम्मी (अ) ने अपने भाई के, हक में उन मीजों के निसबत 'मनाखजा यानी बंध रहन का कायम किया कि जो उसे अता किये गये थे, लेकिन उन मीजों का नाम नहीं लिखा गया था, तजवीह हाई कोर्ट यह फरार पाई कि रहननामा में मीजों का नाम न लिखने की वजह से मजमून दस्तावेज का इस फरार मोहमिळ न समझा जायेगा कि निस्से रहन जायदाद का नाजायज समझा जाये (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १ सफा ११ कन्हेया लाल-बनाम-मौहम्मद हुसैन खा) एक दस्तावेज रहन जिस्में सिर्फ यह शर्त दर्ज थी कि बतौर जमानत करजा के हमारी जायदाद पैमायशी न १७० व ७७८ वाले मौजा पेड है—[इ ला रि बम्बई जिल्द २० सफा ४०८ इनश्रास कामिळ] नजीर वनुकरमा इ ला रि मद्रास जिल्द १० सफा १०९ नामजूर की गई—जिस दस्तावेज में सिर्फ यह लिखा हो कि " हम बतौर जमानत करजा अपनी जायदाद मय कुछ हक वो हुकूक रहन रखते हैं" और करजदार इस दस्तावेज में यह कही नहीं बयान करना है कि वह कौन सी जायदाद है, पस ऐसी हालत में हाई कोर्ट की यह राय हुई कि ऐसा दस्तावेज बिल्कुल मोहमिळ है, वह रहने की हद तक नहीं पहुचता है—[इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १ सफा २७१ देवजी-बनाम-पितम्बर] इन्ही तरह रहे दस्तावेज भी रहननामा न कहा जायेगा जिस्में यह शर्त दर्ज हो कि " अगर कृप्या की अदाई हम से न होगी तो हम अपनी कुछ जायदाद से करजा की अदाई करेंगे—" [देखो इ ला रि मद्रास जिल्द ३ सफा ३५१] अगर पूरी इबारत वो पूरा मजमून दर्ज न होने की वजह से किमी दस्तावेज से रहन का हक न पैदा होता हो तो रहनदार, यानी जिम जज्म के साथ रहन का माहदा किया गया हो, माहदा की टूट के बाधत हरजा यानी नुकसानी दिला पाने की नाउश दायर कर सकता है और बिनाय मुखासमत ऐसी दावी की उस तक पैदा होगी कि जम करजदार अपनी जायदाद मुन्तीकूड न करने के माहदा की तामिल करने में भूठ का यानी माहदा के तोडने की तारीख से (प उ देस रिपोर्ट जिल्द १ सफा १११ रामचन्द्र बनाम सुखेदव)

रहन बगरज इतमीनान करजा.—रहन के लिये तीसरी शर्त जरूरी यह है कि वह वास्ते इतमीनान अंदाई करजा कायम किया गया हो और इसी शर्त के जरिये से रहन का मामला वै, तनादला, बखशिश वो टेका के मामले से

पहुँचाया जाता है--क्योंकि इन मामलों में, रिस्ता सादेफागी व करजदारी का बन्द हो जाता है और इन्तकाल घतौर इतनीतान अर्द्ध करजा के नहीं किया जाता है-- लेकिन चूँकि मामलत इस किस्म के होते हैं जो जाहिर में बतौर बेनामा के नजर आते हैं मगर सचमुच में वे रहन हैं-मसजून, जन्नेक निगती के साथ कोई जायदाद वे खरीदी जाये यानी बेंच डाली जाये मगर बेनामा में यह शर्त दर्ज हो कि अगर मुकदर [1] भिजे हुए मुदत के अन्दर बेचने वाला कुछ विकरी का रूपया पटा देगा तो वह जायदाद वापस खरीद करने का हकदार होगा--ऐसा उरुपर या तो बेनामा में घतौर शर्त के लिखा जा सकता है या बाद में दरमियान जायदाद देने वाले व-लेने वाले के कायम हो सकता है--तसकिया इस अमर का कि आया फया मामला दरअसल रहन है या वै है जिसके साथ वापसी खरीदी की शर्त लगी हो, बन्दिहाज खास वाकेआत हर मुकदमा के होना चाहिये, और इस बात के साबित करने के लिये जाननी शहादत ली जा सकती है कि जो दस्तावेज देखते में वे जाहिर में बेनामा मान्य होता है वह सचमुच में रहन है, मसजून [1] जो खूना दिया गया है उस तौर पर बतौर दामत फाकी के नहीं है, कि जो दर सूत मामला वे फागि, की सुत में होता, [2] जिन शम्प के नाम जायदाद लिख दी गई है उस जायदाद का फैरन रजना नही दिया गया, [3] या जब यह जायदाद का लगान या फियाया तो इन्तकाल करने वाले को अश करे और अपने पास कुछ रकम व यत्र सूर के रत्न लें- (देते गतर साहन बारिटर को बत ई हुई शरह एक इन्तकाल जायदाद सका २३९ किताब ३७०]

फरक दरमियान रहन व ठेकाः--चर किस्म के ठेके और रहन के

दरमियान फरक ऊपर के किस्मों में ग्यान की हुई तरकीब के, मुताबिक निकल सकता है, यानी सिर्फ यही बात देखना जरूर है कि आया इन्तकाल व गरज इसमिनान अर्द्ध करजा के किया गया था या नश-ठेकात जा पेगी, जो पेगी रूपया के बरते में दिये जाते हैं बतौर रहन बिठ कन के होते हैं और उा के निबनन कारीगई भी इसी तरह पर की जाती है, लेकिन यह सिर्फ उत सूत में कहा जायेगा कि जत्र ठेका देने वाले को जाहरी तौर पर या बाननी तौर से रहन के इन्तकाल करने का अल्यार दिया गया हो जिसे यह बात साफ जाहिर होती हो कि फकीक की खुद निपतयी कि ऐना मामला बतौर मामला रहन के तसोपर किया जाये (इ. ल. रि. अनाहादाद जिहद- ३ सका १ खे. ४ सका वमन्तलाळ-वनाम-तपेशी राम), एक ठेका २१४ रु० सालि-

याना जमा पर दिया गया जिसमें से १११ रु० घावत सूद के वजा करने की शर्त थी और दस्तावेज में यह लिखा था कि "अगर ठेका की मियाद खतम होने पर करजा के रुपया की अदाई न की जावे तो ठेका जारी रहेगा"—यह ठेकानमा बनारस पट्टा जर पेशगी के तसोबब किया जायेगा मगर उस के निस्वत करियाई वतोर रहन के की जायेगी (मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ३६३, वो जिल्द ८ सफा ३१) जय रहन वतौर ठेका के किया जावे तो करजा उस तारीख की वजिबुलशर्त नमदा जावेगा कि जिस रोज मियाद ठेका की खतम होती हो, अगर दस्तावेज में यह शर्त दर्ज हो कि करजा की अदाई न होने की सूत में ठेकेदार मुताबिक शराया पट्टा के बाबिज बना रहेगा उस वक्त तक कि जब करजा जमीन के मुनाफा में दे या दीग तौर पर पट्टा दिया जाये—[देखो मेकफरसन साहब का रिताला रदन सानकी वार उपा हुवा सफा १२] मुद्दे ने मुदायलेह से १४०० रु० करज निया और आठ साल के वास्ते कुछ जमीन वो, मकान जो उसपर खडा था, १६॥॥ रु० माहवार लगान पर ठेके से दिया, इस में से १४ रु० करजा की अदाई में मुजरा लेना वो बाकी २॥॥) वतौर लगान मुद्दे की अदा करना—आग से मकान जठ जाने की हालत में मुद्दे ने नारिश वास्त पाने कब्जा जमीन मय बकाया लगान के दापर किया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि अजरुय मामला दरमियान फरीकन सिर्फ मकान का किराया पर दिया जाना नहीं पाया जाता है वकि यह म.प्र.ग. व.र रहन विल कब्ज के ह और रिस्ता दरमियान फरीकन राहिन वो मुर्तहा के पैग हुना न कि वतौर मालिक मकान व किरायादार के—[इ ला रि मदगम जिद २ सफा १८७]—

रहन साबित करने का तरीका:—मुमकिन है कि माहदा उहा ओर उस की शर्त दो या जियादा दस्तावेजों में लिखी गई हो मगर यह बात नि दर असल मामला किस किस का है कुछ दस्तावेजों के मतलब से निश्चाना जाये, और इस गरज के लिये जनामी शाहदत काबिल मंजूरी होगी—एक मुकदमा में एक दस्तावेज पेश हुवा उससे वै कर्तई [यानी पक्षी विकरी] का मतलब निकरता था और उसी मामला के निस्वत एक दूसरा दस्तावेज पेश हुवा जिये श निया के का मतलब पाया जाता था और उस के रुमे जाहिरी बेचने घाने को हम् उन फिकरार मिलता था—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दोनों दस्तावेजों का जय रहन कायम करने का मायम होता है [इ ला रि अलाहाबाद जिद ३ सफा ३६३]

रामसरन-बनाम-अमिरता] जब रहन की रजिस्ट्री लाजमी हो और उस की रजिस्ट्री भी की गई हो तो एक बिला, रजिस्ट्री, दस्तावेज मिस्ल रुके के, जिसमें रहननामा में लिखी हुई शरह से बढ़कर शरह के हिसाब से सूद के अदा करने की शर्त दर्ज हो रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज की शर्तों की तरमीम वो तबदील करने की गरज से काबिल मजूरी शहादत न होगा (इ. ला. रि. कलकत्ता, नजीर प्रिन्सिपल कौंसिल जिल्द २६ सफा ७०७) —

किस किसम की जायदाद रहन की जा सकती है:— जो जायदाद काबिल इन्तकाल है यानी बेचे जाने के लायक है अर्थात् बिक सकती है वह जायदाद रहन भी हो सकती है—देखो दफा ६ एक्ट हाजा वो तशरीह जो उस के नीचे दर्ज है—उस के पढ़ने से मालूम होगा कि किस किसम की जायदाद काबिल इन्तकाल नहीं है—

कौन लोग रहन रखने के मजाज है:— इस एक्ट में साफ तौर पर यह बयान नहीं किया गया है कि कौन कौन शाख्स रहन रखने के मजाज है लेकिन चूकि रहन मिस्ल माहदा यानी ठहराव के है इस लिये हर ऐसा शाख्स जायदाद रहन करने का हकदार है जो उस कानून के रुसे, कि जिस्का वह ताबे यानी आधीन है, सिन बलूगियत की हद को पहुच गया है यानी बालिग हो गया हो, जिस्के होश हवाश दूरस्त हों और जो उस कानून के रुसे कि जिस्का बह पाबन्द हो, माहदा यानी ठहराव या कौल करार करने के लिये ना काबिल न समझा जाता हो—[देखो कानून माहदा, एक्ट न ९ सन १८७२ ई० की दफा ११] याम तौर पर रहन करने का इस्तेहाक बराबर उस हक के है जो किसी शाख्स को उस की जायदाद में हासिल है, मगर इस कायदा के मुसतसना हैं, मसलन नाबालिग, या पागल शाख्स या वह शाख्स जो कानूनन रहन करने का मजाज न हो जैसे कोई हिन्दू बेवा, जिसे उस के खासिन्द की जायदाद बजरिये हक विरासत के मिली हो, जरूरत कानूनी के सिवाय और किसी बजह से उस जायदाद को इस तरह रहन नहीं कर सकती कि जो बमुकाबले उम के वारिसों के जायज समझा जावे—इसी तरह पर अगर कोई जायदाद बाप दादों के हाथ की मिटाई हुई मिलकियत हो जिस्का मालिक कोई हिन्दू घराना हो और यह घराना उसूल बर्मे शाख्स मिवीला या मिताक्षरा के ताबे हो और जायदाद मजकूर उन सब लोगों की रजामन्दी के बैगैर रहन की गई

हो कि जो उस में हक रखने हों या अगर रहने की हुई जमीन वक्त का माल हो, या दिवत्तर जमीन की किम्मे से हो जो अकसर मजहबी कामों के वास्ते दी जाती है, तो ऐसा रहन अकसर ममूख करा दिया जा सकता है (देखो इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ७०७ नजीर प्रिरी कौंसिल) नावालिग या नाकाबिड शाल्सी के बली या कारवार करने वाले चन्द सूतों में उन की जायदाद रहन या वै कर करने हैं, मसउन मामला रहन या वै का नावालिग के फायदा के वास्ते किया गया हो या जब रहन या वै के लिये सहज जरूरत होये (बगाल ला. रिपेर्टे जिल्द ३ सफा ४२३).

रहन सादा:—रहन सादा की असल पहचान यह है कि राहिन की तरफ

से रूपा अदा करने का जाती माहदा यानी इस्तर होता है ओर रहननामा में यह शर्त लिखी रहती है कि अगर पर रूपा की अदाई न होने की सूत में मुर्तहिन जायदाद के नीलाम कराने का मुस्तहक होगा--इस रहन में मुर्तहिन को दो किम्मे के हक हासिल है--(१) राहिन की जात से रूपा वसूल करे, (२) बजरिये नीलाम जायदाद अपने रूपा की अदाई करे--इन दोनों इस्तेहककर की तामील राहिन एक ही वक्त करा सकता है--पस रहन सादा में दो माहदे दर्ज रहते हैं, (पहिले) राहिन की जाती जिम्मेदारी वास्ते अदा करने करजा रहन, [दूसरे] वह इस्तर कि जिसके जरिये से मुर्तहिन रहन की हुई जायदाद को वतौर जायदार जयन्ती तमोब्वर कर सकता है--लेकिन याद रखना चाहिये कि सिर्फ इस शर्त के जोर से मुर्तहिन को जायदाद के बँचने का हक नहीं मिल जाता है, उसे हुकम अदाउत दीवानी बावत नीलाम जायदाद मजसूर के हासिल करना चाहिये (सी पी ला रि. जिल्द १२ सफा २६ मोहम्मद अमीन--प्रनाम--जानू पटेल) अगर मुर्तहिन चाहे तो सिर्फ नकदी रूपा की नाबिश दायर करके डिगरी जर नकद राहिन की जात पर हासिल कर सकता है लेकिन इस डिगरी के इजराय में वह जायदाद मरहूना के नीलाम कराने का हकदार न होगा, अगर उसे नीलाम कराना ही मजूर है तो उस को बमूजिद दफा ६७ एकट राजा के नाबिश नम्बरी दायर करना पडेगा--अगर वह माहदा रहन की त्रिना पर नाबिश करेगा तो वह डिगरी बावत नीलाम जायदाद की पायेगा (इ ला रि अकहाबाद जिल्द १ सफा २४३) लेकिन अगर मुर्तहिन एक ही नाबिश में दोनों माहदों की तामील करा देने का इदानी करे, यानी राहिन की जात पर दो राहिन की जायदाद पर तो उसे डिगरी इन मजबूत की दी जावेगी कि जायदाद मरहूना नीलाम कराई जाये और अगर जर नीलाम से दानी मुई पूरे तौर पर बमूज न होता हो तो

माता मन्दा रूपा राहिन की जात से यानी दीगर जायदाद से बसूत्र किया जावे.

चूकी रहन और मवाखना यानी बेश या जिम्मेदारी में बहुत बड़ा फरक है इस लिये जब जब मवाखनादार आने मवाखना की रू से जायदाद के नीला नीला मवा, नाउश दायर करे तो उसे मिनाद द्वारा साल की उस तारीख से मिठेगा कि नारा रूपा का कपूर हो गया हो (देखो मर १३२ एफ्ट मिनाद न० १५ सा १८७७ ई०, इ. ला रि. अशहावाद जिन्द ७ सत्ता १०२ रामदीन-वगान-तठ्ठाप्रवाद, व कठकत जिन्द १४ सत्ता ७३१ गिरपरसिंग-वनाम-ठाकु नाशनाशिया, व बम्बई जिन्द १० सत्ता ५१२ काजी-वनाम-गामा) लेकिन अगर मुर्दाहने आने रहन के रू से नाउश वेवात या नीलाम की दायर करे तो उन को मिनाद माठ साल की बमूजिन मर-१४७ एफ्ट मिनाद के मिठेगा-जफज "मवागना" की तागिर इस एफ्ट की दत्ता १०० में दर्ज है.

रहन बैबुजवता:—उस किस्म के रहन में नीचे लिखी शर्तों का होना जरूरी है—(१) जायदाद पर फागना राहिन का रहना है (२) अगर मुर्दाहने की हुई तारीख पर रहन का रूपा न अश किया जावे तो कुछ मामला बनोर कराई वै के तसौवर किया जायेगा यानी जायदाद मरहूना मिठकियन मुर्दाहने की हो जायेगी (३) अगर मुर्दाहने की हुई तारीख पर रहन का रूपा पटा दिया जावे तो कुछ मामला रद्द हो जायेगा और जायदाद बनोर मिठकियन राहिन के तसौवर की जायेगा, (४) अगर रहन का रूपा अश कर दिया जावे तो खरीदार यानी मरहूना जायदाद मरहूना राहिन को वापन कर देगा लेकिन यह बात अच्छी तरह से याद रखना चाहिये कि तारीख मुर्दाहने पर रहन का रूपा न पटने से मामला रहन-रेने मामला वै कर्नाई में दाखिल नहीं हो जाता है कि जिन से राहिन का रूपा इनकिताक त्रिकुन मिठ जावे—(इ ला रि. मद्रास जिन्द ११ सत्ता ४०३) उने रहन को मुल्क बगाल से कुंगुवाअ करते हैं [देखो बगाल ला रिपोर्ट जिन्द १३ सत्ता २०५ प्रिन्सि कोलिन] और उतरी हिन्दुस्तान व मध्य प्रदेश में पैगुत्रता के नाम से कहते हैं [देखो सी पी ला रि जिन्द ८ सत्ता ८३ मूरतिया-वनाम-रामलाठ] और मुल्क मद्रास में यह रहन मुदातकरीयम या द्रस्टा बवीका [मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिन्द १ सत्ता ४६० वो जिन्द ७ सत्ता ६] के नाम से मशहूर है और मगहटा मुल्क में उसे लहन गहन कहते हैं (बम्बई हाई कोर्ट

जिल्द ९ सफा ६९ वो सफा ७९) और मुक्त मालापर में यह रहन परनायन के के नाम मे कहा जाता है [इ ला रि मद्रास जिन्द १- सफा ९७] यह रहन वैमुठरता इत बगह से कहा जाता है कि जब रहन के रूपा पडाने का कार चूक जाये तो कुल मामअ आप से अप मिछा फैठ फरीकन के वे की हैसियत ले लेता है [देखो इ ला रि मद्रास जिन्द १ सफा १ नजीर प्रीथी कौसिठ] यानी ऐसे रहन के रू मे कारजदार अपनी जायशद कर्ई तौर पर मुर्तहिन के नाम रिफ वशर्न इनकिफाक रेंच देता है (बगाठ ला रिफेई जिन्द ५ सफा ३२९, इ ला रि ककता जिन्द ७ सफा ३२४ वो ४००) रइन वैमुठरता की सूत्र में मुर्तहिन को कपजा दिया जाये या न दिया जाये-आर जायशद मरहता का काना मुर्तहिन के हाथ कर दिया जाये तो रहनना में अकर शर् इम मजत की छिब ली जाती है कि मुर्तहिन वषयज सूद के पुनाफा लेवेगा यानी यह शर् कि जायशद का मुक्त नहीं और रूपा का सूद नहीं

रहन वैमुठरता के छिब दस्तावेज बहरर करने के माते कोई खाम मचनून दरकर नहीं है-मगउन आर किनी रहनना में यह छिबा हो कि मुदत मुकरर के अन्दर रहन का रूपा न अश होने की हालत में मुर्तहिन जायशद का इन्नाम अपने हाथ में लेवेगा और अगर दस्तावेज मचनूर में यर भी गरी दिवा हो "कि हा बाजवी रूपा रहन का पग कर जायशद को रहन से छुग रेवेगे"-तो तनजि हाई कोर्ट यह करार पाई कि यह मनअ रहा वशर्न वैमुठरता का है [देखो इ ला रि बर्भई जिन्द १३ सफा ९० नजीर इनजलत कमिठ, इ ला रि मद्रास जिन्द १६ सफा ६४] किनी गैर अलत के मुकामले में रहन साबित करने के छिब शहादत माकूठ दरकर है-दस्तावेज की इरात यानी उम्ता मचनून वमुकामले उन फरीकन के कि जो उते तहरीर करे वतौर शहादत कर्ई के तसेवर की जावेगी मगर तीसरे शइन के बराबिलाक वह बतौर पेनी शहादत के न समनी जावेगी (देखो इ ला रि अलहाबाद जिन्द १७ सफा ४२८ मनोहरसिंग-बनाम -सुमित्रा)

रहन वैमुठरता की रू से जो नाछिब वैवात की दायर की जावे उस के छिब मियाद के बारे में हिन्दुमान की हाई कोर्टों में भगडा है-ककता हाई कोर्ट की यह राय है कि जब न छिब वैवात की अजररूप ऐसे रहन नामा के दायर की गई हो जो एकद इत्तफाक जायशद के अमल में याने के बाद तहरीर हुना है तो उस नाछिब के वास्ते

मियाद वारा साल की है यानी वनूजि मर १३२ या १३५ एफ्ट मियाद के और दीगर हाई कोर्ट की यह राय है कि वनूजि मर १२७ के ऐसी नालिश के डिय मियाद साठ सान की है -पजाव चीफ कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की राय को क्यूठ की है और मन्प्रेदेश मे अउर्हावाद हाई कोर्ट की नजर मरू की गई है- निसवन उन नालिशत के कि जे अनइर ऐने रहननामा फे दायर किये गये है जो पइडी जौताई सन १८८२ ई० के पेशतर तइरार किय गये हो, बगाल आहाता के मूफ्तीके जिन्हे मे नालिशान बैवात की दायर कर ने के बावत कोई हुकम नही है -इसअिये जे नालिशे मुक्त बर्माई, मद्रास वो मन्प्रेदेश में बैवात रहन की दायर की जावे उन के लिये मर १४७ एफ्ट मियाद नं० १५ सन १८७७ ई० का लागू होगा

रहन बिल कब्जः—इस किस्म के रहन को हिन्दी में कजजा रहन या कजजा गहन भी कहने है-ऐने रहन में यह शर्त रहती है कि जायदाद मरहूना के मुनाफा में से मुर्तहिन अपने काने का रूपा अश कर लेगा और अरुपर रहन की हुई जायदाद का कजजा मुर्तहिन के हनाअ किय जाता है यानी वह जब तक रहन कायम रहता है जायदाद का मालिक तनैवर किय जाता है (देखो पेशेरेम साहिब चीफ जम्श्रीस की तइरार वनूफरमा इ ला रि अउहावाद जिन् ७ सत्ता १५३ इन्डर सेन-प्राम-नौप्रनिग) कजजा रहन की सूरन में दरनियान राहिन व मुर्तहिन यह भी शर्त हो सकती है कि मुर्तहिन जायदाद का मुनाफा सूद के बन्ले लेवे और अगर कुञ फामिठ ररुम बचे तो उस को असठ रूपा में मुजग देवे, यह शर्त हो सकती है कि मुर्तहिन एक खास मुद्दत के डिये जायदाद मरहूना पर अपना कजजा रखे और बाद खनम होने इस मियाद के राहिन जायदाद को रहन से छुडाने का यानी इनकिफार रहन का दायी कर सकता और नफा व नुकसान वो लान धा जमा की अर्शई का वह जिम्मेदार होगा (इ ला रि मद्रास जिन् २ सत्ता ३१४, व इ ला रि बर्माई जिन् ६ सत्ता ४२४) याद रखना चाहिये कि जब एक मरना मुर्तहिन जायदाद मरहूना का कजजा अपने जिम्मे कर लेवे तो वह अपनी मरजी पर यानी अपनी खुशी के मुताबिक उस का कजजा छेड नहीं सकता, क्योंकि जब एक दफा उस ने जिम्मेदारी कबूल काली तो फिर वह उस मे अनाइदा नहीं हो सकता (देखो गार साहिब की कितान शरह इन्तहाज जायदाद सत्ता २२८)

पइ जर पेशगी अरुपर गिठ रहन मिठकज के होता है- लेकिन पइ जर पेशगी की मूरत में दरे असठ करजदार अपने नाहूकार को अपनी जायदाद एक

मुकरर लगान पर जो पट्टा में दर्ज है, ठेका पर दे देना है और यह रकम लगान अमल
 रगया पर सूद की तादाद के करीब बराबर होती है- सूद के अदा होने के बाद जो
 कुछ रकम बचती है वह, करजदार को दी जाती है, और मुक्त बगाल में इन्हे हक
 दाजरी कहते हैं, या असल रूप्या की अर्गड में मुजरा दी जाती है
 बूकि पट्टा जर पेशगी वमुक़ावते रहन के तसौबर किया जाता है और यह तावे दफा
 ९९ एकट इन्तकाल जायदाद के होना है इन्ठिये क०कता की हाई कोर्ट ने मुक़्त
 इ छ रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा १६४ (शिवरात्री-बनाम-रामसरन) यदतजवीज की
 है कि जब कोई साहूकार किसी टिगरी बाया लगान के नीलाम में, जो करजदार की
 तरफ से पाना बाजिब हो ठेके की जायदाद खरीद करे तो ऐसी खरीदी सिर्फ खिजाफ
 जानता ही न होगी बल्कि बिलकुल नाजायज बो रद होगी-

दफा ७८ एकट इन्तकाल जायदाद की मनशा के मुताबिक रहन बिलकून का इन्त-
 काल जायज होने के तास्ते यह लाजिमी नहीं है कि जायदाद म हन का ब० ११ दर असल
 मुर्तहिन के हवाला कर दिया जाये- सिर्फ इतना काफी होगा कि जायदाद पर कबना
 करने का हक साहूकार को दिया जाये-देखो इ. छ रि नम्बई जिल्द १३ सफा ९०
 व १००, नजीर इन्जलसि फामिन्न यड छ रि अजहावाद जिल्द ७ सफा २५८ व
 २६६ शिवरतन-बनाम-महापन) एक दस्तावेज में करजदार ने यह शर्त लिखा कि
 यह करजा की रकम खास तारीख तक पटा देगा और अगर इस तारीख तक रकम
 मजदूर न पठाई जाये तो वह फजानी जायदाद में अपना हक खो बैठेगा और
 ऐसी सूरत में साहूकार उस जायदाद का फजना लेलेगा और यह कि बाद
 लेने कबजा साहूकार के सूद का पटना बढ हो जायेगा और साहूकार जाय-
 दाद के मुाफा में से बिल उजुर लगान यानी जमा अदा करेगा, तजवीज हाई
 कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी शर्त से रहन या मसालजे का कायन होना
 नहीं पाया जाता है (इ छ रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६८७ मानोबिसर-
 बनाम-सिधार्दिनायक)

मुर्तहिन बिलकून दर सूरत न होने कोई माहदा यानी टहरान जायदाद
 मरहूना के नीलाम की नाखिय दायर करने का हकदार न होगा (देखो इ
 छ रि मदरास जिल्द १२ सफा १०६ इन नजीर में नजीर वमुक़दमा इ छ रि
 मदरास जिल्द- ११ सफा ८८, मसूख की गई) लेकिन जब यहिन रहन के

रपान की अर्दाई का इफ़्तार करे ओर उन का रहन दीर सूरत में रहन विनकून की क्रिा का होवे तो एक्ट इन्तहाउ जायदाद की दफा ६७ के रू से मुर्तादन की आंन रहन के रू से जायदाद मरहूना के नीउम कर पावे की नउरिग दावर कने 'की मनई न की जोगी (इ लारि मरुप जिन्द १४ सता २३२) आर ऐरी नाउरिग के ठिये मिवाद नूविन मद १४ एक्ट न १९ सता १८६७ ई० के शुआर की जोगी [देवो इ लारि मरुप जिन्द १७ सता १३], इ लारि मरुप जिन्द १६ सता ४११] एक्ट मिवाद की दफा २० में सत यर हुकम हे कि जव जायदाद मरहूना मुर्नहेन के कवना मे कर दीनवे ते, पुर्नहिन का ऐनी जायदाद की पैदावार को लेना दाविठ वपूरी हन्म गगग दफा मरुप के है- इरुका यह मतलब है कि जो मिवाद वसेन वपूरी कगा अनरुद रहन विरुक्तवज के मुकरर है वह वदजावे कये कि दफा में मम गिा हे कि मिर्न उनी दफा की गरजो के छिय जायदाद मरहूना की पैदावार वनेर, वपूरी के तनेवर की जावेगी (इ लारि अउरहामद जिन्द १८ सता २२९ कालू-वनाम-हउती) पैदावार जनीन का लान लगान वरिन का भी मुवाद है [देवो शरह एक्ट मिवाद मिता साहिब रेरिस्टर का वनाया हुश सता ६२४]

रहन इंग्लिशिया:—इस किरमि के रहन बहुत अँसे से प्रेमीडेन्सी शहरों में (ममउन कउकता, मरुप, वम्पई) में वो मुकसिसन जिओं में अगरेजों के दरमियान रायज है इसलिये उस के निस्वत कारवाई उनी मुताविक होनी चाहिये जैसी विरायत में हेती है [इ लारि कउकता जिन्द ७ सता ३९८ मानडे-वनाम पेटरमन] मगर ऐने मामलाय रहन अगर मुकसिसठ जिळे में हिन्दुओं के दरमियान अमल में आवे तो वे बतौर रहन बैचुउपका तसोवर किने जवगे और उन के निस्वत वही कानून लागू होगा जो उस मुकाम में उन वक्त जारी था

दफा ५६. जव असल रूप्या जिस्की

रहन कन वजरिय
दस्तावेज के होगा.

अर्दाई के वास्ते जायदाद सकफूल
हो एक सब रूप्या या उरुसे जियादा

हो तो उसका रहन सिर्फ वजरिये ऐसे रहननामा रजिस्ट्री शुदा के हो सकता है जिसपर राहिन के दस्तखत हो और तसदीक उस की कम से कम दो गवाहों ने की हो।

जब रहन का असल रूप्या जिसकी अदाई के लिये जायदाद मरफूल हुई हो एक सब रूप्या से कम हो तो (रहन सादा को छोड़कर) जायज है कि उसका रहन वजरिये ऐसे दस्तावेज के हो जिसपर दस्तखत और तसदीक ऊपर लिखे मुताबिक हुई हो या वजरिये हवालगी जायदाद के।

इस दफा की किसी इज्जत से वे मामलात रहन के रहन हो जावेंगे जो शहर कलकत्ता व मदरास व बम्बई व करांची और रंगून में वजरिये हवालगी करने सनद बदस्त करजा देने वाले या उस के कारिन्दा के, निसबत मिलकियत जायदाद गैरमन-कूला के, वनियत कायस करने जमानत जायदाद मजकूर के असल में आया करते हैं।

त शी री ह.

रहननामा काबिल रजिस्ट्री वो तसदीक:—इसके पेशत की दफा यानी दफा ९८ में रहननामा की तारीफ दर्ज है और इस दफा में यह बतलाया

गया है कि एक सव रूप्या यां उस्से जियादा के लिये जायज ररन के वास्ते नीचे लिखी बातें दरकार हैं—[१] रहननामा की वाजाव्ता रजिस्ट्री होनी चाहिये [२] उसपर राहिन के दस्ताखत मौजूद हों [३] उसपर दो 'या दोसे' जियादा गवाहों ने अपनी गवाही डाली हो—रहन सादा के लिये, चाहे वह कितनी ही मालियत की हो, ऊपर लिखी शर्तों की तामील किया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन दीगर किसम के रहन के लिये वही शर्तें लाजिमी है जो वैनामा के वास्ते दरकार है, मसलन.—जब असल रूप्या की तादाद एक सव से कम हो तो रहन यातो, बजरिये हवालगी कवजा जायदाद भरहना के किया जा सकता है (इस सूत में दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है) या बजरिये ऐसे दस्तावेज के जिस्को राहिन ने वाजाव्ता तहरीर करके उसपर अपना दस्ताखत कर दिया हो और दो या जियादा गवाहों ने उस की तसदीक की हो, लेकिन ऐसे रहननामा की रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है—याद रखना चाहिये कि हिन्दुस्थान की जुमला हाई कोर्टों की यह तजवीज करार पा चुकी है कि अलफाज "असल रूप्या" मुन्दरजा फिकरा १, दफा हाजा में सिर्फ वही रकम शामिल है जो शुरू में बतौर करजा करजदार को दी गई हो, वास्ते तसफिया इस अमर के कि आया किसी रहननामा की रजिस्ट्री लाजिमी है या नहीं रहन की असली रकम, सूद की तादाद को खारिज करके, हिसाब में ला जावेगी. [देखो इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६१ रामदुलोर—वनाम—ठाकुरराध, इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा ८२ कुरबान अली—वनाम—शारोदाप्रसाद, इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ६११ नागये कानाटूरिया—वनाम—ब्राबाजी, इ. ला. रि. मदरास जिल्द ९ सफा -११९] ऊपर लिखा हुआ फायदा सिर्फ उसी सूत में लागू होगा कि जब रहन का बदल यानी माविजा नकद सरकारी सिके के रूप्यों में बतलाया गया हो, लेकिन अगर माविजा दूसरे किसम से यानी गल्ल में या दूसरी चीज में बतलाया गया हो तो जब तक ऐसा कुछ माविजा नकदी रूप्या में न तबदील किया जावे तब तक रजिस्ट्री की गरज के लिये नकदी माविजा की तादाद मुकरर नहीं हो सकती है (इ. ला रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ६१०) किसी दस्तावेज के निस्वत उसी सूत में कहा जायेगा कि उस की रजिस्ट्री की गई जब कि दस्तावेज की रजिस्ट्री वाजाव्ता की गई हो—पस जब तफसील जायदाद भरहना की किसी दस्तावेज में गलत व गैर काफी तौर पर लिखी गई हो कि जिस्से जायदाद की पहचान नहीं हो सकती है तो ऐसी हालत में तजवीज—हाई कोर्ट यह करार पाई कि रजिस्ट्री नाजायज है [इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १८ सफा ५५७ चैजनाय तियारी—वनाम—शिवसहाय भागून] इसी तरह, यह दस्ता-

वेज की भी याजान्ता, रजिस्ट्री न कही जावेगी। ज्ञान यह पाया जावे कि दस्तावेज मजकूर की रजिस्ट्री ऐसे अफसर ने की हो जो रजिस्ट्री कर ने का मजाज नहीं है या यह कि जायदाद किसी दूसरे जिल्ला में हो और रजिस्ट्री उस की दूसरे जिल्ला की हू कि अन्दर की गई है.

राहिन का दस्तखत किया जाना:—रहननामा जायज होने के वास्ते यह लाजमी है कि उसपर राहिन के दस्तखत कराए जावें—इस एकट में लफज "दस्तखत" की तारीफ कहीं नहीं की गई है लेकिन एक्ट तरमीम न० ३ सन १८८५ ई० के एकट रजिस्ट्री के अहकामात इस एकट में लागू किये गये हैं इस लिये मुताबिक अहकाम इस एकट के लफज "दस्तखत" में निशानी भी शामिल है—पस वे पढा रहस रहननामा पर निशानी करके अपना दस्तखत कर सकता है—अफसर ऐसी सूरत में यानी जब वे लिखा पढा रहस रहननामा तहरीर करता है, दस्तावेज का कातिब उस की कलम छुटाकर उस की तरफ से निशानी कर देता है.

तसदीक दो गवाहों की:—लफज तसदीक से यह मुराद है कि गवाहान बख्त तहरीर दस्तावेज के हाजिर रहे हों और तहरीर करने वाले फरीक को दस्तावेज तहरीर करते देखा हो और ऐसे फरीक ने दस्तावेज का मजमून पढकर वो समझकर उन गवाहों के खबख अपना दस्तखत किया हो या अपनी निशानी की हो—पस जिस रहननामा की तसदीक इस तौर पर न की गई हो उस के जायज होने के वास्ते सबरजिस्ट्रार के दस्तखत वो पहचाने वालों के दस्तखत दस्तावेज की पीठ पर काफ़ी नहीं है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २३ सफा २४६ गिरन्द्रानाथ—बनाम—बिजोगोपाठ) अगर किसी दस्तावेज पर, बाद लिखे जाने उस दस्तावेज के, वो उसपर तहरीर करने वाले के दस्तखत कराने के बाद गवाहों से तसदीक कराई जाने तो ऐसा रहननामा नाजायज होगा—इस मुकदमा में गवाहों ने अपनी तसदीक तहरीर करने वाले के कहने से यानी उन के इकवाल पर की थी, उन के खबख दस्तावेज तहरीर नहीं हुवा और न उसपर उन के सामने उस ने दस्तखत या निशानी किया—पस ऐसा रहननामा नाजायज करार दिया गया (देखो इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १४ सफा १९ मरियमबीबी—बनाम—सकीना) लेकिन ऐसा रहननामा तहरीर करने वाले के मुक्ताबले में नकदी रूपया की जाती डिगरी शामिल करने

की गरज से काम में लाया जा सकता है। [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्दा २६ सफा २२२ सोनातन-बनाम-दीननाथ] वरखिलौफ इस के देखो नजीर हाई कोर्ट मंदरास बमुफदमी इ. ला. रि. मंदरास जिल्दा १२ सफा २६ जिस्में यह तर्जबान करार पाई है कि तहरीर करने वाले शख्त की जाती जिम्मेदारी साबित करने की गरज से ऐसा रहननामा काम में नहीं लाया जा सकता है।

चूँकि अजेख्य कानून रहननामा जायज होने के वास्ते दी गवाहों की तसदीक लाजिमी है इस लिये अगर किसी दस्तावेज पर सिर्फ एक ही गवाह की तसदीक कराई जावे तो भी रहननामा नाजायज होगा (कलकत्ता वीकी नोट जिल्दा १ सफा ८१ श्रीमती रानी कुमारी-बनाम-राजाश्रीनाथ) दस्तावेज का कातिब यानी लिखने वाले की शहादत, जिस ने अपने नाम पर दस्तखत हाशिया दस्तावेज पर किया हो न कि इहैसिवत गवाह के और जो बरकत तहरीर दस्तावेज के हाजिर था काबिल मजूरी मिस्र शहादत गवाह तसदीक करने वाले के है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्दा २१ सफा १३२ राधाकिशन-बनाम-फतेह अछी) जब कि इस दफा की रु से तसदीक गवाहों की वास्ते जायज होने रहने के लाजमी है इस लिये किसी गवाह का दस्तावेज पर पीठे से नाम लिख देना एक ऐसी भारी तबदीली में दाखिल है कि जिसकी वजह से कुछ रहननामा नाजायज हो जाता है [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्दा १२ सफा ३२३ महेशचंद-बनाम-कामिनी कुमारी]।

तरीका सबूत:— एकट शहादत की दफा ६८ में यह हुकम है कि जिस दस्तावेज की तबदीक अजेख्य कानून लाजिमी है वह बतौर शहादत के इस्तेमाल न किया जायेगा सिवाय उस सूत में कि जब कम ने कम एक गवाह तसदीक करने वाले वास्ते साबित करने तहरीर दस्तावेज के तख्त न किया गया हो, बशरते कि ऐसा गवाह तसदीक करने वाला जीता हो व उस पर अदालत का समन तामील हो सकना हो और वह काबिल देने शहादत के होय- अगर कोई ऐसा तसदीक करने वाला गवाह न मिल सके और दस्तावेज की तरफ अ दर मुल्क बादशाह बहादुर के पाई जावे तो कम से कम एक गवाह तसदीक करने वाले का दस्तखत साबित करना काफी होगा, और यह कि दस्तावेज तहरीर करने वाले

फरीक के दस्तखत उसी के हाथ का है (देखो दफा ६९ एकट शहादत) अगर दस्तावेज के तहरीर करने वाले फरीक ने सिर्फ अपनी निशानी की हो तो ऐसी मूरत में यह साबित करना चाहिये कि उस ने दस्तावेज का मतलब समझ कर जो उम का मजमून कबूल कर के खुद अपने हाथ से निशानी किया था या उस ने अपनी रजामन्दी से किसी दूसरे शख्स के हाथ निशानी कारवाई थी- अगर तसदीक करने वाला गवाह दस्तावेज की तहरीर से इकार करे या उस को याद भूल जाये तो अजरख्य फानून शहादत दीगर शहादत से दस्तावेज साबित किया जा सकता है (देखो दफा ७१ एकट शहादत) जब दस्तावेज की तहरीर के निसबत इकत्राल किया जाये तो उस का साबित करना बिल्कुल जरूर नहीं है

इन्तकाल रहनः—मुर्तहिन अपना हक बजरिये बैनामा किसी को मुन्ताकिल कर सकता है. लेकिन यह बजरिये ऐसे इन्तकाल के होना चाहिये जिस से राहिन के हुक्म में किसी किसम का नुकसान न पहुचे.

आयन्दा फसल का रहनः—फसल आयन्दा का रहन जायज है व-शर्ते कि राहिन को उस शै यानी चीज में पूरा हक हासिल होवे कि जिस्मे जायदाद पैदा होती है-लेकिन याद रखना चाहिये कि यह रहन बतौर एक ऐसे इकरार नामा के तसौम्बर किया जायेगा कि-जब जायदाद वजूद में आवे वह रहन रखी जायेगी और इसलिये रहननामा की रू से जायदाद में कुछ इस्तेहकाक पैदा न होगा सिर्फ इम बिना पर कि वह माल आयन्दा वजूद में आने वाला है—

राहिन के हुक्म वो जिम्मेदारियां

दफा ६० राहिन को अखत्यार है कि असल

हक राहिन निसबत इन-
फिकाक रहन

रूप्या रहन का वाजिबुलअदा

हो जाने के बाद, जिस वक्त चाहे, एक मुनासिव वक्त और जगह पर रहन का रूप्या अदाया हाजिर करके मुर्तहिन से यह दावी करे कि, (अ) मुर्तहिन रहन

नामा राहिन के हवाला करदे, अगर कोई होवे या (ब) जब मुर्तहिन जायदाद मरहूना पर कबजा रखता हो तो यह दावा करे कि मुर्तहिन राहिन को कबजा हवाला कर देवे, और (क) जायदाद मरहूना को राहिन के खर्चा से, राहिन के नाम या उस तीसरे शख्स के नाम, जिसे राहिन मुकर्र करे, फिर से मुन्तकिल करदे या इकरार नामा लिख दे और [जब रहन वजरिये दस्तावेज रसीजटी शुदा के हो] उस की रजिस्ट्री करा दे इस मजमून से कि हर एक इस्तेहकाक, जो राहिन के उस हक को नुकसान पहुंचाने वाला हो कि जो मुर्तहिन के नाम मुन्तकिल किया गया था, कलअदस यानी रह हो गया है-

बशर्तेकि वह इस्तेहकाक जो इस दफा की रूसे दिया गया है खुद फरीकैन के फैल से या अदालत के हुक्म से जायल (यानी नष्ट) न हो गया हो-

इस्तेहकाक जो इस दफा की रूसे दिया गया है हक इनफिकाक रहन कहलाता है और मुकदमा जो उस हक के तामील कराने के लिये दायर किया

जावे नालिशे इनफिकांक रहन कहलाती है-

इस दफा की कोई इवारत इस किस्म की किसी शर्त का नाजायज नहीं ठहरावेगी कि अगर वह तारीख जो वारते अदाई असले रूप्या करजा के मुकर्र हुई है गुजर जावे या कोई तारीख उस के अदाई के लिये मुकर्र न हुई हो तो मुर्तहिन मुस्तहक होगा कि रहन का रूप्या अदा या हाजिर करने के पाहिले उस को माकूल इतला दी जावे-

इस दफा की कोई इवारत से किसी शख्स को, जो जायदाद मरहूना के सिर्फ एक हिस्से में हक रखता हो, यह इस्तेहकाक न होगा कि वह सिर्फ अपना हिस्सा, बजरिये अदा करने जर रहन का बाकी हिस्सा जिस का बाकी हिस्सा-रस्दी के मुताबिक उस के ऊपर हो, रहन से छुडालेवे; सिवाय उस सूरत में कि जब मुर्तहिन ने या अगर एक से जियादा मुर्तहिन हो तो सब मुर्तहिन लोगो ने हिस्सा किसी राहिन का पूरा या कुछ हासिल कर लिया हो-

त शरी ह.

इस दफा का दफा ८३ के साथ पढ़ना चाहिये जिले जारिये से रा-

हिन अदालत में रूपा रहन का दाखिल कर सक्ता है— राहिन के हुक्म के बारे में हुक्म दफा ६० से ६४ में दर्ज है वो उस की जिम्मेदारियों का जिक्र दफा ६५ वा ६६ में है और इसी तरह पर, इस के बाद की दफों में मुर्तहिन के हुक्म व जिम्मेदारियों के बाबत अहत्तामात दर्ज हैं—

मतलब दफा:—इस दफा का मतलब यह है कि जो तारीख या दिन असल करजा रहन की अदाई के वास्ते रहननामा में मुकर्र है उस के बाद किसी वक्त भी राहिन को अख्तियार है कि मुनासिब वक्त और जगह पर रहन का पूरा रूपा पटाने पर मुर्तहिन से दावा करे— (१) कि राहिन को रहननामा वापस दे देवे (२) अगर मुर्तहिन जायदाद मरहूना पर काबिज होने तो उस जायदाद का कब्जा राहिन को वापस दिया जावे, (३) राहिन के खर्चा से जायदाद अपने नाम या किसी तीसरे शख्स के नाम जिले वह मुकर्र करे मुन्त-फिल कर देवे—इस दफा के अखीर फिकरा में साफ यह हुक्म दर्ज है कि कोई शख्स जायदाद मरहूना के किसी एक हिस्से को रहन की जिम्मेदारी से, जर रहन का एक जुंज अदा करके, छुड़ा नहीं सक्ता है—

उसूल दफा:—यह दफा दर असल इस गरज से कायम की गई है कि जब राहिन रूपा देकर अपनी जायदाद रहन के बोझ से छुड़ाना चाहे तो दस्तावेज रहननामा में गैर मुनासिब वो गैर वाजिब शर्तें उस की मनाई न करेंगी—क्योंकि असली मनशा रहन की यह है कि जर रहन ठीक तौर साहूकार को पटाया जावे—पस ये कुल शर्तें नाजायज होगी कि जिन से यह मनशा रोकी जावे [देखो इ ला. रि मदरास जिल्द २३ सफा ३३] एक मुकदमा में राहिन ने मुर्तहिन के साथ यह शर्त की कि वह मुस्तहक इनफिकाक का सिर्फ उसी हालत में होगा जब कि व. रहन का रूपा अपने पास से अदा करे न कि किसी से फर्ज लेकर—राहिन ने अपना हिस्सा बँच दिया और खरीदार ने नालिश इनफिकाक की दायर की—लजबीज हुई कोर्टे फरार पाई कि ऊपर लिखी शर्त खिलाफ इन्साफ और गर मुनासिब है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३६९ रामसरन-लाल-बनाम-अमरूत कुवर) इसी तरह पर यह शर्त भी राहिन की तरफ से नाजायज फरार की गई कि मुर्तहिन हमेशा के वास्ते जायदाद पर अपना कब्जा बतौर फारतकार के कायम रखे

[इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ९ सफा १२४ मोहम्मद-बनाम-जीजी भाई, -इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ७०९-सुबराज-बनाम-मनजापा] और यह मोहम्मिद शर्त भी नाजायज तस्वीवर की जायेगी कि जब तक राहिन के जिम्मे का कुल करजा की अदाई न हो जाये तब तक हक इनफिकाक रहन मुल्तगी रहेगा [इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १२ सफा २३४ एरवन्त-बनाम-विठोव] लेकिन चंद सूरतों में मुमकिन है कि जब ऐसी शर्त साफ तौर पर किसी दस्तावेज में दर्ज की गई हो तो उससे एक ऐसा इस्तेहकाक पैदा हो जाता है कि जिसकी तामीउ हो सकेगी [देखो तहरीर सारजेंट साहब चीफ जस्टीस की वमुकदमा एरवन्त-बनाम-विठोव इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १२ सफा २३१] लेकिन इसमें कुछ शक नहीं है कि अगर ऐसी शर्तों का असर हक इनफिकाक को बिना तादाद मुल्तगी करने का होवे तो उस शर्त की तामील न कराई जायेगी-हर ऐसी शर्त जिसके जारीये से मुर्तेहिन अपना असल रूप्या, सूद वो खर्चा से जियादा हासिल कर सके या करजदार पर किसी दूसरी किस्म का नाजायज फायदा पाने अजरूय कानून वाजाबियत जायज न तस्वीवर की जायेगी

जब उन दस्तावेजों में, जो बाद रहननामा के तहरीर किये गये हों, राहिन ने यह शर्त लिख दी हो कि जब तक सादे तमस्सुकों का रूप्या अदा न किया जावे तब तक वह मुस्तहक इनफिकाक रहन का न होगा-तजवीज हाई कोर्ट यह फरार पाई कि हालांकि सादे तमस्सुक के करजे के बाबत जायदाद के ऊपर किसी किस्म का मवाखजा यानी बोझा नहीं पैदा होता है ताहम राहिन को ऐसे करजा की अदाई करना लाजमी है कब्ल इस के कि उसे इनफिकाक रहन की इजाजत दी जावे (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा २३३ वो अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ८५ आलूखा-बनाम-रोशनखां, इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २० सफा ३४६ क़शानाजी-बनाम-महेस्वर)

लफजों के मायनीः—“ वाजिबुलअदा ” से मुराद है काबिल वसूल किये जाने के, यानी जब राहिन असल रूप्या रहन के पटाने का हकदार समझा जावे [देखो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा ३३ वो ३७ फातीराम-बनाम-फुतबुदीन] तसकिया इस अमर का कि असल रूप्या कब काबिल वसूल होगा हर एक मुकदमा की रूप्यादाद पर किया जायेगा-इस दफा में लफज “ राहिन ” में वे

सबे लोग शामिल समझे जायेंगे जो उस के वारिस और मुन्तकिल अलेह हो और जो बंमोजिव दफा ९१ के रहन को इनफिकाक कारने के हकदार होवे-

“ मुनासिव वक्त और जगह” इम के बारे में एक्ट हाजा में कोई तशरीह नहीं की गई है-“मुनासिव वक्त” से मुराद है दिन का कोई वक्त-अगर कोई घटा मुकर्र किया हो तो “मुनासिव वक्त” से करीब करीब वही घटा मुराद है, “मुनासिव जगह” से वह मुकाम मुराद है जो जर रहन की अदाई के वास्ते मुकर्र किया गया हो, और अगर ऐसी कोई जगह नहीं करार दी गई है तो खुद जप्त खास मुतहिन के पास रुपया अदाई करना जरूर है, रहन का रुपया मानूली जगह पर भी पटाया जा सकता है हालांकि उस जगह का नाम दस्तावेज में दर्ज न होवे-जर किसी तारीख के दिन जर रहन का वाजिबुल अदा होता है तो राहिन उस तारीख को अदालत में रुपया दाखिल कर सकता है कि जब दूसरे दिन कचहरी खुले [बी. रि. जिद्द. ८ सफा २२३ डानीराउत-बनोम-हीरामन-]

“ जर रहन ” में कुछ रुपया रहन और सूद शामिल है-

“ इनफिकाक रहन ,, यानी रहन के बोझ से जायदाद को, रुपया अदा कर के छुडाना-जो नाखिश इस गरज से दायर की जाये वह नाखिश इनफिकाक है-

कब और किस तरह राहिन इनफिकाक कर सकता है:- इस दफा में आम तौर पर यह हुक्म है कि अखल रूप्य वाजिबुलअदा हो जाने के बाद किसी वक्त राहिन इनफिकाक कर सकता है-इम की यह मतलब नहीं है कि “किसी भी वक्त” राहिन अपने हक को अमल में ला सकता है चाहे उस का यह हक अजरुबय कानून मियाद फाविल सुनाई के होये या नहीं-पस मियाद का स्याऊ जरूर रखना चाहिये- दूसरा सवाल जो मियाद गौर तलब है यह पैदा होता है कि जर रहन का वाजिबुलअदा समजा जाये जिस्से राहिन को अपनी जायदाद के छुडाने का हक एासिल होवे-इस्में कुछ शक नहीं है कि अगर फरीफेन नाक तौर पर यह इतरार फौर कि जो तारीख दस्तावेज में लिखी है उस के बेशर इनफिकाक का हक पना न होगा, तो ऐसी मुकर्र तारीख पढिजे राहिन को रुपया रहन पदा सकता है और न वह इनफिकाक कर सकता है (इ. ला.

रि: मद्रास जिल्द १६ सफा ४८६) हाथकि राहिन बाकी मुद्दत का कुल
 सूद अदा करने को रजामन्द होवे हक इनफिकाक के मुस्तवी रखने के बारे
 में जो शर्तें दस्तावेज में लिखी जाती हैं वह राहिन और मुर्तेहिन दोनों के
 फायदा के लिये हैं, क्योंकि ऐसा इतिजाम कायम रहने से राहिन को नया
 कर्जा निकालने की जरूरत नहीं पडती और मुर्तेहिन को पूरा भुगतान यानी
 इम्तिनान रहता है कि एक खास मुद्दत तक उस की रकम हिफाजत के
 साथ रखी है

जिन मुरतों में किसी खास मुद्दत के पेरतर इनफिकाक रहन की मनाई के
 बारे में कोई शर्त दर्ज न हो लेकिन जर करजा की अदाई के वास्ते एक तारीख
 मुकरर की गई हो तो, मुताबिक राय हाई कोर्ट अलाहाबाद, जो मुद्दत करजा की
 अदाई के वास्ते मुकरर की गई है वह सिर्फ करजदार की दूचतु यादी उस के
 फायदा के लिये तसौब्वर की जावेगी सिवाय उस सूत में कि जब दस्तावेज के
 मजमून से कोई मनशा खिलाफ इस के पाई जाये और अगर ऐसी मनशा दस्ता-
 वेज से न पाई जावे तो राहिन को उस मुद्दत के खतम होने पर या उस के
 पेरतर इनफिकाक रहन का हक हासिल होगा—मसलन एक दस्तावेज में यह शर्त
 थी—“ हम असल जर रहन अरसा पद्दा बरस में अदा करेंगे” अलाहाबाद हाई
 कोर्ट के महमूद साहब जस्टीस की यह राय हुई कि यह 'मियाद' करजदार की
 सहूलियत के वास्ते मुकरर की गई है, उस का फायदा मुर्तेहिन नहीं उठा सकता

[इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ६०२ भागवत दास-बनाम-प्रसाद-
 सिंग] अलाहाबाद हाई कोर्ट की यह राय मद्रास हाई कोर्ट की राय [बमुकदमा
 इ ला रि मद्रास जिल्द २ सफा ३१४; व इ ला रि मद्रास जिल्द ३ सफा
 २३०] से मिलती है मगर बम्बई हाई कोर्ट की राय [बमुकदमा इ ला रि बम्बई
 जिल्द ५ सफा २२] व अलाहाबाद हाई कोर्ट की पेरतर वाली नजीर [बमुकदमा
 इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ८ सफा २५] के बरखिलाफ है—मद्रास हाई कोर्ट
 की हाल की नजीर इस मजमून की है कि बलिहाज अहकामात दफा ६० व ६२
 एक्ट इतकाल जायदाद सरकार की यह मनशा पाई जाती है कि दर सूत न होने
 कोई शर्त खिलाफ इस के क्यास यह पाया जाता है कि हक इनफिकाक व हक बैवान
 एक ही वक्त पैदा होते हैं—पस जब करजा रहन की अदाई के वास्ते एक तारीख मुकरर

काक कराने रहन के साबित करना चाहिये, क्योंकि मुर्तहिन मुस्तहक कब्जा रखने व मुकाबले हर ऐसे शास के है कि जिसका कोई मुस्तहक इस्तेहकाक जायदाद में न हो [इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ४३८ परमानन्द-वनाम-साहिबखली]—

इनफिकाक रहन कैसे हो सक्ता है:— मुनामिन्न वक्त और मुकाम पर रहन का रूपया पढाया जाने पर राहिन मुर्तहिन को मजबूर कर सक्ता है:— [१] उस को रहननामा हवाला करने के वास्ते, [२] जायदाद का कब्जा देने के वास्ते, [३] जायदाद मरहून का बैनामा लिख देने के वास्ते, [४] तहरीरी कब्रूलियत लिख देने और उस की रजिस्ट्री कराने के वास्ते—रहन की पूरी रकस पेट जाने पर राहिन अपना रहननामा वापस पाने का हकदार है, क्योंकि मुर्तहिन के पास दस्तावेज का रहना बतौर शहादत जिम्मेदारी राहिन के समझी जायेगी और अगर दस्तावेज रहन का मुर्तहिन के कब्जा में रह जावे तो अजरूय कानून यह क्यास पैदा होता है कि रहन के रूपया की अदाई नहीं हुई [देखो दफा ११४ (भ) वो नजीर इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २३ सफा ६३ निग्रावा-वनाम-भरमाप्या, व कलकत्ता जिल्द २४ सफा ६२ इसनचंद्र-वनाम-वेनीमाधव] जब असल रहननामा गुम हो जावे तो राहिन मुर्तहिन के खर्चा से रहन के बोझे से बरीयत पाने का हकदार है, लेकिन अगर यह पाया जावे कि रहननामा किसी तीसरे फरीक के कब्जा में है, जिस्का कब्जा जायदाद पर मुर्तहिन के बरखिलाफ (विरूद्ध) मुखालिफाना तौर पर है तो ऐसी सूरत में अदालत हुकम देगी कि जर-रहन अदालत में बतौर अमानत जमा किया जावे

रहन नामा का वापसी इन्तकाळ वनाम राहिन वजरिये इवारत जुहरी ऊपर दस्तावेज के (यानी रहननामा की पीठ पर विकरी की इवारत लिखकर) या वजरिये अलाहादा दस्तावेज के हो सकता है, अगर असली दस्तावेज की रजिस्ट्री हो गई हो तो बैनामा वापसी की रजिस्ट्री भी उस सूरत में खोजी होगी कि जब जायदाद की मालियत एक सग रूपया या उससे ज्यादा की होवे—एकट रजिस्ट्री न ३ सन १८७७ ई० की दफा १७ में जिमन (न) वजरिये एकट तरमीम न ७ सन १८८६ ई० दफा ४ के बढ़ाया गया है जिस्के रू से रहन नामा के पीठ पर की वह इवारत की रजिस्ट्री लाजमी नहीं है जिसे कुल या जुज जर रहन

का पाता कबूल किया गया है उस हालत में कि जन ऐसी रसीद से रहन का इस्तेहकाक भिट न जाता हवे—

हक इनफिकाक का जायल हो जाना:—जो हक इनफिकाक इस दफा के रू से राहिन को हासिल है वह दो तरह से जायल हो सकता है, यानी भिट जा सकता है, [१] वजरिये फैल फरीकैन [२] वजरिये हुमम अदाएत— (१) पहली सूरत लागू होगी उस वक्त जब कि दोनों फरीक रजामन्द हो कर कोई इकरार करे, मसलन,—जब राहिन को यह मालूम हो जाये कि वह करजा की अदाई नहीं करता तो उस को अखबार है कि वह अपनी जायदाद साहूकार के नाम बेंच दे छोड दे या दीगर तौर पर मुन्तकिल कर दे [देखो इ ला रि. मदरास जिल्द ११ सफा ४०३, पीरईया—बनाम—विन्कटा] ऐसा मामला पीछे से वर बिना गलत समझी या ना वकफियत के रद्द न हो सकेगा—अलवत्ता वर बिना फरेव वह मामला मसूख किया जावेगा—एक राहिन के करार अदाई जर करजा के बीत जाने पर मुर्तहिन के हक में एक राजानामा लिख दिया और मुर्तहिन ने एक कबूलियत राहिन को तहरीर किया कि कुल करजा की अदाई में जमीन ले ली गई पीछे से मुर्दई ने वहीसियत खरीदार हक इनफिकाक नालिश इनफिकाक की दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि जो राजानामा राहिन ने लिखा उस में वचाव के बजाय कोई शर्त नहीं दर्ज है और चूँकि जायदाद का कबजा भी राजीनामा लिखने के बाद दे दिया गया है इस लिये उस दस्तावेज के रू से राहिन के कुल हुकूम बनाम मुर्तहिन मुन्तकिल हो गये और उससे हक इनफिकाक रहन भी जायल हो गया हाँकि राहिन ने गलत समझी की वजह से ऐसा दस्तावेज लिख दिया हो (इ ला रि बम्बई जिल्द ११ सफा १७४ विशन्ू संखाराम—बनाम—काशीनाथ बापू) अगर जिस रहने नामा में यह शर्त दर्ज है कि करार की तारीख पर रूप्या की अदाई न होने से रहन नामा वतौर बैनामा के समझा जावेगा और अगर उस शर्त की तामील न की जावे तो इस सूरत में यह न तसौल्वर किया जावेगा कि इस दफा में लिखी हुई शर्त की मनशा के मुताबिक हक इनफिकाक वजरिये फैल फरीकैन जायल हो गया (इ ला रि मदरास जिल्द ११ सफा ४०३ पीरईया—बनाम—विन्कटा) जब कोई राहिन नया माविजा के लेकर तारीख इनफिकाक की मुल्तधी कर लेंवे तो ऐसा इकरारनामा जायज होगा और उस की तामील हो सकेगी (इ ला रि बम्बई जिल्द, २० सफा ३४६ करनाजी—बनाम—महेस्वर)

२. जब एक मर्तना कोई अदालत में मजबूत इस अमर के निसबत बजरिये हुकम अदालत तसफिया कर देवे कि आया राहिन इनफिकाक का मुस्तहक है या नहीं तो कोई अदालत इसी अमर के बाबत दुबारा फैसला नहीं करेगी—मसलन अगर अदालत किसी वजह पर यह तजवीज करे कि राहिन इनफिकाक का मुस्तहक नहीं है तो वह पीछे से नालिश इनफिकाक की दायर न कर सकेगा—चौहे ऐसी तजवीज अदालत ने राहिन की नालिश पर या मुवहिन की नालिश पर की हो—जब डिगरी में सिर्फ यह हुकम दर्ज हो कि राहिन मुस्तहक इनफिकाक का है और डिगरी मजकूर में बैदात या नालाम के बारे में कुछ शर्तें न लिखीं हों तो डिगरी मजकूर का इजराय उस मुदत के अन्दर किसी वक्त भी हो सकता है जो वमजिन मद १७९ एकट मियादन १५ सन १८७७ ई० के डिगरीया के इजराय के वास्ते मुकरर है और ऐसी मुदत अकसर तीन साल की हुवा करती है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १४ सफा ३५० बंधुभगत—बनाम—शाहमोहम्मद, इ. ला. रि. बम्बई अलाहाबाद जिल्द १६ सफा ६५६ रामभट—बनाम—रघुनाथना व इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ४९० नारायण—बनाम—अनन्दराम) जिस डिगरी में इनफिकाक रहन के लिये मुदत मुकरर की गई हो तो ऐसी मुदत गुजर जाने के बाद राहिन उस डिगरी के जारी कराने की दरखास्त नहीं कर सकता है (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १९ नजीर इजलास कामिल ब्राह्मणा—बनाम—बलापुरेटी)

जायदाद मरहूना के जुज यानी हिस्सा का इनफिकाक:—रहन का बोझ एकजाई कुल जायदाद पर रहता है—इसलिये कुल करजा का एक हिस्सा अदा करने से जायदाद मरहूना का कोई जुज का इनफिकाक नहीं हो सकता है—पस जो कोई शख्स इनफिकाक कराना चाहता है उसे कुल जायदाद को रहन के बोझ से छुडाना चाहिये—मगर नीचे लिखी तीन सूतों में जायदाद रहन के किसी हिस्से का इनफिकाक हो सकता है—[१] जब राहिनान का जायदाद में अलग अलग साफ तैर-पर इस्तेहकाक होवे, रहननामों की तारीख को या उसके बाद किसी वक्त फरीकन आपुस में ऐसा इतजाम कर सकते हैं कि जिस्के जगिये से हर एक राहिन का हिस्सा जायदाद मरहूना में अलग किया जाये तो ऐसी शर्त में इस दफा में लिखा हुवा कार्यदा लागू न होगा [देखो इ. ला. रि. मद्रास जिल्द २२ सफा २०६]

हायेसानन-वनाम-मोविन्दन] मुर्तेहिन भी खुद अपनी मरजी से रहन की जायदाद की अलाहादा टुकडों में तकसीम कर सकना है-अगर वह ऐसा करे तो कोई राहिन अपने हिस्से का करजा अदा कर के सिर्फ उतने ही टुकडे का इनफिकाक कर सकता है-

[२] जब मुर्तेहिन राहिनान के दरमियान जायदाद मरहना के बटवाडे को कबूल करती हो- मुर्तेहिन को पूरा अख्त्यार है कि ऐसे बटवाडा को कबूल करे या ना मजूर करे-लेकिन अगर वह एक मरतना उस बटवाडा का कबूल कर लेवे तो उस को नतीजा फानूनी रुपे उठाना पड़ेगा- इत्यादि रि. मम्बई जिल्द १५ सफा २९७ महेदाजी-प्रनाम-गनपत सेठ) अगर इस किस्म के बटवाडा को कबूल करके मुर्तेहिन एक हिस्सेदार को उसी के हिस्सा जायदाद मरहना के इनफिकाक करने की इजाजत देवे तो बाद में वह बाकी के दूसरे हिस्सेदारों को ऐसी इजाजत देने से इकार नहीं कर सकेगा-बशर्ते कि वे हिस्सेदार लोग अपने हिस्सा के मुताबिक करजा भी अदा करें

[इत्यादि रि. मम्बई जिल्द १५ सफा १८६] (२)-जब मुर्तेहिन खुद जायदाद मरहना के किसी हिस्सा को हासिल कर लेने-मुसलन, एक जायदाद के दो हिस्सेदार है और दोनो मिलकर अपनी कुल जायदाद किसी शख्स के पास रहन कर देवे और उन हिस्सेदारों में से एक अपना हिस्सा जायदाद का मुर्तेहिन के नाम बेंच देवे तो ऐसी हालत में दूसरा हिस्सेदार अपने हिस्से का करजा अदा करने पर अपने हिस्से की जायदाद का इनफिकाक कर सकता है-

दफा ६१

अगर राहिन को यह मजूर हो

हक इनफिकाक दो जायदाद में से एक जायदाद का जो अलग अलग रहने की गई हो, कि किसी एक रहन का इनफिकाक कराए, और कोई ठहराव इस बात की मनाई के लिये न हुवा हो, तो उस को अख्त्यार है कि बगैर अदा करने किसी और अलाहादा करजा के, जिस्के बदले दूसरी जायदाद रहन की गई हो, चाहे उसी ने या दूसरे शख्स ने जिस्के जरिये से वह दावादार है उस को रहन

किया हो, इनफिकाक कराए.

तमसील.

रामलाल ने, कि जो मालिक खेत (अ) और खेत (ब) का है, खेत (अ) को शिवलाल के पास एक हजार रूप्या में रहन रखा—बाद में रामलाल ने खेत (ब) भी एक हजार रूप्या के बदले में शिवलाल के पास रहन रखा और इस बात का कोई इकरार नहीं हुआ कि खेत (अ) पर कुछ जियादा बोझा डाला जायगा—पस रामलाल को अखत्यार है कि नालिश इनफिकाक रहन की सिर्फ बाबत खेत [अ] के करे.

त श री ह.

इस दफा का मतलब ऊपर लिखी हुई तमसील के पढ़ने से बिल्कुल साफ हो जाता है—जब कई जायदाद एक ही अद्वैत के पास अलग अलग रहन की गई हों तो रहिन या वह शर्त, जो उस की तरफ से दावा करता हो, सिर्फ एक ही जायदाद को बाद अदा करने उस रूप्या के जो उस जायदाद ने रहन के बारे में बाँजिब निकलता हो उस जायदाद को रहन के बोझ से छुड़ा सकता है और वह इस बात में मजबूर न किया जावेगा कि दूसरी जायदाद को भी जो उस ने या उस शर्त ने, जिसकी तरफ से वह दावा करता हो, रहन की है, इनफिकाक रहन का कराए—लेकिन अगर कोई ठहराव यानी कौल करार फरीकैन के दरमियाव इस के बारे में हुआ है तो उस की पाबन्दी की जावेगी—यानी फरीकैन बजरिये ठहराव अपुमी के यह शर्त कर सके है कि कोई रहन बिना अदा करने करजा दीगर रहन के छुड़ाया न जावेगा—जब ऐसा इकरार हो जावे तो अहकामात इस दफा के लागू न होंगे—बमुकदमा आल्लूखा—बनाम—रोशनखा (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ८५) ऊपर लिखे मुताबिक तजवीज करार पाई है

एक इन्तकाल जायदाद के जारी होने के पेशतर हिन्दुस्थान के किसी किसी हिस्सा में यह क़ायदा था कि जब कोई राहिन दो जायदाद एक ही शख्स के पास अलाहादा तौर पर अलग अलग करजा के बंदले में रहन रखे या मुतजातिर एक ही करजा की अदाई के वास्ते रहन करे तो मुतहिन इस बात की तामील करा सकता है कि अकेले एक ही करजा रहन का इनफिकाक न कराया जावे

दफा ६२. जब रहन भोकबंधक यानी कब्जा

हक राहिन विलकब्ज बाबत
दिला जाने कबजा

सहित रहन के किस्म से हो
तो राहिन को अखत्यार है कि

नीचे लिखी सूरतों में जायदाद मरहूना पर कबजा
पावे:—

[अ] - अगर मुतहिन को अखत्यार दिया गया हो कि वह जायदाद मरहूना के जरलगान और मुनाफा में से अपने रहन का रूप्या वसूल करे-तो उस वक्त कि जब रहन का रूप्या पट जावे;

[ब] . अगर मुतहिन को अखत्यार दिया गया हो कि रहन के रूप्या का सूद जायदाद मरहूना के जरलगान और मुनाफा में से वसूल कर लेवे-तो उस वक्त कि जब मियाद (अगर कोई हो) जो वास्ते अदाई जर रहन के मुकरर हुई हो, गुजर जावे और राहिन असल जर रहन मुतहिन को अदा या उस के रूपरु हाजिर करे या, जैसा आगे लिखा है, अदालत में दाखिल कर दे.

त शरी ह

जब रहन कवजा सहित हो यानी जब राहिन ने अमती जायदाद का कवजा मुर्तहिन के हवाला कर दिया हो तो इस दफाके वमूजिव राहिन को अपनी जायदाद का कवजा वापिस ले लेने का श्रख्त्यार है जब कि रहन के रूप्या की अदाई जायदाद के मुनाफा वो जर लगान की रकम में से हो गई हो वगैर कि रहन नामा में जर रहन का इस तौर पर अदा होने के बारे में सोफ तौर पर शर्त दर्ज की गई होवे और जब राहिन को मुर्तहिन के दरमियान ऐसा ठहराव हुवा हो कि मुर्तहिन सूद के बदले में जायदाद मरहूना का मुनाफा लेवेगा तो रूप्या रहन की अदाई का करार गुजर जाने पर असल रूप्या दाखिल या हाजिर करने पर राहिन अपनी जायदाद का कवजा वापिस मांग सकता है वगैर ज धापसी कवजा जायदाद मरहूना राहिन यातो इनफिकाक की नालिश दायर कर सकता है या वह मुर्तहिन से हिसाब तलब कर सकता है क्योंकि मुर्तहिन को आमदानी जायदाद मरहूना का सही सही हिसाब रखना लाजमी है हालांकि राहिन हिसाब तलब कर सकता है त्राहम करजी रहन की अदाई साबित करने का बोझ उसी पर रहेगा न कि मुर्तहिन पर जिस को यह साबित करना लाजिम है कि सूद के बावत कितना रूप्या वाजिव निकलता है (इनडियन अपील जिल्द १२ सफा १५७ शाह भखन लाल बनाम वावू श्री किरन लाल, बी रि जिल्द १८ सफा ६५) जो रकम राहिन ने बावत इनफिकाक रहन दाखिल किया है अगर वह गैर काफी समझी जाये तो उस की नालिश इनफिकाक खारिज न की जावेगी बल्कि अदालत शक्तिया डिगरी इसे मजमून की सादिर करेगी कि जो रकम अजरख्या रहन वाजिव निकले वह अन्दर मुदत मुकरर के अदा की जाये

अगर किसी नालिश इनफिकाक में दावा मुद्दा इस विना पर खारिज किया जावे कि कवजा रहन की अदाई नहीं हुई तो ऐसे फैसले से रहन का बैनात बहक मुर्तहिन नहीं हो जाता है और न उस फैसले के से दूसरी नालिश की मनाई होगी क्योंकि फैसला अदालत सिर्फ इस मजमून का हुवा कि नालिश इनफिकाक के लिये विनाय मुखसमत पैदा नहीं हुई [इ ता रि अडाहावाद जिल्द २१ सफा २५१ डा वहादुर बनाम टेक नारायन] वमूजिव दफा ६० उहक इन-

फिक्रान राहिन को उस वक्त तक हसिल रहेगा कि जब तक, इस्तेहकाक मजबूर बजरिये फौल फरीकैन या हुकम अदाएत के जायज न हो गया हो यानी मिट न गया हो—

फिकरा (अ) :—यह कायदा उस सूत में लागू होगा कि जब वास्ते अदाई जर रहन कोई मुद्दत मुकरर न की गई हो—[इ ला रि मदरास जिल्द २३ सफा ३३ व ३६ रोस थम्मल-बनाम-राजा राधनम] ऐसी सूत में राहिन कजजा जायदाद मरहूना के दिख पावे की नाछिश उस वक्त दायर कर सकता है, कि जब उस का इतमीनान हो जाये कि करजा रहन की अदाई हो चुकी, ऐसा इतमीनान करने की गरज से वह मुर्तहिन से नकल हिसाब व रसीदे धगरा की तलब कर सकता है (देखो दफा ७ एक्ट हाजा) अगर यह पाया जाये कि रहन के रूपया की अदाई जायदाद मरहूना की आमदानी में से नहीं हो चुकी तो नाछिश मुद्दे खारिज करदी जोगी (सी पी ला रि-जिल्द ११ सफा १०३ कालू-बनाम-गलजी) इन फिकरा की इवारत को बहुत गौर के साथ पढ़ कर समझना चाहिये—इस फिकरा के बमोजिव राहिन कजजा पावे का उसी वक्त मुस्तहक होगा कि जब रहन का रूपया मुनाफा और जर लगान की रकम में से वमूल किया जावे न कि उम वक्त जब राहिन अपने पास से अदा करे [इ ला रि मदरास जिल्द १६ सफा ४८६, सी पी ला रि-जिल्द ६ सफा ४३ मु कुन्दन-बनाम-ठाकुरलाळ] पर अगर राहिन नकदी रूपया अदा कर के रहन का इनफिकाक कराना चाहे तो मुर्तहिन पर ऐसे रकम का कबूल कर लेना लाजिम नहीं है [इ ला रि मदरास जिल्द १६ सफा ४८६]

फिकरा (ब) :—इस फिकरा के बमोजिव कारवाई करने की गरज ने मुर्तहिन से हिसाब तलब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल रूपया रहन की अदाई होने पर इनफिकाक रहन के बारे में साफ हुकम है—इस का मन्कब यह है कि जायदाद मरहूना का मुनाफा और जरलगान सिर्फ सूद की रकम के वास्ते काही होगा अमल रूपया रहन में कुछ वसूल न किया जावेगा—दफा २८ जिमन (३) के अन्त में दरमियान राहिन को मुर्तहिन के इस किसम की शर्त जायज तौर पर हो सकती है कि मुनाफा वा जर लगान जायदाद मरहूना का व एवज सूद अमल जर रहन के लिया जावेगा ।

दफा ६३ जब जायदाद मरहूना में, जो मुर्तहिन

इजाफा जायदाद
मरहूना.

के कब्जा में हो, अइय्याम दौरान रहन
में, किसी कदर इजाफा हो जाए तो व-

क्त इनफिकाकरहन के राहिन हकदार होगा कि, दर-
सूरत न होने कोई माहदा खिलाफ इस के, मुर्तहि-
न के मुकाबले में इजाफा मजकूर लेलेवे-

जब ऐसा इजाफा मुर्तहिन के खर्च से हासिल
किया गया हो और उसपर अलाहदा तौर से काबि-
ज होना और नफा उठाना, असल जायदाद को
किसी किरम का नुकसान न पहुंचाकर, मुमकिन होवे
तो राहिन को, अगर वह इजाफा लेना चाहे, ला-
जिम होगा कि उस इजाफा के हासिल करने का
खर्चा मुर्तहिन को अदा करे- अगर इजाफा मज-
कूर पर अलाहिदा तौर से कब्जा रखना वो उरसे
नफा उठाना मुमकिन न होवे तो जरूर है कि वह
इजाफा जायदाद के साथ हवाला कर दिया जावे-
मगर उस सूरत में राहिन जिम्मेदार होगा कि
अगर कोई इजाफा जायदाद को, वरवादी या जव्ती
या नीलाम से बेचाने की गरज से जरूरी हुवा हो,
या खुद उसी की रजामन्दी से हासिल किया गया
हो, तो खर्चा बाजबी ऐसे इजाफा का बतौर रकम

बढ़ती असल रूप्या के मय सूद उसी निख से
अदा करे---

अखीर सूरत में वह मुनाफा, अगर कुछ हो,
जो ऐसी इजाफा जायदाद से वसूल आया हो,
राहिन के नाम से जमा किया जावेगा---

जब रहन कबजा रहन की किस्म से हो
और इजाफा मुर्तहिन के खर्चा से हासिल किया
गया हो तो वह मुनाफा जो उस इजाफा से वसूल
आया हो, अगर कोई ठहराव इस के बरखिलाफ न
होवे, वह उस सूद के मतालबा में मुजरा लिया जावेगा
अगर कुछ हो, जो खर्च की हुई रकम पर होता---

त श री ह

यह दफा इस उसूल पर कायम है कि जो कुछ तरकी या इजाफा किसी
जायदाद में किया, जो वह सब असली जायदाद के साथ जाता है—लेकिन अब ऐसी
तरकी या इजाफा मुर्तहिन की कोशिश या खर्चा या महनत की वजह से हुई हो
तो मुनासिब मालूम होता है कि उस को कुछ मात्रा मिलना जरूर है—इस दफा की
मनशा में दो किस्म की तरकीया शामिल है—(१) कुदरती, (२) हासिल की
हुई—राहिन अलबत्ता दोनों किस्मों की तरकी पाने का हकदार है मगर हासिल की
हुई तरकी या इजाफा की सूरत में उसे मुर्तहिन को उस को हासिल करने का
खर्चा देना पड़ेगा-

लफजों के मायनी:—

पटाना वाजिव होवे अदा करता रहेगा-

(घ) और जब जायदाद मरहूना पट्टा मियादी चंद सालों की किस्म से हो, तो यह कि वह जरलगान जो पट्टा की रूसे वाजिव निकलती हो, और पट्टा में लिखी हुई कुल शर्तों और इकरार जिनकी पाबन्दी पट्टादार पर लाजिम है मामला रहन के शुरू तक अदा हो चुके और तामाल पाचुके हैं; और यह कि राहिन इकरार करता है कि जब तक किरफालत कायम रहे और मुर्तहिन जायदाद मरहूना पर काविज न हो जावे तब तक वह पट्टा में लिखा हुआ लगान अदा करता रहेगा, या अगर पट्टा नया किया गया हो तो नए पट्टा में जो लगान लिखा हो वह अदा करेगा और उन के शर्तों की तामील करेगा और तमाम कौल व करार की पाबन्दी करेगा जिन की तामील पट्टादार पर हो और मुर्तहिन को उन से जगा जो लगान मजकूर है वह से या

पटाना वाजिव होवे अदा करता रहेगा-

(घ) और जब जायदाद मरहूना पट्टा मियादी चंद सालों की किस्म से हो, तो यह कि वह जरलगान जो पट्टा की रूसे वाजिव निकलती हो, और पट्टा में लिखी हुई कुल शरतें और इकरार जिनकी पाबन्दी पट्टादार पर लाजिम है मामला रहन के शुरू तक अदा हो चुके और तामाल पाचुके हैं; और यह कि राहिन इकरार करता है कि जब तक क्फालत कायम रहे और मुर्तहिन जायदाद मरहूना पर काविज न हो जावे तब तक वह पट्टा में लिखा हुआ लगान अदा करता रहेगा, या अगर पट्टा नया किया गया हो तो नए पट्टा में जो लगान लिखा हो वह अदा करेगा और उन के शरतों की तामाल करेगा और तमाम कौल व करार की पाबन्दी करेगा जिन की तामाल पट्टादार पर हो और मुर्तहिन को उन मतालवों से बरी रखेगा जो लगान मजकूर के न पटाने की वजह से या उन इकरार व शरतों की तामाल न किये जाने

के सबब से उस पर किये जावें.

(६) और, जब वह रहन कि जिस्में जायदाद डूबी हो, जायदाद पर दूसरा या पिछला मवाखजा यानी बोभा हो, तो राहिन, वक्त वक्त पर, सूद का रूप्या जो हर एक पेशतर के रहन की बाबत वाजिब निकलता हो अदा करता रहे और वक्त मुकरर पर असल रहन का रूप्या भी जो हर रहन पेशतर की बाबत देना हो, पटाया करे.

कोई इवारत जिमन [ग] या जिमन [घ] की जो आयन्दा लगान की अदाई से ताल्लुक रखती है किसी रहन "कबजा सहित" से मुताल्लुक न समझी जावेगी.

फायदा उन माहदों का जो इस दफा में दर्ज हैं मुर्तहिन के इस्तेहकाक में, जो वहाँसियत मुर्तहिनी उस को हासिल है, शामिल होकर उस के साथ रहेगा और हर शख्स, जिस्को वह इस्तेहकाक, सब या कुछ, वक्त व वक्त हासिल हो, उस की जवरन तामील का हकदार होगा.

इन्तकालीन शर्तों की व्याख्या

इस दफा में उन माहदों का जिक्र है जो दरसुरत न होने कोई बात खिलाफ इस के, दरमियान राहिन वी मुर्तहिन, यह समझा जावेगा कि राहिन ने मालवी तौर पर यानी छुपी तौर पर मुर्तहिन के साथ किये है।

शर्तों के मायनी:—

माहदा—ठहराव, कौल फरार,

खिलाफ—विरुद्ध,

राहिन—रहन करने वाला,

मुर्तहिन—रहन रखने वाला, यानी जिसके पास जायदाद रहन रखी जाये,

महफूज—रक्षा करना, बचाव करना,

तदबीर—प्रयत्न,

रसूम सरकारी—जो रकम बावत लगान या जमा के सरकार में पटाई जाती हो,

पाबन्दी—आधीन्ता,

किफालत—जमानत, यानी जो जायदाद रूप्या की अदाई के वास्ते रहन रखी जाये वह किफालत में दाखिल है क्योंकि उसी जायदाद के एतवार पर साहूकार कर्जदार को रूप्या बतौर करजा के देता है,

तास्तुक—सम्बन्ध, वास्ता,

फिकरा (क) इस्तेहकाफ की जिम्मेदारी:— इस फिकरा की इवारत उसी मजमून की है कि जैसे दफा ५५ जिनन [२] की इवारत है जिस में बेंचने वाले की तरफ इस्तेहकाफ की जिम्मेदारी कायम रहने के बावन हुक्म है—जैसा कि वे की सुरत में होता है वैसा ही रहन की हालत में भी इन्तकाल करने वाला इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि उस का हक उस जायदाद में कायम है कि जिसे वह बतौर जमानत वास्ते अदाई करजा के रहन रखता है—अगर पीछे से मुर्तहिन अपने रहन की जायदाद से इस बिना पर महरूम किया जाये कि राहिन का उस में कुछ हक नहीं है तो वह राहिन पर या तो अपने रूप्या की नालिश

कर सकता है [देखो दफा १८ जिमन (ब)], या किसी जायदाद को बतौर जमातत वपयज जायदाद मरहूना के ले सकता है जो राहिन वाद में हासिल करे—(इ. ला रि. जिल्द २०, कलकत्ता सफा १३३, हेमचंद्र, घोश-बनाम-ठाकू मोती देवी, इ. ला रि. बम्बई जिल्द २३ सफा ३०९, लक्ष्मन-बनाम-गोपाल, इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ४३४, जैसकरी-बनाम-भारतचंद्र) लेकिन अगर पीछे से राहिन जायदाद मरहूना में किसी तरह से हक हासिल कर लये तो मुर्तहिन अपने करजों की अदाई के वास्ते उसी जायदाद को पकड़ सकता है (क. ला. रि जिल्द ४ सफा १५० दुर्गाचंद-बनाम-निरयानचंद्र, इ. ला रि बम्बई जिल्द ४ सफा ३४ प्रानजीवन-बनाम-बाजू) जब मुर्तहिन अपने जरूरी रहन की नाडिश राहिन पर दायर करे तो राहिन बजात खास उस रूप्या का देनदार होगा—मामूली तौर पर राहिन मुर्तहिन के रूप्या की अदाई का बजात खास जिम्मेदार नहीं होता है लेकिन अगर वह अपनी रहन की हुई जायदाद में पक्का वो मजबूत इस्तेहकाक कायम करने में कसूर करे तो अजरूख्य कानून उत्पर करजा की अदाई के लिये जाती जिम्मेदारी पेटा हो जायेगी.

१.- जिमन (ख)-आसानी के साथ कबजा देने की जिम्मेदारी:—इस फिकरा के बमूजिव राहिन को लाजिम है कि अगर उस ने मुर्तहिन को जायदाद मरहूना का कबजा हवाला करने का इकरार किया है तो ऐसा कबजा आसानी के साथ मुर्तहिन को दे दे, और अगर कोई दूसरा शख्स मुर्तहिन पर जायदाद मजफूर का कबजा पाने की नाडिश दायर करे तो राहिन पर लाजिम है कि ऐसी नाडिश की पैरवी में मुर्तहिन की मदद करे, यानी उस को पैरवी मुकदमा के लिये खर्चा दे (इ. ला. रि बम्बई जिल्द ९ सफा ४३९) और अपने इस्तेहकाक की मजबूती साबित करने की गरज से शहादत वगैरा पेश करे और पूरी पूरी बकफियत देवे (देखो दफा ७२-एक्ट हाजा)—राहिन ऐसा नहीं कर सकता कि मुर्तहिन को तो अपनी तरफ से वाजायता कबजा हवाला कर दे और फिर उसे बेदखल करने की नियत से गैर शरस के साथ मेल मानी साजिश करे—

२.- फिकरा (ग)-सरकारी दैन वगैरा की अदाई:—जो फरीक जायदाद पर कबजा रखता हो वह उस जायदाद के निसबत जुमला सरकारी दैन के

पटाने का जिम्मेदार है—अगर 'राहिन' या वह शख्स जो उस के जरिये से दावा करता हो जायदाद मजकूर पर काबिज होवे, तो ऐसे दैन की अदाई राहिन को करना पड़ेगा—लेकिन अगर मुर्तहिन जायदाद पर काबिज हो तो रसूम सरकारी के अदा करने की उस की जिम्मेदारी वमूजिव दफा ७६ (क) करार दी गई है—याद रखना इस अमर का जरूर है कि सरकारी दैन का, जायदाद पर सत्र से बढकर, बोझा होता है—इसलिये जो फरीक जायदाद मजकूर पर कबजा रबता है उसी को यह रसूम पटाना चाहिये—पस अगर जमा सरकारी राहिन की तरफ से न पटने की वजह से जायदाद नीलाम हो जावे तो जर नीलाम की जो कुछ फाजिल रकम वाद अदाई जमा सरकारी बचे उस पर मुर्तहिन का हक है और वह ऐसी रकम के दिला पाने की नालिश कर सकता है वमुकबले उन साहूकारों के जिन को सिर्फ डिगरी नवदी रूपया की मिली हो, क्योंकि फाजिल जर नीलाम मिस्ल जायदाद मरहूना के समशी जावेगी [इ. ला रि जिल्द ६ सफा १४२ क्रिस्टोदास—बनाम—रामकन्तराव]

फिकरा (घ)—पट्टे का जायज रहना:—जब कोई ठेके की जायदाद बजरिये रहन मुन्ताकिल की जावे, तो ऐसा समझा जावेगा कि राहिन ने यह इकरार किया कि कुछ बकाया जमा ठेका की अदा की गई और उन तमाम शर्तों की तामील हो चुकी कि जिन के ताबे ठेका है—मुर्तहिन रहन के पहिले की मुद्त के बाबत लगान का देनदार न होगा (क ला रि जिल्द ३ सफा २८५, भेकनाटन—बनाम—लाला मेवालाख) पस अगर रहन बिला कब्जा के हो तो राहिन को ठेका की जमा अदा करना लाजिम है और उसे कुछ ऐसी शर्तों की तामील करना वाजिब है जो ठेका के कायम रहने के लिये जरूरी होवे ताकि मुर्तहिन के हक में किसी किसम का नुकसान न पहुंचे—अगर राहिन ठेका जमा के पटाने में कसूर करे कि जिस्से मुर्तहिन को नुकसान पहुंचे तो ऐसी हालत में वह [मुर्तहिन] राहिन पर हरजा की नालिश कर सकता है—(इ ला रि मदरास जिल्द १३ सफा १९२) अगर राहिन अपना ठेका का हक मुर्तहिन के नाम मुन्ताकिल वरदेतो वह [यानी मुर्तहिन] खुद वमुकबले ठेका देनेवाले के उन तमाम जिम्मेदारियों का जवाबदार होगा कि जो ठेका के साथ लगी हों [देखो दफा १०९ व इ ला रि मदरास जिल्द १७ सफा २६६]

फिकरा (ङ)—पिछला मवाखिजा यानी बोझा रहन:—इस फिकरा को एकट हाजा की दफा ४८ के साथ पढना चाहिये—दूसरे या पिछले मुर्तहिन

के साथ राहिन यह इकारार करता है कि यह पेश्वर के रहन का रूप्या अदा करेगा —
 अगर राहिन इस बारे में कसूर करे और पिछला मुर्तहिन् अपनी जमानत से महरूम
 किया जावे तो ऐसी सूरत में वह बमूजिव दफा ६८ (ब) जाती डिगरी पाने की
 नालिश कर सक्ता है (इ. ला रि. मद्रास जिल्द १३ सफा १९२) इस शर्त से
 पिछले रहनदार का इस्तेहकाक निसबत करने इनफिकाक रहन सामिक के जाग्रह
 नहीं हो जाता है (देखो दफा ९१) —

दफा ६६. राहिन, जो जायदाद मरहूना

कब्जादार राहिन का जायदाद मरहूना का मुकमान पहुचाना पर काबिज रहे, उस के खराब हो जाने के बावत मुर्तहिन् के मुकाबले में जिम्मेदारी के लायक न होगा, लेकिन उस को कोई ऐसा फैल करना जायज न होगा जिम्मे जायदाद जायल हो जावे या कोई नुकसान हमशा के लिये उस को पहुंचे जब कि जायदाद जमानती करजा रहन की अदाई के लिये गैर काफी हो या ऐसे फैल से गैर काफी हो जावे.


तसरीह—जायदाद जमानती इस दफा की मनशा के मुताबिक गैर काफी समझी जावेगी सिवाए उस सूरत में कि जब मालियत जायदाद मजकूर की बमुकाबले कुल तादाद जर रहन जो किसी वक्त वाजिबुलअदा हो एक तिहाई से और अगर मकानात रहन हुए हों तो एक निस्फ से जियादा हो.

त श री ह .

इस दफा का मतलब यह है कि हालांकि राहिन ने अपनी जायदाद रहन की हो मगर ताहम वह उस जायदाद का मालिक बना रहता है और जायदाद मजकूर के लगान व मुनाफा के पाने का हकदार होगा और वह वहींसियत मालिक के जायदाद के निसबत दीगर कारवाई भी कर सकता है (सी पी. ला. रि जिन्द् ९ सफा १३० सिंगई गोपाल-बनाम-महताव बाई) अगर इस तौर पर कारवाई करने से उस की जायदाद जाया हो जावे तो वह जकाबदार नहीं हो सकता है -मगर वह अपनी जायदाद की ऐसी बरवादी नहीं कर सकता है कि जिस्से जायदाद मजकूर की किफालत यानी जमानत घट जावे-मसलन उस को कीमती इमारती लकड़ी नहीं काट डालना चाहिये या मकानात की निव इस तौर पर नहीं खोदना चाहिये कि जिस्से इमारतों का पक्कायती में नुकसान पहुचे, या जायदाद में कोई ऐसा हक इस्तफादा कायम करदे कि जिस्से रहन की जायदाद की मालियत घट जावे.



हुकूक और जिम्मेदारियां मुर्तहिने की



दफा ६७—दरसूरत न होने कोई माहदा

(यानी ठहराव) खिलाफ इस

नीलाम या वैवात करा पाने
का हक

के, रहन का रूप्या वाजिबुलअदा

हो जाने के बाद किसी वक्त और जायदाद मरहूना के इनफिकाक रहन की डिगरी, सादिर होने के पेश्तर, या रहन का रूप्या आगे लिखे हुए तरीके के मुताबिक अदा या दाखिल किये जाने के पहिले, मुर्तहिने इस बात का मुस्तहक है कि अदालत से

इस मजमून का हुक्म हासिल कर लेवे कि राहिन का हक इनफिकाक रहन कतई तौर से साकित किया जावे या यह हुक्म कि जायदाद नीलाम की जावे--

नालिश जो बगरज हासिल करने इस हुक्म के हो, कि किसी राहिन का हक बावत इनफिकाक रहन के साकित किया जावे, नालिश बैवात की कह जाती है--

इस दफा की किसी इवारत से यह अखत्यार देना मंजूर नहीं है--

(क) कि रहन सादा की मुर्तहिन सिर्फ उसी हैसियत से बैवात की नालिश करे, या रहन भोग बंधक का मुर्तहिन नालिश बैवात या नीलाम की सिर्फ उसी हैसियत से करे, या मुर्तहिन बैवुलवफा सिर्फ उसी हैसियत से नीलाम कराने की नालिश करे--या

(ख) कि कोई राहिन जो अपने मुर्तहिन के हुक्क अपने पास वतौर अमानतदार या कायम मुकाम जायज के रखता हो, और जो

जायदाद नीलाम कराने की नालिश कर सकता है, बैवात की नालिश करे, या

(ग) कि, मुर्तहिन बावत किसी नहर, या रेलवे या और चीज के जिस्का कायम रखता आम लोगों के फायदा के वास्ते संजूर हो, बैवात या नीलाम कराने की नालिश करे, या

(घ) कि, कोई शख्स, जिस्को जर रहन के सिर्फ एक जुज से ताल्लुक हो जायदाद मरहूना के सिर्फ उसी कदर हिस्सा के निसबत नालिश दायर करे, सिवाए उस सूरत में कि जब जुमला मुर्तहिनों ने राहिन की रजामन्दी से, अपना हक मामला रहन में अलग अलग कर लिया हो-

त श री ह

दफा ६७ से ७५ तक मुर्तहिन के हुक्म के बारे में है और दफा ७६ में ७७ तक मुर्तहिन की जिम्मेदारियों के बारे में है -जब फरक के दामियान कोई माहदा मानी ठहराय इस के बरखिलाफ न होवे तो नीचे लिखी तीन सूरतों में मुर्तहिन अशाक्त से बजरिये नालिश यह हुकम माग सकता है कि राहिन जायदाद मरहूना हो रहन की जिम्मेदारी से छुडाने से मना किया जाये या जायदाद नीलाम कराई जाये: [१] जब रहन का रूप्या याजिबुलमदा हो जावे यानी जब रहन के रूप्या के मरहूना का करार चूक गया हो, [२] जब जायदाद मरहूना के इनफिकान की याबा डिगरी सादिर न हो गई हो, [३] जब रहन का रूप्या वर्मजिय दफा

८३ एकट हजा के दाखिल न किया गया हो—लेकिन इस दफा में साफ हुक्म लिखा है कि रहन सादा की हालत में मुर्तहिन नालिश बैवात की दायर न कर सकेगा क्योंकि इस किस्म के रहन में जायदाद नीलाम की जाती है, और कबजा रहन की सूत में न तो मुर्तहिन नालिश नीलाम की और न नालिश बैवात की दायर कर सकेगा क्योंकि इस किस्म के रहन में शर्त यह दर्ज रहती है कि जायदाद के मुनाफा में से मुर्तहिन अपने रहन का रूप्या वो उम का सूद वसूल करते जावेगा और जब तक यह कुल रूप्या अदा न हो जाये तब तक जायदाद मरहूना पर कबजा मुर्तहिन का बना रहेगा, रहन बैबुलवफा की सूत में मुर्तहिन जो नालिश नीलाम की दायर करने का हक्क हासिल नहीं है—ऐसे रहन की हालत में जायदाद मुर्तहिन के नाम लहन गहन हो जाती है—इस बात का याद रखना बहुत जरूरी है कि नालिश बैवात या रहन की उस वक्त तक दायर न हो सकेगी कि जब तक वह तारीख न गुजर जावे कि जो वास्ते अदाई जर रहने के मुकरर है—

लफ्जों के मायनी:

खिलाफ—विरुद्ध

वाजिनुलअदा—पटाए जाने के लायक

जायदाद मरहूना—रहन की हुई जायदाद

इनफिकाफ रहन—रहन की जिम्मेदारी से जायदाद को छुड़ाना

कर्तई तौर पर—पक्कायती के साथ

साकित हो जाये—मिट जाये यानी नष्ट हो जाये

रहने भोकबधक—कबजा साहित रहन

बैबुलवफा—लहन गहन

कायम मुकाम जायज—एक शास्म के मरने पर जो कोई उस की जायदाद का माटिक बहैसियत वारिस वो दीगर तौर पर बन जाना है

शुज—हिस्सा

मुर्तहिन के हुक्म:-रहन का रूप्या वाजिनुलअदा हो जाने के बाद इस दफा के बमुजिव मुर्तहिन को दो किस्म के हुक्म दिये गये हैं—[१] निलाम

की नालिश करने का, [२] वैवात की नालिश दायर करने का--ऊपर बयान किया गया है कि रहन का रूप्या फत्र वाजिबुलभदा हो जाता है--इसमें कुछ शक नहीं है कि करार वास्ते अर्दाई करजा के गुजरने के पेशतर मुर्तहिने अपना रूप्या टिठा पाने की चारा जाई अदालत में नहीं कर सकता है--इस करार के गुजर जाने पर मुर्तहिने अपने रहन की तामीठ कर सकता है बशर्तकि राहिन ने डिगरी इनफिकाक रहन की हासिल न कर ली हो या अदालत में राहिन की तरफ से रहन का रूप्या दाखिल न किया गया हो--पहली सूत में नालिश मुर्तहिने की काबिल खारिजी के होगी--दूसरी सूत में यह साबिन करना जरूर है कि नालिश वैवात या नीलाम की दायर होने के पेशतर मुर्तहिने को इस बात की इत्तला मिल चुकी थी कि रहन का रूप्या बमूजिब दफा ८३ अदालत में दाखिल कर दिया गया है--एक मुकदमा में मुर्तहिने की तरफ से नालिश नीलाम या वैवात अजरूय रहननामा दायर की गई--मुदायलेह की तरफ से उजुर किया गया कि रहन का रूप्या अदालत में दाखिल हो चुका है, लेकिन यह जाहिर हुवा कि दफा ८३ के रूपे नोटिस यानी इत्तला नामा बनाम मुर्तहिने जारी तो हुवा मगर उम की तामीठ मुर्तहिने पर नालिश वैवात की दायर होने के पेशतर नहीं की गई--पस ऐसी सूत में मुर्दई को, डिगरी, वैवात मय खर्चा बरखिलाफ मुर्तहिने के दी गई [इ ला रि मद्रास जिल्द ११ सफा ३७१] इस दफा के बमूजिब मुर्तहिने को डिगरी वैवात या नीलाम की हासिल करना जरूर है--अगर वह अपने रहन के रूपे नालिश वैवात, या नीलाम की दायर करके सिर्फ डिगरी- नकदी रूप्या की हासिल करे तो यह उस डिगरी के इजरा में जायदाद मरहूना नीलाम नहीं करा सकता है--(देखो दफा २० एकट इन्तकाळ जायदाद)

कबजा सहित रहन:- हालाकि इस दफा में साफ हुकम दर्ज है कि रहनदार सादा सिर्फ नीलाम की नालिश कर सकता है, और मुर्तहिने बशर्त बैबुलवफा सिर्फ वैवात की नालिश दायर कर सकता है और मुर्तहिने बिल- कब्ज नीलाम या वैवात दोनों की नालिश नहीं कर सकता है ताहम मद्रास हाई कोर्ट की यह राय है कि अलफाज वैवात या नीलाम से कबजा सहित रहनदार को दोनों में से किसी एक की नालिश करने की मनाई नहीं है बकि वह इस शर्तसे के साथ नालिश कर सकता है कि अगर रहन का वैवात न कराया जावे तो जायदाद मरहूना नीलाम की जावे [देखो इ ला रि मद्रास जिल्द ११ सफा ४८८]

विन्कटा स्वामी-बनाम-सुब्रामण्यिया] लेकिन अब हाल की नजरो से यह ते हो
 चूका है कि कबजा सहित रहनदार, इसी हैसियत से, नालिश बैवात या नौलाम
 की दायर नहीं कर सकता है ताकि कि असल रूप्या की अदाई का इरार न
 हो, और जब ऐसा इकरार हो तो वह नालिश नीलाम की चला सकता ह [-इ. ल.
 रि मद्रास जिल्द १२ सफा १०९, इ च्च रि. मद्रास जिल्द १४ सफा २१२ वो
 जिल्द १९ सफा १७४ वो जिल्द १७ सफा १३१ नजीर इजलास कामिल] जब कबजा
 जायदाद मरहून का बएज सूद के दिया गया हो और जब रहन नामा में रहनसादा और रहन
 कबजा दानों के बाबत शर्त दर्ज हो जिस्के रू से मुर्तहिन को जायदाद पर कब्जा करने का
 हक और जायदाद मजकूर के नौलाम कारने का इस्तेहकाफ दिया गया हो तो भी
 मुर्तहिन नौलाम की नालिश दायर कर सक्ता है (अलाहाबाद वीरुा नोट जिल्द ६ सफा
 २१२ वो जिल्द ७ सफा ११९ वो जिल्द ८ सफा १७१) लेकिन ऐसे इस्तेहकाफ
 का दियाजाना साफ और पर दस्तावेज से जाहिर होना चाहिये [इ. ल. रि. अलाहाबाद
 जिल्द ६ सफा २९८ शम्भूराम-बनाम-गिरधारी सिंग) एक पट्टा जर पेशगी में
 जिस्की मियाद पाच साल की थी, यह शर्त दर्ज थी कि ठेकेदार बएज सूद के
 जायदाद का मुनाफा लेगा और अगर वह मियाद ठेका की खतम होने पर या
 उस के पेशतर वेदखल किया जावे तो वह नालिश बाबत दिला पाने असल
 करजा मय सूद के दायर कर सकता है-मगर दस्तावेज में साफ यह इवारत
 दर्ज नहीं थी कि ऐसा सूत में रूप्या जायदाद से वसूल किया जावेगा-लेकिन
 दस्तावेज के कुछ मजमून से यह पाया जाना था कि जायदाद रहन की गई थी-
 ठेकेदार मियाद ठेका की गुजरने के पेशतर ठेके की जायदाद से वेदखल किया
 गया-इभ लिये उस ने नालिश बाबत दिला पाने असल करजा मय सूद बजरिये
 नीलाम जायदाद मरहून के दायर किया-तजवीज हाई कोर्टे करार पाई कि वह
 जर करजा की वसूली के वास्ते जायदाद नीलाम करा सकता है क्योंकि ठेका की
 शर्तों के मुताबिक ठेकेदार को वेदखल किये जाने की सूत में असल करजा
 मय सूद के दिला पाने की नालिश करने का अखत्यार दिया गया है (अलाहाबाद
 वीरुा नोट जिल्द १ सफा ६३ राम बरछा-बनाम-नोहर पांडे) अगर वाद तहरीर
 करने रहननामा के राहिन जायदाद मरहून का कबजा देने में कसूर करे तो मुर्तहिन
 को अखत्यार है या तो जायदाद मरहून का कबजा पाने की नालिश करे या रहन
 का रूप्या मय सूद के दिला पाने का दावा करे (अलाहाबाद वीरुा नोट जिल्द १

सफा ७१ लालजीमल बनाम मोहनलाल)

रहन सादाः—मुर्तहिन सादा अपने रहन का रूपया की बसूली के वास्ते

जायदाद मरहूना को अदालत के मारफत नीलाम करा सकता है [बर्नई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ८ सफा १४२ केशवराय-बनाम-भगवानजी] चाहे वह रकम कि जो अज वाकी पाना निकली हो पूरा करवा रहन का होवे या उस का कोई हिस्सा हो [बी. रि. जिल्द १६ सफा २४६ रामकृत चौधरी-बनाम-विन्द्रावन) मामूली तौर पर मुर्तहिन को पूरी जायदाद मरहूना के नीलाम करा पाने की नालिश दायर करना चाहिये (इ. ला. रि. जिल्द २ अलाहाबाद सफा ९०६ चदिनासिग-बनाम-मोहकर सिग) लेकिन अगर किसी दस्तावेज के रू से हर एक जायदाद पर अलग अलग रटन की जिम्मेदारी डाली गई हो और कुल जायदाद भी वतौर जमानत रहन की गई हो तो मुर्तहिन को अव्यत्यार है कि जिस जायदाद से वह समझता है कि उस का दानी बसूल हो जावेगा उसी को नीलाम करावे [बी. रि. जिल्द ८ सफा ३७९ हुलास कुवरी-बनाम-मुफ्तीदुमा] बरवक्त नीलाम मुर्तहिन अदालत से इजानत मागकर बमूजिव दफा २९४ मजमुआ जाब्ता दीवानी के खुद नीलाम में बोली बोल सकता है—

रहन बशर्त बैबुलबफाः—बैबुलबफा यानी रहन गहन की शर्त का

मुर्तहिन जायदाद मरहूना के नीलाम की नालिश नहीं कर सकता है वह सिर्फ बैवात की डिगरी हासिल कर सकता है और अगर जरूरत मालुम पड़े तो वह बमूजिव दफा ८७ के दरखास्त इस अमर की पेश कर सकता है कि उसे जायदाद मरहूना का दखल दिलाया जाने-पुराने कानून (बगाल रेग्यूलेशन जो एक्ट इन्तकाल जायदाद के अमल में आने के पेश्तर जारी था) के बमूजिव मुर्तहिन कबजा पाने का मुस्तहक नहीं है जब तक कि रिआयती मुदत गुजर न जावे और यह मुदत आपुसी इकरार के जरिये से बढ सकती है (देगो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ४५१ वैजनाथ प्रसाद बनाम-महेसरी प्रसाद) और जब तक करार की मुदत न बीत जावे यानी जब तक वह पूरी मुदत न गुजर जाए कि जिसके खतम होने पर रहन का रूपया वाजिबुल अदा होता है, तब तक मुर्तहिन बैवात के वास्ते दरखास्त नहीं कर सकता है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा ५९ कुनरा दीवी-बनाम-वाजिदखा, इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २३ सफा २२८ किशोरी मोहनराव-बनाम-गुगाबाबू देवी) बैवात का हुक्म हासिल करने के बाद मुर्तहिन मूताधिक नजीर हाई कोर्ट कलकत्ता को मद्रास

बारा साल के अन्दर कबजा जायदाद मरहूना का दायी कर सकता है और मूगलिन नजीर दीगर हाई कोर्ट के साठ साल के भीतर तारीख हुकम से या उस तारीख से कि जब माहदा को टूट की गई अगर रहननामा में ऐसी शर्त दर्ज है—[इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा ६८ मदनमोहन चौधरी-गनाम--अमद अजी, इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ७३० गिगवर सिग-बनाम--अकुर नारायण सिग, इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १४ सफा ४०५ अली अब्बान-बनाम--कालकाप्रसाद

दफा ६८: मुर्तेहिन को, सिर्फ नीचे लिखी

जर रहन की बाबत नालिश करने का एक

सूरतों में राहिन पर रहन के रूपया के बाबत नालिश दायर

करने का अखत्यार हासिल है:—

(अ) जब राहिन ने खुद जर रहन अदा करने का इक़रार किया हो,

(ब) जब राहिन के किसी फैल नाजायज या उस के कसूर के नतीजा से मुर्तेहिन शौ मकफूला से कुल्लन या जुब्जन महरूम कर दिया जावे,

(क) जब मुर्तेहिन जायदाद मरहूना पर कबजा पाने का मुस्तहक हो, और राहिन उस को कबजा न दे या उस को कबजा पक़े तौर से, बिला रोक टोक, खुद अपनी तरफ से या किसी दूसरे शख्स की तरफ से, न दिलावे.

जब सिवाय फैल नाजायज या कसूर राहिन

यां मुर्तहिन के, जायदाद मरहुना किसी और वजह से, कुल या उस का कोई हिस्सा तलफ हो जावे, या शौ किफालती बमूजब तारीफ दफा ६६ के गैर काफी हो जावे, तो मुर्तहिन को अखत्यार है कि राहिन से दरखास्त करे कि राहिन उस के करजा के अदाई की इतमीनान के लिये कोई आरे जायदाद काफी, मुनासिब मुद्दत के भीतर उस के पान-रहन कर दे और अगर राहिन ऐसा न करे तो मुर्तहिन को अखत्यार होगा कि उस पर अपने रहन के रूपया की नालिश करे.

त श री ह.

जब कोई शख्स किसी साहकार से करजा लेकर अपनी जायदाद गैर मनकूला उस की अदाई के वास्ते रहन करदे तो मामूली तोर से जायदाद रहन की हुई पर करजा की अदाई का बोझा रहता है-लेकिन इस दफा के रू से मुर्तहिन को अखत्यार है कि रहन की जायदाद को छोडकर राहिन पर रूपया के दिवा पाने की नालिश करके डिगरी हासिल करे-उस को ऐमा हक सिर्फ तीन सूरतों में मिलेगा न कि दूसरी सूरतों में, यानी, (१-) जब राहिन ने रूपया रहन की अदाई के बारे में जाती जिम्मेदारी ली हो (२) जब राहिन के कसूर से या उस की नाजायज कारिवाई के सबब रहन की कुल जायदाद या उसका कोई हिस्सा मुर्तहिन के पास से निकल जावे- (३) जब मुर्तहिन करजा पाने का तो-अच्छा शरायत रहननामा मुस्तहक हो मगर राहिन उस को, बिला रोक, टोक करजा नहीं देता है और न दिवाता है-इस दफा के अलीर किकरा में साफ यह हुम्म है कि जब जायदाद मरहुना किसी सबब से, न कि राहिन या मुर्तहिन के कसूर से, बरबाद हो जाये या उस की मालियत में घटती हो जाये तो ऐसी सूरत में मुर्तहिन को अखत्यार होगा कि वह राहिन से

कोई दूसरी बाँधी जायदाद मामूल मुद्दत के अन्दर उस के करजा के बदले में रहन रखने के वास्ते दाखलत करे और अगर राहिन उस की ऐसी दरखास्त के मुताबिक कार्रवाई नहीं करेगा तो वह राहिन पर अपने रूप्यों की नालिश कर सकता है

ताफजों के मायनी:---

फैल नाजायज—कोई काम जो कानून के बरखिलाफ यानी विरुद्ध होने कम्पूर—से मुराद है उन शर्तों की तामील न करना जिन का करना राहिन पर बजरिये ठहराव रहननामा या अजरुख्य कानून लाजिमी है

शैमकफूला—रहन की हुई जायदाद

कुठन—सज, कुठ, सम्पूर्ण—

जुजन—कोई हिस्सा

तलफ होना—बरबाद होना, नाश होना, जैसे कोई जायदाद आग लगने से नाश हो जाती है

जायदाद मरहूमा—रहन की हुई जायदाद

जब राहिन जर रहन की अदाई का माहदा करे, जिमन

(अ):—दो किसम के रहन में राहिन जर रहन की अदाई के वास्ते जिम्मेदार बजात खुद होता है, यानी (१) रहन सादा में (२) रहन इगलिशिना में—दूसरे किसम के रहन में देखना चाहिये कि-आया राहिन की जाती जिम्मेदारी दस्तावेज के मजमून से-पाई जाती है या नहीं-मसलन, जब किसी दस्तावेज में यह शर्त दर्ज होने कि, "अगर बजरिये नीलाग जमीन के रहन के रूप्या की अदाई न होगी तो मुर्तहिन हमारी दीगर जायदाद गैर मनकूला को नीअम करारकर अपना रूप्या बसूल करेगा—हम को कुछ उजुर नहीं होगा"—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी शर्त के रूसे मुर्तहिन सादी डिगरी नक्दी रूप्या के बाबत बसुरावले दीगर जायदाद मनकूला के पावेगा—(वगाल का रिपोर्ट जिल्द ४ सफा ४८ औरदर दस्त-बनाय-निलेचद) जब राहिन दस्तावेज में यह शर्त लिख देने कि किसी खास शर्त की तामीन होने पर वह बजात खास जिम्मेदार होगा—तो अगर उस शर्त की तामीन न की जाये तो राहिन पर जाती डिगरी नक्दी रूप्या की न दी जावेगी (इ. ए. रि. कउकता)

जिल्द १६ सफा ५४० बसीवर-बनाम-मुजातअगे) जब शर्न यह होथे कि जिस सूरत में जायदाद मरहूना से रहन का करजा अदा न हो सकेगा तो राहिन वजात खुद जिम्मेदार जर रहन का होगा, तो ऐसी हालत में मुर्तेहिन को अबख्यार है कि उसी नालिश में दोनो दादरसी मागे, यानी इस फिसम की दादरसी मागे कि बजरिये नीलाम जायदाद मरहूना दाथी मुद्ई दिलाया जाये और अगर इस जायदाद से पूरा दानी मुद्ई का वसूल न हो सके तो राहिन की जात पर टिगरी नवदी रूप्या की दी जावे [३ ला रि जिल्द १२ सफा ३८९ भिट्टर-बनाम-रगानाथ] लेकिन जाती टिगरी जर नवद के लिये मियाद छे साल की उस तारीख से है कि जब रहन का रूप्या वाजिवुलअदा हो जावे, अगर दस्तावेज रजिस्ट्री शुदा हो--अगर दस्तावेज बिला रजिस्ट्री होंगे तो तीन साल की मियाद होगी (३ ला रि मदराम जिल्द १० सफा १००, वो जिल्द ११ सफा ९६, ३ ला रि दम्हई जिल्द १४ सफा ३७७ बुलाफी-बनाम-तुकाराम-भट) कलकत्ता हाई कोर्ट की राय में एकट मियाद का मद १३२ उस सूरत में लागू होगा कि जब दानी मुद्ई बजरिये नीलाम जायदाद वसूल किया जाये और प्री.पी. काँसिल ने भी इसी राय को मजूर की है.

राहिन का नाजायज फैल या कसूर:--अगर राहिन अपने साहूकार से

यह बात छुपा रखे कि जो जायदाद उसके पास रहन की गई है वह पेटर से किसी और के पास रहन हो चुकी है तो ऐसी हालत में मुर्तेहिन को अबख्यार होगा कि करार गुजरने की इन्तजारी न करके अपने रूप्या की नालिश राहिन पर दायर कर देवे [३ ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा २३४ भगवान अचारजी-बनाम-गोविन्द साहू] इसी तरह पर एक राहिन ने, जो हक मौखती का रखना था और जिसे मालूम था कि उस की जायदाद काबिल इन्तकाल नहीं है, उम्मी जायदाद को रहन रखा--ऐसी सूरत में मुर्तेहिन जर रहन की बाबत नालिश दायर करने का मुस्तहक समझा गया [३ ला रि अशहाबाद जिल्द १० सफा ४७ गनेशसिंग-बनाम-मुझारी-कुनर] चूकि साहूकार की जायदाद जमानती का बचाव करना राहिन पर लाजिम है, इस लिये जब कोई और शख्स उस टिगरी के इजराय में वही जायदाद कुर्क करावे कि जो उस ने राहिन पर हासिन की हो और अगर राहिन उगुरदारी करे मगर हार जावे लेकिन दफा २८१ मजमूआ जान्ता दीवानी के बमोजब उन जायदाद के निसबत अपना हक कायम कराने की नालिश न दायर करे तो ऐसी सूरत में

घट्ट मुर्तहिम के रूपया का वजात खूद जिम्मेदार होगा (इ ला रि नवराज जिल्द १५ सफा ३०४ गोपाल स्वामी-बनाप-अरुजा घेला) अगर राहिन जायदाद के उस हिस्से के वावत जमा सरकारी दाखिल न करे कि जो मुर्तहिम के पास रहन न की गई हो लेकिन इस तर पर जमा सरकारी न पगये जाने की वजह से कुछ जायदाद घकाया सरकारी को इतुत में नीलाम की जावे तो मुर्तहिम राहिन के ऊपर नालिश करके अपने रूप्यों का डिगरी हासिल कर सकता है और जर नीलाम की जा रकम फाजिल बचे उस के निसबत भी वह अपना एक कयम करा सकता है (इ ला रि अशाशवाद जिल्द १ सफा २९८, ३ ला रि बम्बई जिल्द ११ सफा ४७९) लेकिन अगर रहन कबजा सहित होये और मुर्तहिम का जायदाद मरहूना पर कबजा भी हो गया हो तो नवदी रूप्यों की नाडिश दायर करने के पेशतर तब यह बतलाना पड़ेगा कि जायदाद मरहूना की आमदनी में स करजा की अदाई नहीं हो चुकी (थी रि जिल्द १ सफा २७०, इ ला रि अशाशवाद जिल्द ७ सफा ९०२ रामदीन-बनाप-कालक'प्रवाद).

जब राहिन न कबजा दे और न दिलावे:—

इस का मतलब यह है कि जब मुर्तहिम अपने रहननामा की रूसे जायदाद मरहूना का कबजा पाने का मुस्तहक होये, जैसे रहन कबजा सहित की सूत में, अगर राहिन उसे को कबजा हजाला करने में कसूर करे या कबजा हवाला करने के बाद मुर्तहिम को बेदखल कर दे या जब उसे कोई गैर शास-बेदखल करदे, तो मुर्तहिम अपने रूप्यों की नाडिश कर सकता है क्योंकि राहिन पर लाजिम है कि मुर्तहिम को जायदाद मरहूना का कबजा पूरे तौर से देये-अगर रूप्यों की नाडिश न करना चाहे तो वह जायदाद मरहूना का कबजा दिला पाने की भी नाडिश दायर-कर सकता है—[इ ला रि मदरास जिल्द १७-सफा ४६९] ख्याल रखना चाहिये कि इस दफा के बमूजिर मुर्तहिम राहिन पर नवदी रूप्यों के वावत जानी डिगरी हासिल करने के वास्ते नाडिश उस सूत में न कर-सकेगी कि जब मुर्तहिम को किनी दूसरे शास में बेदखल किया हो भिला-किती इतरेहकाक के-अलफाज "किती दूसरे शास"-में वह शास दाखिल है कि जिस का जायदाद में कोई हक न होये-पर अगर गैर शास मुर्तहिम को जायदाद मरहूना के कबजा से निकाल देवे तो उस की नाडिश इस दफा के बमूजिर रूपया दिला पाने के वावत नहीं कर-सकेगी (इ ला रि अशाशवाद जिल्द

जिल्द १६ सफा ५४० ब्रमीवर-बनाम-मुजातअगी) जब शर्मा यह हेथे कि जिस सूरत में जायदाद मरहूना से रहन का करजा अदान हो सकेगा तो राहिन वजात खुद जिम्मेदार जर रहन का होगा, तो ऐसी हालत में मुर्तहिन को अवग्यार हे कि उसी नालिश में दोनों दादरसी मागे, यानी इस किसम की दादरसी मागे कि बजरिये नीलाम जायदाद मरहूना दागी मुहई दिलाया जाये और अगर उस जायदाद से पूरा दानी मुहई का वमूल न हो सके तो राहिन की जात पर डिगरी नवदी रूप्या की दी जावे [३ ला रि जिल्द १२ सफा ३८९ भिह्दर-बनाम-रुगानाथ] लेकिन जाती डिगरी जर नवद के लिये मियाद छे साल की उस तारीख से है कि जब रहन का रूप्या वाजिबुलअदा हो जावे, अगर दस्तोज रजिस्ट्री शुदा हो-अगर दस्तोज बिला रजिस्ट्री होये तो तीन साल की मियाद होगी (३ ला रि मदराम जिल्द १० सफा १००, वो जिल्द ११ सफा ५६, ३ ला रि दम्हई जिल्द १४ सफा ३७७ बुगकी-बनाम-तुकाराम-भट) कलकत्ता हाई कोर्ट की राय में एकद्व मियाद का मद १३२ उम सूरत में लागू होगा कि जब दानी मुहई बजरिये नीलाम जायदाद वसू किया जाये और प्रिन्सिपल को भी इसी राय को मजूर की है.

राहिन का नाजायज फैल या कसूरः--अगर राहिन अपने साहूकार से

यह बात छुपा रखे कि जो जायदाद उनके पास रहन की गई है वह पेंस्तर से किसी और के पास रहन हो चुकी है तो ऐसी हालत में मुर्तहिन को अवग्यार होगा कि करार गुजरने की इन्तजारी न करके अपने रूप्या की नालिश राहिन पर दायर कर देने [३ ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा २३४ भगवान अचारजी-बनाम-गोविन्द साहू] इसी तरह पर एक राहिन ने, जो हक मौखती का रखना था और जिस मासूम था कि उस की जायदाद कायिन्त इन्तकाल नहीं है, उसी जायदाद को रहन रखा-ऐसी सूरत में मुर्तहिन जर रहन की बाबत नालिश दायर करने का मुस्हक समझा गया [३ ला रि अलहाबाद जिल्द १० सफा ४७ गनेरसिंग-बनाम-मुझारी-कुनर] चूकि साहूकार की जायदाद जमानती का बचाव करना राहिन पर वाजिम है, इस लिये जब कोई दैर शल्स उस डिगरी के इजराय में वही जायदाद कुर्के करावे कि जो उस ने राहिन पर हासित की हो और अगर राहिन उगुरदारी करे मगर हार जावे लेकिन दफा २८३ मजमूआ जान्ता दीवानी के बमूजिव उन जायदाद के निसबत अपना हक कायम कराने की नालिश न दायर करे तो ऐसी सूरत में

यह मुर्तहिन् के रूपया का वजात खुद जिम्मेदार होगा (इ. ला रि मद्रास जिल्द १५ सफा ३०४ गोपाल स्वामी-बनाम-अरुजा घेला) अगर राहिन जायदाद के उस हिस्से के बावत जमा सरकारी दायित्व न करे कि जो मुर्तहिन् के पास रहन न की गई हो लेकिन इस तौर पर जमा सरकारी न पगिये जमे की वजह से कुछ जायदाद बचाया सरकारी की इज्जत में नीलाम की जावे तो मुर्तहिन् राहिन के ऊपर नालिश करके अपने रूप्यो का डिगरी हाभिल कर सक्ता है और जर नीलाम की जा रकम हाभिल बचे उस के निसवन भी वह अपना हक कायम करा सकता है (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २९८, वो. ३ ला रि बम्बई जिल्द ११ सफा ४७९) लेकिन अगर रहन कबजा सहित होये और मुर्तहिन् का जायदाद मरहूना पर कबजा भी हो गया हो तो नक्दी रूप्यो की नालिश टायर करने के पेश्वर तब यह बतलाना पड़ेगा कि जायदाद मरहूना की धामदनी में स करजा की अदाई नहीं हो चुकी (वी रि मिहर् १ सफा २७०, इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ९०९ रामदीन-बनाम-कालक प्रसाद)

जब राहिन न कबजा दे और न दिलावे:— इस का मतलब

यह है कि जब मुर्तहिन् अपने रहननामा की रूसे जायदाद मरहूना का कबजा पाने का मुस्तहक होवे, जैसे रहन कबजा सहित की सूत में, अगर राहिन उस को कबजा हवाला करने में कसूर करे या कबजा हवाला करने के बाद मुर्तहिन् को बेवगल कर दे या जब उसे कोई गैर शकम वेदवत करे, तो मुर्तहिन् अपने रूप्यो की नालिश कर सकता है क्योंकि राहिन पर लाजिम है कि मुर्तहिन् को जायदाद मरहूना का कबजा पूरे तौर से देवे-अगर रूप्यो की नालिश न करना चाहे तो वह जायदाद मरहूना का कबजा दिया पाने की भी नालिश टायर कर सकता है—[इ. ला रि मद्रास जिल्द १७ सफा ४६९] ख्याल रखना चाहिये कि इस दफा के चमोजि मुर्तहिन् राहिन पर नक्दी रूप्यो के बावत जाती टिगरी हाभिल करने के वास्ते नालिश उस सूत में न कर सकेगा कि जब मुर्तहिन् को किसी दूसरे शकम ने वेदकल किया हो अलाकिती इतैठकाक के-अलफाज "किसी दसरे शरस"—में यह शकम दावित है कि जिम का जायदाद में कोई हक न होये-पर अगर गैर शकम मुर्तहिन् को जायदाद मरहूना के कबजा से निवाल देवे तो उस की नालिश इस दफा के चमोजि रूपया दिजा पाने के बावत नहीं बन सकेगी (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द

१६ सफा १६१ नरुद्धेदीराम-ब्रनाम-रामचरितर राय) एक मुर्तहिन ने एक छोटासा हिस्सा छोड़कर बाकी कुल जायदाद पर कबजा हासिल किया--इस पर उस ने जर रहन के दिला पाने की नालिश इम बिना पर दायर किया कि राइन ने उस के सिपुर्द कुल जायदाद भरहूना का कबजा नहीं किया--तजमीज हाई कोर्ट यह हुई कि मुर्तहिन ने इस माहदा का कबूल कर लिया हालांकि उस ने कुल जायदाद का कबजा नहीं पाया--इम लिये वह नवदी रूपया भी डिगरी पाने का मुस्तहक नहीं है [अलाहाबाद कीर्की नोठ जिल्द ३ सफा ९१ लठपनदास-ब्रनाम-बलदेव सिंग]

मुद्दई की तरफ से उजरः—जो नालिश इस दफा की रू से दायर की जाये उस की अरजी दावी ने वे कुछ हालात बयान करना मुर्तहिन पर लाजिम है कि जिन के जरये से वह मुद्दायलेह पर जाती डिगरी जर नवद के पाने का अपन तई हकदार समझता हो--अगर वह एमे कुल हालात को न बयान करेगा तो अदालत अपनी तरफ से उन का सुनाई नहीं करेगी--अगर अगर बयान मुद्दई वो उस की अरजी दावी से यह नहीं पाया जाता हो कि वह कानून के मुताबिक डिगरी जर नवद की पाने का हकदार नहीं है तो अदालत उस की अरजी दावी नामन्जूर करेगी या टावा खारिज कर देवेगी हालांकि मुद्दायलेह की तरफ से इस के बारे में कुछ उजर न हुवा हो [इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २९६]

दफा ६६. वह अखत्यार, जो किसी रहन नामा की रू से मुर्तहिन को, या उस के लिये किसी दूसरे शरूस को, इस बारे में दिया गया हो कि रहन का रूपया न पटाए जाने की सुरत में वह मजाज होगा कि जायदाद भरहूना या उस का कोई हिस्सा, बिला तवस्सुत अदालत के, बेच डाले या उस के बेचे जाने पर राजी हो, नीचे लिखी सुरतों में न कि और-किसी हालातों में जायज समझा जावेगाः—

- अखत्यार के का कब जा-
यज होगा

(क) जब मामला रहन अंगरेजी रहन होवे और राहिन और मुर्तहिन दोनों कौम हिन्दू या मुसलमान या बुध मजहब के या किसी और कौम या फिरका, या गिरोह या तबका के न हों जिस की तसरीह इस बारे में लोकल गवर्नमेंट, जनाब नवाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की पेशतर से मंजूरी हासिल करके सरकारी गजट मुकामी में वक्त बवक्त किया करे;

(ख) जब मुर्तहिन जनाब सेक्रेटरी आफ स्टेट हिन्दू बइजलास कौंसिल हो;

(ग) जब जायदाद मरहूना या उस का कोई हिस्सा शहर कलकत्ता, या मदरास या बम्बई या करांची या रंगून में दाकै होवे;

लेकिन ऐसा कोई अखत्यार अमल में न लाया जावेगा तावत्ते कि:—

(१) तहरीरी नोटिस यानी इत्तलानामा असल जर रहन की तलबी के बाबत,

राहिन पर, या अगर कई राहिनान
 हों तो उन में से किसी एक राहिन
 पर तामील न किया गया हो और
 ऐसी तामील के बाद तीन महिना तक
 असल रूपया या उस के किसी हिस्से
 की अदाई में कसूर न किया गया
 हो; या

- (२) कोई रकम सूद मुताल्लिक मामला
 जिसकी तादाद कम से कम पांच सब
 रूपया होवे वाजिबुलअदा होने की ता-
 रीख से तीन महिना तक चकाया में
 रहकर बिला अदा रही हो—

जब बिक्री किसी जायदाद की जाहिरा में
 ऐसे अखत्यारवै को अमल में लाकर की गई हो
 तो खरीदार के इस्हकाक में इस सबब से कुछ नुक-
 सान न पहुंचेगा कि बिक्री के लिये कोई जायज
 वजह पैदा नहीं हुई थी या उस की इत्तला वाजा-
 बत नहीं दी गई या किसी और दलाल से वह
 अखत्यारवैजा या खिलाफ जाबता अमल में लाया
 गया; बल्कि जिस शख्स को ऐसे अखत्यार के

बेजा या बिला इजाजत या खिलाफ जाब्ता अमल में लाने से नुकसान पहुंचा हो तो वह सजाज होगा कि अख्तियार मजकूर के अमल में लाने पर नुकसान की नालिश करे—

जो रूपया बिक्री का मुर्तहिन के पास पहुंचे वह बाद अदा करने करजा रहन पेशतर के (अगर कुछ हो) जिन की अदाई से बिक्री को कुछ ताल्लुक न हो या बाद दाखिल होने किसी रकम के अदालत में, वास्ते अदाई किसी करजा रहन साबिक के, बमूजिव दफा ५७ के, बशर्ते कि कोई माहदा खिलाफ इम के न हो, मुर्तहिन के पान इतौर अमानत रहेगा और उस को लाजिम होगा कि सब से पहले उस में से तमाध खर्चा, वो सरफा और इखराजात, जो बिक्री या बिक्री के कस्द से मुताल्लुक हो और जायज तौर पर हुए हों, बेबाक करे और फिर जर रहन और उस के मुताल्लुक का खर्चा और कोई दूसरी रकम (अगर कोई हो) जो मामला रहन की वाबत पाना वाजिव हो अदा करे और उस रूपया में से जो कुछ फाजिल रहे वह उस शरूस के हवाला किया जावेगा जो अदाद

मरहूना लेने का मुस्तहक हो या जो बिक्री के रूपया की बाबत रसीद लिख देने का अख्त्यार रखता हो—

इस दफा के पहिले हिस्सा की कोई इबारत उन अख्त्यारात से तात्लुक नहीं रखेगी जो इस एक्ट के जारी होने के पहिले दिये गये हों.

वे अख्त्यारात और शर्तें जो एक्ट अख्त्यारात अमानतदाशन वो मुर्तहिनात सन १८६६ की दफा ६ से १९ तक में (दोनों भिलाकर) दर्ज हैं रहन किसम अंगरेजी से मुतालुक होंगे चाहे जायदाद मरहूना सरकारी हिन्दुस्थान के किसी हिस्से में बाँके होवे कशर्तोंके साहिन या मुर्तहिन कौम हिन्दु या मुसलमान या बुद्ध या किली और कौम या पिरका या गिरीह या तवका से, जिस की तहरीह इस दारे में लोकल गवर्नमेंट, जनाव नव्याज गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की मंजूरी पहुँचाया जाय, जिनके द्वारा वजहूरी परतार से हासिल करके सरकारी गजट मुकामी में वक्त वक्त पर किया करे, न हों.

त श री ह.

इस दफा का अक्षर किया जनरल दफा ५ एक्ट नं १८६६ १०

के तरफों किया गया है—यह दफा सिर्फ गैर मनकूना जायदाद में ताल्लुक रखती है और जब जयदाद मनकूला किली शहम के पास गिरी रखी गई हो और अगर गिरवी करने वाला मुजरर वक्त पर करजा का अदाई नहीं करे तो साहूकार को समुन्नित्र दफा १७१ कानून माहदा के गिरवी का माल बेच डालने का अवल्यार होगा वशत कि ऐसी बिक्री की इच्छा करन्दार को दी गई होवे—

इस दफा की रू से कोई मुर्तहिन रहन वा हुई जायदाद बिला हुक्म अशालत के भापुसा तौर पर बेच नहीं सकता है हायकि उमे अजरक्य रहननामा जायदाद को करजा के बदले में बेचने का अवल्यार दिया गया हो—लेकिन सिर्फ नाचे जिन्वी तीन सूरता म मुर्तहिन ऐसे अवल्यार को अमल में ला सकता है—(१) जब मापला रहन अगोजी के किस्म से हो और रातिन व मुर्तहिन टानों द्विदु, मुसयमान वा बुद्ध मजहब के न हों, (२) जब मुर्तहिन मुद गधनमेंन हो, (३) जब रन की जायदाद या उम का कोई हिस्सा शहर कलकत्ता, मदगाम, बम्बई, कागची वा मगुन में बाँके होवे—रहन अगोजा की तारीफ दफा ५८ के अखार किताग में का गई है—एक इतकाल जायदाद न ४ सन १८८१ ई० के जारी होने क पेइर हरि कोर्ट बम्बई वा कलकत्ता के अरमियान झगडा हुआ करता था—एक हाई कोर्ट यह तजरीज करती थी कि ऐमा अवल्यार जायज है वा दूसरी हाई कोर्ट की यह राय थी कि ऐमा अवल्यार गानापज है—लेकिन अज इम एक क के जारी होने से मुफ्त-जिक राय बन्द हो गई—

लफजों के मायनीः—

- जायदाद गहना—रहन की जयदाद
- मुर्तहिन—जिस के पास जायदाद रहन रखा जावे
- बिला शकसुत अद लत—बिला हुक्म अदायत, यानी अदालत की मदद पे लेकर और न उरा के जरिये से जायदाद बेची जावे.
- फिकरा—मगाज
- तशरीर—परिभाषा
- ओकल गवर्नमट—किमी मुल्क यानी प्राँत की सरकार जैसे मध्य प्रदेश की ओकल गवर्नमेंट साहब चीफ फार्सिनर बहादुर हैं

गजट मुकामी--वो गजट किसी प्रात में छपता हो सरकार की तरफ से

वक्त वक्त--समय प्रति समय

रेक्रेटरी आफ स्टेट--से मुआद है हिदुस्थान की सरकार

ज़र रहत--रहन का रूपया

तलबी--मागना

याजिनुलअदा की तारीख--जिस तारीख को करजा की अदाई का करार पूरा हो जावे

तारुख--सब व.

साबिक--पहिले का

खिलाफ--विरुद्ध

कस्द--इरादा, कोशिश.

वेबाक--पटनी, अदाई

फाजिल--फालतू रकम

नोटिस यानी इत्तलानामा:— इस दफा के वमूजिन अखत्यार है

[बिक्री] का अमल में लाने के पेशतर मुर्तहिन पर राहिन को तहरीरी इत्तला देना लाजिमी है--ऐसी इत्तला की तामील या तो राहिन का जात पर की जावे या अगर उस का पता न मालूम होवे या न लग सके तो इत्तला का कागज उस मुताम पर रख दिया जावे कि जहा राहिन अखीर मर्तबा रहा हो--एक मुकदमा में नोटिस यानी इत्तलानामा राहिन के दरवाजे पर चिपका दिया गया--अदालत ने इसे काफी तौर पर नोटिस की तामील समझी--(नजीर इगलिस्थान रिस्लाह हेर साहिब का जिल्द ९ सफा ५९८ मेजर-बनाम-वार्ड) हाकिमि इस दफा में हुक्म है कि तलबी करजा का नोटिस देना चाहिये लेकिन ऐसे नोटिस में यह भी लिखना चाहिये कि बाद सामील नोटिस के अगर तीन गदिना तक करजा की अदाई नहीं हुई तो राहिन जायदाद वेंच डालेगा-हालाकि मुर्तहिन पर यह बात लाजिम है कि नोटिस के बाद तीन गदिने तक जायदाद को न बेंचे ताहम इसे यह मतलब नहीं निकलता है कि जो किसी इस कायदा के बरखिलाफ अमल में लाई जावे वह जरूर करके नाजायज होगी [नजीर इगलिस्थान जिल्द ९ सफा १० आलेन-बनाम-मेड] बल्के अगर मुर्तहिन बिना नोटिस जायदाद को वेंचे तो राहिन एने वें को रोक भी नहीं सकता

है वह सिर्फ नुकसानों को नाश कर सकता है- (इ ला रि मदरास जिल्द ११ सफा २०१, इ ला रि जिल्द १७ बम्बई सफा ७११ मनचरजी-बनाम-नूर, माहि-मद भाई) जो मियाद तीन माह की इस दफा में दर्ज है वह वजय्ये इकारा नामा तहरीरी किसी हालत में घट नहीं सकती है (इ ला, रि मदरास जिल्द ११ सफा २०१)

वै रद्द नहीं हो सकता है:—जो विकरी जायदाद मरहूना की इस दफा के बमूजिब अमल में लाई जावे वह इस बिना पर रद्द न की जायेगी कि जायदाद बेचने की कुछ जरूरत न थी, या यह कि रूपया वाजिबुलजदा हो जाने के पेशतर या रूपया पटाए जाने के बाद ही जायदाद बेची गई-अगर कोई मुर्तहिन नेकनियती के साथ और एरीदार के साथ साजिश यानो भेल न करके जायदाद मरहूना को बेचे तो अदालत ऐसे बे को मसूल न करेगी हालांकि उन से बहुत बड़ी नुकसानी होती हो सिवाय उम सूत में कि जब कीमत इतनी कम आती हो कि जिस से फतेब साफ तरह से जाहिर होता हो [देखो गौर साहिब की शरह सफा ३४०-फिरा ४९९]

बिक्री का रूपया.—जो कुछ रकम वाशत जर बिक्री बमूल हेवे वह सत्र के पहिले पेशतर वाले करजा रहन की अदाई में (अगर कुछ हो) जिस को पाबन्दी के साथ वै नहीं किया गया हो वसूल दिया जावे और दफा १७ में लिखा हुआ तरीका अखयार किया जावे-फिर वह रूपया [१] खर्चा जेरा की अदाई में [२] करजा रहन की रसूली में मुजरा दिया जावे, और इस के बाद जो कुछ बाकी बचे वह राहिन के हजाला किया जावे-मुर्तहिन ऐसा फाजिल रकम पाने का मुस्तहक न होगा बल्कि उस के पास ऐसा रकम राहिन को देने के बराने बतौर अमानत रहेगी (इ ला रि अगहावाद जिल्द ६ सफा ३०३ जैजीतराय-बनाम-गोबिन्द तिबारी) अगर मुर्तहिन को यह न मालूम हो सके कि उस रकम के हकदार कौन शहरा है तो उस को यह रूपया किमी महजन की दुकान में सूद पर रख देना चाहिये, अगर वह इन् तरीक न रखेगा तो उस से मूद लिया जायेगा.

दफा ७०—अगर रहन की तारीख के बाद

इजाफा जायदाद मरहूना जायदाद मरहूना में कुछ इजाफा

हो जावे तो, अगर इस के बराखिलाफ कोई माहदा यानी ठहराव न हो, तो किफालत की गरज के लिये उस इजाफा का मुर्तहिन मुस्तेहक होगा—

तमसीलें.

(अ) रामलाल ने एक खेत, जो नदी के किनारे पर है, शिवलाल के पास रहन रखा--नदी को पूर आने की वजह से वह खेत बढ़ गया--किफालत की गरज के लिये शिवलाल उस बढ़ती का हकदार है—

(ब) रामदत्त ने मकान बनाने की जमीन का कुछ टुकड़ा शिवदत्त के पास रहन रखा और पीछे से उस ने उसी टुकड़ा जमीन पर एक मकान बनाया--किफालत की गरज के लिये शिवदत्त मकान और जमीन दोनों का मुस्तेहक है.

त श री ह

इस दया का मतलब ऊपर छिरी हुई तमसीलों के पटने से साफ मालूम हो जाता है--अगर किसी भी सबब से रहन की हुई जायदाद में बढ़ती हो जाने और अगर रहिन व मुर्तहिन के बीच में कोई ठहराव यानी कौल करार इस के बराखिलाफ न हुआ हो तो मुर्तहिन अपनी किफालत के लिये ऐसी बढ़ती के पाने का हकदार होगा क्योंकि यह बढ़ती जायदाद मरहूना में शामिल हो जाती है--इजाफा यामी बढ़ती दो किस्म से हो सकती है यानी (१) सुदरती तौर पर जैसा कि तमसील (अ) में प्रतयाया गया है; (२) हासिल की हुई, जैसा कि तमसील (ब) में दर्ज है—

दफा ७१—जब जायदाद मरहूना एक पट्टा पट्टा मरहूना का नया कराना मियादी कुछ बरसों का हो, और उस पट्टा को राहिन नया करावे, तो मुर्तहिन, दरमूरत न होने कोई माहदा यानी ठहराव खिलाफ इस के, मुस्तहक होगा कि किलात की गरज के लिये नया पट्टा का फायदा उठावे.

त श री ह

इस दफा का मतलब यह है कि जब किसी रहन की हुई जायदाद को राहिन ने बजरिये पट्टा मियादी चंद सालों के हासिल किया हो और पट्टा मजकूर की मियाद खतम हो जाने पर वह नया करा लिया जावे तो ऐसी हासिल में मुर्तहिन वैसे नए करार हुए पट्टा का फायदा पाने का हकदार होगा लेकिन अगर मरहूम के दरमियान कोई ठहराव इसके बराखिलाफ हुवा हो तो उसकी पाबन्दी लाजमी होगी

दफा ७२—जब दौरान रहन में मुर्तहिन मुर्तहिन कायम के हुकूम रहन की हुई जायदाद पर कब्जा कर ले तो उस को अखत्यार है कि जिस कदर रूप्या जरूर होवे नीचे लिखी बातों में खर्च करे:—

- (क) रहन के जायदाद की वाजबी तौर पर देख रेख और उसके जर लगान वो मुनाफा की वसूली करने में;
- (ख) जायदाद को बरवादी, जवती या

नीलाम से बचाने में;

- (ग) जायदाद मरहूना में राहिन के इस्ते-
हकाक को मजबूत करने में;
- (घ) जायदाद मरहूना में अपने इस्तेहकाक
को बसुकाबले राहिन के मजबूत करने
में;
- (ङ) जब रहन की जायदाद एक ऐसे पट्टे
पर हो जो नया किया जा सकता है,
तो पट्टा के नए कराने में;

और वह मजाज होगा कि अगर कोई ठहराव
इस्के खिलाफ न हुवा हो तो जो रूप्या जरूर हो
रहन की असल रकम में बढ़ा देवे और उसपर सूद
उसी भाव से ले कि जो असल रूप्या रहन पर
लगाया जाता और अगर असल रकम रहन पर
कोई सूद का भाव मुकर्रर न हो तो नव रूप्या सैकड़ा
सालियाना के हिसाब से लेवे —

जब जायदाद उस किस्म की हो कि जिसका
बीमा हो सकता है तो मुर्तहिन इस बात का भी
मजाज होगा कि अगर इस के बरखिलाफ कोई

ठहराव न होवे तो रहन की कुल जायदाद का या उसके किसी हिस्से का बीमा कराए या उरका बीमा कायम रखे इस गरज से कि जायदाद मजकूर आग की नुकसानी या हरजा से बची रहे और बीमा को कायम रखने और जर पेशगी जो बीमा कराने में खर्चा हुवा हो अलावा असल रूप्या रहन के जायदाद मरहूना के जिम्मे बतौर मवाखजा वाजिव के रहेगा और बतौर रूप्या रहन के उसे कदामत मिलेगी और उसपर उसी भाव से सूद मिलेगा— मगर तादाद मालियत, जिसका बीमा किया जावे, उस तादाद से जियादा न होगी जो रहननामा में दर्ज होवे और अगर दस्तावेज में कोई तादाद दर्ज न हो तो उस रूप्या के बीमा की तादाद दो तिहाई हिस्सा से जियादा न होनी चाहिये जो कुल जायदाद के तलफ (यानी नाश) हो जाने की सूरत में बीमा की जायदाद को नए सिरे से मौजूद करने के लिये जरूरत होती.

इस दफा की किसी इवारत से मुर्तेहिन को यह अखत्यार हासिल न होगा कि जब जायदाद मरहूना के बीमा का बन्दोबस्त उस तादाद तक

राहिन या उसकी तरफ से हो चुका है कि जिस तादाद तक खुद मुर्तहिन बीमा करने का मजाज होवे तो वह उसी जायदाद का बीमा अपनी तरफ से भी करावे—

त श री ह

इस दफा का मतलब यह है कि जब कोई राहिन अपने रहन की शर्तों के मुताबिक रहन की जायदाद पर कब्जा कर लेवे तो उसे इस दफा में लिखे हुए कामों के वास्ते जितने रूप्या की जरूरत पड़े उतना खर्च काने का आखुस्यार मिलता है और उस को यह भी हक मिलेगा कि ऐसे रूप्या को असल जर रहन में शामिल कर के उसका मवाखजा या बोझा रहन की जायदाद पर डाले और उस को ऐसी जियादा रकम पर उसी निर्ब के मुताबिक सूद मिलेगा जो दस्तावेज में असल रूप्या रहन के बारे में दर्ज है और जब कोई ऐसी शर्त दर्ज न हो तो नउ रूप्या सैकडा के हिसाब से सूद दिलाया जागे।

जायदाद का इन्तजामः—जायदाद का बराबर अच्छी तरह से इन्तजाम करना, यानी लगान को मनाफा की वमूली करना, राहिन के फायदा के वास्ते है—इस लिये वह रहन की हुई जायदाद को, बगैर अदा करने खर्चा इन्तजाम, जो मुर्तहिन को करना पडा, इनाफिकार करने का हकदार न होगा।

मेकफरसन साहब अपने रिंसाला रहन में लिख देते हैं कि वे कुल खर्चा की रकम में जो वाजकी तौर पर जायदाद के ताल्लुक में किये गये हो मुर्तहिन पाने का मुस्तहक होगा—मुर्तहिन वह खर्चा भी पावेगा कि जो बतार तनखाह पटवारी या चौकीदार के अ.ा किया जावे—मगर मुर्तहिन सिर्फ उन खर्चों का मुस्वहक होगा जो नेक नियती के साथ किये गये हों—ममलन जब चौकीदार गांव को तनखाह में बदले में कुछ जमीन माफी में मिली थी और जमाबन्दी में बतार माफी के वह जमीन दर्ज की गई—तो ऐसी हालत में मुर्तहिन को खर्चा बावत तनखाह चौकीदार के मुजरा नहीं मिलेगा (देखो रिमात्रा मेकफरसन साहब का सफा १७१ १७३) अथवा इसके जब मुर्तहिन जायदाद पर कब्जा कर लेवे तो उसको लाजिम है कि

रहन की जायदाद का इन्तजाम मुनासिब तौर पर करे [देखो दफा ७६ जिमन (-क) और जर लगान वो मुनाफा की वसूली में जैसी चाहिये वमी कोशिश करे [देखो दफा ७६ जिमन [ख] अगर वह ऊपर लिखी बातें न करेगा-तो राहिन को उसे हरजा देना पड़ेगा (देखो वही दफा) पम मुर्तदिन उस सूत में कि जब उस का वक्त जरूरी कामों में लगा रहता है इम लिये वह जायदाद के जर लगान वो मुनाफा की वसूली में अपना वक्त नहीं खर्च कर सकता है और न कोई अकलमन्द प्रादमी अपने वक्त की कीमत पर लिहाज करके ऐसी वसूली कर सकता है तो वह ऐसे हालत में एक रिसीवर [यानी वसूच करने वाला शास] को मुर्कर कर सकता है और उसकी तनखाह रहन के असल रूपया में शामिल की जाये लेकिन मुर्तदिन अपनी मेहनत की दानत कोई तनखाह पाने का हकदार नहंवेगा (देखो फिशर साहब का रिसाला रहन मफा ८६९) लेकिन अगर किसी कारिन्दा की मारफत जायदाद का इन्तजाम किया जाये तो मुर्तदिन ऐसे कारिन्दा की तनबाह मुजरा पाने का मुन्तेहक होगा और जब रहन के पहिले ही में उसके यहाँ एक कारिन्दा मुर्कर है और वही कारिन्दा उस जायदाद का भी इन्तजाम करना है तो ऐसी सूत में मुर्तदिन सिर्फ़ उनसे खर्चा के पाने का हकदार होगा कि जिस कदर उसका कारिन्दा रहन की जायदाद के इन्तजाम में तरजह करे यानी ध्यान देये (देखो रिसाला फिशर साहब का सफा ८७१)

खर्चा मरम्मतः—याद रखना चाहिये कि इन एन्ट की दफा ७६ [घ] के तमूनिब मुर्तदिन को लाजिम है कि मुनाफा में से अपनी रहन का मूड निकाल कर जो कुछ बाकी बचे उसे जायदाद गरमूना की जरूरी मरम्मत के खर्चा में लगाये, लेकिन इस दफा में लिखे हुए कायदा के मुताबिक उसे चाहिये कि जायदाद के कायम रखने में वो उस का महफूज रखने में जो रूपया खर्च करे और जो कुछ रूपया इस तौर पर खर्च किया जाये उसे मय सूट के राहिन से वमूल करे [देखो इ ला रि कलमत्ता जिद्द २३ सफा २२८] लेकिन उस के लिये फजूल बडे बडे मकानात बनाकर करजा की तादाद को घटाना मुनासिब नहं है बल्कि उस को चाहिये कि जायदाद की जरूरी और बाजबी तौर पर मरम्मत किया करे और अगर कोई मकानात फजूल वो बेकाम हों तो वह उन मकानात को या तो पूरे कर सकता है या उन को तोड कर नए सिरे से बना सकता है- बल्कि नए मकानात यह साथ तरकी को बना सकता है [देखो फिशर साहब का रिसाला रहन सफा ८२९]

जमा सरकारी का पटाना:—इस दफा की रू से कोई मुर्तहिन जिस्का कबजा जायदाद मरहूना पर होवे सरकारी जमा या दीगर रमूम सरकारी जायदाद मजकूर को नीलाम से बचाने की गरज से दाखिल करके असल रहन के रूपया में उसे शामिल कर सकता है [३ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १० सफा ६११ वो इ ला रि. बम्बई जिल्द २२ सफा ४४०] एक मुकदमा में मुर्तहिन ने, गो वह जायदाद पर कबजा नहीं रखता था, जायदाद मजकूर को नीलाम से बचाने की गरज से जमा सरकारी के पटाने के वाले कुछ रूपया दाखिल किया, प्रीमि कोसिल की यह राय कागम हुई कि मुर्तहिन ऐसी रकम को, कि जो उस ने सरकारी जमा के लिये दिया, रहन में शामिल करके नालिश कर सकता है [देखो मू. इ. अ. जिल्द ११ सफा २४१ नागेन्द्र चंद्र-बनाम-श्रीमती] इस मुकदमा में साफ यह शर्त दर्तावेग में लिखी थी कि राहिन जमा सरकारी पटावेगा और उस की तरफ से जमा मजकूर न पटाए जाने पर मुर्तहिन ने अपने पास से खजाना में दाखिल किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जब मुर्तहिन ने ऊपर लिखी शर्त की बिना पर नालिश दापर करके डिगरी हासिल कर चुका है तो वह इन्फिक्टा की नालिश में वही रकम बमुकामले राहिन के मुजरा पाने का इकरदार नहीं है, क्योंकि उस का दात्री डिगरी में दूब गया और जब मुर्तहिन ने एक किस्म की दादरसी कबूत कर चुका तो वह पीछे से राहिन के मुकामले में दूसरी किस्म की दादरसी पाने का इस्तेहक न समझा जावेगा [३ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २० सफा ४०१] एक दूसरे मुकदमा में मुर्दई ने, जिस्के पास जायदाद कबजा के साथ रहन था, एक तीसरे शख्स की डिगरी के इजराय में जायदाद मजकूर को नीलाम न होने देने की गरज से यानी जर डिगरी पटाने की गरज से कुछ रूपया करज दिया और ऐसी रकम के वास्त उस ने जायदाद पर हक कायम कराने का दावा किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जायदाद पर कोई हक पैदा नहीं हुवा क्योंकि जब कि मुर्दई का जायदाद पर कबजा नहीं था तो वह उस रकम को, कि जो उस ने पटाया, अपने रहन की रकम में शामिल नहीं कर सकता है (३ ला. रि. मद्रास जिल्द २२ सफा ३३२)

जायदाद में इस्तेहकाक का कायम रखना:—इस कायदा की रू से मुर्तहिन, चाहे वह जायदाद पर कबजा रखता हो या नहीं, इकरदार इस बात का होगा कि जो कुछ खर्ची उस को राहिन के मुकामले में अपना हक कायम रखने

में पड़े वह कुल असल जर रहन में जोड़ सकता है, मसलन जब कोई राहिन रहन के मसूखी की नाउिश दायर करे और वह मय खर्चा के खारिज की जावे— लेकिन किमी तासिरे शरफ के मुकाबले में अपना हक कायम रखने में जो खर्चा पड़े वह मुर्तहिन शामिल करने का मनाज न होगा (देखो इ झा रि. मद्रास जित्द २१ सफा ३२)

दफा ७३—जब कोई जायदाद मरहूना व नीलाम वकाया मालगुजारी वजह अदा न होने वकाया जमा के रूपमा पर मवाखजा मालगुजारी या जरलगान के, जो उसकी तरफ वाजिब होवे, नीलाम हो जाए तो, अगर वह नीलाम मुर्तहिन के किसी कसूर से न हुवा हो, मुर्तहिन मुरतेहक होगा कि वैसी जमा मालगुजारी या लगान का रूपया अदा हो जाने के बाद नीलाम के रूपया से जो कुछ रकम फालतू निकले उस पर अपना मवाखजा बाबत अपने बाकी जर रहेन के कायम करे.

त शी री ह.

इस एक्ट की दफा ६९ के रू से राहिन पर, जब तक उसे का कबजा रहन की जायदाद पर बना रहे, जमा मालगुजारी वो जरलगान की अदा करना लाजिम है लेकिन अगर जायदाद मजसूर पर कब्जा मुर्तहिन का हो जावे तो जमा मजसूर की अदा मुर्तहिन के निम्मे रहेगी [देखो दफा ७१] पर अगर रहन की जायदाद इन वजह से नीलाम की गई हो कि मुर्तहिन ने जायदाद मजसूर पर अपना कब्जा रखकर सरकारी जमा वो जरलगान का रूपया नहीं पठाया वो ऐसी हालत में उस को इन दफा के समुच्चय शर्की वचे हुए जर नीलाम

कुछ हक नहीं मिलेगा क्यों कि इस दफा में साफ हुक्म दर्ज है कि जब नीलाम जायदाद मरहूना की मुर्तहिन के किसी कसूर से हुवा हो तो उसे बाकी रहे हुए नीलाम के रूप्या में कुछ हक न मिलेगा

लफजों के मायनी:—[१] जायदाद मरहूना--रहन की हुई जायदाद

[२] जर रहन -रहन का रूप्या

[३] मवाखजा--रहन की जिम्मेदारी यानी बोभा.

[४] कसूर--दोष

नीलाम जायदाद:—इस दफा की यह मनशा पाई जाती है कि मालगुजारी जमा न पटाए जाने के बावत जो नीलाम किया जावे वह रहन या दूसरे किसम के बोझों से बरी होना चाहिये क्योंकि अगर रहन का, हक नीलाम के जोर से नाश्वल यानी नष्ट होना इस दफा की रू से मजूर न होता तो मुर्तहिन अपने करजा के बावत खरीदार नीलाम पर दावा कर सकता है वो बाकी फाजिल जर नीलाम पर अपना हक भी रख सकता है--यह दफा सिर्फ उसी सूरत में लागू होगी कि जब किसी कानून के रू से जमा मालगुजारी या जर लगान के नीलाम से रहन रद्द हो जायेगा (देखो इ. का. रि. फलकत्ता जिल्द २४ सफा ७४६) एक मुकदमा में यह तै हो चुका है कि मुर्तहिन इस दफा की रू से सिर्फ उसी हालत में फायदा उठावेगा कि जब वह अपनी किफालत यानी रहन की जायदाद से इस कारण महरूम किया जावे कि जायदाद मजकूर का नीलाम रहन के बोझ से बरी होकर अमल में आया है--पस अगर नीलाम रहन के बोझ से बरी होकर न किया जावे तो मुर्तहिन को नीलाम का बाकी बचा हुवा रूप्या पर कुछ इस्तेहकाक नहीं मिलेगा बल्कि वह अपने रहन की रू से खरीदार नीलाम पर नालिश दायर कर सकता है (देखो इ. का. रि. फलकत्ता जिल्द १५ सफा ९४६ प्रेमचंद--बनाम--पुरानिया दासी).

बाकी जर नीलाम की वसूली:—जब मुर्तहिन को बाकी बची हुई फाजिल रकम की निस्तबत एक किसम का हक हासिल हो जावे तो उस की नई किफालत के लिये वही कायदे लागू होंगे जो रहन न तकसीम होने के बारे में हैं--पस मुर्तहिन को रकम मजकूर के कुल वो हर एक हिस्सा पर पूरे तौर से हक हासिल है--इस लिये अगर कोई शकत उस रूप्या का एक हिस्सा छे छेवे तो वह

अपने बरखिलाफ नालिश दायर किये जाने की जिम्मेदारी के साथ ऐसा रूप्या ले सकता है बशर्ते कि मुर्तहिन को अपने रहन का रूप्या की वसूली में कुछ दिकते मालूम पड़े- किसी शख्स को अमानती रकम में से कोई हिस्सा इस बिना पर बरखामद करने की इजाजत न दी जायेगी कि बाकी बचा हुआ रूप्या मुर्तहिन के दावी के वास्ते काफी होगा, अगर ऐसी इजाजत दी जावे तो किकालत रहन घट जायेगी [इ ला रि कलकत्ता जिल्द २० सफा २४१] लेकिन खुद मुर्तहिन भी अमानत में जमा हुआ रूप्या बजरिये दरखास्त के उठा नहीं सकता है—उस को ऐसे नए हक के रू से नालिश दायर करना लाजिम होगा जो इस दफा के बमूजिव कायम हुआ है (देखो दफा ६७ इस एक्ट की)।

अगर बकाया मालगुजारी के नीलाम के वक्त या पीछे से खुद राहिन उसी जायदाद को खरीद कर लेवे तो ऐसी हालत में रहन की रू से वैसे राहिन पर उसी तरह से नालिश दायर हो सकेंगी कि मानों जायदाद का नीलाम नहीं हुआ—उस को जमा मालगुजारी पटाने में अपनी ही गफलत का फायदा किसी सूत में नहीं मिलना चाहिये (देखो इ ला रि मदरास जिल्द २६ सफा २८९)

दफा ७४—हर दूसरे या किसी सानी

अगला रहनदार का रूप्या
अदा करने के वाबत पिछले
मुर्तहिन का हक

**मुर्तहिन को अखत्यार होगा कि
किसी वक्त, जब उस के रहन**

के पेशतर वाले मुर्तहिन का रूप्या वाजिबुल अदा हो जावे, तो ऐसा रूप्या अपने ऐन पेशतर वाले मुर्तहिन के पास हाजिर करे और ऐसे अगले रहनदार को लाजिम है कि उस रूप्या को लेकर उसकी रसीद लिख देवे; और (बपाबन्दी अहकामात उस कानून के जो उस वक्त दस्तावेजों की रजिस्ट्री के बारे में जारी हो) सानी मुर्तहिन को

कुछ हक नहीं मिलेगा क्यों कि इस दफा में साफ हुक्म दर्ज है कि जब नीलाम जायदाद मरहूना की मुर्तहिन के किसी कसूर से हुवा हो तो उसे बाकी रहे हुए नीलाम के रूप्या में कुछ हक न मिलेगा

लपजों के मायनी:—[१] जायदाद मरहूना-रहन की हुई जायदाद

[२] जर रहन-रहन का रूप्या

[३] मवाखजा-रहन की जिम्मेदारी यानी बोझा

[४] कसूर-दोष

नीलाम जायदाद:—इस दफा की यह मनशा पाई जाती है कि मालगुजारी जमा न पटाए जाने के बावत जो नीलाम किया जाने वह रहन या दूसरे किस्म के बोझों से बरी होना चाहिये क्योंकि अगर रहन का, हक नीलाम के जोर से नाथल यानी नष्ट होना इस दफा की रू से मजूर न होता तो मुर्तहिन अपने करजा के बावत खरीदार नीलाम पर दावा कर सकता है वो बाकी फाजिल जर नीलाम पर अपना हक भी रख सकता है—यह दफा सिर्फ उसी सूरत में लागू होगी कि जब किसी कानून के रू से जमा मालगुजारी या जर लगान के नीलाम से रहन रद हो जायेगा (देखो इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २४ सफा ७४६) एक मुकदमा में यह तै हो चुका है कि मुर्तहिन इस दफा की रू से सिर्फ उसी शलत में फायदा उठावेगा कि जब वह अपनी किफाउत यानी रहन की जायदाद से इस कारण महरूम किया जावे कि जायदाद मजूर का नीलाम रहन के बोझ से बरी होकर अमल में आया है—पस अगर नीलाम रहन के बोझ ने बरी होकर न किया जावे तो मुर्तहिन को नीलाम का बाकी बचा हुवा रूप्या पर कुछ इस्तेहकाक नहीं मिलेगा बकि यह अपने रहन की रू से खरीदार नीलाम पर नाथिश दायर कर सका है (देखो इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५४६ प्रेमचंद-यनाम-पुरानिया दासी)

बाकी जर नीलाम की वसूली:—जब मुर्तहिन को बाकी बची हुई

फाजिल रकम की निसंबत एक किस्म का हक हासिल हो जावे तो उस की नई किफालत के लिये वही कायदे लागू होंगे जो रहन न तकसीम होने के बारे में हैं—पस मुर्तहिन को रकम मजकूर के कुल वो हर एक हिस्सा पर पूरे तौर से हक हासिल है—इस लिये अगर कोई शलत उस रूप्या का एक हिस्सा ले लेवे तो वह

“रूपया वाजिबुलअदा हो जावे” इस का यह मतलब है कि जो तारीख दर-भियान राहिन वो मुर्तहिन के कुल करजा रहन की अर्दाई के वास्ते रहननामा की शर्तों के रू से मुफर्रर है उस के गुजर जाने के बाद, क्योंकि जब खुद राहिन ऐसा तारीख के पेशपर रहन का रूपया पटाने का मजाज नहीं है तो पिछला मुर्तहिन कब हो सकता है—

ऐन पेस्तरवाले मुर्तहिनः—शानी जो मुर्तहिन रूपया पटाना चाहना हो उस के पेस्तर वाला रहनदार न कि उसके पहिले का मसलन, क, ख, ग, घ व एक दूसरे के बाद मुर्तहिन है तो (घ) के पहिले (ग) के रहन का रूपया पटाना चाहिये और फिर (ख) का

पिछला मुर्तहिन कच और कैमे इनफिकाक करा सकता है—जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है पिछला मुर्तहिन उसी वक्त रहन छुडाने का हकदार होगा कि जब खुद राहिन ऐसा करने का मुस्तहक होता, लेकिन अगर अगला मुर्तहिन राजी हो तो किसी वक्त भी इनफिकाक हो सकता है—पस जब किसी जायदाद का अगला रहन कब्जा के साथ होवे तो उसी जायदाद का पिछला मुर्तहिन जायदाद मजकूर को नीलाम नहीं करा सकता है, सिजाए उस सूरत में कि जब वैसा अगला रहन, कब्जा सहित, का इनफिकाक किये जाने के कानिज हो जावे [देखो इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ४३२ वो अ घी नो जिल्द १५ सफा ३३०], पिछले मुर्तहिन को चाहिये कि अगले रहन की पूरी रकम पटाने न सिर्फ वह रूपया कि जितने में जायदाद का हक हासिल किया गया हो [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १९ सफा ५२७] और अगर रहननामा में सूद दर सूद की अर्दाई के बाबत शर्त होवे तो ऐसा कुल सूद भी पटाना पड़ेगा [देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ३६६] पिछला मुर्तहिन के साथ इनफिकाक करने देने में उससे जियादा रिआयत न की जावेगी जो खुद राहिन के साथ की जाती [इ ला रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ४८६] पस अगर अगले रहनदार ने कोई ऐसी रकम बतौर करजा के दिया हो या कोई ऐसा खर्चा किया हो जिस्का कि वह अपने जर रहन में शामिल करने का मुस्तहक है तो पिछले मुर्तहिन को इनफिकाक के वक्त कुछ ऐसी रकमें अदा करना पड़ेगा [अ घी नो जिल्द ११ सफा १९३]

ऊपर लिखे मुताबिक रसीद हासिल करने के बाद कुल हुकूक वो अख्तयारात उस मुर्तहिन के हासिल हो जावेंगे जिसके रूबरू, वहाँसियत वैसे मुर्तहिन के, उस ने रूप्या हाजिर किया.

त श री ह

इस दफा का मतलब यह है कि हर पिठले सानी मुर्तहिन को यह हक हासिल है कि वह अपने ऐन पेतर के रहनदार को उसके रहन का रूप्या के करार हो जाने पर उसे कुल रूप्या रहन की अदाई करे (यानी अगर वह मुर्तहिन दायम होवे तो मुर्तहिन अगल को और वह तीसरा मुर्तहिन होवे तो मुर्तहिन दायम को) और वैसे अगले रहनदार को वह रूप्या कबूल करना, पडेगा, और वैसी कबूली की रसीद लिखे और ऐसी रसीद लिख देने पर पिठले मुर्तहिन को वैसी हैसियत, हासिल हो जावेगी कि मानों वह अगला रहनदार या—इस दफा का और साफ मतलब यह है कि जब मुर्तहिन सानी यानी पिठला मुर्तहिन अगले रहन का रूप्या पठा कर रसीद हासिल कर लेवे तो उस को मुर्तहिन अगल की जगह—मिलजाती है [इ लारि अलहावाद जितद २४ सफा १८५] जो रसीद इस दफा के मुताबिक रहन का रूप्या पठाने के वास्त हासिल की जावे उसकी रजिस्ती लाजमी नहीं है बशर्ते कि वह सिर्फ रसीद हो और उसमें कुछ दूसरा गंजमूल दर्जे न होवे—अगर, अगला रहनदार, अपने रहन का रूप्या लेने को रसीद देने से इकार करे, तो पिठले मुर्तहिन के लिये सिवाय दायर करने नालिश इनाफिकाक के कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ऐसी नालिश में अगर यह सवित किया जावे कि रहन के रूप्या की पूरी और वाजबी रकम अगले रहनदार के पास हाजिर की गई तो अगले रहनदार को नालिश का कुल खर्चा उठाना पडेगा

लपजों के मायनी:—(१) वाजिबुदअदा—पठने योग्य

(२) वपाइन्दी—आधीन

(३) मुताबिक—अनुसार

(४) रूबरू—मनमूव

“रूपया वाजिमुलब्धदा हो जाये” इस का यह मतलब है कि जो तारीख दर-भियान राहिन वो मुर्तहिन के कुल करजा रहन की अर्दाई के वास्ते रहननामा की शर्तों के रू से मुकर्रर है उस के गुजर जाने के बाद, क्योंकि जब खुद राहिन ऐसा तारीख के पेशर रहन का रूपया पठाने का मजाज नहीं है तो पिछला मुर्तहिन कब हो सकता है—

ऐन पेस्तारवाले मुर्तहिनः—यानी जो मुर्तहिन रूपया पठाना चाहता हो उस के पेस्तार जाला रहनदर न कि उसके पहिले का मसलन, क, ख, ग, घ, च एक दूसरे के बाद मुर्तहिन है तो (घ) के पहिले (ग) के रहन का रूपया पठाना चाहिये और फिर (ख) का

पिछला मुर्तहिन कब और कैमे इनफिकाक करा सकता हैः—जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है पिछला मुर्तहिन उसी वक्त रहन छुडाने का हरदार होगा कि जब खुद राहिन ऐसा करने का मुस्तहक होता, लेकिन अगर अगला मुर्तहिन राजी हो तो किसी वक्त भी इनफिकाक हो सकता है—पम जब किसी जायदाद का अगला रहन कब्जा के साथ होवे तो उसी जायदाद का पिछला मुर्तहिन जायदाद भजकूर को नीलाम नहीं करा सकता है, सिवाए उस सूरत में कि जब वैसा अगला रहन, कब्जा सहित, का इनफिकाक किये जाने के कानिल हो जावे [देखो इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ४३२ वो अ वी नो जिल्द १५ सफा २३०] पिछले मुर्तहिन को चाहिये कि अगले रहन की पूरी रकम पठाने न सिर्फ वह रूपया कि जितने में जायदाद का हक हासिल किया गया हो [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १९ सफा ५०७] और अगर रहननामा में सूद दर सूद की अर्दाई के बाबत शर्त होवे तो ऐसा कुल सूद भी पठाना पड़ेगा [देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ३६६] पिछला मुर्तहिन के साथ इनफिकाक करने देने में उसे जियादा रियायत न की जायेगी जो खुद राहिन के साथ की जाती [इ ला रि बम्बई जिल्द १६ सफा ४८६] पस अगर अगले रहनदार ने कोई ऐसी रकम बतौर करजा के दिया हो या कोई ऐसा खर्चा किया हो जिस्का कि वह अपने जर रहन में शामिल करने का मुस्तहक है तो पिछले मुर्तहिन को इनफिकाक के वक्त कुछ ऐसी रकमें अदा करना पड़ेगा [अ वी नोट जिल्द १२ सफा १९३]

दफा ७५. हर एक दूसरा या सानी मुर्त-

हरमियान मुर्तहिन के हु-
कूक वमुकाबले मुर्तहिन
अञ्जल वो अखीर

हिन को, जहां तक जायदाद
मरहूना के इनफिकाक, व वैवात

वो नीलाम से ताल्लुक हो वमुकाबले मुर्तहिन या
मुर्तहिनान साबिक के वही हुकूक हासिल होंगे जो
उस के राहिन को ऐसे मुर्तहिन या मुर्तहिनान सा-
बिक पर हासिल हैं और वही हुकूक पीछे वाले
मुर्तहिनान [अगर कोई हो] के मुकाबले में भी
कि जो उस के अपने राहिन के मुकाबले हासिल
हैं—

त श री ह.

दफा ७४ में हुक्म है कि पीछे वाले मुर्तहिन अगले रहन का रूप्या देकर
इनफिकाक करा सकता है और इस दफा को रू से दरमियानी मुर्तहिन के हुकूक
वमुकाबले मुर्तहिन साबिक वो मुर्तहिन पिछला के बयान किये गये हैं—इस दफा के
बमूजिब हर एक शरस, जो रहन के इनफिकाक करने का मुस्तहक है, किसी अञ्जल
वाले रहन को छुटा सकता है और फिर उस के रहन का इनफिकाक मुर्तहिन
मात्राद यानी पीछे वाला मुर्तहिन कर सकता है—पहिले रहनदार का छुटाने में
मुर्तहिन को उसी तरह कार्रवाई करना होगा कि जैसा राहिन करता—इस दफा
का मतलब तमसील देकर समझाया जाता है—(क) ने अपनी जायदाद (ख)
(ग) वो (घ) के पाम, एक के बाद एक, रहन रखा—इस दफा की रू से (घ)
(ग) के रहन को छुटा सकता है और (ग) (ख) के रहन भी छुटा सकता है
लेकिन (क) तीनों रहन को, यानी (ख) (ग) वो (घ) को छुटा सकता
है—(ख) का रहन (ग) व (घ) से पहले का है इस लिये वह (क) की जायदाद
को (ग) वो (घ) के पहिले नीलाम या वैवात करा सकता है, या अंगरे जरत

हो तो उन के मुकाबले में—इसी तरह (ग) को (घ) के मुकाबले में हफ दासिन हे- लेकिन रहन के ताल्लुक इन कुछ फरीकन के हुकुक एक ही नालिश में तरफिया किये जावेंगे और दफा ८५ की रू से कुल रहनदार बंधे रहिन फरीक मुकदमा बनाए जावेंगे—

मुर्तहिन सानी (पीछे वाला) को रहन प्रचल के इनफिकान करने की उस वक्त तक जरूरत रहेगी कि जब तक पहिला रहन कायम रहे अगर यह रहन का रूपया पट जावे या अगर उसे मुर्तहिन माफ करदे तो जाहिरा में उस के इनफिकान करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मुर्तहिन सानी मुर्तहिन अब्बल की जगह पाता है और उस के कुछ हुकुक उस को मिल जाते हैं—अगर अब्बल रहन कियी तीसरे शरस के नाम मुर्तहिल कर दिया जाने तो ऐसी हालत में मुर्तहिन सानी को हैसियत में इस वजह से कुछ तबदीली न होगी कि उस तीसरे शरस ने पहिला रहन रहन के रूपया से कुछ कीमत पर या गुफ्त में खरीद किया (देखो इ ला रि मदरात जिल्द २१ सफा ६४).

लफजों के मायनी —

मुर्तहिन सानी—बाद का यानी पिछड़ा मुर्तहिन

जायदाद भरहना—रहन की जायदाद

इनफिकान करना—जायदाद को रूपया पटा कर रहन के बोझ से छुड़ाना

बैवात— लहन गहन

ताल्लुक—सम्बन्ध

साबिक—पहिले का

मुकाबले—विरुद्ध में

दफा ७६ जब रहन का हक कायम रहते

कबजा करने वाले मुर्तहिन वक्त, मुर्तहिन जायदाद भरहना का की जिम्मेदारिया

कबजा कर लेवे तो:—

- (क) उस को लाजिम है कि जायदाद का इन्तजाम उसी तरह करे कि जिस तरह कोई शख्स मामूली अकल का अपनी खास मिलकियत के साथ करता;
- (ख) उस को लाजिम है कि जायदाद मजकूर के मुनाफा और वसूली लगान के लिये सब से बढ़ कर कोशिश करता रहे;
- (ग) उसको लाजिम है कि अगर कोई ठहराव खिलाफ इसके न हुवा हो तो जायदाद मरहूना की आमदानी में से मालगुजारी सरकारी और तमाम जरूरी खर्चा जो सरकारी किस्म के हों, जो जायदाद की तरफ वाजिब निकलते हों अपने कबजा की मुद्दत के अन्दर अदा करता रहे और बकाया लगान भी, कि जिरकी अदाई के लिये जायदाद का सरसरी तौर पर नीलाम होना जायज होवे, अदा करे;

(घ) उस को लाजिम है कि अगर कोई ठहराव इस के बरखिलाफ न हुवा हो तो जायदाद मरहूना की मरम्मत, जरूरत के मुताबिक जहां तक उस के जर लगान और मुनाफा में गुजायश हो वाद वजा करने (यानी काटने) उन रकमों के जिन का जिकर जिन (ग) में हुवा है और सूद असल रूप्या रहन के लगान और मुनाफा मजकूर में से करता रहे—

(ङ) उस को किसी ऐसे फैल [यानी काम] करने का अखत्यार नहीं है कि जिसे जायदाद बरवाद हो जावे या हमेशा का कोई नुकसान पहुंचे

(त) अगर उस ने कुल या कुछ हिस्सा जायदाद मरहूना का आग से बचाव की गरज से कराया हो, तो उस को लाजिम है कि अगर आग लगने से कुछ नुकसान या हरजा पड़े, उस रूप्या की जो उसे दर असल बीमा

की कोठी से मिले या उसका उतना हिस्सा जो जायदाद के नए सिरे से दख्ख्त करने में खर्च लगे या अगर राहिन ऐसी हिदायत करे रूप्या रहन के घटाने या चुकता करने में लगावे

(थ) उस को लाजिम है कि हिसाब साफ और सही वो तफसीलवार तमाम रकमों का, जो उसके पास पहुंचे या उस के हाथ से मुर्तहिन की हैसियत से खर्च हुए हों बना कर तैय्यार रखे और हर वक्त जब तक मामला रहन का कायम रहे, राहिन को अगर वह दरखास्त करे उस के खर्चा से फर्द हिसाब की सही नकलें और दस्तावेजों की नकले जिन पर से वैसा हिस्सा बना हो, हवाला करे—

काबिज होवे, देना चाहिये बाद मिन-
 हार्ड (काटकर) उन खर्चों के जिन
 का जिक्र जिनन (ग) वो (घ) में
 है और सूद उन खर्चों का मुर्तहिन
 के नाम हिसाब में दर्ज किया जावेगा
 और उसमें से वह रूप्या (अगर कुछ
 हो) घटाया जावेगा जो वक्त वक्त पर
 जर रहन के सूद के बाबत उस को
 पाना वाजिब निकलता जावे और
 आमदनी की रकम वाजिब सूद के
 रूप्या से जियादा हो तो वह जियादा
 रूप्या असर जर रहन के घटाने या
 चुकता करने में लगाया जावेगा और
 जो कुछ फाजिल रहे (अगर कुछ
 फाजिल बचे) राहिन को दिया
 जावेगा.

(घ) जब राहिन वह रूप्या, जो किसी
 वक्त जर रहन के बाबत वाजिबुल
 अदा होवे, आगे लिखे हुए तरीका
 के मुताबिक हाजिर लाए या अमानत

में जमा करे तो मुर्तहिन को लाजिम है कि बावजूद उन शर्तों के जो इस दफा की दीगर जिमनों में दर्ज हैं उस कच्ची आमदनी का हिसाब जो जायदाद मरहूना से बसूल हुई हो उस तारीख से समझा देवे कि जब जर रहन हाजिर किया गया हों या उस तारीख से (जैसी सूरत हो) कि जब वह अमानत में रखी हुई रकम को सब के पहिले अदालत से बसूल कर सकता था.

अगर मुर्तहिन उन लाजमी खिदमतों के करने

मुर्तहिन के कसूर की वजह से नुकसानी में कसूर करे जो उस दफा की रू

से उरुपर लगाई गई है तो जायज है कि जब रहन के रूप्या का हिसाब किसी डिगरी के हुक्म से लिया जावे जो इस बाव के मुताबिक सादिर की जावे उस के जिम्मे वह नुकसान कायम किया जावे जो उस के कसूर करने की वजह से पैदा हुवा हो, अगर कुछ नुकसान हुवा हो—

त श री ह.

इस दफा में मुर्तहिन की जिम्मेदारियां बयान की गई हैं जब कि उस ने रहन की जायदाद पर कबजा कर लिया हो और दफा ७२ में मुर्तहिन के हुक्क बयान, किये गये हैं—मुर्तहिन को जायदाद मरहूना का कबजा सिर्फ़ इम गरज से दिया जाता है कि वह जायदाद मजकूर की आमदनी में से अपना अमली रूपा वो उस वा सद दोनों वसूल कर लेवे और कानून की नजर में उस के पास जायदाद सिर्फ़ दूसरों जमानत के रखी जानी है—पस मुर्तहिन को जायदाद की आमदनी के वसूल करने में मुर्तहिन रहना चाहिये वो मइनत करना लाजिम है, यानी मुर्तहिन को अग-न-दार के तौर पर जायदाद का इन्तजाम करना वाजिब है

जिमन (क), जायदाद का इन्तजाम:—इस जिमन में साफ़ यह हुक्म दर्ज है कि जब मुर्तहिन रहन की जायदाद पर कबजा कर लेवे तो उस को लाजिम है कि जायदाद के इन्तजाम के ताल्लुक वैसी खबरदारी वो होशियारी करे कि मानों जायदाद गूट उसी की मिलकेयत है—इस से यह मतलब नहीं निकलता है कि मुर्तहिन को बहुत बड़ी भारी खबरदारी वो होशियारी और कोई खास तौर पर अपनी अकल जायदाद के इन्तजाम में खर्च करे—उसे कुन कारोबार मामूली अकल वाले आदमी की तरह पर करना चाहिये—मुर्तहिन पर जमीन में किसी खाम फसल का बोना वो फास्त करना लाजिम नहीं है—वह अपनी मरजी के मुताबिक जमीन की जोत करे—वह चाहे जमीन को दूसरों को ठेका पर देकर जोतदारों से लगान वसूल करे या खुद उस की काइत करके उस में फसल पैदा करे—जिम में फायदा हा वह कार्रवाई करना चाहिये—अगर मुर्तहिन रहन की जायदाद पर कबजा न कर लेवे तो वह उस की बदइतजामी का जिम्मेदार न होगा

जिमन (ख), जरलगान और मुनाफा:—जब मुर्तहिन जायदाद पर कबजा कर लेवे तो उस की हैसियत बतौर अमानतदार के हो जाती है, इस लिये उस को जायदाद का इन्तजाम होशियारी के साथ करना चाहिये और जरलगान वो मुनाफा की वसूली में बहुत कोशिश करना लाजिम है—वह ऐसी यमूनी का खर्चा यानी मिहनताना मज सद के लगा सकता है (देखें की रि जिन्द १ मका १३३ वो जिन्द ९ सफ़ा ४८८) अगर इस के बरखिलाफ़ कोई नम

ठहराव यानी दफ्तार न होये तो वह ऐसी ज़मीन के लगान का देनदार होगा कि जो उस ने खुद बतौर किसान के अपने फँदों में कर लिया हो [इ ला रि. फलकत्ता जिल्द २०६१ संको: ४४३] लेकिन यह खास अपनी तदलीफ़ त्रे-मेहनत के वाबत फिलिस्तीनवाहि के पाने का हकदार न होगा—

जिमन- (ग), सरकारी जमा की पटनी:— अगर कोई ठहराव इस के बरखिलाफ़ न होये तों मुर्तहिन को ठाजिम है कि जो जायदाद रहन की-उस के फावजा में हो-उस के तिसबत कुल रसूम सरकारी, कि जिरफे न पटाए जाने की सूरत में जायदाद के नीलाम हो जाने का डर है, अदा कियों करे लेकिन मुर्तहिन की ऐसी जिम्मेदारी जायदाद की आमदनी से ताल्लूक रखती है—उसपर ठाजिम नहीं है कि अपनी जेब से सरकारी जमा पटाये लेकिन आमदनी में सिकं हाल ही जमा नहीं बँकिया जमा भी उस को पटानी ठाजिम है—अगर मुर्तहिन सरकारी लगान न पटाये और रहिन अपनी जायदाद को नीलाम से बचाने की गरज से लगाने मजबूर दाखिल कर देये तो वह ऐसी कुछ रकम हिसाब के वक्त मुजरा पाने का मुस्तहक होगा उस के लिये हर साल ऐसी रकम की वाबत नालिश करना जरूर नहीं है [देखो इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ३०३]

अगर ऐसा लगान त्रिलकुल न पटाया जावे और जायदाद नीलाम पर चटाई जावे और उस को कोई गैर शख्स खरीद करे लेवे तो ऐसी सूरत में राहिन, मुर्तहिन पर नालिश कर सकता है, अलवत्ता उस का फ़जिल जर नीलाम पर हक कायम रहेगा, लेकिन अगर खरीदार खुद कसूर करने वाला मुर्तहिन होये या उन्की तरफ से कोई दूसरा शख्स खरीद करे तो राहिन का हक इनाफिफ़ान जायल न होय जावेगा [देखो इ ला रि जिल्द ७ मदरास सफा १११]

जिमन- (घ), मरम्मत:— जायदाद की हिफाजत के वास्ते जरूरी मरम्मत कस्वा मुर्तहिन के जिम्मे है और वह ऐसी फ़जिल रकम को मरम्मत के खर्चा में हगा, सकता है जो वाद-अदा करने जर, लगान को सूद जर रहन की वाकी बचे, लेकिन मुर्तहिन जरूरी मरम्मत में अपने पास का रप्या खर्च कर सकता है और ऐसे रूप को वह अमल रकम रहन में शामिल कर सकता है.

[देखो दफा ७२ इस वएट का] इम एक्ट के जारी होने के पेंटर भी एमा ही कानून थी-

जिस तरह मुर्तहिन जरूरी मरम्मत की रकम को मुजरा माग सकता है उसी तरह राहिन भी मुर्तहिन की गारंटी में ऐसी नुकसानी मुजरा पा सकता है जो उस को मुर्तहिन की तरफ से मरम्मत न किये जाने की वजह से उठानी पड़ी [इ ला रि मुदरास जिल्द १९ सपा ३६०]

जिमन (ड), जिम्मेदारी वा बत नुकसानी:—जिस तरह दफा ६६ की रू से राहिन की जिम्मेदारी को दफा १०६ की रू से ठेकेदार की जिम्मेदारी है उसी तरह इस जिमन के बमूजिव कवजादार मुर्तहिन की जिम्मेदारी यह है कि वह जायदाद की बरबादी की गरज से कोई पैठ नहीं करेगा—उस को चाहिये कि जायदाद महूना का इस्तेमाल मामूली होशियारी के साथ करे लेकिन अगर इत्फाक से जायदाद में कुछ नुकसानी हो जाये तो इस का जिम्मेदार मुर्तहिन न होगा

जिमन (त), बीमा जायदाद का:—इस एक्ट की दफा ७२ के रू से जायदाद का बीमा करने के बारे में हुक्म है जब कि इसके बरखिस्फि कोई ठहरान न होवे—निनाय उस सूरत में कि जब राहिन यह हिदायत करे कि बीमा का रूप्या करजा रहन की अदाई या कम करने में खर्च किया जावे इस जिमन के बमूजिव बीमा की रकम जायदाद को फिर से कायम करने में खर्च की जायेगी—अगर राहिन ने रहन के पेंटर जायदाद का बीमा कराया हो तो मुर्तहिन दफा ४९ के बमूजिव यह दावा कर सकता है कि बीमा का रूप्या जायदाद के कायम करने में लगाया जावे—अगर जायदाद का बीमा रहन के वाद कराया गया हो तो अगर कोई खास इकरार या ठहरान न हो तो मुर्तहिन बीमा के रूप्या का फायदा उठाने का मुम्तहक न होगा

जिमन (थ), हिसाब किताब का रखना:—इम जिमन में लिखा हुआ फायदा बहुत पुराना है—हिसाब रखने की जिम्मेदारी सब के पहिले बजरिये रेग्युलेशन सन १७६३ ई० के मुर्तहिन पर कायम की गई थी—और इस कानून की रू से मुर्तहिन को कुछ आमदनी का जो उस ने बसूठ किया हो सही सही वो तफसीलवार हिमात्र रखना लाजिम था (देखो रि रि सन १८६४

सफा १७७, मूर्म इ अपील जिल्द १२ सफा १९७, इ. ला रि बम्बई जिल्द २६ सफा ३७१) मागेजाने पर अगर मुर्तहिन हिसाब की नफले देने में कमी करे तो उसे नालिश का खर्चा न दिलाया जावेगा बल्कि अगर यह मालूम पड़े कि अगर नफले बराबर दी जाती तो नालिश दायर करने की जरूरत न होती तो ऐसी सूरत में उसको फरीक सानी का भी खर्चा देना पड़ेगा लेकिन मुर्तहिन को इनाफिकाक की दादरसी मागने के बगैर हिसाब समझा पाने की नालिश पेश करने की इजाजत न दी जावेगी (देखो फिकर साहब का रिसाळा रहन फिकर ८९०, ८९२ वा ९१२; इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ९ सफा ६१६)।

जिमन (द), मुर्तहिन आमदनी का हिसाब देगा:— यह

जिमन उस सूरत में लागू होगा कि जब मुर्तहिन खुद अपने कब्जा में जमीन को रखकर दूसरे किसानों को ठेके पर न देकर उसकी कारत करे—पेसी हालत में मुर्तहिन ने भिर्क मुनामिब लगान लिया जावेगा, यानी वह लगान कि जितने पर जमीन ठेके से जा सकती है [बी रि जिल्द ७ सफा २४४] उस जिमन के रूप में मुर्तहिन बाद बजा करने (१) लगान [२] खर्चा मारफत, [३] सूद इन रकमों पर, बाकी बचा हुआ फाजिल रूप्या असल जर रहन के सूद में वसूल ले सकता है और अगर रहने पर भी कुछ रकम फाजिल रहे तो असल जर रहन की अर्दा में वसूल लेवे और फिर जो कुछ बाकी बच रहे उसे राहिन के हिसाब कर दे.


जिमन [घ], रहन के रूप्या को हाजिर करना या अमानत में रखना:— जम तारीख को रहन का रूप्या हाजिर किया जावे या अमानत में जमा कर दिया जावे उस तारीख से मुर्तहिन की हौसेयत बन्द हो जाती है और वह किसी खर्चा के पाने का हकदार न होगा, बल्कि उम्पर लाजिम होगा कि बिना काटने किसी रकम के कुल आमदानी का हिस्सा राहिन को देवे.

दफा ७७. कोई इवारत दफा ७६ की
 आन्दनी बपरज सद **जिमन (ख), (घ) (थ) वा**
(द) की उन सूरतों से ताल्लुक न समझी

जावेगी कि जब दरमियान मुर्तहिन वो राहिन के यह करार ठहरा हो कि जायदाद मरहूना की आमदनी उस मुहल की वाबत कि जब तक उस पर मुर्तहिन का कब्जा रहे असल जर रहन के सूद के बदले में या बएवज सूद मजकूर और असल रूप्या के किसी खास हिस्सा के मुजरा दी जावेगी.

त श री ह.

जब आपुस में यह करार ठहरा जाये कि कब्जादार मुर्तहिन जायदाद मरहूना की आमदनी को अपने करजा रहन के सूद के बदले में मुजरा लेवेगा, यानी जैसी कि दफा १८ जिन (घ) की सूत है या जब आपुसी ठहराये यह हो कि असल जर रहन वा सूद वो रहन के रूप्या का किसी खास हिस्सा के बदले में जायदाद मरहूना की आमदनी मुजरा दी जावेगी तो ऐसी हाथ में फरीकन के दरमियान हिस्सा कितना की कुछ बड़ा पैदा न होगी और दफा ७६ के अहकामात लामु न समझे जायेंगे - असल जर रहिन आर मुर्तहिन के दरमियान यह शर्त करार पाये कि राहिन अपनी जायदाद बकब्जा मुर्तहिन के मुनाफा का दायी नहीं करेगा और न मुर्तहिन अपनी रकम वाबत जर रहन के सूद का दायीदार होगा, तो ऐसी सूत में भियाद रहन की गुजर जाने पर राहिन असली करजा रहन की तादाद यानी मुहल रूप्या के अदा करने पर रहन के इनाफिकाफ का मुत्तेहक हो ॥



हक तरजीह.



दफा ७८. जब बबजह फरेब या गलत व-

पहिले वाले मुर्तहिन का मुल्तबी रहना। यानी या भारी गफलत किसी मुर्तहिन मुकद्दम के किसी दूसरे शरूस को उसी जायदाद मरहूना की कफालत पर रूपया करज देने की तरजीब दी जावे तो मुर्तहिन सानी को मुर्तहिन अक्वल पर तरजीह दी जावेगी--

त श री ह.

इस दफा को दफा ४८ के साथ पढना चाहिये जिसे साफ यह हुक्म है कि जब कोई शरूस अपनी जायदाद कई मर्तवा करके कई शरूसों के नाम मुन्तकिल कर दे तो जो इन्तकाल सब के पहिले हुवा हो वह पेछले इन्तकालों पर तरजीह रखेगा, यानी पहिले वाला इन्तकाल सही समझा जायेगा और पीछे के इन्तकाल उस के मुकाबले में रहेंगे-दफा ४८ में लिखा हुवा जायदाद का मुस्तना दफा ७८ में दर्ज है जिस्का मतलब यह है कि जब पहिले के मुर्तहिन की तरफ से ऐरा फरेब या धोका या बडी भारी सुस्ती हुई हो कि जिस्के सबब से कोई दूसरा शरूस उसी जायदाद की जमानत राहिन की कुछ रूपया बतौर कर्ज के देने तो ऐसी हालत में पहिले का रहन बमुकाबले रहन सानी यानी पीछे वाले के मुल्तबी समझा जावेगा

लफजों के सायनी:—

बवजह—कारण से

गफलत—सुस्ती

मुर्तहिन मुकद्दम—पहलेवाला मुर्तहिन

जायदाद मरहूना—रहन की जायदाद

कफालत—जमानत

तरजीब देना—फुसलाना

मुर्तहिन सानी—पीछे कला मुर्तहिन

तरजीह—कदामत, पूर्वता, प्रथमता

फरेबः—एकट माहदा न ९ सन १८७२ की दफा १७ में लफ्ज फरेब की तारीफ में नीचे लिखी बातें दाखिल है—

- (१) किसी बात का बयान करना जो सच नहीं है ऐसे शरस की तरफ से जो उस को बतौर सच के यकीन नहीं करता हो
- (२) ऐसे शरस की तरफ से किसी वाकेश्वा यानी हाल का छुपाना जो उस वाकेश्वा को जानता हो या उस में यकीन करता हो
- (३) पूरा करने की मनशा के बगैर किसी इकरार का करना
- (४) कोई दूसरा काम करना जिस्मे किसी शरस को धोका होवे
- (५) कोई ऐसा फैल या तर्क फैल (काम का न करना) जो कानून की रू से खास तौर पर फरेबी करार दिया गया हो

मुर्तहिन सानी को चाहिये कि पहिले मुर्तहिन के फरेब के निसबत साफ तौर पर बयान करे वो उसे साभित करे—मुर्तहिन सानी इस दिना पर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं समझा जायेगा कि खुद मुदायलेह ने भूटा बयान पेश किया (इ टा रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ६१२)

गलत बयानीः—इस का मतलब यह है कि कोई ऐसा बयान किया जाए जो गलत हो और जिस को बयान करने वाला गलत जानता हो—यह गलत बयान इस नियत से किया जावे कि बयान करने वाले शरस को नाजायज तौर से कुछ फायदा पहुंच जावे

भारी गफलतः—इसका मतलब यह है कि जब कोई शरस ऐसा काम करने में भूल करे जो कोई माकूल आदमी मामूली तौर पर करेगा या अब ऐसा कोई काम किया जावे जिसे माफूल और होशियार आदमी कभी नहीं करेगा—जब कोई मुर्तहिन साबिक घड़ी भारी या पराधी से किसी दूसरे शरस को उसी जायदाद की जमानत पर राहिन को फरजा देने के वास्ते तरगीब देवे तो वह

अपने पहिले रहन का हक गुमा बैठेगा मसलन जब कोई मुर्तहिन अपने हुक्क के दस्तावेजों को राहिन के कब्जा में रहने दे और राहिन ने इस बात पर एक दूसरा रहन नामा दूसरे शरस को लिखादिया-पम ऐसी शरत में मुर्तहिन भारी गफलत का कसूखर समझा गया और इसलिये उस के रहन का हक मुर्तहिन सानी के मुकाबले में बढ़कर नहीं तसौखर दिया गया [इ ला रि मद्रास जिल्द १३ सफा ३८३ वी इ ला रि मद्रास जिल्द १५ सफा २६८]. राहिन के कब्जा में दस्तावेजात रख छोड़ने से जो भारी गफलत मुर्तहिन की पाई जावे उस के रद्द करने में मुर्तहिन सात्रिक यह सबूत कर सकता है कि उस को मालूम नहीं था कि उस का हक कामिल करने के वास्ते दस्तावेज लेने की जरूरत है या उस का यह गुमान था कि उसे दस्तावेजात कुछ मिल जायेंगे या यह कि राहिन के मगने पर दस्तावेजात उसके हवाला किये गये या दस्तावेज वापस न लेने के वास्ते कोई दूसरा मामूल सबब था [इ ला रि मद्रास जिल्द ८ सफा २०० वी मद्रास हाई कोर्ट जिल्द ४ सफा ३६९].

दफा ७६ अगर किसी रहननामा में, जो

रहन बगरज इतमीनान अदा बगरज इतमीनान अदाई करजा
करने रकम गैर मुकरर के आयन्दा, या इतमीनान तामील
जब कि उसमें जियादा से हिस्सी कौल करार या इतमीनान
जियादा तादाद दर्ज हो

अदाई कोई बकाया रूप्या चालू हिसाब के तहरीर पाया हो, बाकी की तादाद इन्तहाई जिस्के लिये जायदाद रहन की गई हो साफ तौर पर दर्ज हो तो रहन सानी जो उसी जायदाद पर हुवा हो, अगर पहिले रहन की इत्तला के साथ वकू में आया हो, पहिले वाले रहन के मुकाबले में बावत उन रकमात करजा या दोनों के जिन की तादाद इन्त-

हाई से जियादा न हो, तो वह करजा और दैन बाद मिलने इत्तला रहन अखीर के दिये गये हीं तरजीह रखेगा—

तमसील

रामदत्त ने अपने बाकी हिमाय के अदाई के इतमीनान के लिये मौजा सुलतान पूा को दस हजार रुपया तक अपने महाजन रामलाल कम्पनी के पास रहन रखा फिर रामदत्त ने वही मौजा सुलतान पूर दस हजार रुपया की अदाई के इतमीनान के लिये शिवलाल कम्पनी के पास रहन किया और शिवलाल को रामलाल कम्पनी के रहन की इत्तला थी और शिवलाल ने उस रहन सानी की इत्तला रामलाल कम्पनी को कर दी रहन सानी की तारीख तक उस रकम की तादाद कि जो रामलाल कम्पनी को बाकी पाना बाजिव है पांच हजार रुपया से जियादा नही बढ़ती है- पीछे से रामलाल कम्पनी ने कुल और रुपया बतौर करजा के रामदत्त को दिया जिसके सबब से उस के ऊपर के करजा की तादाद दस हजार रुपया में बढ़ गई पस रामलाल कम्पनी मुस्तेहक है कि दस हजार रुपया तक शिवलाल पर तरजीह रखे

त श री ह

इस दफा का मतलब यह है कि जब कोई शम्स अपनी जायदाद हिमाय चालू की रकमों के इतमीनान के वास्ते या उन रकमों की इतमीनान की गरज

से रहन करे कि जो आपन्दा बनौर कर्ज दी जावैगी और रहन के दस्त ऐसी रकमों वो करजे की एक जियादा से जियादा तादाद मुकरर कर दी और फिर पीछे से वही शहस अपनी उसी जायदाद वो किसी दूसरे के पास रहन करदे और अगर ऐसे पिछले रहनदार को पेरतर के रहन व मालूम हो जावे तो उस का रहन वमुकाबले मुर्तहिन साबिक के उन रक निसबत बढ़कर न समझा जावेगा कि भिन की तादाद दस्तावेज रहन में द हालाकि पहिला रहनदार रकमों वो करजे का रूप्या पिछले रहन का हात कर राहिन को देवे इस दफा में लिखा हुआ कायदा इगलिस्थान के कान बरखिलाफ है

लपंजों के मायनीः—

तादाद इन्तहई—जियादा से जियादा तादाद

देन—करजा की रकम

तरजीह—प्रथमता

दफा ८०. अगर कोई मुर्तहिन किसी द

मसला टेकिंग का मसूप
किया गया

मियानी रहन का हाल उ


कर या ना जानकर किसी रहन मुकद्दम रूप्या अदा करे तो उस को उससे अपनी अस किफालत की बाबत कोई हक तरजीह का हासि न होगा और सिवाय उस सूरत के कि जो द ७६ में दर्ज है कोई मुर्तहिन जो पीछे से अ राहिन को कुछ करजा देवे, चाहे उसको दरमिया रहन की इत्तला हुई थी या नहीं, उस पिछ

करजा की बाबत अपने हक किफालत की रू से कोई हक तरजीह का हासिल न करेगा—


त श री ह

वफा " टर्किंग " के असली मायनी जोडना और मिळाना है और इस मसला का मगलब उन वसीकों को कि जो अलग अलग वक्तों पर तहरीर किये गये हों, आपस में मिलाने का है—टर्किंग कायदा टर्किंग की रू से जब एक मुर्तहिन मुकदम (अगला) पीछे से कोई किफालत उस्ते जायदाद पर हासिल करता है या जब कि पिठला मुर्तहिन, दर मियानी मुर्तहिन रहन साबिक को हासिल कर लेवे तो ऐसी हालत में इन दोनों रहनदारों को अपने अपने रहन के बारे में दरमियानी मुर्तहिन के मुकाबले में तरजीह पाता है—इस दफा की रू से मसला टर्किंग का मसूख किया गया है

इस दफा का मतलब यह है कि अगर कोई मुर्तहिन पिठला [मावाद] रहन मुकदम का रूप्या अंग करे, दरमियानी रहन का हाउ जानकर या उसके जाने के बगैर उस को कोई हक तरजीही (प्रथमता का अपने असली रहन के निम्नवत रहन दरमियानी के मुकाबले में हासिल न होगा—मसलन एक शख्स मुसम्मी (क) अपनी जायदाद लगातार (ख) (ग) वो (न) के पास रहन कर दे—अब (ख) मुर्तहिन मुकदम हो (ग) दरमियानी मुर्तहिन वो (न) पिठला यानी अखीर (मावाद) मुर्तहिन हुए—पस अगर ऐसी सूरत में मुर्तहिन (न) (ख) के रहन का रूप्या पटाकर उसे ले लेवे, तो सिर्फ ऐसे रूप्या पटाने की वजह से अखीर रहनदार को दरमियानी मुर्तहिन के मुकाबले में तरजीह का हक हासिल न होगा अगर कायदा " टर्किंग " का जारी होता कि जो इस दफा की रू से मसूख कर दिया गया है तो तीसरा वो पहिला रहन दोनों मिल कर दरमियानी रहन को दूबा देते



तरतीब व हिस्सा रसदी.



दफा ८१—अगर दो जायदाद का मालिक

किफालत नामो की तरतीन दोनों को एक ही शरखस के पास रहन करके पीछे से उन में से एक जायदाद को किसी दूसरे शरखस के पास रहन करदे, जिमे अगले रहन की इत्तला थी, तो मुर्तहिन सानी मुस्तेहक होगा कि दर सूरत न होने कोई ठहराव खिलाफ इस के, मुर्तहिन अव्वल का करजा उस जायदाद में से अदा कराए जो दूसरे मुर्तहिन के पास रहन नहीं हुई है जहां तक उस जायदाद में गुंजायश होवे--मगर कोई ऐना फैल न कर सकेगा जिस्से मुर्तहिन अव्वल या किसी और शरखस के हक में कुछ नुकसान पहुंचे जो दोनों में से किसी जायदाद पर कौमनी माविजा के बदले किसी तरह का हक रखता हो—

त श री ह

इस दफा का मतलब साफ यह है कि जब कोई शरखस जो दो जायदादों का मालिक होने और वह इन दोनों जायदादों में से एक को पीछे किसी शरखस के पास रहन करे और फिर बाद में उनी को जायदाद में से एक किसी दूसरे शरखस के पास रहन करे तो ऐसी सूत में यह दूसरा शरखस इस बात का हकदार होगा कि पहिले रहनदार अपने करजा का कुछ रूपया सिर्फ उसी जायदाद में से बसूल करे कि जो उस के पास रहन न हो बशर्तकि फरीकन के दरभियान कोई ठहराव खिलाफ इस के न हुवा हो लेकिन ऐसी कारिगड से मुर्तहिन अव्वल को या किसी ऐसे शरखस को जिस ने कौमनी माविजा दिया हो कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिये अगर यह साबित किया जाये कि दूसरे रहनदार

को जायदाद रहन रखते वक्त पहिले रहन का हाल मालूम था तो उसे इस दफा की रू में कुछ फायदा न मिलेगा याद रखना चाहिये कि अगर पहिले रहनदार का कुल करजा उस जायदाद में से नसल न हो सके कि जो दूसरे रहनदार के पास रहन है तो वह इस दूसरे मुर्तद्विन के पास रहन सर्वा हुई जायदाद के विस्तृत अपना स्वयं रहन के समुझी के वास्ते मुर्तद्विन पर फर्माई कर सकता है इस दफा में लफज ' करजा' से रहन का करजा मुगद है

बम्बई हाई कोर्ट की यह राय है कि किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री हो जाने से ग्राम तौर पर सब लोगों को दरतोज की इतना का निटना क्या कर लेना चाहिये [३ ला रि बम्बई जिल्ड ६ सफा १६८ लख्मन-बनाम-दत्तारथ] अगर टीगर हाई कोर्ट की राय इसके बरलिकान है [देखो ३ ला रि कलकत्ता जिल्ड २३ सफा ७९० इन्दरदीवान-बनाम-गोविन्द लाल वो ३ ला रि मद्रास जिल्ड १९ सफा २६८]

दफा ८२ जब कई जायदादें, चाहे उन का हिस्सा समी जर रहन मालिक एक ही शरूस होवे या कई लोग हों एक ही करजा की अदाई के वास्त रहन की जावें, तो ऐसी जायदादें दर सुरत न होने कोई ठहराव खिलाफ इसके, वाद इसके कि तादाद किसी और मतालवा की जिस्में वे जायदाद रहन की तारीख को डूबी हों हर एक जायदाद की मालियत से वजा कर लिया जाए हिस्सा रूदी के मुताबिक उस करजा के जिस्मेंदार होंवे जिस्के लिये रहन अमले में आया था

जब वे दोनों जायदादें एक ही शरूस की

मिलकियत हों और उन दोनों में से कोई एक करजा के इतमीनान की गरज से और फिर दोनों किसी और करजा के इतमीनान के वास्ते रहन की जावें और पहिला करजा अठवल जिक्र की हुई जायदाद से अदा हो जावे तो अगर कोई कोई माहदा यानी ठहराव खिलाफ इसके न हुवा हो तो हर एक जायदाद हिस्सा रसदी के मुताबिक वाद इसके कि पहिले करजा की तादाद उस जायदाद की मालियत से बजा हो ले कि जिस्से वह अदा हुवा हो पिछला करजा के पटाने की जिम्मेदार होगी

इस दफा की कोई इवारत उस जायदाद से ताल्लुक न होगी जो दफा ८१ के मुताबिक मुर्त-हिन सानी (पिछला) के करजा में डूबी होवे—

त श री ह.

इस दफा के पहिले फिकरा में यह हुक्म है कि जब दो या जियादा जायदाद एक ही करजा की इतमीनान के वास्ते किसी शरूत के पास रहन रखी जावे और इन दो में से एक जायदाद पहिले ही किसी दूसरे शरूत के पास रहन हो चुकी हो तो ऐसी हालत में दोनों जायदाद पीछे से नीलाम की जावे तो जो शरूत रहन मुकदम वाली जायदाद पाता है तो वह रहन मजकूर का रूप्या उजा करने का हकदार होगा और फिर पिछले रहन के करजा की अदाई के वास्ते हिस्सा रसदी के मुताबिक बोझा उठावेगा—मसरन दो जायदाद (अ) और (ब) नाम

की एक हजार रूपया के बदले में (ड) के पास रहन की गई--(ब) जायदाद पहिले ही से (क) के पास २०० रू० में रहन हो चुकी है--(अ) नाम की जायदाद (ई) को और (व) नाम की जायदाद (फ) को बेची गई--पस (ई) और (फ) दोनों को (ड) के रहन का करजा की अदाई करना पड़ेगा और (क) का करजा भी कि जिस के पास (व) नाम की जायदाद रहन है अदा करना पड़ेगा--मान लिया जाये कि दोनों जायदाद बराबर मालियत की है तो (ई) और (फ) हर एक को पाच पाच सष रूपया पटाना पड़ेगा--लेकिन चूकि (फ) की जायदाद पहिले ही से २०० रू० में रहन हो चुकी थी इस लिये वह उस रकम को अपनी जायदाद की मालियत में घटा देने का मुस्तहक होगा--पस उसे सिर्फ ३०० रू० देना पड़ेगा और (ई) को बाकी ७०० रू० देना होगा—

इस दफा के दूसरे फिकरा का मतलब यह है कि जब दो जायदादों में से, जो एक ही शख्स की मिल्कियत है, एक एक शख्स के पास रहन की गई हो और पीछे से वे दोनों जायदादें किसी दूसरे शख्स के पास रहन कर दी जायें और पहिला मुर्तहिन अपना रूपया जायदाद मरहूना से बसूल कर लेवे तो दर सूरत न होने कोई ठहराव खिलाफ इस के दोनों जायदादों पर हिस्सा रसदी के मुताबिक दूसरे रहन का बोझा रहेगा बाद इस के कि उस जायदाद की कीमत में से वह रहन का रूपया मुजरा कर दिया जावे जो मुर्तहिन अब्बल ने बसूल किया हो--

अदालत में बतौर अमानत के दाखिल करना.

दफा ८३. असल रूपया रहन का वाजि-
 रहन का रूपया अदालत में अमानत के तौर पर जमा करने का अखत्यार
 बुलअदा हो जाने के बाद और जायदाद मरहूना के इनफिकाक की नालिश काविल गैर सपाअत हो जाने के पेशतर किसी वक्त राहिन को या उस शख्स को, जिसे नालिश मजकूर दायर करने का अखत्यार

हो, यह हक हासिल है कि जितना रूपया उस वक्त तक रहन की रू से अदा होने को बाकी हो, मुर्तहिन के हिसाब में जमा होने के लिये हर ऐसी अदालत में अमानत के तौर पर दाखिल कर दे कि जिस में वह नालिश इनफिकाक रहन के पेश करने की संजाज होता.

इस के बाद अदालत को लाजिम है कि अमा-

अमानती रकम को लेने
के वास्ते रहिन को हक

नन में रखी हुई रकम की बाबत
तहरीरी इत्तला मुर्तहिन को पहुंच-

चावे और मुर्तहिन को अखत्यार है कि बजरिय पेश करने दरखास्त के (जो उसी तरह पर तसदीक की जावेगी कि जिस तरह पर कानून के मुताबिक नालिशों में अरजी दावी की तसदीक होती है) जिस में यह बयान दर्ज रहेगा कि उस वक्त रहन की रू से कितना रूपया वाजिब निकलता है और मुर्तहिन इस बात पर राजी है कि अमानत में रखे हुए रूपया को अपने कुल जर रहन की अदाई में कबूल करे और उसी अदालत में रहननामा, अगर उस वक्त उस के कबजा और अखत्यार में होवे, दाखिल करने पर रूपया मिलने की दरखास्त पेश करके रूपया ले लेवे;

और वह रहननामा की जो उस वक्त हासिल हुवा है उस राहिन को या और शरूख के हवाला किया जावेगा कि जिस का ऊपर जिक्र हो चुका है—

त श री ह

इस दफा का मतलब यह है कि जब रहन के रूप्या पटाने का फरार भुगत गया हो और इनफिकाक रहन यानी जायदाद को रूप्या देकर रहन से छुडाने के बाधित नोटिस मुनाई के गैर काबिल न हो गई हो तो राहिन इस दफा की रू से अदालत में मुर्तहिन के मिलने के वास्ते बतौर अमानत जमा कर सकता है— जब रहन का करजा वाजिबुल अदा हो जावे तो राहिन को अखल्यार है कि

[१] अदालत के बाहर मुनासिब जगह और वक्त पर वह तादाद कि जो रहन की रू से वाजिब निकलती हो, मुर्तहिन को दे या उस के सामने हाजिर करे, (देखो दफा ६०)

[२] या इस दफा के बमूजिव अदालत में बतौर अमानत जमा करे, या

[३] इनफिकाक की बाबत नोटिस नम्बरी च अदालत दीवानी दायर करे, [देखो दफा ९१]

ऊपर लिखे तरीकों में से किसी एक तरीका को या एक के बाद एक को अमल में ला सकता है—मगर इस दफा के बमूजिव बहुत जल्द दो सरसरी तौर से और बिना लगाने किसी खर्चो के रहन के इनफिकाक के बारे में राहिन को दादरसी मिल सकती है—रहन का रूप्या अदालत में जमा हो जाने के बाद अदालत की तरफ से मुर्तहिन के नाम एक नोटिस तामील किया जावेगा—और बाद मिलने नोटिस के मुर्तहिन को अखल्यार है कि कुल करजा रहन की अदाई में अमानत में रखे हुए रूप्या को उठा ले या न चठावे अगर उसे इतना मजूर हो तो एक दरखास्त वाजानता तसदीक करके इस मुजमून की अदालत में पेश करना होगा कि वह पूरी दावी की अदाई में रूप्या लेने को राजी है और रहन नामा अदालत में

दाखिल कर देना पड़ेगा

करों के मायना:—

वाजिबुल अदा—पटाए जाने के योग्य या काबिल, यानी जब करों की अदाई का करार खतम हो जावे.

हक इनफिकाक—जायदाद को करजे का रूपया अदा करके रहन की जिम्मेदारी से छुडाना

काबिल गैर सभावत—सुनाई के लायक न हो.

“नालिश इनफिकाक काबिल गैर समाअत हो जाने के पहिले” :—इस का मतलब यह है कि जब इनफिकाक की नालिश या तो अशलत के हुकम से या कानून मियाद की रू से या बजरिये फैल 'कराकैन' यानी आपुसी तौर पर किसी इकरार या ठहराव के रू से, ऐसी हो जावे कि जिस की सुनाई अदालत की मारफत न हो सकेगी.

तसदीक से वह तसदीक मुराद है कि जो मजमूआ जाबता 'दीवानी की दफा ५२ के रू से नालिशों में अरभी दावियों पर की जाती है' इस मजमून के --“ऊपर लिखे बयानात जहा तक भेरे यकीन वो इल्म में है सही है”--

नोटिस:—इस दफा के बमूजिब नोटिस खुद राहिन की जात पर या उस के मुखलार पर या जब मुर्तहिन माहदा करने का मंजाज न हो तो उस की जायदाद के मुन्ताजिम पर तामील किया जावेगा-ऐसा नोटिस तहरीरी धानी लिखा हुना होना चाहिये—

तादाद रकम अमानती:—जो रूपया इस दफा के बमूजिब अमानत में जमा किया जावे में असल रकम वो सूद का रूपया जो दस्तावेज में लिखी हुई रकम के मुताबिक हिसाब करने पर बाजिन निकलता है और ऐसी दीगर रकमों भी शामिल रहेंगी जिन का कि मुर्तहिन असल रूपया रहन में, शामिल करने का हकदार होता है [३ ला रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा १५५]

कबजा छोड़ देना:—अगर मुर्तहिन अमानत में जमा किया हुआ रूपया अपने कुल दारी की अगर्ह में कबूल कर लेये मगर जायदाद मरहूना का कबजा न छोड़े तो ऐसी हालत में दफा ६२ के बमूजिब जायदाद मजकूर के कबजा पाने की नाबिश् दायर करने का हकदार होवेगा

दफा ८४—जब राहिन या कोई दूसरा शख्स सूद का बन्द हो जाना ने, जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, दफा ८३ के मुताबिक वह तादाद हाजिर की हो या अदालत में बतौर अमानत जमा कर दी हो जो रहन की बाबत अदा होने को बाकी हो तो असल जर रहन पर सूद रूपया हाजिर करने की तारीख से या उस वक्त से बन्द हो जावेगा कि जब राहिन या किसी और शख्स ऊपर लिखे हुए से हर ऐसा फैल कर चुका हो जो उसपर इस बात के लिये वाजिब है कि मुर्तहिन अदालत के बाहर वैसी रकम हासिल कर सके, जैसी सूरत होवे—

इस दफा या दफा ८३ की किसी इबागत से यह न समझा जावेगा कि उससे मुर्तहिन सूद पाने के हक से महरूम किया गया हो उस सूरत में कि जब उस के और राहिन के दर मियान यह इकरार ठहरा हो कि रूपया रहन का अदा या हाजिर करने के पहिले एक मोहलत माकूल के भीतर पेशतर से

दाखिल कर देना पड़ेगा

लपजों के मायनी:—

वाजिबुल अदा—पटाए जाने के योग्य या काबिल, यानी जब फरजा की अदाई का करार खतम हो जावे.

एक इनफिकाक—जायदाद को करजे का रूपया अदा करके रहन की जिम्मेदारी से छुडाना.

काबिल गैर समाअत—सुनाई के लायक न हो.

“नालिश इनफिकाक काबिल गैर समाअत हो जाने के पाहिले”:—इस का मतलब यह है कि जब इनफिकाक की नालिश या तो अदालत के हुकम से या कानून मियाद की रू से या बजरिये फैल फरकैन यानी आपुसी तौर पर किसी इकरार या ठहराव के रू से, ऐसी हो जावे कि जिस की सुनाई अदालत की मारफत न हो सकेगी

तसदीक से वह तसदीक मुराद हैं कि जो मजमूआ जान्ता दीवानी की दफा ५२ के रू से नालिशों में अरजी दावियों पर की जाती है इस मंजूमन के—“ऊपर लिखे बयानात जहा तक मेरे यकीन वो इल्म में है सही है”—

नोटिस:—इस दफा के बमूजिब नोटिस खुद राहिन की जात पर या उस के मुखत्यार पर या जब मुर्तहिन माहदा करने का मजाज न हो तो उस की जायदाद के मुन्ताजिम पर तामोळ किया जावेगा-ऐसा नोटिस तहरीरी धानी लिखा हुवा होना चाहिये—

तादाद रकम अमानती:—जो रूपया इस दफा के बमूजिब अमानत में जमा किया जावे में असल रकम वों सूद का रूपया जो दस्तावेज में लिखी हुई शर्त के मुताबिक हिसाब करने पर वाजिब निकलता है और ऐसी दीगर रकमें भी शामिल रहेंगी जिन का कि मुर्तहिन असल रूपया रहन में शामिल करने का हकदार होता है [इ. ए. दि. अलाहाबाद निबन्ध १३ सफा १५९].

मुद्दा नं०. नालिश बैधात में अगर मुद्दई
 डिगरी नालिश बैधात में कामयाब हो जावे तो अदालत
 डिगरी सादिर करेगी जिस में यह हुक्म रहेगा कि
 उस तारीख तक, जो नीचे दर्ज है, मुद्दई को रहन
 की रूसे बाबत असल वो सूद और खर्चा मुकदसा
 के, अगर कुछ उस को दिलाया गया हो, जिस
 कदर पाना हो उस का हिसाब लिया जावे या जो
 कुछ बाबत असल वो सूद और खर्चा के तारीख
 डिगरी तक मुद्दई को पाना हो डिगरी में वैसी डिगरी
 सादिर करने के रोज जाहिर कर देवेगी.

और उस में यह भी हुक्म दर्ज रहेगा कि
 अगर मुद्दायलेह उस तारीख से कि जिस तारीख
 को अदालत कुल रूप्या मुद्दई को पाना वाजिब
 जाहिर करे छे महिना के अन्दर उस रोज पर,
 कि जो अदालत से मुकर्र हो ऊपर लिखा हुवा
 रूप्या मुद्दई को अदा या अदालत में जमा करदे
 तो मुद्दई को लाजिम होगा कि कुल दस्तावेजात,
 जायदाद मरहूना के ताल्लुक, जो उस के कब्जा या
 अखत्यार में हो मुद्दायलेह को या उस शख्स को
 जो उस की तरफ से मुकर्र हों हवाला करे और

और ऐसे बहुत से लोग हैं जो शमलता में इनफिकाक कराने के मुस्तेहक होंगे तो वे सब जरूरी फरीक है (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ७ सफा ४७२ वो जिल्द १६ सफा ६०९) यह जरूर नहीं है कि ऐसे सब लोग बतौर मुद्ई शरीक किये जावें लेकिन अगर वे मुद्ई न बनाए जावें तो मुदायलेह गरदाने जाना चाहिये-- बशर्ते कि दरयाफ्त करने पर उन के निसबत पक्का हाथ माहूम हो जावे-- राहिन को चाहिये कि नालिश इनफिकाक की दायर करते वक्त मुर्तहिन अम्बल के अलावा ऐसे शख्सों को भी मुदायलेह बनावे जिन के पास पीछे से वही जायदाद रहन की गई है, चाहे ऐसे पिछले रहनदार का हक कुछ जायदाद में हो या उन के किन्नी हिस्सा में.

नालिश बैवातः—जिस तरह नालिश इनफिकाक में है उसी तरह

नालिश बैवात या नीलाम में भी कई शमलताई हकदारों में से कोई एक अकेला अपने हिस्सा के निसबत बैवात या नीलाम की नालिश नहीं दायर कर सकता है (देखो दफा ६०) अगर कोई हकदार मुद्ई न बना चाहे तो उस को मुदायलेह बनाना चाहिये मगर सबब इस अमर का लिखना जरूर होगा कि वह मुद्ई क्यों नहीं बनाया गया-- डिगरी बैवात की ऐसे शख्स के मुकाबले में कुछ असर नहीं रखेगी कि जो उस में फरीक मुकदमा न होवे-- [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३ सफा ३९७, ६ ला. रि. बम्बई जिल्द २ सफा १२८ वो गदरास जिल्द २५ सफा ४२२] नालिश नीलाम में भी मुद्ई को लाजिम है कि कुछ ऐसे शख्सों को मुदायलेह बनावे जिन का हक जायदाद में पैदा हो चुका हो चाहे उस के रहन के बाद या पेरतर--और जो शख्स दफा ९१ के बमूजिव इनफिकाक कराने का हकदार होवे वह मुर्तहिन की नालिश में फरीक मुकदमा बनाया जावेगा (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २३ सफा ४६७) लेकिन जो लोग जायदाद मरहूना में पैनामा के जरिये से बाद दायरी नालिश के हक हासिल करें उन का मुदायलेह बनाना जरूरी नहीं है क्यों कि वे अखीर में डिगरी के पाबन्द समझे जावेंगे (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २१ सफा १४९).

—○—
बैवात वो नीलाम.
 —*—

दफा ८६. नालिश बैधात में अगर मुद्दई
 डिगरी नालिश बैधात में. कामयाब हो जावे तो अदालत
 डिगरी सादिर करेगी जिस में यह हुक्म रहेगा कि
 उस तारीख तक, जो नीचे दर्ज है, मुद्दई को रहन
 की रूसे बाबत असल वो सूद और खर्चा मुकदमा
 के, अगर कुछ उस को दिलाया गया हो, जिस
 कदर पाना हो उस का हिसाब लिया जावे या जो
 कुछ बाबत असल वो सूद और खर्चा के तारीख
 डिगरी तक मुद्दई को पाना हो डिगरी में वैसी डिगरी
 सादिर करने के रोज जाहिर कर देवेगी.

और उस में यह भी हुक्म दर्ज रहेगा कि
 अगर मुद्दायलेह उस तारीख से कि जिस तारीख
 को अदालत कुल रूप्या मुद्दई को पाना वाजिब
 जाहिर करे छे महिना के अन्दर उस रोज पर,
 कि जो अदालत से मुकर्र हो ऊपर लिखा हुवा
 रूप्या मुद्दई को अदा या अदालत में जमा करदे
 तो मुद्दई को लाजिम होगा कि कुल दस्तावेजात,
 जायदाद मरहूना के तालुक, जो उस के कब्जा या
 अख्त्यार में हो मुद्दायलेह को या उस शख्स को
 जो उस की तरफ से मुकर्र हों हवाला करे और

जायदाद मरहूना को उन तमाम जिम्मेदारियों से जो मुद्दई ने या उस की तरफ से किसी और दावीदार ने कायम किये हों या जब मुद्दई किसी दूसरे शख्स के हक के जरिये से दावी करता हो तो उन लोगों की तरफ से जो उस की मारफत दावीदार हों; और अगर जरूरत हो तो मुद्दायलेह को जायदाद पर काबिज कर देवेगी; लेकिन अगर उस तारीख को या उस के पेशतर जो अदातल मुकरर करे अदाई रूप्या की न की जावे तो मुद्दायलेह कतई तौर पर जायदाद का इनफिकाक कराने से रोका जावेगा.

त श री ह.

अगर रहन बैवुलवफा यानी लहन गहन की शर्त पर होवे तो मुर्तहिन को डिगरी बैनात की दी जावेगी, जिस्का नमूना इस दफा में दर्ज है.

अगर राहिन का कब्जा जायदाद मरहूना पर बना रहे-तो इस दफा की रूसे हिसाब सिर्फ असल रूप्या वो सूद का किया जावेगा, क्योंकि जब खुद राहिन का कब्जा होवे तो लगान और मुनाफा का हिसाब समझाने का जिम्मेदार न होगा—इस अमर के साबित करने का बोझ कि रहन की रूसे कितना निकलता है मुर्तहिन के जिम्मे है—वास्ते तसफिया इस अमर के अस्तक करजा रहन की तादाद कितनी है जो बयान यानी इकेवाठ राहिन के दस्तावेज में लिख दिया है वह जाहिरा में मुकीबले उस के सबूत में लिया जावेगा (इ ला रि बम्बई जिल्द ६ सफा ६३९) अगर रहन का रूप्या पाने से रजिस्टार के खबख इकवाल किया जावे तो बार सबूत इस अमर का कि कर्जा नहीं दिया गया राहिन पर डाला जावेगा [इ ला रि कलकत्ता जिल्द

११ सफा ६१०] लेकिन जो शहादत यह बतलाने की गरज से पेश की जावे कि कुछ कम माविजा अदा किया गया या जिलादुल मदिना नहीं दिया गया, वह काबिल मंजूरी सम्झी जायगी [६ ला रि मदरसत जिल्द ५ सफा ६ वा ३ ला रि. बम्बई जिल्द १० सफा ६२६] लेकिन तीसरे शहम यानी गैर शहस के मुद्दायले में जो फरीक दस्तवेज न हो जपर लिखा हुआ इक्याक किसी दूसरे बयान के तौर पर शहादत में लिया जायगा (६ ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा - २६८ - वा ३० ला रि. अनाहाबाद जिल्द २५ सफा १५९).

दफा ८७—अगर ऊपर लिखी हुई रकम

जायदाद कार्रवाई उस रकम का जब कि नर यापतनी अदा कर देया जाय.

में खर्चा मावाद, जिस का जिक्र दफा ६४ में हुआ है,

अदा कर दी जाय तो मुद्दायलेह [अगर जरूरत हो] जायदाद मरहूना पर काबिज करा दिया जायगा.

अगर वाजवी रूप्या मजकूर वक्त पर अदा हुकुम कतई वास्ते बेबात के न किया जाय तो मुद्दाई को अखत्यार है कि अदालत में इस अमर की दरखास्त पेश करे कि अदालत से हुक्म वावत इस अमर के सादिर हो कि मुद्दायलेह का कुल हक और उन तमाम लोगों का, जो मुद्दायलेह के जरिये से दावीदार है, निसबत इनफिकाक रहें जायदाद मरहूना साकित हो गया और अदालत उसी के मुताबिक हुक्म सादिर करेगी और अदालत को अखत्यार

है कि अगर जरूरत देखे तो मुद्दे को जायदाद
पर काबिज कर दे—

मगर शर्त यह है कि माकूल सबब बताए
जाने पर और वपाबन्दी उन
शर्तों के [अगर कुछ हों] जो
अदालत मुनासिब समझे, अदालत मजाज होगी
कि वक्तन फवक्तन मुबलिग मजकूर के अदाई की
मुकरर की हुई तारीख को मुल्तबी करती रहे.

जब अदालत का हुकम इस दफा के दूसरे
फिकरा के मुताबिक सादिर हो, तो यह नतीजा
समझा जायगा कि वह कर्जा जिस के लिये जाय-
दाद रहन हुई थी बेबाक हो गया.

मजमूआ जानता दीवानी के जमीना ४ की
मद १२२ में बएवज लफज "डिक्री अखीर" के
लफज "डिक्री नातिक" कायम किया जायगा.

त श री ह.

अगर मुकरर की हुई तारीख पर कुल करजा रहन की अदाई कर दी जावे
और वह कुल खर्चा भी पटा दिया जावे जिरका डिफा दफा २४ में बिया गया
तो ऐसी हालत में मुद्दे को रहन की जायदाद का कबजा दिलाया जायगा—
लेकिन अगर इस तीर पर करजा रहन भी गटाइ न की जावे तो मुद्दे इस दफा
के दूसरे फिकरा के मुताबिक टिगरी के काबिल कराने के वास्ते अदालत में एक

दरखास्त पेश करेगा और ऐसी दरखास्त पर अदास्त कामिल करने का एक हुक्म सादिर करेगा जिसके जोर से मुहायलेह का हकफ उस जायदाद में जायल हो जावेगा और मुर्तहिन जायदाद को भासिक बन जावेगा- डिगरी देवात की कामिल हो जाने के बाद मुर्तहिन जायदाद का कबजा अदालत से हासिल कर सकेगा.

जय डिगरी पैवान के कामिल का हुक्म अदास्त सादिर कर देवे तो मुर्तहिन डिगरीदार को खदी फसल का कबजा भी जमान के साथ भिज जावेगा [सी. पी. ए. रि. निलद १५ सफा १४१].

जो दरखास्त जायदाद देवात का कबजा हासिल करने की गरज से एक इन्त काल की दफा ८७ के बमूजिव अदालत में पेश की जावे उस के लिये कोई मियाद मुकूर नहीं है बल्कि ऐसी दरखास्त स्वीकारवाई इजगय डिगरी के न समझी जावेगी और इस लिये एकट मियाद या मद १७८ दरखास्त मजकूर में लागू न होगा [सी. पी. ए. रि. निलद १६ सफा ११४].

दफा ८८—अगर नालिश वास्ते नीलाम के डिक्ली घायत नीलाम, दायर की जावे और सुद्धई कामवाव हो जाय तो अदालत को लाजिम है कि डिक्ली साथ उस हुक्म के सादिर करे जो दफा ८६ के पहले और दूसरे फिकरे में दर्ज है और उस में यह भी हुक्म शामिल करे कि मुहायलेह की तरफ से उस दफा में लिखे हुए हुक्म के मुताबिक वाजवी रूप्या न पटाया जावे तो जायदाद मरहूना या उस का कोई काफी हिस्सा नीलाम किया जाय और जर नीलाम (वाद वजा करने खर्चा नीलाम के जर-समन मजकूर में से) अदालत में जमा

होकर उस में से वह मुबलिग, जो मुद्दई को पाना वाजिब करार पाया हो अदा किया जाय और जो बाकी रहे (अगर कुछ बाकी हो) वह मुदायलेह को य और लोगों को दिया जाय जो उस के पाने के मुरनेहक हों—

अगर नालिश वास्ते बैवात के हो और मु-
 नालिश बैवात में डिक्री हुई कामयाब हो और उस में
 बाअत नीलाम के सादिर रहने किस्म वैबुलवफा से न हो,
 करने का अवयार तो अदालत को अखत्वार है कि बर वक्त दरखाम्त
 मुद्दई या किसी और शख्स के जिस को जर रहेन
 या हक इनफिकाक रहेन से ताल्लुक हो, अगर मु-
 नासिब समझे, उसी किस्म की डिक्री (वजाय
 डिक्री बैवात के) बाद दर्ज करने उन शर्तों के,
 जो मुनासिब मालूम हों, सादिर करे जिस में यह
 शर्त भी, अगर अदालत मुनासिब समझे, शामिल
 हो सकती है कि शख्स मजकूर एक तादाद माकूल,
 जो अदालत मुकरर कर दे और जो वास्ते अदाए
 खर्चा नीलाम और सरफा तामील शराईत डिक्री
 के काफी हो दाखिल करे—

त श री ह.

इस दफा में उगरी बाअत नीलाम को बैवात को जिम्मे है—याद रखना चाहिये

कि मुर्तिहिन इगलिसिया वो मुर्तिहिन सादा और मवाखजेदार (दफा १००) इस एकट के वमूजिव नीलाम की डिगरी हासिल करने के खाते नालिश टायर कर सक्ता है-वैसात की नालिश में असल रूप्या रहन की जायदाद पर कोर्ट फीन यानी रसूम अदागत धरजी दानी पर लगाया जावेगा मगर नालिश नीलाम में कुछ दावी पर कोर्ट फीस का स्टाम्प लगाया जावेगा.

जो डिगरी इस दफा के मुताबिक तैयार की जावे तसों सिर्फ हुकम नीलाम जायदाद गरहना का दर्ज रहेगा और ऐसी डिगरी के रूसे यह अजलवार न दिया जावेगा कि डिगरी बमुकाबले दीगर जायदाद और जात राहिन के फायिल इजराय समझी जावे--अगर डिगरी नीलाम में कुछ रूप्या रहन वसूल होने को बाकी रह जावे और वह फानूल के मुताबिक जायदाद गरहना के सिवाय और तौर पर वसूल हो सकता है तो वैसा रूप्या रहन बजारिये दरखस्त हस्व दफा ६० एकट हाजा के डिगरी मामूली तौर पर उस बकाया रकम के त्रिये दी जा सक्ता है.

दफा ८६. अगर किसी मुकदमा वमूजिव

जायदा कारवाई उस वक्त के धिये जब कि मुदायलेह जर याफ्तनी अदा कर दे

दफा ८८ में मुदायलेह मुद्दई को या अदालत में ऊपर लिखी

तारीख मुकरर पर तादाद जर रहन वाजिव और खर्चा, अगर दिलाया गया हो, और खर्चा आधन्दा जो दफा ६४ में मजकूर है, अदा कर दे तो, [अगर जरूरत हो] मुदायलेह जायदाद गरहना पर वाजिव करा दिया जायगा.

लेकिन जब कि जर वाजिव अदा न हो

हुकम कतई वस्ते नीलाम के जाय, तो मुद्दई या मुद्दई

जैसी सूरत हो, अदालत से इन बात को

पेश कर सकेगा कि हुकम कतई वास्ते नीलाम जायदाद मरहूना के सादिर किया जावे और बाद उस के अदालत हुकम इस मजमून का सादिर करेगी कि जायदाद मजकूर या उसका कोई काफी हिस्सा नीलाम होकर उस के जर नीलाम की निसबत वैसाही अमल किया जाय जैसा कि दफा ८८ में दर्ज है--उस वक्त से मुदायलेह का हक वाबत इन-फिकाक रहेन व नीज कफालत दोनों जायल हो जायगे--

त श री ह

इस दफा में वह कार्यवाई दर्ज है जिसकी तामील उस वक्त की जावेगी कि जब मुदायलेह मुई को कुल डिगरी का रूप्या अदा कर देवे; यानी जब रहन का कुल रूप्या वो खर्चा डिगरी वो खर्च आयन्दा जो हुवा हो मुदायलेह मुई को अदा कर देवे तो मुदायलेह को, अगर जरूरत हो, कुल जायदाद मरहूना का कब्जा फौरन दिलावा जावेगा--लेकिन अगर ऐसी रकम न पटाई जावे तो मुई डिगरी कामिब किये जाने का हुकम हासिल कर के जायदाद मरहूना को या उसके किसी हिस्सा को नीलाम करा सक्ता है--

याद रखना इस बात का जरूर है कि डिगरी कामिब करने की दरखास्त उस मुदत के खतम होने के पेशतर न पेश की जावेगी कि जो वास्ते अदाई जर डिगरी के मुकरर है (इ ल रि अजाहावाद जिल्द ७ सफा १९४ हरदयाळ-बनाम-बदामी) ऐसी दरखास्त दौरान इजराय डिगरी तसौवर की जावेगी और यह मुताबिक अहकामात मजमूना जान्ता दीवानी के होनी चाहिये--इस दफा की मनशा यह है कि डिगरी रहन की अदाई हो जाने पर यह असर पैदा होगा कि मानों रहन वजूद ही में नहीं था

दफा ६०. जब ऐसे नीलाम का खालिस
 वाकी जरयाफतनी रहेन
 की वसूली
 रूप्या उस तादाद के अदा करने
 के वास्ते काफी न हो, जो उस
 वक्त रहेन की बाबत वाजिबुलअदा हो, तो जिस
 कदर बाकी रहे अगर वह बकाया मुद्दायलेह से
 और तरह पर सिवाय जायदाद नीलाम शुदा के
 कानूनन वसूल हो सक्ता हो, तो जायज है कि अदा-
 लत उस जर वाकी की बाबत डिगरी सादिर करे.

त श री ह.

अगर मुद्दै उस अरजी दावी के नमूना के मुताबिक अपनी नाटिश दायर
 करे कि जो मजमुआ जांता दीवानी के नमूना न १०९ में दर्ज है और जाती डिगरी
 उस हालत में मांगे वो हासिल करे कि जब जर नीलाम दावी मुद्दै के वास्ते गैर
 काफी समझा जावे, तो ऐसी सूत में इस दफा के बमूजिब हुक्म सादिर करने की
 कुछ जरूरत नहीं है [इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ३५६ दुरगा-बनाम-
 भागवत, इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १५ सफा ३३४ टाटजी-बनाम-वारवू
 वो इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ३७१ शिपचरन-बनाम-जालजीमल.

जो दरखास्त इस दफा के बमूजिब पेश की जावे वह दौरान इजराय डिगरी के
 न समझी जायेगी क्योंकि वह दरखास्त वास्ते इजराय डिगरी के नहीं है, इम लिये
 वैसी दरखास्त के वास्ते एकट गियाद का मद १७८ न कि मद १७९ लागू होगा
 (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ४५२ रामसरूप-बनाम-घौरानी)

इनफिकाक रहेन.

दफा ६१. अलावा राहिन के नीचे लिखे

इनफिकाक रहेन की नालिश हुए शरूसों में से हर शरूस कौन कर सका है. जायदाद मर्हूना का इनफिकाक कर सकता है या इनफिकाक रहेन की नालिश दायर कर सकता है.

- (क) हर शरूस (जो मुर्तहिन उस हकीयत का न हो जिस का इनफिकाक होने वाला है) जो जायदाद मर्हूना में किसी तरह की हकीयत या उस पर कोई मतालबा रखता हो;
- (ख) हर शरूस जो जायदाद के इनफिकाक के इस्तिहकाक में कुछ हक या मवाखजा रखता हो;
- (ग) हर जमानतदार जो जर रहेन या उस के किसी हिस्सा के अदा करने का जिम्मेदार हो;
- (घ) नाबालिग राहिन की जायदाद का वली, उस नाबालिग की तरफ से;
- (ङ) किसी राहिन फातिरूल अकल या मजनून की कमेटी (याने मुहतेमिम)

या उस का और मुहाफिज कानूनी उस फातिखूल अकल या मजनुन की तरफ से;

(च) राहिन का डिगरीदार जब उस ने अपनी डिक्री बजरिये कुरकी हक राहिन मौजूदा जायदाद के जारी कराई हो;

(छ) राहिन का कर्जदार जिस ने राहिन की जायदाद के इन्तजाम कराने की नालिश में जायदाद मर्हूना के नीलाम होने की डिक्री हासिल की हो;

त श री ह.

इस दफा में उन शर्तों की फेहरिस्त दर्ज है जो रहन का इनफिकाक (यानी करजा रहन पटा कर जायदाद को रहन के बोम्बे से छुडाना) की नालिश दायर करने के हकदार समझे जा सकते हैं—अर्थात् राहिन के कोई शास्त्र जो जायदाद मरहूना में हक या मवायजा रखता हो इनफिकाक की नालिश बपाबन्दी अहकामान टफा ८५, एकट हाजा के दायर करने का मजाज है—जायदाद मरहूना का खरीदार या उस के किसी हिस्सा का खरीदार, चाहे उस ने वह जायदाद अजरिये बनाना या नीलाम अदालत के खरीद की हो, इनफिकाक रहन का हकदार है—इसी तरह पर जायदाद मरहूना का ठेकेदार या मुर्तेहिन सानी इनफिकाक करने का हकदार है [देखो इ. अ. रि कलकत्ता जिल्द १ सफा ११७, इ. अ. रि. ८ फरफत्ता सफा ७२, इ. अ. रि. मदराम जिल्द १८ सफा १५२]

बमुकदमा इ. का रि वम्बई जिल्द इ सफा १३९ (करनाजी--बनाम--गनेश) यह तजवीज करार पाई है कि हालाकि मुद्ई को इनफिकाक की नालिश दायर करने के वास्ते अपना हक खखूवी सापित करना जरूर है ताएग उस की नालिश सिर्फ इस बिना पर खारिज नहीं की जानी चाहिये कि वर वक्त दायरी नालिश उस का हक गैर मुकम्मिल यानी अघूरा, या क्योंकि उस तारीख को सारदिकिकेट नीटाम मुद्ई ने हासिल नहीं किया था.

जमानतदार इस बजह से इनफिकाक रहन का मुस्तेहक है कि उसे साहूकार की कुल फिफालतों का फायदा मिलना चाहिये (इ का रि अलाहाबाद जिल्द १- सफा २५३)

लफजो के मायनी:—

मुर्तेहिन—जिस्के पास जायदाद रहन रखी जावे.

जायदाद मरहूना—रहन की जायदाद

फातिरुल अहक—वह आदमी कि जिस की अकल में कुछ फर्क पड गया हो

मजनून—पागल

मुहाफिज—हिफाजत, यानी रक्षा करने वाला

दफा ९२ इनफिकाक रहेन की नालिश

इनाफिकाक रहेन की नालिश में डिगरी सादिर करना

में अगर मुद्ई कामयाब हो तो

अदालत इस हुकम से डिग्री सादिर करेगी कि हिसाब उस रकम का, जो बाबत असल जर रहेन और खर्चा मुकदमा, अगर कुछ खर्चा उस को दिलाया गया हो, उस रोज तक जिस का जिकर इस के वाद ही आता है मुदायलेह को पाना बाजिब निकले

तेयार किया जाय या डिगरी में जाहिर करे कि तारीख डिगरी तक असल वो सूद वो खर्चा की बाबत उस कदर मुदायलेह को पाना वाजिब है.

और उस में यह हुक्म दर्ज करेगी कि अगर मुद्दई उस तारीख से कि जिस तारीख को अदालत कुल मुबलिग याफतनी मुदायलेह हाजिर करे छे महीना के अन्दर उस रोज पर, जो कि अदालत से मुकरर हो, जर याफतनी मजकूर मुदायलेह को पटावे या अदालत में जमा कर दे, तो मुदायलेह को लाजिम होगा कि कुल दस्तावेजात मुताल्लके जायदाद मरहूना जो उस के कबजे या अखत्यार में हों मुद्दई को या उस शरूत को, जो उस की तरफ से मुकरर हो, हवाला करे और जायदाद मरहूना को साफ और बरी उस रहेन और उन तमाम जिम्मेदारियों से, जो मुदायलेह या किसी और शरूत ने, जो उस की तरफ से दावीदार हों, उस पर काइम किये हों या अगर मुदायलेह और लोगों के जारिये से दावीदार हो, तो साफ वो बरी उन मताल्लकों से जो उन लोगों ने उस पर काइम किये हों मुद्दई

के नाम मुन्तकिल करदे और अगर जरूरत हो तो मुद्दई को जायदाद मरहूना पर काविज करादे-और यह कि अगर मुजलिग मजकूर अदालत से सूकरर की हुई तारीख तक या उस के पेशतर अदान किया जाय, तो मुद्दई कतई तौर पर जायदाद मजकूर के रहेन का इनफिकाक कराने से मना किया जायगा (सिवाए उस सूरत में कि जब रहेन सादा या भोग बन्धक के किस्म से रहा हो) या कि जायदाद का नीलाम किया जाय (बजुज उस सूरत के कि जब रहेन बैबुल वफा की किस्म से रहा हो)

त श री ह

इस वफा में लिखे हुए नगूना के मुताबिक मुद्दई को उस सूरत में डिगरी इनफिकाक की दी जावेगी कि जब वह नालिश में कामयाब हो जावे जिस- हालत में रहन का बैबात हो समता है उस हालत में रहन का इनफिकाक जरूर होना चाहिये- लेकिन नालिश इनफिकाक में करजा रहन का हिसाब किताय जरूर लेना चाहिये ताकि साफ तौर पर यह मालूम पड जावे कि आया रहन के रूप्या की पदाई हो चुकी या नहीं—

जब मुद्दई रहन का रूप्या पटा देवे तो मुद्दायेकह वानी मुर्तहिन को नीचे लिखे हुए काग करना बाजिम है —

का दस्तीविर्ज जो उस के हक में लिखा गया है—

(२) जायदाद मरहूना को विला जिम्मेदारी रहने-वगीरा के मुद्दे के नाम मु तदिल कर देना.

(३) अगर मुद्दालेह का जायदाद मरहूना पर कबजा हो तो मुद्दे को वापस कबजा दे देना

अगर तारीख मुकर्र पर रहन का रूपया मुद्दे मुद्दालेह को न पढा सके तो रहन का या तो मुद्दालेह के हक में बेजात किया जावेगा या जायदाद नीलाम की जावेगी—

जो टिगरी इस दफा के बमूजिब सादिर की जाने वह कतई डिगरी सम्भी जावेगी ओर इस लिये कोई फरीक रहन की रू से दुवारा नालिश दापर नहीं कर सकेगा [देखो दफा ६० एट हाजा]

दफा ६३—अगर जर याफतनी मजकूर में

इनेफिकाफ रहेन की खर्चा मावाद, जिस का जिकर दफा ६४ में है, अदा कर दिया जाय तो, अगर जरूरत हो, मुद्दे का जायदाद मरहूना पर काबिज करा दिया जायगा—

अगर जर याफतनी मजकूर वक्त पर अदा न किया जाय तो मुद्दालेह को अखत्यार होगा कि (अगर रहेन सादा या बिलकबज के किस्म का न हो) अदालत में इस अमर की दरखास्त दे कि अदालत से हुकुम इस मजमून का सादिर हो कि मुद्दे और

कुल वे शखस जो उस के जरिये से या उस के मातेहती में दावीदार हों कतई तौर पर अखत्यार इनफिकाक रहेन से महरूम किये जांय या (अगर रहेन अज किस्म बैबुल बफा का न हो) हुक्म वास्ते नीलाम जायदाद मर्हूना के सादिर किया जावे.

अगर वह दरखास्त वास्ते हासिल करने ऐसे हुक्म के हो, जिसका जिक्र पहिले किया गया है, दाखिल करे, तो अदालत यह हुक्म सादिर करेगी कि मुद्दई आर जुमला अशखास, जो मुद्दई के जरिये से या उस के मारफत दावीदार हों, कतई तौर से जायदाद के रहेन का इनफिकाक कराने के कुल इस्तेहकाक से महरूम कर दिये जांय और भी अदालत मजाज होगी कि अगर जरूरत देखे तो जायदाद पर कबजा-मुदायलेह को दिला दे.

अगर मुदायलेह वास्ते हासिल करने ऐसे हुक्म के दरखास्त करे जिस का जिक्र अब्बल हो चुका है तो अदालत यह हुक्म सादिर करेगी कि 'यदाद-मर्हूना या उस का कोई काफी हिस्सा नी-
कर दिया जाय और जर नीलाम (बाद वजा
हए का) नीलाम के) अदालत में दाखिल होकर

की बेवाकी में लगाया जाय जो मुहाय-
फ पाना वाजिव निकले और, जो रूपया
वह मुद्दई को या दीगर शरुसां को, जो
के मुस्तहक हों, दे दिया जाय.

दफा के वमूजिव किसी हुकम के सादिर
मुद्दई का इस्तेहकाक इनफिकाक रहेन
किफालत दीनों के जहां तक उस जाय-
हो, जिस की वावत हुकम सादिर
हो।

हे कि अदालत मजाज है कि
माकूल वजह बताए जाने पर
उन शरतों के ('अगर कुछ हों') जो
म हों, वक्तन फक्तन उस तारीख को
ती रहे जो दफा ६२ के वमूजिव मुहाय-
ई के लिये मुकरर हुई हो.

त श री ह.

की अदाई कर दी जावे कि जिस की तादाद दफा ६४ की
अगर अदालत के नजदीक जरूरत मारूम होवे, मुद्दई को
फबजा दिलाया जावेगा

करना रहन मुकरर तारीख परे न पटा सके तो यह इस दफा के

मुताबिक मोहलत मिठने की दरखास्त कर सकता है और ऐसी दरखास्त हुकम कामिउ डिगरी का सादिर किये जाने के पेशत पहली अदाशत में पेश होना चाहिये, यानी उसी तरह पर कि जिस तौर से दरखास्त वास्त मिठने मोहलत बमूजिव दफा ८७ के की जाती है—और ऐसी दरखास्त पर जो हुकम सादिर किया जाये उस की नाराजी से अगोळ बमूजिव दफा २४४ मजमुआ जावता दीवानी के दायर हो सकती है (इ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ७७, वो इ ला. रि बम्बई जिल्द २६ सफा १२१) —

दफा ६४. बर वक्त तसफिया अखीर उस

मुर्तहिन का खर्चा डिग्री
के बाद का

तादाद के जो दरसूरत अमल
में आने इनफिकाक रहेन या नी-

लाम बहुकम अदालत हरब शराइत बाब हाजा के मुर्तहिन को अदा होनी चाहिये, अदालत को लाजिम होगा कि, अगर मुर्तहिन से कोई ऐसा फैल न हुआ हो, कि जिस के वाइस उस को खर्च से महरूम रखना लाजिम आये, तो जर रहेन के साथ उस कदर खर्चा मुकदमे का शामिल करे जो वाजवी तरीके पर तारीख डिक्री बैवात या इनफिकाक रहेन या नीलाम से अदाई की तारीख तक मुर्तहिन के जिम्मे आइद हुआ हो.

त श री ह.

इस दफा में उस खर्चा का जिक्र है कि जो मुर्तहिन को डिगरी के बाद उठाना पडा—

दफा ६५. जब चंद राहिनों में से एक रा-

मिन जुमला चंद राहिनों
के उस एक का मवाखजा
जो इनफिकाक रहेन का
कराये

हिन जायदाद बर्हूना का इनफि-
काक करा कर उस पर कबजा
हासिल करले तो उस का मवाखजा

दूसरे साभेदार राहिनों में से हर राहिन के हिस्सा
वाके जायदाद पर बावत उस हिस्सा रसदी खर्च के
काइम हो जाता है जो वाजबी तरीके पर उस के
इनफिकाक रहेन कराने और उस पर कबजा पाने
में उस को लगा होवे

त श री ह.

जब कोई शल्म शमलात में किसी जिम्मेदारी का पाबन्द होने तो ग्राम कायदा
यह है कि उन के दरमियान उस जिम्मेदारी के बोझे का बटप्राडा बराबर धराबर होना
चाहिये, और अगर उन शहसों में से कोई एक कुछ करजा की अर्दाई कर देवे तो
वह दीगर साभेदारों से अपने अपने हिस्सा के मुताबिक जिम्मेदारी का जुज तलब कर
सकता है और वह कुल करजा बमूजिव दफा ६९ कानून माहदा के बजरिये नाखिय
बसूल कर सकता है.

अगर चंद राहिनान में से कोई एक कुल करजा की अर्दाई करके जायदाद
बरहूना का इनफिकाक करावे तो उस रकम के बावत जो उस ने अपने हिस्सा से
जियादा अदा किया है राहिन मजसूर का हक कुल जायदाद पर कायम रहेगा बतौर
फिकाकत के (इ. ला रि मद्रास जिल्द २ सफा २२१)-

रहेन साबिक का हक रख कर जायदाद

के नीलाम के बावत.



दफा ६६. अगर कोई जायदाद जिस के

नीलाम जायदाद बाद कायम
रखने हक रहन साबिक

नीलाम के लिये इस बाव के
मुताबिक हुक्म दिया जाय म-
वाखजा रहेन साबिक के बोझ में डूबी हो, तो अदा-
लत को अखत्यार है कि मुर्तहिन साबिक की मन-
जूरी से जायदाद के बिला बोझ रहेन के नीलाम
होने का हुक्म दे और मुर्तहिन साबिक को जर
नीलाम में वही हक दिलाय जो उस को जायदाद
नीलाम शुदा में हासिल था.

त श री ह

इस दफा के बमोजिम कोई अदालत बिला मजूरी मुर्तहिन साबिक के यह हुक्म
नहीं सादिर कर सकती है कि जायदाद रहन साबिक से बरी होकर नीलाम की जाये
मगर मुर्तहिन साबिक का नाम मिसल में मुताबिक अहकामात दफा ८५ के दाखिल
हुवा हो—

जब जायदाद पेटर स किसी के पास रहन हो तो मुर्तहिन सानी के वास्ते दो
रास्ते खुले हैं, पहिला, यह कि वह मुर्तहिन अक्वब का रूपया पटा देवे, या दूसरे यह
कि वह इस दफा के मुताबिक मुर्तहिन साबिक की रजामन्दी मिलने के लिये दरखास्त
पेश करे—इस दफा के पढने से यह नहीं मालूम होता है कि कोई तीसरा रास्ता
यानी तराफा मुर्तहिन सानी के लिये खुला है.

दफा ६७—जर नीलाम अदालत में जमा

जर नीलाम का खर्चा, होकर नीचे लिखे मुताबिक खर्चा किया जायगा:—

पहिले—उन तमाम खर्चों के अदा करने में जो नीलाम से ताल्लुक या किसी नीलाम मकसूदा की कार्रवाई में जायज तौर पर आयद हुये हों—

दूसरे—अगर जायदाद, रहन साविक का बोझा कायम रखने के बगैर, नीलाम हुई हो तो उस रूपया के अदा करने में जो रहेन साविक की बावत काबिल वसूल हो;

तीसरे—उस जर रहेन के कुल सूद के अदा करने में जिस के वसूली के लिये नीलाम का हुकम हुआ है और उस मुकदमे के खर्चों की वसूली में, जिस में डिक्री नीलाम के अदा करने के साथ सादिर हुई थी;

चौथे—रहेन मजकूर के अदा करने में जर असल ~~के लिये~~

अदा करने में—और

पांचवें—बाकी रहा हुआ रूप्या (अगर कुछ बाकी रहे) उस शरूस को दिया जायगा जो जायदाद नीलामी में अपना इस्तेहकाक साबित करे या अगर ऐसे चन्द शरूस हों तो वह बाकी उन लोगों में बलिहाज उन के हुकूक अलग अलग के या बाद लेने उन की रसीदें शामलाती के तकसीम की जायगी;

कोई इवारत इस दफा की या दफा ६६ से उन अखत्यारात के नुकसान पहुंचाने वाली न समझी जायगी जो अजरूय दफा ५७ के अता हुवे हैं.

इस दफा को पिछली दफा के साथ मिला कर पढना चाहिये जिस के मुताबिक जर नीलाम का बटमाटा किया जाना चाहिये- चाहे डिगरी में जायदाद के नीलाम के बारे में साफ हुकम दर्ज हो या चाहे जायदाद नसर रूपया की डिगरी में नीलाम पर चढाई गई हो, मगर उस शरूस का दावी कि जिसकी दरखास्त पर नीलाम हुआ है उस मुर्तहिन के दावी से बढ कर न समझा जावेगा कि जिसकी रजामन्दी के साथ नीलाम जायदाद का उस के रदन के मोश से बरी होकर किया गया हो-

—०—
रहेन गैर मामूली.
—०—

दफा ६८--अगर रहेन उस किस्म का हो

वह रहेन जिस का दफा
५८ के जिमन [ख]
को [ग] को [घ] को
[ङ] में बयान नहीं है.

कि न वह रहेन सादा हो, न रहेन
बैबुलवफा, न रहेन विलकब्ज, न
रहेन इंगलिशिवा और न ऐसा

रहेन हो जो पहिली किरम और किस्म तीसरी से
मिला हुवा हो और न किस्म दूसरे और किस्म तीसरे
से मिला हुवा हो, तो हुकूक और जिम्मेदारियां फरी-
कैन मामला मजकूर की उन के उस माहदा के लि-
हाज से तै की जायगी जो रहननामें से जाहिर
होती हो और निसबत उन अमूर के, जिन से मा-
हदा मजकूर को ताल्लुक न हो मुताबिक रिवाज
मौका के तै की जायगी.

त श री ह.

इस दफा में उस किस्म के रहन का जिक्र है कि जो दफा ५८ में लिख हुए
रहन की किस्मों में नहीं आता हो- ऐसे रहन की सूख में फरीकैन के हुकूक को
जिम्मेदारी का ससकिया मुताबिक उस माहदा यागी. उहराक के होगा जो दरमियान
फरीकैन के करार पाया हो-

बाबत कुर्की जायदाद मर्हूना

दफा ६९--जब कोई मुर्तेहिन ब सीगा इज-

जायदाद मरहूना की कुर्फी राय डिक्री, जो बर बिना ऐसे मता-
लवा के सादिर हुई हो, जो मामला रहेन से पैदा
हुआ हो या नहीं, जायदाद मरहूना को कुर्क कराय
तो उस को अख्तयार न होगा कि सिवाय दायर
करने नालिश हस्ब मनशा दफा ६७ के किसी
और तौर पर जायदाद मरहूना का नीलाम कराय
और उसे जायज होगा कि बावजूद इस के कि
मजमुआ जाबता दीवानी की दफा ४३ में कुछ और
हुकम हो, नालिश मजकूर दायर करे—

त श री ह.

इस दफा का मतलब यह है कि जब कोई मुर्तहिन अपनी ऐसी डिगरी के इजरा
में, जिस में जायदाद मरहूना के नीलाम के बाबत हुकम दर्ज नहीं है और जो डिगरी
चाहे रहन की बिना पर सादिर हुई हो या दूसरे तौर पर, जायदाद मरहूना को नीलाम
कराना चाहे तो उसे इस तरह पर नीलाम कराने की इजाजत नहीं दी जायेगी सिवाय
उस सूरत में कि जब वह नालिश नम्बरी बभदालत दीवानी बमुजिब दफा ६७ एकट
इन्तकाल जायदाद के दायर करके टिगरी म हासिल करे—ऐसी नालिश में मजमुआ
जाबता दीवानी की दफा ४३ कुछ रूखावट नहीं करेगी—

मवाखजा

दफा १००—जब जायदाद गैर मनकूला किसी

मवाखजा शरूस की ब वजेह खुद फेल फरीकैन

मामला या व वजेह असेर कानूनी के किसी शरूस गैर के करजा की जिम्मेदार हो जाय और उन शरूसों के दरमियान जो मामला हो वह रहन की हद तक न पहुंचे तो पिछला शरूस याने दाइन की निसबत कहा जायगा कि वह जायदाद पर "मवाखजा" रखता है और तमाम शर्तें जो इस दफा से पहले राहित से ताल्लुक की गई हैं, जहां तक मुमकिन हो, जायदाद मजकूर के मालिक से लागू समझी जायगी और शर्तें दफा ८१-वो ८२ में लिखी हुई और तमाम शर्तें ऊपर लिखी हुई जो उस मुतहिन से ताल्लुक की गई हैं, जो जायदाद मईना के नीलाम करा पाने की नालिश करे, जहां तक मुमकिन हो, उस शरूस से ताल्लुक होंगी जो जायदाद पर मवाखजा रखता है—कोई इबारत इस दफा की उस मवाखजा से ताल्लुक नहीं है, जो किसी अमीन को जायदाद अमानती पर उन खर्चा की बाबत पहुंचता है, जो बतौर वाजिब अमानत की तामील में उस के आइद हाल हुये हों—

त श री ह.

इस एक्ट की दफा ५८ के मुताबिक किसी खास जायदाद का रहन, जो उस वक्त मौजूद हो, हो सकता है—बायन्दा मिठने वाली जामदाद काबिल इन्तफाल नहीं

है इस लिये उस का रहम भी नहीं हो सकता है.

इस एक्ट की दफा १४ जिगन (४) के रू से किसी जायदाद का बाया यानी बेचने वाला बिक्री हुई जायदाद पर उस रकम के बारे में मवाखजा रखता है जो फीमत के बदले में हो और न पटी होवे.

दफा १०१---जब हकदार किसी मवाखजा या मवाखजा का साकित और किस्म के वार का, जो जायदाद होना. गेर मनकूला पर हो, जायदाद मजकूर का मालिक कतई हो या हो जाय, तो वह मवाखजा या वार जो जायदाद पर हो साकित हो जायगा सिवाय उस सुरत के कि मालिक मजकूर व जरिये अलफाज साफ या मानवी के यह जाहिर करे कि वह मवाखजा या वार काइम रहे या उस सुरत में कि उस के काइम रहने से मालिक का फायदा होता हो---

इत्तला देना और हाजिर करना जर रहेन का.

दफा १०२---जब वह शरूस जिस पर इस मूखत्यार पर तमील या उस के रूबरू हाजिर करना. बाव के मुताबिक इत्तलानामा की तामील करना या जिस के रूबरू रूपया हाजिर लाना जरूर है उस जिला में न

रहता हो, कि जिस में जायदाद मर्हूना या कोई हिस्सा उस का, वाकै है, तो अगर इत्तलानामे की तामील या हाजिर लाना, रूप्ये का ऐसे किसी मुखत्यार पर या उस के रूपरू किया जाय, जो शरूस मजकूर की तरफ से मुखत्यारनामा आम रखता या और किस्म का अखत्यारनामा बाजावता वास्ते लेने इत्तलानामा या जर हाजिर लेने के रखता हो वह काफी समझा जायगा—

जब वह शरूस या उस का मुखत्यार जिस पर इत्तलानामे की तामील करना वाजिब हो, उस जिला में न मिल सके या वह शरूस जिस को इत्तलानामे की तामील हवाला हो उस से वाकिफ न हो, तो शरूस अखीर याने तामील करने वाले को अखत्यार है कि उस अदालत में दरखास्त करे जिस में जायदाद मर्हूना के इनफिकाक रहेन की नालिश होनी जायज हो उस पर अदालत मौसूफ यह हिदायत करेगी कि इत्तलानामा की तामील क्यों कर की जायगी और जिस इत्तलानामे की उस हिदायत के बमोजिन तामील की जाय उस की तामील काफी समझी जायगी.

हे इस लिये उस का रहन भी नहीं हो सकता है.

इस एकट की दफा १४ ज़िम्न (४) के रू से किसी जायदाद का बाया यानी बेचने वाला बिकी हुई जायदाद पर उस रकम के बारे में मवाखजा रखता है जो कीमत के बदले में हो और न पटी होवे.

दफा १०१---जब हकदार किसी मवाखजा या

मवाखजा का साकित
होना.

और किस्म के वार का, जो जायदाद
गैर मनकूला पर हो, जायदाद मन-

कूर का मालिक कतई हो या हो जाय, तो वह मवा-
खजा या वार जो जायदाद पर हो साकित हो जायगा
सिवाय उस सुरत के कि मालिक मजकूर व जरिये
अलफाज साफ या मानवी के यह जाहिर करे कि
वह मवाखजा या वार काइम रहे या उस सुरत में
कि उस के काइम रहने से मालिक का फायदा
होता हो---

इत्तला देना और हाजिर करना जर रहेन का.

दफा १०२---जब वह शख्स जिस पर इस

मूखलार पर तमील या
उस के रूबरू हाजिर
करना.

बाव के मुताबिक इत्तलानामा की
तामील करना या जिस के रूबरू

रूपया हाजिर लाना जरूर है उस जिला में न

रहता हो, कि जिस में जायदाद मर्हूना या कोई हिस्सा उस का वाकै है, तो अगर इत्तलानामे की तामील या हाजिर लाना रूप्ये का ऐसे किसी मुखत्यार पर या उस के रूबरू किया जाय, जो शरूस मजकूर की तरफ से मुखत्यारनामा आम रखता या और किसी का अखत्यारनामा बाजाबता वास्ते लेने इत्तलानामा या जर हाजिर लेने के रखता हो वह काफी समझा जायगा—

जब वह शरूस या उस का मुखत्यार जिस पर इत्तलानामे की तामील करना वाजिब हो, उस जिला में न मिल सके या वह शरूस जिस को इत्तलानामे की तामील हवाला हो उस से वाकिफ न हो, तो शरूस अखीर थाने तामील करने वाले को अखत्यार है कि उस अदालत में दरखास्त करे जिस में जायदाद मर्हूना के इनफिकाफ रहेन की नालिश होनी जायज हो उस पर अदालत मौसूफ यह हिदायत करेगी कि इत्तलानामा की तामील क्यों कर की जायगी और जिस इत्तलानामे की उस हिदायत के बमोजिब तामील की जाय उस की तामील काफी समझी जायगी.

जब वह शरूस या उस का मुखत्यार जिस के खबरू हाजिर लाना रूप्ये का जरूर हो जिले मजकूर के अन्दर न मिल सके या उस शरूस को मालूम न हो जो रहेन का रूप्या हाजिर लाना चाहता हो, तो अखीर वाले शरूस को अखत्यार है कि जिस कदर रूप्या वह हाजिर करना चाहता हो उस अदालत में, जिस का ऊपर जिक्र हुआ है, जमा कर दे और अदालत में ऐसा जमा करना बराबर हाजिर लाने उस रूप्या के समभा जायगा.

त श री ह.

उपज " जिला " की तारीफ इस दफा में नहीं दर्ज है और न कानून माहदा या आम जिनों के एकट में यह तारीफ दर्ज है--अलबत्ता जो तारीफ मजमूआ जायता दीवानी में दर्ज है उस के मुताबिक " जिला " में वह रकवां दाखिल है जिस के अन्दर डिस्ट्रिक्ट अज को अखत्यार हुकूमत हासिल होवे.

दफा १०३—जब इस बाब के अहकाम के इत्तलानामा वगैरा बचामा या अज तरफ ऐसे शरूस के जो मजाज माहदा के न हो

मुताबिक किसी इत्तलानामे का किसी ऐसे शरूस पर या किसी की तरफ से तामिल करना या किसी रूप्या का हाजिर लाना या जमा करना या कुबूल करना या अदालत से वसूल करना मिन-जानिब ऐसे शरूस के जरूर हो, जो माहदा करने

का मजाज न हो तो जायज है कि ऐसे इत्तलानामे
 की तामील या रूप्ये का हाजिर या जमा करना
 या उस का लेना या कुबूल करना शरूस मजकूर
 की जायदाद के कानूनी हिफाजतदार की मारफत
 अमल में आय-और जब कोई ऐसा हिफाजतदार न
 हो और वैसे शरूस के हुकूक की हिफाजत के लिये
 जरूर या मुनासिब हो कि इत्तलानामे का इजरा
 या रूप्ये का हाजिर लाना या जमा करना हरब
 शराइत बाव हाजा वकू में आय तो जायज है कि
 उस अदालत में, जिस में इनाफिकाक रहेन की
 नालिश दाखिल करना जायज हो इस अमर की
 दरखास्त दी जाय कि कोई वली शरूस मजकूर
 का दौरान मुकद्दमा वास्ते जारी करने या लेने ऐसे
 इत्तलानामे या पेश या जमा करने या लेने ऐसे
 रूप्या के या वसूल करने जर अमानती के अदा-
 लत से और वास्ते तामील जुमला खिदमात के
 जो बतरीक नतीजों उन फैलों के अमल में लाना
 जरूर हों और जिन का करना शरूस अव्वल
 जिक्र किये हुए पर वाजिब उस सूरत में होता कि
 वह माहदा करने के लाइक होता मुकरर कर दिया
 जाय और शराइत बाव ३१ मजमुआ जावता

दीवानी जहां तक मुमकिन हो ऐसी दरखास्त से और फरकैत मामला से और उस वली से मुताबिक समझी जायगी जो ऊपर लिखे हुए तरीका के मुताबिक मुकरर किया जाय.

दफ्ता १०४—हुकाम हाई कोर्ट मजाज है

फयायद बनाने का कि वक्तन फवक्तन कशायद मुना-
अखत्याा सिव, जो इस एकद्वैत के बरखि-

लाफ न हों इस बाव के हुकमों की तामील के लिये निसबत अपनी अदालत और अदालत दीवानी के जो उन के मातेहत हुकूमत हों बनाते रहे.



बावः—५

बावत पट्टेजात जायदाद गैर मनकूला.

दफा १०५. पट्टा या किरायानामा जायदाद
 पट्टा की तारीफ गैर मनकूला का, एक इन्तकाल नामा
 है जायदाद, मजकूर के कबजा वो तसरूफ के इरते-
 हकाक का, जो किसी मियाद सरीह या मानवी के
 लिखे या हमेशा के वास्ते बएवज जर कीमत के
 अमल में आए, जो अदा की गई या जिस का
 वादा किया गया हो या बएवज किसी जर नकद
 या हिस्सा फसल या किसी खिदमत या और कोई
 चीज मालियतदार के करार पाया हो, जो मुन्तकिल
 अलेह पर इन्तकाल करने वाले को किस्त व किस्त
 या मुकरर वक्तों पर अदा करना या देना बाजिव
 है और जिस का इन्तकाल मुन्तकिल अलेह ऊपर
 लिखी शर्तों के साथ लेना कबूल करता है.

इन्तकाल करने वाले से पट्टा देने वाला सुराद

पट्टा देने वाला और पट्टा
लेने वाला और जर पे-
शगी और जर लगान या
किराया की तारीफ

है और मुन्तकिल अलेह से पट्टा
लेने वाला मुराद है और जर की-
मत जर पेशगी कहलाता है और

वह नकद रूप्या या हिस्सा फसल वगैरा का या
खिदमत या और चीज मालियतदार, जिस के अदा
करने का इकरार हुवा हो, जरलगान या किराया
कहलाता है.

त श री ह.

इस दफा में लफज "पट्टा" की, जिसे ठेका भी कहते हैं, तारीफ दर्ज है—जाय-
दाद गैर मनकूला का पट्टा यानी ठेके पर दिया जाना उस वक्त कहा जावेगा कि जब
कोई शख्स अपनी जायदाद हमेशा के वास्ते या किसी खास मुदत के लिये नकदी
रूपया लेकर या नकद रूपया की अर्दाई के इकरार के बदले या बयज हिस्सा फसल
या नौकरी या किसी दूसरी चीज कीमतदार के किसी दूसरे शख्स को देवे—ऐसी
हालत में कबजा ठेकेदार का रहता है और वह जायदाद के मुनाफा वो नफा नुकसान
का मालिक हो जाता है—जब एक मर्तबा जायज तौर पर किसी जायदाद गैर मन-
कूला का पट्टा दिया जाये तो पट्टादार का हक बजरिये ऐसे ब्ये या पट्टा सानी या रहन
के जायज यानी नष्ट नहीं हो जावेगा जो पीछे से उसी जायदाद का मालिक किसी
दूसरे शख्स के नाम लिख देवे—ऐसा हक जो किसी शख्स को बजरिये पट्टा के हासिल
है मुन्तकिल किया जा सकता है [देखो बगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफा १५२
वो मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफा, २२७ वो इ ला रि. बम्बई जिल्द
८ सफा ४०८] और ठेकेदार के मरने पर हक मजकूर उसके वारिसों को पहुंचेगा—
यह अमर फैसला हो चुका है कि अगर कोई पट्टादार पट्टा की मियाद खतम हो
जाने के पेशतर मर जाये तो पट्टा देने वाला उसके वारिसों को पट्टे की जमीन से
बेदखल न कर सकेगा (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १७ सफा १८६) और पट्टादार
का वारिस, गो उसकी तरफ से अतली पट्टा देने वाले के साथ कोई माहदा न हुवा
हो, पट्टा देने वाले के वारिसों पर कब्जा की नाबिश कर सकता है [देखो मूस]

इंडियन अर्पील जिल्द ४ सफा ३२१] और ठेकेदार के चारिस जमीन के लगान पटाने के भी जिम्मेदार हैं (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा १९१) इस अमर का भी फैसला हो चुका है कि जब किसी पट्टा में यह शर्त दर्ज हो कि जब तक पट्टादार की जी चाहे ठेके की जमीन पर अपना कब्जा रखे तो ऐसी सूरत में पट्टादार के मरने पर पट्टा खतम समझा जावेगा (इ. ला रि बम्बई जिल्द ४ सफा ४२४) पट्टा में यह शर्त भी जायज तौर पर लिखी जा सकती है कि उस का असर किसी वक्त आयन्दा से होगा और यह उजुर सुनाई के लायक न होगा कि उस वक्त वह जमीन किसी तीसरे शख्स के कब्जा में है (मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफा १९३ वो इ ला रि जिल्द १ कलकत्ता सफा २९७) जब किसी पट्टा में ऐसी शर्त दर्ज हो कि जिसकी तामील होना बाकी है तो ऐसी हालत में फौरन पट्टा की जायदाद का कब्जा न दिया जावेगा बल्कि वह बतौर ऐमे इकरार के समझा जावेगा कि जिसकी तामील उस वक्त होगी कि जब ऊपर लिखी शर्त पूरी कर दी जावे [इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा २७४] याद रखना चाहिये किसी तालाब या नदी की मट्टी मारने का ठेका हो सकता है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २० सफा ४४६) या किसी हाट का भी ठेका हो सकता है जिसकी रजिस्ट्री बमूजिव दफा १०७ को हो सकती है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा ७९२)

लफजों के मायनी:—

तसर्कर के इस्तेहकाफ—जायदाद की आमदानी को पूरे तौर पर अपने खर्च में लाने का अखत्यार

सरीह—छुले तौर पर, स्पष्ट रीति से

माननी—छुपे तौर से, मतलब से निकलती हुई कोई बात

मुन्ताकिल अहेल—वह शख्स जिस्के नाम कोई जायदाद मुन्ताकिल की जावे

दफा १०६—जब कोई ठहराव या मुकामी

बाज पेटे की मियाद दर
सूरत न होवे इकरानामा
या रिवाज मौका के

**कानून या रिवाज मौका इस के
खिलाफ न हो, तो पट्टा उस जाय-**

दाद गैर मनकूला का, जो वास्ते काश्त जमीन या तैय्यारी माल के दी जाय वतौर पट्टा सालाना के समझा जावेगा और पट्टा खतम करने के लिये इत्तिला, चाहे पट्टा देने वाले की तरफ से या पट्टा लेने वाले की तरफ से हो, कब्जादारी के साल के आखीर रोज से छे महीने पेशतर दी जायगी; और अगर पट्टा जायदाद गैर मनकूला का किसी और गरज के लिये हो तो वह पट्टा माहिवारी समझा जायगा और पट्टा देने वाला या पट्टा लेने वाला दोनों को अख्तियार होगा कि कब्जा दारी के किसी महीने के अखीर होने से पन्द्रस रोज पेशतर इत्तिला देकर पट्टा को खतम करे—हर इत्तिला जो इस दफा के बमूजिब दी जाय जरूर है कि वह तहरीरी होवे और उस पर इत्तिला देने वाले के या उस की तरफ से किसी और शख्स के दरतखत किये गये हों और जिस शख्स को उस का पाबन्द करना मन्जूर हो उस के रूबरू पेश या उस की जात खास को हवाला किया जाय या उस के मकान पर उस के घराना के किसी शरीकदार या नौकर को दे दिया जाए (अगर इस तौर पर किया जाना या हवालगी गैर मुमकिन हो तो) जायदाद के किसी

नजरगाह आम पर चिपका दिया जावेगा.

त श री ह.

इस दफा का मतलब यह है कि जब कोई माहदा यानी ठहराव या किसी देश का मुल्की कानून या रिवाज बरखिलाफी में न हो तो किसी जमीन के पट्टा के निसबत, जो किसी कामों या माल की तैयारी के वास्ते दिया गया हो, यह समझा जावेगा कि वह सांन दर साल का पट्टा है और दोनों फरीकैन में से कोई एक छे महिना मियादी नोटिस के जरिये से उसे खतम कर सकता है और जो पट्टा दीगर कामों के वास्ते दिया जावे उस के निसबत यह समझा जावेगा कि वह पट्टा माह दर माह का है और बजरिये नोटिस मियादी पट्टा रोज के वह खतम किया जा सकता है—मगर इस दफा के बमूजिब हर एक नोटिस यानी इत्तलानामा तहरीर होगा—याद रखना चाहिये कि अगर पट्टा की मियाद खतम करने के बावत इस दफा की रू से नोटिस यानी इत्तलानामा न दिया जावे तो पट्टा शुरू रहेगा—मकान के पट्टा यानी किरायादारी बन्द करने के वास्ते पट्टा दिन की मियाद का नोटिस दरकार है (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द = सफा ४०९)

नोटिस खुद फरीक माहदा की तरफ से या उस के कारिदा यानी मुख्तार मजाज की तरफ से दिया जाना चाहिये—नोटिस बजरिया सिफाफा रजिस्ट्री शुदा के मारफत डाकखाना के भेजा जा सकता है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २८ सफा ११८)—

दफा १०७. पट्टा जाधदाद गैर मनकूला
 पट्टेजात क्यों कर किये का जो साल ब साल के लिये हो,
 जा सकते हैं. या किसी मियाद के लिये जो
 एक बरस से जियादा हो या जिस में जर लगान
 सालाना देने का इकरार हो सिर्फ बजरिये दस्तावेज
 रजिस्टरी शुदा के हो आ सकता है.

जायज है कि बाकी हर किस्म के पट्टे जायदाद गैर मनकूला के बजरिये दस्तावेजात के अमल में आयें या जबानी करार पर.

त श री ह.

इस दफा की रू से तीन किस्म के पट्टों की रजिस्ट्री लाजमी है, यानी:—[१] जब पट्टा साठ व साठ का हो, [२] जब पट्टा एक साठ से जियादा की मियाद के वास्ते होवे, [३] जब पट्टा में सालिया लगान मुकरर किया गया हो—बाकी कोई दूसरे किस्म के पट्ट या तो जबानी हो सकते है या तहरीरी दस्तावेज के रू से—पस इस्से यह मतलब निकलता है कि अगर पट्टा सिर्फ एक ही साठ के वास्ते होवे मगर उस में सालियाना लगान मुकरर न हो, तो यह जरूर नहीं है कि वह लिखा हुआ होवे और अगर लिखा हुआ भी हो तो ऐसी तहरीर की रजिस्ट्री लाजमी नहीं है चाहे जायदाद की मालियत एक सन रूपया से जियादा होवे (इ. ला रि मट्रास जिल्द १७ सफा २७६).

दफा १०८—अगर कोई ठहराव या रिवाज पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वाले के हुकूक और जिम्मेदारियां. मौका इस के खिलाफ न हो तो जायदाद गैर मनकूला के पट्टा देने वाला और पट्टा लेने वाला को अपने दरमियान यानी एक दूसरे के मुकाबले में वही हुकूक हासिल हैं और वे वही जिम्मेदारियां के पाबन्द हैं, जो आगे लिखे हुए कायदों में दर्ज हैं, या उन में से उस कदर कवायद में, जो पट्टा पर दी हुई जायदाद से ताल्लुक हो सक्ते हैं.

अ:—हुकूक और जिम्मेदारियां पट्टा

देने वाले की:—

- (क) पट्टा देने वाले को लाजिम है कि जायदाद में जो कुछ नुकस भारी हो और वह नुकस उस इस्तेमाल से ताल्लुक हो कि जिस इस्तेमाल में पट्टा लेने वाला जायदाद को लाना चाहता हो और जिस का इल्म पट्टा देने वाले को हो और पट्टा लेने वाले को न हो और जिस को पट्टा लेने वाला मामूली खबरदारी के साथ दरथाफ्त न कर सकता हो, पट्टा लेने वाले पर जाहिर कर दे.
- (ख) पट्टा देने वाले को लाजिम है कि पट्टा लेने वाले की दरखास्त पर उस को जायदाद पर काबिज कर दे.
- (ग) पट्टा देने वाला गोया पट्टा लेने वाले के साथ यह माहदा करता है कि अमर पट्टा लेने वाला उस कदर जर लगान अदा करे, जो पट्टा में दर्ज हो और उन इकरारों की तामिल करे जिन की तामिल पट्टा लेने वाले पर

जायज है कि बाकी हर किस्म के पट्टे जायदाद गैर मनकूला के बजरिये दस्तावेजात के अमल में आयें या जबानी करार पर.

त श री ह.

इस दफा की रू से तीन किस्म के पट्टों की रजिस्ट्री लाजमी है, यानी:—[१] जब पट्टा साठ व साठ का हो, [२] जब पट्टा एक साठ से जियादा की मियाद के वास्ते होवे, [३] जब पट्टा में साळिया लगान मुकरर किया गया हो—बाकी कोई दूसरे किस्म के पट्ट या तो जबानी हो सकते हैं या तहरीर दस्तावेज के रू से—पस इस्से यह मतलब निकलता है कि अगर पट्टा सिर्फ एक ही साठ के वास्ते होवे मगर उस में साळियाना लगान मुकरर न हो, तो यह जखर नहीं है कि वह लिखा हुआ होवे और अगर लिखा हुआ भी हो तो ऐसी तहरीर की रजिस्ट्री लाजमी नहीं है चाहे जायदाद की मालियत एक सन रूपया से जियादा होवे (३ ला. रि मद्रास जिल्द १७ सफा २७६).

दफा १०८—अगर कोई ठहराव या रिवाज पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वाले के हुकूक और जिम्मेदारिया. मौका इस के खिलाफ न हो तो जायदाद गैर मनकूला के पट्टा देने वाला और पट्टा लेने वाला को अपने दरमियान यानी एक दूसरे के मुकाबले में वही हुकूक हासिल हैं और वे वही जिम्मेदारियां के पाबन्द हैं, जो आगे लिखे हुए कायदों में दर्ज हैं, या उन में से उस कदर कवायद में, जो पट्टा पर दी हुई जायदाद से ताल्लुक हो सक्ते हैं.

अः—हुकूक और जिम्मेदारियां पट्टा

देने वाले की:—

- (क) पट्टा देने वाले को लाजिम है कि जायदाद में जो कुछ नुकस भारी हो और वह नुकस उस इस्तेमाल से ताल्लुक हो कि जिस इस्तेमाल में पट्टा लेने वाला जायदाद को लाना चाहता हो और जिस का इल्म पट्टा देने वाले को हो और पट्टा लेने वाले को न हो और जिस को पट्टा लेने वाला मामूली खबरदारी के साथ दरखास्त न कर सक्ता हो, पट्टा लेने वाले पर जाहिर कर दे.
- (ख) पट्टा देने वाले को लाजिम है कि पट्टा लेने वाले की दरखास्त पर उस को जायदाद पर काबिज कर दे.
- (ग) पट्टा देने वाला गोया पट्टा लेने वाले के साथ यह माहदा करता है कि अमर पट्टा लेने वाला उस कदर जर लगान अदा करे, जो पट्टा में दर्ज हो और उन इकरारों की तामिल करे जिन की तामिल पट्टा लेने वाले पर

लाजिम हॉं तो वह जायदाद पर उस मियाद तक, कि जो पट्टा में मुन्दरर्ज हो, बिना रोक टोक किसी के काबिज रहेगा.

ऐसे माहदा का फायदा पट्टा लेने वाले के हक में शामिल होगा और उस के साथ चला जाया करेगा और जिस शर्ख्स की जात में वह इस्तेहकाक कुल या उस का कोई हिस्सा वक्तन फवक्तन दर आए वह उस की जवरन तामील कराने का मजाज होगा.

बः—हुकूक वो जिम्मेदारियां पट्टा लेने वाले कीः—

(घ) अगर दौरान मियाद पट्टा के अन्दर जायदाद में कुछ बढ़ती हो जाय तो वह बढ़ती (बपान्दी कवानीन मुताल्लुक जमीन दर्या बरामद के जो उस वक्त जारी हों) पट्टा के अन्दर शामिल समझा जायगा.

(ड) अगर व वजह आग लगने या तूफान या सैलाबी या जुल्म किसी फौज या मजमा आम लोगों या तासीर किसी कूबत यानी जोर गैर काबिल रुकावट के जायदाद का कोई हिस्सा असली बिल्कुल बरबाद हो जाय या दर हकीकत हमेशा के वास्ते उस काम के लाइक न रहे कि जिस के लिये पट्टा दिया गया था, तो दस्तावेज पट्टा रद्द हो जायगा अगर पट्टा का लेने वाला उस को रद्द करना चाहे.

मगर शर्त यह है कि अगर वह नुकसानी पट्टा लेने वाले के नाजायज फैलों या कुसूर से वकू में आय तो शरूस मज-कूर इस जिमन की शर्तों से फायदा उठाने का मुस्तेहक न होगा.

(च) अगर पट्टा देने वाला इत्तिला पाने से अर्सा माकूल के अन्दर जायदाद की मरम्मत बगैरा, जो उस पर वा-

लाजिम हों तो वह जायदाद पर उस मियाद तक, कि जो पट्टा में मुन्दरर्ज हो, बिला रोक टोक किसी के काबिज रहेगा.

ऐसे माहदा का फायदा पट्टा लेने वाले के हक में शामिल होगा और उस के साथ चला जाया करेगा और जिस शरूस की जात में वह इस्तेहकाक कुल या उस का कोई हिस्सा वक्तन फवक्तन दर आए वह उस की जवरन तामील कराने का मजाज होगा.

बः—हकूक वो जिम्मेदारियां पट्टा लेने वाले कीः—

(घ) अगर दौरान मियाद पट्टा के अन्दर जायदाद में कुछ बढ़ती हो जाय तो वह बढ़ती (बपान्दी कवानीन मुताल्लुक जमीन दर्या बरामद के जो उस वक्त जारी हों) पट्टा के अन्दर शा-

(ड) अगर वह वजह आग लगने या तूफान या सैलाबी या जुलम किसी फौज या मजमा आम लोगों या तासीर किसी कूबत यानी जोर गैर काबिल रुकावट के जायदाद का कोई हिस्सा असली बिल्कुल बरबाद हो जाय या दर हकीकत हमेशा के वास्ते उस काम के लाइक न रहे कि जिस के लिये पट्टा दिया गया था, तो दस्तावेज पट्टा रद्द हो जायगा अगर पट्टा का लेने वाला उस को रद्द करना चाहे.

मगर शर्त यह है कि अगर वह नुकसानी पट्टा लेने वाले के नाजायज फैलों या कुसूर से बकू में आय तो शरूस मजकूर इस जिमन की शर्तों से फायदा उठाने का मुस्तेहक न होगा.

(च) अगर पट्टा देने वाला इत्तिला पाने से असी माकूल के अन्दर जायदाद की मरस्मत वगैरा, जो उस पर वा-

लाजिम हों तो वह जायदाद पर उस मियाद तक, कि जो पट्टा में मुन्दरर्ज हो, बिला रोक टोक किसी के काबिज रहेगा.

ऐसे माहदा का फायदा पट्टा लेने वाले के हुकूम में शामिल होगा और उस के साथ चला जाया करेगा और जिस शरक्स की जात में वह इस्तेहकाक कुल या उस का कोई हिस्सा वक्तन फवक्तन दर आए वह उस की जबरन तामील कराने का मजाज होगा.

बः—हुकूम वो जिम्मेदारियां पट्टा लेने वाले कीः—

(घ) अगर दौरान मियाद पट्टा के अन्दर जायदाद में कुछ बढ़ती हो जाय तो वह बढ़ती (बपान्दी कवानीन मुताल्लुक जमीन दर्या बरामद के जो उस वक्त जारी हों) पट्टा के अन्दर शामिल समझा जायगा.

(ड) अगर व वजह आग लगने या तूफान या सैलाबी या जुल्म किसी फौज या मजमा आम लोगों या तासीर किसी कूवत यानी जोर गैर क़ाबिल रुकावट के जायदाद का कोई हिस्सा असली विलकुल बरवाद हो जाय या दर हकीकत हमेशा के वास्ते उस काम के लाइक न रहे कि जिस के लिये पट्टा दिया गया था, तो दस्तावेज पट्टा रद्द हो जायगा अगर पट्टा का लेने वाला उस को रद्द करना चाहे.

मगर शर्त यह है कि अगर वह नुकसानी पट्टा लेने वाले के नाजायज फैलों या कुसूर से बकू में आय तो शरूस मजकूर इस ज़िम्न की शर्तों से फायदा उठाने का मुस्तेहक न होगा.

(च) अगर पट्टा देने वाला इत्तिला पाने से अर्सा माकूल के अन्दर जायदाद की मरस्मत वगैरा, जो उस पर वा-

जिब हो, न करे तो जायज है कि खुद पट्टा लेने वाला उस की मरम्मत करा के मरम्मत का खर्च मय सूद जर लगान से वजा करे या उस को और तरह पर पट्टा देने वाले से वसूल करले.

(ब) अगर पट्टा देने वाला कोई रकम अदा न करे, जिस का अदा करना उस पर वाजिब हो, और जो अदा न होने की सूरत में पट्टा लेने वाला या जायदाद से वसूल होने के लायक है तो जायज है कि पट्टा लेने वाला जर मजकूर खुद अदा कर के अपने जर लगान से मय सूद उस को वजा करे या और तरह पर पट्टा देने वाले से वसूल करले.

(ज)

पट्टा
दो
चा

अखत्यार है कि
में, जिस वक्त
जो

कि वह जायदाद को उसी हालत में छोड़े कि जिस हालत में वह जायदाद उस को मिली थी.

(क) जब कोई पट्टा जिस की मियाद गैर मुकदर हो, सिवाय वजह कुसूर पट्टा लेने वाले के, किसी और वजह से खतम हो जाय तो पट्टा लेने वाला या उस का काइम मुकाम कानूनी मुस्तेहक है कि तमाम फसल जो पट्टा लेने वाले ने बोई या लगाई हो और जो आराजी पर बर वक्त खतम होने पट्टा के खड़ी हो हासिल करे और फसल काटने और उठा ले जाने के लिये बिला रोक टोक उस में आया जाया करे.

(ज) पट्टा लेने वाले को अखत्यार है कि अपना हक जायदाद में का कुल या उस का कोई हिरसा कतई या बतौर रहन या बतौर पट्टा शिकमी के मुन्तकिल करे और जो शरख ऐसी हकी-

यत या जुज हकीयत का मुन्तकिल अलेह हो उस को अखत्यार है कि उस को फिर मुन्तकिल करे और बाइस ऐसे इन्तकाल के पट्टा लेने वाला उन जिम्मेदारियों में से किसी जिम्मेदारी से बरी न क्रिया जायगा जो पट्टा से ताल्लुक हों इस जिमन की किसी इ-वारत से किसी असामी की जिस को कबजे का हक गैर काबिल इन्तकाल हासिल हो या किसी इजारेदार म्हाल को जिस की निसबत मालगुजारी सरकार बाकी हो, या किसी इलाका के ठेकादार को, जो जेर इहतिमाम कोर्ट आफ वार्डस के हो अपनी हकीयत मुन्तकिल करने का अखत्यार न होगा जो बहैसियत ऐसे असामी या इजारेदार या ठेकादार होने के उस को हासिल है.

- (त) पट्टा लेने वाले को लाजिम है कि पट्टा देने वाले को ऐसे हर वाकेआ से

इतला देता रहे जो उस हकीमत की किस्म या मिकदार से ताल्लुक हो जिस को पट्टा लेने वाला अनकरीब लेने वाला है और उस वाकेश्रा से पट्टा लेने वाला वाकिफ है और पट्टा देने वाला ना वाकिफ हो और जिस्में सालियत उस हकीमत की साफ तौर पर बढ़ जाती हो.

(थ) पट्टा लेने वाला को लाजिम है कि जर पेशगी या लगान जायदाद का वक्त और मुकाम मुनासिव पर पट्टा देने वाले या उस के मुखत्यार को, जो उस काम के लिये हो उस की तरफ से अदा या उस के रूबरू हाजिर करे.

(द) पट्टा लेने वाले को लाजिम है कि जायदाद को वैसाही सही और सालिम रखे और पट्टा के खतम होने पर उसी दुरूस्त हाल से वापस करे जो कबजा पाने के वक्त उस की हालत थी, मगर इस कदर रिआयत होगी कि जो तब-

दीलियां ववजह इस्तेमाल माकूल या बगैर रुकने वाले किसी जोर यानी ताकत के हुई हों उन की निसबत कुछ एतराज न किया जावेगा और पट्टा लेने वाले को लाजिम है कि पट्टा देने वाला और उस के मुख्तारों को मियाद अन्दर तमाम वक्त माकूल पर जायदाद में आने जाने दे और उस की हालत का मुलाहिजा करने दे और उस की हालत में नुकस होने की वावत इत्तिला जवानी या तहरिरी दे और जब वह नुकसान पट्टा लेने वाला या उस के नौकरों या मुख्तारों के किसी फैल या कुसुर से हुआ हो तो उस को लाजिम है कि वाद दिये जाने या छोडे जाने ऐसी इत्तिला जवानी या तहरिरी के तीन महीने के अन्दर उस नुकसान का माविजा भर दे.

(ध) अगर पट्टा लेने वाले के किसी कार-

वाई की इत्तिला हो जो वास्ते हासिल करने जायदाद, कुल या जुज के, की लाय या उसे इस बात की इत्तिला पहुंचे कि पट्टा देने वाले के हकूक जायदाद मजकूर में किसी तरह की दस्तन्दार्जी या मुजाहिमत होती है, तो उस को लाजिम है कि कोशिश माकूल के साथ पट्टा देने वाले को उस की इत्तिला दे.

- (न) पट्टा लेने वाले को अखत्यार है कि जायदाद और उस की पैदावार को [अगर कुछ हो] उस तौर पर इस्तेमाल में लावे जिस तरह कोई औसत दरजा की अकल वाला शरूस अपनी मिल्कियत होने की सूरत में उन को अपने इस्तेमाल में लाता मगर यह अखत्यार नहीं है कि सिवाए उस गरज के, जिस के लिये जायदाद पट्टा पर ली गई थी, उस को किसी और काम में लाय या और

किसी शख्स को लाने दे या उस की लकड़ी काटे या उस की इमारतों को गिरावाले या नुकसान पहुंचावे या खदान या खानिज पदार्थ को जो पट्टा के वक्त न खोदी गई थी खोद कर निकाले या कोई और फैल ऐसा करे जो जायदाद के हक में सबब घटती या नुकसान हमेशा का हो.

(प) पट्टा लेने वाले को अख्तियार नहीं है कि बिला रजामन्दी पट्टा देने वाले के जायदाद पर कोई इमारत हमेशा की बनाय सिवाय इस के कि वह कारतकारी कामों के लिये बनाई जाय.

(फ) पट्टा की मियाद खतम होने पर पट्टा लेने वाले को लाजिम है कि पट्टा देने वाले को जायदाद पर काबिज करा दे.

त श री ह

इस दफा में पट्टा देने वाले को पट्टा लेने वाले को जिम्मेदारियां जो उन के हुक्म दर्ज हैं.

नुक्स जाहिर करने के बाबत पट्टा देने वाले की जिम्मेदारी:—

जैसा कि दफा ११ में दृक्म है उसी तरह इस दफा में ऐसी इबारत दर्ज नहीं है कि नुक्सों का जाहिर न करना फरेव में दाखिल होगा लेकिन कानून माहदा की दफा १८ जिनम [५] के बमूजिन नुक्स जायदाद का न जाहिर करना एक ऐसी वजह हो सकती है कि जिने । देने का माहदा यानी ठहराव रद्द हो सके या उस की शरतों की तामील न की जाये-अलबत्ता इसके वैसे नुक्स न जाहिर करने की वजह से जो नुक्सानी हुई हो उस के बाबत नालिश दायर की जा सकती है. [देखो ब्राउन साहब का रिसाळा शरह एक्ट इन्तकाल जायदाद सफा ३८०]

जायदाद का कब्जा हवाला करना पट्टा देने वाले पर लाजिम है:—उस तारीख का ठहराव कि जम से पट्टादार का कब्जा शुरू होवे मुताबिक इफ्तार दरमियान फरीकैन के होना चाहिये -ना तो वह फौरन कब्जा पाने का मुस्तेहक हवे या किसी तारीख आगन्दा को उसे कब्जा मिलना चाहिये, जैसा उन के आपुस में ठहराव हो जाय अगर पट्टा देने वाला शरहस मुकरर की हुई तारीख को जायदाद का कब्जा देने के काबिल न हो या देने से इफ्तार करे तो किराया की नालिश में पट्टादार का जमाव माफूल हो क है या वह पट्टा देने वाले पर हरजः यानी नुक्सानी की नालिश दायर कर सकता है -उस के लिये यह जरूर नहीं है कि पहिले उस शरस को बेदखल करने की नालिश करे कि जिसका पट्टा पर दी हुई जायदाद पर कब्जा होवे या अगर वह चाहे तो ऐसी नालिश कर सकता है (इ ला रि बम्बई जिल्द १४ सफा २९४) ऊपर लिखे कायदा के मुताबिक हरजा या नुक्सानी की नालिश एक्ट मियाद ० जमीमा के मद ११९ की रू से होगी अगर पट्टा तहरीर वो रजिस्ट्री शुदा होवे [इ ला रि मदरास जिल्द २५ सफा १६७]

दरख्तों के काटकर ले जाने का हक्क:—ने दररतान कि जो पट्टा दार की तरफ से जायदाद का कब्जा लिये जाने के वक्त खडे हों मिनकियत पट्टा देने वाले की है और हाला कि पट्टादार उन दरख्तों से फायदा उठान का हकदार है मगर वह उन को फाटडाल कर ले जाने का हकदार न होगा-अलबत्ता जो दरख्तान खुद पट्टादार ने लगाया हो उन्हें वह दौरान मियाद पट्टा के अन्दर फाट सकता है, न कि बाद में

किसी शख्स को लाने दे या उस की लकड़ी काटे या उस की इमारतों को गिरावाले या नुकसान पहुंचावे या खदान या खानिज पदार्थ को जो पट्टा के वक्त न खोदी गई थी खोद कर निकाले या कोई और फैल ऐसा करे जो जायदाद के हक में सबब घटती या नुकसान हमेशा का हो.

(प) पट्टा लेने वाले को अखत्यार नहीं है कि बिना रजामन्दी पट्टा देने वाले के जायदाद पर कोई इमारत हमेशा की बनाय सिवाय इस के कि वह काश्तकारी कामों के लिये बनाई जाय.

(फ) पट्टा की मियाद खतम होने पर पट्टा लेने वाले को लाजिम है कि पट्टा देने वाले को जायदाद पर काबिज करा दे.

त श री ह

इस दफा में पट्टा देने वाले को पट्टा लेने वाले की जिम्मेदारियां जो उन के इन्तहाळ दर्जे हैं

नुक्स जाहिर करने के बाबत पट्टा देने वाले की जिम्मेदारी:—

जैसा कि दफा ११ में हुक्म है उसी तरह इस दफा में ऐसी इशारत दर्ज नहीं है कि नुक्सों का जाहिर न करना फरेव में दालिल होगा लेकिन कानून माहदा की दफा १८ जिनमें [१८] के बमूनिव नुक्स जायदाद का न जाहिर करना एक ऐसी वजह हो सकती है कि जिसे 'A' देने का माहदा यानी ठहरान रह हो सके या उस की शर्तों की तामील न की जाये-प्रधाना इसके वैसे नुक्स न जाहिर करने की वजह से जो नुक्सानी हुई हो उस के बाबत नालिश दायर की जा सकती है. [देखो ब्राउन साहब का रिसाला शरह एक्ट इन्तकाल जायदाद सफा ३८०]

जायदाद का कब्जा हवाला करना पट्टा देने वाले पर लाजिम है:—उस तारीख का ठहराव कि जम से पट्टादार का कब्जा शुरू होवे मुताबिक इकार दरमियान फरीकन के होना चाहिये-या तो वह फौरन कब्जा पाने का मुस्तेहक होवे या किसी तारीख आपन्दा को उसे कब्जा मिलना चाहिये, जैसा उन के आपुस में ठहराव हो जा? अगर पट्टा देने वाला शक्स मुकर्रर की हुई तारीख को जायदाद का कब्जा देने के काबिल न हो या देने से इकार करे तो किराया की नालिश में पट्टादार का जमाव माफूल हो न है या वह पट्टा देने वाले पर हरज: यानी नुक्सानी की नालिश दायर कर सकता है-उस के लिये यह जरूर नहीं है कि पहिले उस शरम को बेदखल करने की नालिश करे कि जिसका पट्टा पर दी हुई जायदाद पर कब्जा होवे या अगर वह चाहे तो वही नालिश कर सकता है (इ ल रि बम्बई जिल्द १३ सफा २९४) ऊपर लिखे जायदा के मुताबिक हरजा या नुक्सानी की नालिश एक्ट मियाद ११५ की रू से होगी अगर पट्टा तहरीर वो रजिस्ट्री शुदा होवे [इ ल रि मदरास जिल्द २५ सफा १६७]

दरख्तों के काटकर ले जाने का हक्क:—वे दररतान कि जो पट्टा दार की तरफ से जायदाद का कब्जा लिये जाने के वक्त खुडे हों मिलाकियत पट्टा देने वाले की है और हाला कि पट्टादार उन दरख्तों से फायदा उठाने का हक्कदार है मगर वह उन को काटडाल कर ले जाने का हक्कदार न होगा-प्रलवत्ता जो दरमत्ता खुद पट्टादार ने लगाया हो वहे वह दोरान मियाद पट्टा के बदल काट सकता है, न कि बाद में

लपजों के मायनीः—

तसर्क का इस्तेहकाक--खर्च करने का हक

सरीह--साफ.

मानवी--छिपाहुवा--मसलम से.

मुन्तकिल अलेह -वह शब्द कि जिस के नाम जायदाद मुन्तकिल की जावे
इस्तेमाल--उद्योग

नुकम--ऐश

तालुक--सम्बन्ध.

मजाज--अधिकारी

दरया बर आमद--नदी का पानी उठने से जमीन का पानी में डूबना.

सैलाबी--पानी का रैला

कूनन--शकती जोर

गैर काविठे--अशक्त, असमर्थ

माकूल--उचित

वजा करे--घटा देने.

आराजी--जमीन.

जेर इस्तेमाम--रेख देख मे

किस्म--पकार

याकिफ--जाने वाला

सालिम--पूरा समपूर्ण

दफा १०६. अगर पट्टा देने वाला जायदाद

इस द्वा देने व
इसके दर्ज हैं ह के

मुन्तकिल

मुन्दर्जा पट्टा या उस के किसी
हिस्सा को या किसी हकीयत

के

रखता

कर दे, तो मुन्तकिल अलेह को, दर सूरत न होने कोई ठहराव खिलाफ इस के वे तमाम हुकुक हासिल होंगे और अगर पट्टा लेने वाला पसन्द करे, तो मुन्तकिल अलेह मजकूर पट्टा देने वाले की कुल जिम्मेदारियों का पाबन्द होगा जो जायदाद मजकूर या उस के किसी जुज मुन्तकिल किये हुए से ताल्लुक थी, उस अर्से तक कि वह उस का मालिक रहे—मगर पट्टा देने वाला सिर्फ उस इन्तकाल की वजह से उन जिम्मेदारियों में से किसी जिम्मेदारी से बरी न हो जायगा जो पट्टा के सबब से उस पर लगाई गई थी, सिवाय उस सूरत में कि जब पट्टा लेने वाला अपनी खुशी से मुन्तकिल अलेह को अपने मुकाबले में जवाबदार समझे.

पर शर्त यह है कि मुन्तकिल अलेह उस वकाया जर लगान का मुस्तेहक न होगा जो इन्तकाल से पहले वाजिबुलअदा थी और अगर पट्टा लेने वाला बगैर रखने वजह गुमान इस अमर के कि इन्तकाल मजकूर अमल में आया है पट्टा देने वाले को लगान अदा करे तो पट्टा लेने वाले पर वाजिब न होगा कि मुन्तकिल

अलेह को ऐसा जर लगान दुवारा भर दे.

पट्टा देने वाला और मुन्ताकिल अलेह और पट्टा लेने वाले को अखत्यार है कि आपुस में यह तै कर दे कि किस कदर हिस्सा जर पेशगी या जर लगान मुन्दर्जा पट्टा जुज जायदाद मुन्ताकिल किया हुवा की बाबत वाजियुलअदा है और अगर वह मुत्ताफिक (एकत्र) न हो तो अमर मजकू उस अदालत से तै हो सका है जिस में नालिश बाबत कब्जा जायदाद पट्टा पर दिये हुए काबिल सुनाई के हो.

त श री ह.

इस दफा का मतलब यह है कि जब पट्टा देने वाला अपना हक किसी शरस के नाम मुन्ताकिल कर दे तो जमीन के ताल्लुक जो कुछ शरतें हैं उन का फायदा मुन्ताकिल अलेह को मिलेगा.

दफा ११०—जब किसी जायदाद गैर मन-

उस रोज का हिसाब से
फारिज होना कि जिस
रोज से मियाद शुरू हो

कूला के पट्टे में मियाद की कैद
इस इबारत से लिखी हो कि वह

फर्ला तो वैसी मियाद का
हिसाब से खारिज
होने की

कोई तारीख न लिखी हो तो शुरू उस मियाद का, जिस की कैद इस तरह लिखी जाय, तारीख तहरीर पट्टा से समझी जावेगी.

अगर मियाद जिस की कैद ऊपर लिखे मु-
 पट्टा की मियाद एक साल तक ताबिक लिखी गई हो एक साल या चन्द साल हो तो, दर सूरत न होने किसी इकरार सरीह खिलाफ इस के वह पट्टा उस की मियाद के शुरू होने की तारीख से एक साल का मिल तक जारी रहेगा.

अगर पट्टा में मियाद की बाबत यह शर्त लि-
 पट्टा की मियाद खतम कर देने का अख्त्यार खी हो कि मुकरर की हुई मियाद के खतम होने के पहिले भी पट्टा साकित हो सक्ता है और पट्टा में इस बात की सफाई न हो कि किस फरीक की खुशी पर मियाद खतम हो सकती है तो खतम करने का अख्त्यार पट्टा लेने वाले को हासिल होगा न कि पट्टा देने वाले को.

त श री ह.

इस दफा की रू से पट्टा की मियाद शुमार करते वक्त वह दिन सारिज किया जावेगा कि जिस दिन से मियाद मजसूर शुरू होती हो - और जिस पट्टा यानी टेहा नामा में यह नहीं लिखा हो कि किस दिन से मियाद शुरू होना चाहिये तो एमे

अलेह को ऐसा जर लगान दुबारा भर दे.

पट्टा देने वाला और मुन्तकिल अलेह और पट्टा लेने वाले को अखत्यार है कि आपुस में यह तै कर दे कि किस कदर हिस्सा जर पेशगी या जर लगान मुन्दर्जा पट्टा जुज जायदाद मुन्तकिल किया हुवा की बावत वाजियुलअदा है और अगर वह मुत्ताफिक (एकत्र) न हो तो अमर मजकू उस अदालत से तै हो सक्ता है जिस में नालिश बावत कब्जा जायदाद पट्टा पर दिये हुए काबिल सुनाई के हो.

त श री ह.

इस दफा का मतलब यह है कि जब पट्टा देने वाला अपना हक किसी शर्त के नाम मुन्तकिल कर दे तो जमीन के ताल्लुक जो कुछ शर्तें हैं उन का फायदा मुन्तकिल अलेह को मिलेगा,

दफा ११०—जब किसी जायदाद गैर मन-

उस रोज का हिसाब से
खारिज होना कि जिस
रोज से मियाद शुरू हो

कूला के पट्टे में मियाद की कैद
इस इवारत से लिखी हो कि वह

फलां तारीख से शुरू होगी तो वैसी मियाद का
हिसाब करते वक्त वह तारीख हिसाब से खारिज
जायगी और अगर मियाद के शुरू होने की

कोई तारीख न लिखी हो तो शुरू उस मियाद का, जिस की कैद इस तरह लिखी जाय, तारीख तहरीर पढा से समझी जावेगी.

अगर मियाद जिस की कैद ऊपर लिखे मु-
 पढा की मियाद एक ताबिक लिखी गई हो एक साल या
 साल तक चन्द साल हो तो, दर सूरत न होने
 किसी इकरार सरीह खिलाफ इस के वह पढा उस
 की मियाद के शुरू होने की तारीख से एक साल
 कामिल तक जारी रहेगा.

अगर पढा में मियाद की बाबत यह शर्त लि-
 पढा की मियाद खतम खी हो कि सुकरर की हुई मियाद
 कर देने का अख्त्यार के खतम होने के पहिले भी पढा
 साकित हो सक्ता है और पढा में इस बात की सफाई
 न हो कि किस फरीक की खुशी पर मियाद खतम
 हो सक्ती है तो खतम करने का अख्त्यार पढा लेने
 वाले को हासिल होगा न कि पढा देने वाले को.

त.श.री.ह.

इस दफा की रू से पढा की मियाद गुमार करते वक्त वह दिन सारिज किया जावेगा कि जिस दिन से मियाद मजकूर शुरू होती हो - और जिस पढा यानी टेना नामा में यह नहीं लिखा हो कि किम दिन से मियाद शुरू होनी चाहिye तो ऐसे

अलेह को ऐसा जर लगान दुबारा भर दे.

पट्टा देने वाला और मुन्ताकिल अलेह और पट्टा लेने वाले को अख्त्यार है कि आपुस में यह तै कर दे कि किस कदर हिस्सा जर पेशगी या जर लगान मुन्दर्जा पट्टा जुज जायदाद मुन्ताकिल किया हुवा की वावत वाजिबुलअदा है और अगर वह मुत्तफिक (एकत्र) न हो तो अमर मजकू उस अदालत से तै हो सक्ता है जिस में नालिश वावत कब्जा जायदाद पट्टा पर दिये हुये काबिल सुनाई के हो.

त श री ह.

इस दफा का मतलब यह है कि जब पट्टा देने वाला अपना हक किसी शरत के नाम मुन्ताकिल कर दे तो जमीन के ताल्लुक जो कुछ शरतें हों उन का फायदा मुन्ताकिल अलेह को मिलेगा.

दफा ११०—जब किसी जायदाद गेर मन-

उस रोज का हिसाब से
खारिज होना कि जिस
रोज से मियाद शुरू हो

कूला के पट्टे में मियाद की कैद
इस इवारत से लिखी हो कि वह

फलां तारीख से शुरू होगी तो वैसी मियाद का
हिसाब करते वक्त वह तारीख हिसाब से खारिज
रखी जायगी और अगर मियाद के शुरू होने की

कोई तारीख न लिखी हो तो शुरू उस मियाद का, जिस की कैद इस तरह लिखी जाय, तारीख तहरीर पट्टा से समझी जावेगी.

अगर मियाद जिस की कैद ऊपर लिखे मु-
 पट्टा की मियाद एक साल तक ताबिक लिखी गई हो एक साल या चन्द साल हो तो, दर सूरत न होने किसी इकरार सरीह खिलाफ इस के वह पट्टा उस की मियाद के शुरू होने की तारीख से एक साल का मिल तक जारी रहेगा.

अगर पट्टा में मियाद की बाबत यह शर्त लि-
 पट्टा की मियाद खतम कर देने का अख्तियार खी हो कि मुकरर की हुई मियाद के खतम होने के पहिले भी पट्टा साकित हो सक्ता है और पट्टा में इस बात की सफाई न हो कि किस फरीक की खुशी पर मियाद खतम हो सक्ती है तो खतम करने का अख्तियार पट्टा लेने वाले को हासिल होगा न कि पट्टा देने वाले को.

त श री ह .

इस दफा की रू से पट्टा का मियाद शुमार करते वक्त वह दिन खारिज
 जावेगा कि जिस दिन से मियाद मजदूर शुरू होती हो - और जिस पट्टा यानी
 नामा में यह नहीं लिखा हो कि किस दिन से मियाद शुरू होनी चाहे.

पट्टा की मियाद तारीख पट्टा से शुरू होगी--मसलन एक साल के पट्टेदार को ठेके की जायदाद पर तारीख २९--९--१८८५ ई० से तारीख २९--९--१८८६ ई० तक कबजा रहेगा.

दफा १११—पट्टा जायदाद गैरमनकूला का

पट्टा का रह हो जाना. नीचे लिखी सूरतों में रह हो

जाता है:—

(क) वाइस गुजरने मियाद के जिस की कैद उस में दर्ज हो;

(ख) जब वैसी मियाद महदूद की गई और वह किसी वाकेआ आइन्दा के बकू पर मुनहसर की गई हो तो ऐसे वाकेआ के हो जाने पर;

(ग) जब हक पट्टा देने वाला का निसबत जायदाद पट्टा में दी हुई के किसी वाकेआ आइन्दा के होने पर खतम होता हो या उस का इख्तयार इंतकाल का सिर्फ उस वाकेआ के हो जाने पर मुनहसर हो--तो वैसे वाकेआ पर हो जाने पर;

(घ) जब पट्टा लेने वाले वो पट्टा देने

वाले के हकूक निसबत कुल जायदाद के एक ही वक्त और एक ही शरूब को और व वजह एक ही इस्तेहकाक के हासिल हो जांय;

- (इ) बजरिये सरीह वापसी पट्टा के याने उस सूरत में कि जब पट्टा लेने वाला अपनी हकीयत वाके पट्टा मजकूर पट्टा देने वाले को आपुसी रजामनदी से वापिस करदे.
- (च) जब पट्टा की दस्तवरदारी मतलब से पाई जावे.
- (छ) जब्त हो जाने से यानी (१) जब पट्टा लेने वाला किसी ऐसी साफ शर्त को तोड़े जिस में लिखा हो कि उस में तोड़ने की सूरत में पट्टा देने वाला फिर दखल लेने का मजाज होगा या पट्टा रद्द हो जायगा--या (२) जब पट्टा लेने वाला अपनी हैसियत पट्टा दारी से इस तौर पर दस्तवरदार

हो जाय कि किसी तीसरे शख्स की मिलकियत का दावा पेश करे या खुद मिलकियत का दावा करे और इन दोनों सूरतों में पट्टा देने वाला या उस का मुन्तकिल अलेह ऐसे किसी फैल का करने वाला हो जिस से उस की नियत पट्टा को रद्द करने की हो.

(ज) खतम होने पर मिथाद इत्तिला नामा के जो व गरज मंसूखी पट्टा या व इजहार तर्क करने या व जाहिर करने इरादा तक करने पट्टा की जायदाद के एक फरीक ने दूसरे फरीक को जाविता के मुताबिक दिया हो.

तमसलिले जिमन (च)

एक शख्स ने कि जो पट्टा लेने वाला है पट्टा की जायदाद के निमवत नया पट्टा पट्टा देने वाले से लिया जिस से यह शर्त लिखी थी कि उस का असर दौरान पट्टा मौजूदा से शुरू होगा तो यह कार्रवाई पट्टा लेने वाले की वरावर इस के है के उस ने पहले पट्टा को रद्द कर दिया और उस वक्त से पट्टा वे असर हो जाता है.

त श नी-ह.

इस दफा में ये सूत्रें दर्ज हैं कि जिन में पट्टा की मियाद खत्म हो जाती है—और पट्टा की मियाद खत्म हो जाने पर पट्टादार को उस के शिकमी पट्टादार को मुताबिक अर्पण बिना नोटिस पत्र पर नही हई जायदाद से बेदखल किये जा सकते हैं—

जिम्न (घ):—इस का मतलब यह है कि जब पट्टा देने वाला या छेने वाले के हुक्क एक ही शख्स के पास आ जाये, क्योंकि एक शख्स उसी मकान का मालिक या किरायादार दोनों नहीं हो सकता है जिस तरह कि, कोई शख्स फरजदार को साट्टकार दोनों की हेमियत नहीं रख सकता है

जिम्न (ङ) वो (च):—जब पट्टादार ठेके की जायदाद को छोड़ देवे और ऐसा छोड़ना जाहरी तौर पर या मानवी तौर पर या कानून के असर से हो सकता है- मसलन, अगर पट्टादार इस बात पर रजामन्द हो जाये कि जायदाद का ठेका किसी दूसरे शख्स के नाम लिखा जाये तो ऐसी हालत में- मय सगभा जायेगा कि पट्टादार ने अपना दफ्त छोड़ दिया

दफा ११२—जवती पट्टा से जो मुताबिक
जवती से दस्तकशी जिम्न (ज) दफा १११ होती है, उस सूत्र में दस्तकशी समझी जायगी कि जब वह लगान कबूल किया जाय तो जवती के बाद वाजिबुलअदा हुआ हो, या जब ऐसे लगान की वावत कुर्की जारी हो या जब पट्टा देने वाले की तरफ से कोई ऐसा फैल हो जिस से इरादा उस का वास्ते काइमे रखने पट्टा के निकलता हो बशर्ते कि पट्टा देने वाले को मालूम हो कि ऐसा फैल बकू में आया

हैं जिस में जबती लाजिम आये.

और यह भी शर्त है कि जब जर लगान बाद दायरी नालिश वेदखली पट्टा लेने वाले के वर बिना जबती कबूल किया जाय तो ऐसा इकवाल बराबर दस्तकशी के नहीं है.

दफा ११३—इत्तिलानामे का, जो दफा १११

अराजी छोड़ देने की
इत्तिला से दस्तकशी

की जिमन (ह) के मुताबिक
दिया गया हो उस सूरत में छोड़

दिया जाना समझा जावेगा कि जब उस शख्स की रजामन्दी जाहरी या बातनी पाई जावे या जब उस शख्स की तरफ से, कि जिस ने इत्तिलानामा दिया हो कोई ऐसा फैल किया जावे कि जिस से उस की यह मनशा पाई जावे कि पट्टा मजकूर कायम रहेगा.

तमसीलात.

(क) रामलाल ने कि जो पट्टा देने वाला है शिवलाल को कि जो पट्टा लेने वाला है इत्तिला इस अमर की दी कि शिवलाल जायदाद पट्टा पर दी हुई से निकल जाय मियाद उस इत्तिलानामा की गुजर गई तब शिवलाल ने के

वह जर लगान हाजिर किया जो इत्तला की मियाद के खतम हो जाने के बाद जायदाद की बाबत वाजिबुलअदा हो गया और उस ने कबूल कर लिया तो ऐसी सूरत में इत्तला से दस्तवरदारी हो गई.

(ख) रामलाल ने कि जो पट्टा देने वाला है शिवलाल को कि जो पट्टा लेने वाला है यह इत्तिला दी कि जायदाद मुन्दर्जा पट्टा को छोड़ दे उस इत्तिला की मियाद गुजर गई और शिवलाल का कबजा उस पर बाद खतम होने इत्तला के चना रहा फिर रामलाल ने दूसरे मरतबा शिवलाल पट्टा लेने वाले को इत्तिला दूसरी जायदाद छोड़ने की दी-पस इत्तिला अरवल से दस्तवरदारी हो गई—

त य री ह.

फरीकेन की रजामन्दी से पट्टा की मियाद आयन्दा के बस्ते जारी रह सकती है—शर्तीकि पट्टा खतम करने का नोटिस दे दिया गया हो—मसलन, जब बाद खतम होने मियाद पट्टा के पट्टादार उसी जायदाद पर अपना कबजा कायम रये और पट्टा देने वाला उस से रगान या किराया घसूळ करे

दफा ११४. जब किसी जायदाद गेर मन-

जवती बवजह न पटाने
जर लगान की दादरसी

कूला के पट्टा की मियाद बवजह
जवती न पटाने जर लगान के

खतम हो जाय और पट्टा देने वाला पट्टा लेने वाले

पर बेदखली की नालिश करे, अगर नालिश की सुनाई के वक्त पट्टा लेने वाला जायदाद जर बकाया लगान मंथ सूद सिवाए उस के और कुल खर्च मुकदमा का पट्टा देने वाले को अदा कर दे या उस के रूबरू हाजिर करे या जमानत काफी हस्व इतमीनान अदालत वास्ते अदा करने बकाया मजकूर अन्दर पन्दरा रोज के दाखिल करे, तो अदालत मजाज होगी कि बेदखली की डिगरी सादिर करने के बदले में हुकूम वास्ते महफूज रहने पट्टा लेने वाले के तावान जबती से सादिर करे उस वक्त से पट्टा लेने वाला अराजी मुन्दर्जा पट्टा पर उसी तरह काबिज रहेगा कि मानों उस की जबती नहीं हुई थी—

दफा ११५—जायदाद गैर मनकूला का

पट्टा दर पट्टा पर पट्टा की
यापसी और जबती का
अमर.

पट्टा जाहरी या बातनी तौर पर
वापस किये जाने से उस जाय-

दाद या उस के किसी हिस्से का पट्टा दर पट्टा में जो पट्टा लेने वाले ने उससे पहले दिया हो कुछ नुकसान नहीं आता है बशर्ते कि शर्तें वो कायदे मुन्दरजा पट्टा दर पट्टा जियादा तर मुताबिक और

मुवाफिक उन शर्तों और कायदों के हों जो असली पट्टा में लिखी गई हों (सिवाय तादाद जर लगान के निसबत) लेकिन सिवाय उस सूरत में कि जब नया पट्टा हासिल करने की गरज से वापसी की गई हो जर लगान जो पट्टा दार शिकमी के जिम्मे वाजिब निकली हो और वह ठहराव जिस का वह पाबन्द था पट्टा देने वाले को अदा किया जावेगा और वह उन की तामील करायगा.

ऐसे पट्टा के जव्त हो जाने से तमाम शिकमी पट्टा मनसूख हो जायेंगे सिवाय उस सूरत में कि जब पट्टा देने वाले ने ऐसी जवती शिकमी पट्टेदार के साथ फरेब करने की गरज से हासिल की हो या जब दादरसी बरखिलाफ जवती वमूजिब दफा ११४ के अता की गई हो.

त श री ह.

फरीकेंन मामला के दरमियान कायदा यह है कि अगर पट्टादार अपना हक छोड़ देने तो समझा जायेगा कि पट्टा खतम हो गया लेकिन इस तौर पर हक छोड़ देने से तीसरे शकम का नुकसान नहीं हो सकता है कि जिस ने पट्टादार के जरिये से जापदाद हासिल की हो-मसलन कोई पट्टादार जिस ने अपना हक वजरिये रहन या दीगर तौर पर किसी के नाम मुन्तकिल किया हो अपने हक को पट्टा देने वसे के नाम छोड़ दे कर शिकमी पट्टादार का हक जायेल नहीं कर सकता है (इ ला रि. अलाहाबाद, जिह्द २४ सर्फा १३८)

दफा ११६—अगर कोई पट्टा लेने वाला या शिकमी पट्टेदार बाद खतम मियाद पट्टा जो पट्टा लेने वाले को अता हुआ था जायदाद पर काविज बना रहे और पट्टा देने वाला या उस का काइम मुकाम जायज उस पट्टा लेने वाला या पट्टेदार शिकमी से लगान कुबूल करे या और तरह उस के कब्जा की बहाली पर रजामन्दी जाहिर करे तो दरसूरत न होने कोई इकरार खिलाफ इस के, यह समझा जायगा कि पट्टा साल ब साल या माह दर माह के लिये जो कुछ हाल उस मतलब का हो जिस के लिये जायदाद पट्टा पर दी गई थी दफा १०६ में लिखे हुए हुक्मों के मुताबिक नया किया गया.

तमसीलात.

(क) मन्नीलाल ने एक मकान मानकलाल को पांच बरस के लिये किराया पर दिया मानकलाल ने वही मकान ब एवज किराया १०० रूपया माहवारी के सीताराम को बतौर किराया दर किराया दिया पांच बरस गुजर गये मगर सीताराम का कर्जा मकान पर ब दस्तूर है और वह मन्नीलाल को किराया देता चला आता है गोया इस में सनागम के हक किराया दारी माह ब

माह की नए तिरे से शुरू हुई.

(ख.) मन्नीलाल ने एक इलाका मानकलाल को ता हीने ह्यात सीताराम के इजारे पर दिया सीताराम मर गया और मानकलाल मन्नीलाल की मंजूरी से उस इलाके पर काबिज चला आता है—पस मानकलाल का पट्टा साल दर साल के लिये नया हुवा.

दफा ११७. इस बाब के कोई अहकामात

पढे जात व गरज करतकारी
का मुस्तसना होना

पढे जात काश्तकारी से ता-
ल्लुक न समझे जावेंगे सिवाए

उस हद तक जो लोकल गवर्नमेंट वाद हासिल करने मंजूरी जनाव नव्वाब गवर्नर जनरल वहादुर व इजलास कौंसिल बजरिये इतश्तहार मुन्दरजा गजट सरकारी मुकामी शराइत मजकूर के कुल या जुज को पट्टा जात मजकूर से ताल्लुक करार दे मुकामी कानून के साथ या उस की पाबन्दी रख कर अगर कोई ऐसा कानून उस वक्त जारी हो वैसा इश्तहार तावक्ते कि उस को मुशतहरी की तारीख से छे महीना न गुजर जायें असर न रखेगा.

त श री ह.

उस जमीन का पट्टा कि जो पान की काश्त में इस्तेमाल की जाती हो मतीर पट्टा काश्तकारी के तसेव्वर किया जावेगा और इसी तरह पट्टा जमीन वास्ते काश्त चाह वो काफ़ी के काश्तकारी पट्टा समझा जावेगा (इ. छा. रि मदरास जिल्द २४ सफ़ा ४२१).



बावः—६



बावत तबादला जायदाद के.



दफा ११८. जब दो शरूस आपुस में एक

तारीफ तबादला चीज की मिलकियत दूसरी चीज की मिलकियत के बदले में लेवे और देवे और दोनों चीजों में से कोई एक या दोनों चीजें नकदी रूपया की किरम से न हो तो ऐसा मामला तबादला जायदाद का कहलावेगा.

जायदाद का वैसा इन्तकाल कि जिस की तकमील तबादला के जरिये करनी मंजूर होवे सिर्फ उसी तरीका के मुताबिक हो सकता है जो जायदाद के इन्तकाल बजरिये वै यानी बिक्री के लिये मुकरर किया गया है.

त श री ह

यह बाव जायदाद मनकूला वो गैर मनकूला दोनों से ताब्लुक रखता है—एक माहदा की दफा ७७ के रू से बिक्री में तबादला माल का बएबज कीमत के मुराद है और अजररूय दफा १४ एकट न ४ सन १८८२ ई० [इतकाल जायदाद] के बै से मुराद है इन्तकाल मिलकियत जायदाद बएबज कीमत—कीमत से सिर्फ रूपया

मुराद है (देखो इ. छा. रि. मदराम जिल्द ६ सफा १४१)। क्योंकि अंगरे यह इकरार हो कि हम तुम को अपना घोडा बएवज तुम्हारी कित्तों के बेचेंगे तो ऐसा इकरार नै न कहा जायेगा बल्कि एक दूसरे किसम का ठहराव यानी तबादला कहा जायेगा—तबादला के वास्ते यह कुछ जरूर नहीं है कि दोनों चीजें एक ही किसम की हों और न यह जरूर है कि जो हफा फरीकैन का उन चीजों में हो वह एक ही किसम की होवे अगर एक फरीक रूप्या बेधे तो दूसरे फरीक को भी रूप्या देना चाहिये वरना बिकरी जायदाद बएवज कर्मित के समझी जावेगी।

लफजों के मायनी:—

तकमील—पूरा हो जाना।

तबादला—से मुराद है, एक चीज देकर उस के बदले दूसरी चीज लेना, इसमें बिकरी या बटवाडा, या हिबा यानी दान शामिल नहीं है।

रूप्या—से चालू सिक्का मुराद है, उसमें तांबे का सिक्का और सरकारी नोट भी शामिल है।

चीज—से हर माल या जायदाद मुराद है चाहे वह मनकूला हो या गैर मनकूला।

बै यानी चिक्री—तारीफ के वास्ते देखो सफा ५४ एक्ट हाजा

हिबा यानी दान:—तारीफ के वास्ते देखो सफा ११२ हिबा के लिये कुछ मावजा नहीं दरकार है।

बटवाडा:—बटवाडा के वक्त शानलानो मालिकान कुल जायदाद में त्रिना बटा हुवा इस्तेहकाफ के बदले में एक या जियादा जायदाद हर एक मालिक को दी जाती है—ऐसा इन्तजाम द-मियान मालिकान के होता है पस यह लाजमी नहीं है कि बटवारा तहरीरी हो या उसकी रजिस्ट्री लाजमी की जावे (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २९ सफा २१० वो २१५)

तबादला किस तरह किया जाता - तरह - का

धै, मानी विकरी, किया जाता है उसी तरीका के मुताबिक तबादला भी भ्रमल में आवेगा—जब वे की मुकामिलों के वास्ते रजिस्ट्री दस्तावेज की या हवालगी कब्जा जायदाद की दरकार होवे तो तबादला के वास्ते भी यही कायदा लागू होगा (देखो इ. ला. रि. फलकत्ता जिल्द २५ सफा २१०) जब तबादला के जायज होने के वास्ते रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज की जरूरत है तो ऐसी सूरत में हर एक जायदाद के मालिक की तरफ से दूसरे के नाम एक दस्तावेज लिखा जाना चाहिये यानी कुछ जुमला दो दस्तावेजात लिखे जावेंगे—रजिस्ट्री की गरज के वास्ते जिस जायदाद का तबादला किया जावे उसकी मालियत लिखी जावेगी—दफा ११८ के दूसरे फिकरा की एकट इन्तकाळ जायदाद की दफा ९४ में एकट रजिस्ट्री की दफा १७ के साथ मित्राकर पढना चाहिये

दफा ११६. दर सूरत न होने कोई ठहराव

इस्तेहकाक उस फरीक खिलाफ इसूके, वह शख्स जिस का जो तबादला में ली के पास से उस जायदाद का कुल हुई जायदाद से महरूम या कोई हिस्सा, कि जो उसे, तबादले में मिली हो, इस वजह से निकल जावे कि दूसरे फरीक के इस्तेहकाक में कुछ नुकस था, मजाज होगा कि अपनी मरजी के मुताबिक या तो माविजा हासिल करे या वह चीज वापस लेवे जो उस ने मुन्तकिल की हो.

त श री ह.

इस दफा को कानून माहदा की दफा १०६ के साथ मिलान करके पढना चाहिये—मतलब इस दफा का यह है कि जब कोई किसी जायदाद को तबादला में पावे मगर पीछे से उस के पास से यह जायदाद इस समय से निकल जावे कि जायदाद मजकूर के देने वाले का उस में कुछ हक नहीं था तो ऐसी सूरत में उस

शहस को नीचे लिखी दो किराओं की दादरसी में से कोई एक मिल सकेगी— [१]
 या तो वह जायदाद उसे वापस मिल सकती है कि जो उस ने तबादले में दी हो,
 [१] या माविजा पावे

जब फरीकैन के दरमियान यह ठहराव होवे कि अगर तबादला में दी हुई
 जायदाद निकल जायेगी तो उस के बदले में दूसरी जायदाद उसी के बराबरी की
 दी जायेगी तो ऐसी जायदाद के दिला पाने की नालिश के वास्ते मुताबिक नजीर
 मद्रास हाई कोर्ट, मियाद बमूजिब मद ११३ एक्ट मियाद के तीन साल की होगी
 पर अगर कोई ऐसी नालिश तारीख बेदखली से तीन साल के बाद दायर की
 जावे तो बेरूमियाद समझी जायेगी [देखो मद्रास हा. जर्नल जिल्द ९
 सफा १३७]—

दफा १२०. सिवाय उन शर्तों के जिन के
 इस्तेफाक और जिम्मेदारी लिये इस बाब में और तरह का
 फरीकैन मामला तबादला, हुकूम दर्ज है, हर फरीक मामला
 वावत उस चीज के जो वह दूसरे को देवे वही हुकूम
 रखता है और उन्हीं जिम्मेदारियों से बांधा जाता
 है कि जो बाया यानी बेचने वाले को हासिल हैं
 और निसबत उस चीज के जिस को वह बदले में
 ले वही हुकूम रखता है जो किसी खरीदार को हा-
 सिल हों और खरीदार की जिम्मेदारियों का पाबन्द
 हो जाता है.

त श री ह,

जब तबादला में दी हुई जायदाद गैर मनकूला हो तो हुकूम को जिम्मेदारी
 के वास्ते देखो दफा ५९ एक्ट राजा-
 कूला होवे, तो हुकूम को जिम्मेदारी
 की हुई जायदाद मन-
 के १२१ तक बाव

त श री ह.

इस दफा में लफ्ज "हिवा" यानी वखशिश या दान की तारीफ की गई है—
 ऊपर लिखी तारीफ के पढ़ने से साफ यह मतलब निकलता है कि जब कोई शाहस
 अपनी जायदाद, राजी खुशी से और कुछ मविजा न लेकर, दान में दे डाले तो
 कहा जावेगा कि उस ने अपनी जायदाद का हिवा किया- ऐसे मामला से देने वाले
 की सहायत यानी दया से लेने वाले को पायदा पहुचाना मजूर है—मगर ऐसे हिवा
 के जायज होने के लिये यह बात जरूर है कि देने वाले के जीते जी और उस वक्त
 कि जब दे डलने का अच्छार उस के पास से न निकल गया हो, लेने वाला वैसे
 हिवा को कबूल कर लेवे—इस बाब के मुताबिक जायदाद मनकूला वो गैर मनकूला
 दोनों का हिवा हो सकता है—लेकिन दी हुई चीज हाल में मौजूद रहना चाहिये
 और यह इस किस्म की होवे कि जो इस एकट की दफा ६ के बमूजिय काबिल
 इन्तकाल करार दी गई होवे (देखो इ ला रि. बम्बई जिल्द २२ सफा ४८९)
 अगर कोई खिलाफ मनशा हिवानामा के मजमून से न दिखाई पड़े तो हिवानामा के
 जरिये से वाहिय का कुल वह हक मौहूबअनेह के पास चला जावेगा कि जिस के
 देने के काबिल वह होवे और उस के साथ कुल कनुर्गा रबाजमात भी जावेंगे
 (देखो ब ला रि जिल्द ५ सफा १२५, वो ब. ला रि जिल्द ७ सफा ६९७)
 लेकिन ऐसे खिलाफ मनशा के निसरत शहादत दस्तावेज के बाकी मजमून से
 तलाश करना चाहिये [देखो इ ला रि कलकत्ता जिल्द ११]—जब वहस इस बात
 की होवे कि आया कोई जायदाद सचमुच में बेची गई या दान में दी गई तो ऐसी
 सूरत में जायदाद मजमूर की मालियत के इन्तकाल का मनशा मालिक जायदाद
 की कार्रवाई से निकल सकता है—मसलन, सरकारी प्रामासरी नोट या मालिक अपने
 बेटे के नाम उस नोट को लिख दे लेकिन इस तौर पर लिख देने के बाद भी
 खुद आप हो उस का सूद वसूल करे और बर्स यतनामा तहरीर करते वक्त उस नोट
 को शामिल कर लेवे तो ऐसी हालत में नतीजा यह निकाला गया कि कुल मामला
 वेनामी है और उस का बतौर हिवा के असर करना मजूर न था [इ ला रि
 कलकत्ता जिल्द १७ सफा ७] लेकिन अगर मौहूबअनेह जायदाद का लगान या
 किराया बगैरा वसूल करता रहे तो यह हिवा के साबित करने के वास्ते बमुकाबले
 उस दायीदार के मजबूत शहादत समशी जायेगी कि जो हिवा मजमूर को बतौर
 मामला वेनामी के बयान करता है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा २२७)

बाब:—७

बाबत हिवा यानी बखशिश.

दफा १२२. हिवा एक इन्तकाल है किसी
 हिवा की तासीफ. खास वो मौजूदा जायदाद मनकूला
 या गैर मनकूला का, जो कोई शरूस अपनी खुशी
 से और बिना लेने माविजा, किसी दूसरे शरूस के
 नाम करे; और ऐसा शरूस वैसे हिवा को खुद या
 कोई और शरूस उस की तरफ से कबूल करे—
 इन्तकाल करने वाला वाहिव कहलाता है और
 जिस शरूस के नाम मुन्तकिल की जावे उसे मौहूब
 अलेह कहते हैं.

जरूर है कि हिवा की ऐसी कबूली वाहिव
 के जीते जी और जब तक उस
 को हिवा करने का अखत्यार रहे
 की जावे—

अगर मौहूबअलेह इकवाल करने के पेशतर
 मर जावे तो हिवा रद्द हो जावेगा.

जायज है कि ऊपर लिखी हवालग्गी उसी तरह की जावे कि जिस तरह वैचा हुवा माल हवाला किया जाता है.

त ग री ह

कानून के मुताबिक बख्शिश नामा वही को दुरुस्त होने के वास्ते नचि लिखी जाते जरूर दरकार है — [१] बख्शिशनामा वाजन्ता स्टाम्प के कागज पर लिखा जाना, [२] उसकी रजिस्ट्री होना अजरक्य वानून रजिस्ट्री के, [३] उसपर बख्शिश करने वाले या उसकी तरफ से किसी मजान शख्स के दस्तखत होना, [४] कम से कम दो गवाहों की उसपर गवाही पढना, याद रखना चाहिये कि बख्शिश की हुई जायदाद की चाहे कितनी भी मालियत हो नाहम बख्शिश नामा की रजिस्ट्री लाजमी है.

जब यह कहा जाता है कि बख्शिश नामा पर वाहिव के या उसकी तरफ से किसी शख्स के दस्तखत किये जाना चाहिये—इसका मतलब यह कि वाहिव की तरफ से किसी ऐसे शख्स को दस्तखत करना चाहिये जो दस्तखत करने का मजान होवे (३ ला रि कलकत्ता जिल्द २० सफा ४६४) अगर वाहिव बेलिखा पढा है तो सिर्फ यह काफ़ी होगा कि वह अपनी निशानी करदे और उसका नाम दूसरे शख्स के हाथ से लिखा जावे (३ ला रि अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ३१९ वा ३ ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ७४९) कलकत्ता हाई कोर्ट की नजार के मुताबिक तसदीक से यह तसदीक मुग़ाद है जो दस्तावेज के लिखे जाने के वक्त की जावे थार इसलिये दस्तावेज पर गवाहों के खूबरू दस्तखत लिखने वाले के किये जाना चाहिये—दस्तावेज लिखने से इकनाल की तसदीक कानून के रू से काफी न समझी जावेगी मगर बम्बई हाई कोर्ट की राय में यह जरूरी अमर नहीं है कि गवाहों के खूबरू लिखने वाले की तरफ से दस्तावेज की तकमील की गई हो (देखो तसदीक सफा ५९ एकट हाजा) साइव जुडीशियल कानिस्तर मध्य प्रेदेश ने कलकत्ता हाई कोर्ट की नजार को पस्तद किये हैं [सी पी ला रि जिल्द १४ सफा ४२]

कब्जा का दिया जाना.—कलकत्ता को बम्बई हाई कोर्ट की राय

मौहूब अलेह कौन हो सकता है:—हिवा किसी शख्स के नाम हो सकता है चाहे वह धाडिग हो या नाबालिग, जानदार चीज हो या बेजान और अगर खुद लेने वाला हिवा के बबूळ करने के लायक न होवे तो उस की तरफ से कोई दूसरा शख्स ऐसी कबूली कर सकता है—परंतु हिवा किसी मूर्ति के हक में जैसे शिथली की, किया जा सकता है और उस मूर्ति की तरफ से हिवा की कबूली मन्दर का मुस्ताजिम या प्रोहित कर सकता है (इ. ला. रि. मदरास जिल्द २१ सफा १०) लेकिन ऐसी सूत में हिवा किसी खास चीज के नाम की जानी चाहिये जो बजद में हो, मगर ऐसी चीज दिला तहकीक न हो जैसे धर्म यानी मजहबी या शैरती कामों के वास्ते, क्यों कि इस किसम के हिवा का गरज सिर्फ उसी हालत में पूरी होगी कि जब एक तरह का अमानतदार कायम किया जावे जो अमानत की जायदाद का इन्तजाम वाजिबी तौर पर कर सके [इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २१ सफा ७०९, इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २५ सफा ४०५]

दफा १२३. वास्ते हिवा करने जायदाद गैर

किस तरह इन्तकाल मनकूला के जरूर है कि उसका जमल में आता है. इन्तकाल बजरिये दरतावेज रजिस्ट्री शुदा के हो जिस्पर दस्तखत वाहिव के या उसकी तरफ से किसी और शख्स के हों और कम से कम दो गवाहों से उसकी तसदीक हुई हो—

वास्ते हिवा करने जायदाद मनकूला के जायज है कि इन्तकाल चाहे बजरिये तहरीर किसी दस्तावेज रजिस्ट्री शुदा के (जिस्पर दस्तखत ऊपर लिखे मुताबिक हुए हों) या बजरिये हवालगी जायदाद किया

दफा १२४. जिस हिवा में जायदाद मौ-

हिवा निम्नत जायदाद
राह वो आयन्दा

जूदा वो जायदाद आयन्दा दो-
नों शामिल होवें वह, जहां तक

उम का ताल्लुक जायदाद आयन्दा से हो, रह
समझा जावेगा.

त श री ह.

इस दफा की रूसे उस जायदाद का हिवा नाजयज होगा कि जो, आयन्दा
फिरा वक्त वजूद में आने वाली है क्योंकि बखशिश में वही चीज दी जाती है कि जो
उस वक्त मौजूद होवे—अगर कोई ऐसी जायदाद बखशिशनामा में शामिल की
जावे जो उस वक्त मौजूद न होवे यानी जो आयन्दा में किसी वक्त वजूद में आने
वाली है, तो इस से एक ऐसा इकरार साबित हो सकेगा जिस की तामील आयदा
में भी जावे, और चूंकि कोई इकरार बिना बदल जायज तौर पर कानून की रूसे
तामील नहीं कराया जा सकता है, पस ऐसा इकरार बिल्कुल बेअसर होगा और
उस की बिना पर मौहूबअलेह किसी किसम का दावी नहीं कर सकेगा [देखो दफा
२५ एक्ट माहदा सन १८७२ ई०].

दफा १२५. जब कोई चीज दो या जियादा

हिवा बहक चद राहसों
के जिन में से एक
वजूद नहीं करता

मौहूब अलेह के नाम हिवा की
जावे और उन में से कोई एक

मौहूब अलेह उस को कबूल न करे तो असर हिवा
का उम इस्तेहकार की निम्नत, जो उम को इक-
बाल की सुरत में हासिल होता, रह हो जावेगा.

त श री ह.

इस दफा का मतलब यह है कि जो लोग हिवा को कबूल करें उन को हिवा

में बखशिशनामा लिखे जाने के वक्त जायदाद का कब्जा मौद्दूमभलेष को दिया जाना लाजमी नहीं है सिर्फ दस्तावेज बखशिशनामा का वाजस्ता लिखे जाने पर वे उसकी तसदीक गरफत गवाहों के होने पर और कानून के मुताबिक रजिस्ट्री होने से जायज बखशिश अमल में आ जाता है [३ ला रि बलकत्ता जिल्द १४ सफा ४४६ वो ३ ला रि बम्बई जिल्द २३ सफा २३४] मगर साहिब जुडीशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश की राय यह है कि बखशिश जायज होने के वास्ते घड दान जरूर है कि दो हुई जायदाद का कब्जा भी फौरन उस शरस के हवाला किया जावे कि जिस के नाम बखशिशनामा लिखा गया है [से. पो. ला रि जिल्द १ सफा ४१, वो जिल्द ३ सफा ३७, जिल्द ५ सफा ६३ वो जिल्द ११ सफा ११]

हिवा जायदाद मनकूला का:—जायदाद मनकूला का हिवा या तो बजरिषे तहरीर दस्तावेज रजिस्ट्री शुदा के किया जाता है या बजरिये हवालगी माल के—जब बखशिशनामा तहरीर हो कर उस की रजिस्ट्री की जावे तो माल की हवालगी जरूर नहीं है (३ ला रि कठकत्ता जिल्द १४ सफा ४४६) माल की हवालगी उसी तरीका पर की जावेगी जो कानून माहदा की दफा ६० में दर्ज है—जब दी हुई जायदाद हिवा की तारीख के पहले से मोहबअलेह के कब्जा में होवे तो ऐसा कब्जा का जारी रखना बरबर हवालगी भाग के काफ़ी समझा जावेगा—लेकिन अगर कोई शरस दूमेरे आदमी से भिर्फ यह कहे कि “ हम तुम को वह बरतन देंगे जो तम्हारे पास है ” तो ऐसी हालत में कहा जावेगा कि हिवा पूरा नहीं हुआ बल्कि सिर्फ हिवा का इकारार हुवा लेकिन एक बम्बई की नजीर में बाहिब की लडकी के कब्जा में बर वक्त हिवा कुल जायदाद थी, ऐसी हालत में बाहिब का कुछ लडकियों के हक में हिवा का जाहिर कर देना और लडकी का ऐसी हिवा को कबूल करना जायज हिवा की हद तक पहुचता है (३ ला रि बम्बई जिल्द ७ सफा ४९२) अगर जायदाद किसी तीसरे शरस के कब्जा में होवे तो ऐसी हालत में बाहिब की तरफ से उस तीसरे शरस के नाम कब्जा देने की दरवास्त करना हवालगी माल के वास्ते काफ़ी समझा जावेगा (३ ला रि जिल्द ९ सफा १९०).

रसूम स्टाम्प:—एकट स्टाम्प न २ सन १८६९ ई० के मद ३३ के मुताबिक हिवा नागा के वास्ते वही स्टाम्प दरकार है जो बैनामा के लिये एकट मनकूर के मद २३ की रूसे जरूर हो

सिधाए ऊपर लिखी सूरतों के हिवा और तरह पर मंसूख नहीं किया जा सकेगा.

कोई इबारत इस दफा की ऐसे इन्तकालदारों के हुकूम में असर न रखेगी जिन्होंने ने भाविजा अदा करके और वगैर इत्तला के इन्तकाल लिया हो.

तमसील.

(क) रामकिशन ने एक खेत हीरासिंग को इस तौर हिवा किया कि अपना यह अखत्यार बाकी रखा कि हीरासिंग की रजामन्दी से खेत को उस सूरत में वापस ले ले कि जब इत्तफाक से हीरासिंग ओर उसकी औलाद रामकिशन के जीते जी मर जाए, हीरासिंग बिला रखने किसी कदर औलाद के रामकिशन के जीते जी मर गया-पस रामकिशन हकदार है कि खेत को वापस ले लेवे.

(ख) रामदत्त ने शिवदत्त को एक लाख रूप्या हिवा किया और अपने हाथ में यह अखत्यार रखा कि शिवदत्त की रजामन्दी से जब चाहे उस लाख रूप्या में से दस हजार रूप्या निकाल ले-पस ऐसा हिवा बकदर नब्बे हजार रूप्या के अन्तर रखेगा मगर दस हजार के निसबत

मजदूर के इकार करने वालों का हिस्सा न मिलेगा।

लेकिन जब कोई हिंसा शमलता में दो शहरों के नाम लिखा जाए और अगर उन में से एक के निसबत वह हिंसा बे असर हो जावे तो बमूजिब कानून इंगलिस्थान को अजरूप अहकामात दफा २३ एकट विरामत बाकी बचे इहस को कुल जायदाद मिलेगी—और प्रिवी कौंसिल ने इस कायदा के मुताबिक एक ऐसे मुकदमा का फैसला किया कि जिसे एक हिन्दू बेवा ने अपनी बेटी और दामाद के हक में शमलताती तौर पर हिंसा लिखा (देखो इ. टा. रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा ६७७)

दफा १२६. वाहिब और मौहूबअलेह को

कब हिंसा बन्द या रूद वह इकरार करने का अखत्यार हो सकता है, है कि किसी खास अमर के हो

जाने पर, जिस का वाकै होना वाहिब के अखत्यार में न हो किसी हिंसा का असर बन्द हो जावेगा या वह मंसूख हो जावेगा; मगर वह हिंसा कि जिस की बाबत वाहिब और मौहूबअलेह यह इकरार करे कि वह कुल या उस का कोई हिस्सा सिर्फ वाहिब की मरजी पर मंसूख हो सकेगा कुल या जुज में, जैसी कि सूरत होवे, रूद समझा जावेगा.

जायज है कि हिंसा उन सूरतों में से हर सूरत में मंसूख किया जावे (सिवाए इस के कि जब साविजा का रूपया न दिया गया हो या तलफ हो जावे) जिस में अगर वह माहदा होता तो उस की मंसूखी जायज होती.

सिवाए ऊपर लिखी सूरतों के हिवा और त-
रह पर मंसूख नहीं किया जा सकेगा.

कोई इबारत इस दफा की ऐमे इन्तकालदारों
के हुकूम में असर न रखेगी जिन्हों ने भाविजा अदा
करके और बगैर इत्तला के इन्तकाल लिया हो.

तमसील.

(क) रामकिशन ने एक खेत हीरासिंग को इम
तौर हिवा किया कि अपना यह अखत्यार बाकी
रखा कि हीरासिंग की रजामन्दी से खेत को उस
सूरत में वापस ले ले कि जब इत्तफाक से हीरा-
सिंग ओर उसकी औलाद रामकिशन के जीते जी
मर जाए, हीरासिंग बिला रखने किसी कदर
औलाद के रामकिशन के जीते जी मर गया-
पस रामकिशन हकदार है कि खेत को वापस
ले लेंवे.

(ख) रामदत्त ने शिवदत्त को एक लाख रूप्या
हिवा किया और अपने हाथ मे यह अखत्यार
रखा कि शिवदत्त की रजामन्दी से जब चाहे
उस लाख रूप्या में से दस हजार रूप्या निकाल
ले-पस ऐसा हिवा बकदर नववे हजार रूप्या
के अन्तर रखेगा मगर दस हजार के निसयत

वह बे असर है क्योंकि वह रूप्या अभी तक
रामदत्त की मिलकियत वनी है—

त श री ह.

आम कायदा यह है कि जब एक मर्तवा किसी जायदाद का हिवा जायज तौर पर किया गया हो तो वहिब अपनी मरजी के मुताबिक, जम चाहे जब जायदाद मजफूर को वापस नहीं ले सकता हो क्योंकि जब इन्तकाल वजायि हिवा, एक मर्तवा पक्का हो जावे तो यह उभी तरह मुकम्मिल और अमरदार फरकिकेन के दरमियान समझा जावेगा कि जिस तरह किसी दूसरे मिसम का इतकाफा होता है—तेकिन वहिब हिवा के साथ वाजिब और मुनासिब शरतें कायम कर सकता है—ऐसी शरतें हिवा के वक्त तै हो जाना चाहिये, क्योंकि अगर हिवा के वक्त कोई शत कायम न की गई हों तो फरामेन पीछे से कोई शरत नहीं बढा सकते है (इ ला रि अलाहाउद जिल्द १ सफा ३१३) इसका यह मतलब न होगा कि फरीकन अपनी रजा मी से एक मुकामिल हिवा के बदले में कोई दूसरा मिसम या हिवा नई कायम कर सकते है—असल गरज इस दफा की यह है कि जब इन्तकाल एक मर्तवा का मिल तौर पर पूरा हो जावे तो उसमें नई शरत पीछे से न लगाई जावेगी—जम कोई शरत हिवा के साथ कायम की जावे तो उसका मतलब साफ तौर पर दस्तावेज में दर्ज करना चाहिये.

वाहिव की मरजी पर हिवा की मनसूखी:—कोई हिवा जायज तौर से किसी ऐसी शरत पर नहीं किया जा सकता है कि जिसका करना वहिब की मरजी पर होवे—ऐसा हिवा कभी जायज न समझा जावेगा—ममलन, अगर एक शख्स दूसरे आदमी से फाहे कि "मैं तुम को एक घोडा दुगा अगर मैं चाहूँ" यहा कोई ऐसा इकारा नहीं किया गया है कि जिसका पान्द करने वाला ठहराया जावे—इसी तरह अगर कोई शख्स अपना घोडा इस शरत पर दूसरे शख्स को देवे कि जब वह चाहे उसे वापस ले लेवेगा—यह हिवा नहीं है.

हिवा कब मसूख हो सकता है:—जब एक मर्तवा हिवा मुकामिल हो जावे तो वहिब की शरतें रद्द करने का अख्तियार नहीं है [इ ला रि वम्बई

जिल्द २२ सफा १३१] वह पीठे से अपना मग्न सददील करके अपने बिचे हुए काम को रद्द नहीं कर सकता है - जब वादित्त पूरी तौर से हिवा लिख दे तो वह इस विना पर उसे मसूख नहीं करा सकता है कि उस ने हिवा लिखने में गलती की, या उसका यह ख्याल था कि मुदायल्लेह उसकी क्रिया कर्म करेगा (मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफा ३९३)

जब किसी हिवा में ऐसी शर्त कायम की-जाये जो नाजायज, खिलाफ तहर्तीव तो ऐसी हालत में हिवा मजकूर जरूर करके रद्द न समझा जायेगा-जब मुद हिवा की गारज जायज होये मगर शर्त जो उसमें- कायम की गई है, नाजायज तो गिनाफ तहर्तीव होय तो ऐसी हालत में हिवा कायम रहेगी मगर शर्त का कुछ फायर न होगा [देखो दफा १०, ११ व १२] लेकिन अगर ऐसी शर्त के एतन में हिवा प्रिया गया हो तब शर्त मजकूर हिवा का भारी हिस्ता होये तो अगर शर्त नाजायज है तो हिवा भी रद्द हो जावेगा [देखो दफा २५-]

मामूली तौर से नीचे लिखे वजुआत पर हिवा मसूख किया जा सकता है -
 (१) फरेव, धोरना या गन्तव्ययाना, (२) दवाब या दाब नाजायज, (३) किसी अरबर धोकेवा क निमवत गन्ती और ऐसे कानून की गलत समझी की विना पर कि जो सरकारी हिन्दुस्थान में चालू नहीं है

फरेव के लिये शहादतः—अम वाग्दा यह है कि फरेव वा इलजाम सही तौर से साबित किया जाये और जब एक किसम के फरेव वा इलजाम लगाया जाये तो उस के सतून न होने पर उस के बदले दूसरे किसम का फरेव नहीं साबित किया जावेगा (इ ला रि वग्जई जिल्द ११ सफा ६२० व ६२१ व ६२२ सफा १४४) शुरू में फरेव साबित करने का बोझ उसपर रहेगा कि जो फरेव वा किया जाना बयान करता है [इ ला रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा ६१२] साबित करने के पश्तर फरेव के निसेवत साफु वा सफसीलवार ध्यान करना जरूर है (इ ला रि वग्जई जिल्द १९ सफा ६९३-) फरेव के निमवत अम तौर पर बयान के साबित करने की इजाजत न दी जायेगी, वहि फरेव की खास खान सूत लगान करना चाहिये ताकि सुरमतेर को इस बतुल्ली इत्तला भिठ जाये कि उस के दाखिलाफ किस किसम के फरेव वा इलजाम लगाया गया है [इ ला रि वग्जई जिल्द १८ सफा १४४]

मियाद नालिशः—फरेव की दिना पर हिबानामा को मसूख कराने के लिये नालिश की मियाद उस तारीख से तीन माह है कि जब नुकसान उठाने वाले फरीक को फरेव का हाल मालूम हो जावे (देखो मद २१, २५, २६, वो ११४ जमीना २ एकट मियाद न० १५ मन १८७७ ई०).

परदानशीन औरतः—जब जयदाद का इतकाल परदानशीन औरत की तरफ भे बिया जावे तो अदालत को त्तीनीनान इस अमर का करना जरूर है कि इतकाल का मजमून ऐसी औरत को अच्छी तरह समझा दिया गया था और यह कि वह जान्नी थी कि वह क्या कर रही, फास करके जब कोई औरत ऐसा इन्तकाए करे जिस के रूसे उस के फयजा वो मालिकी से कुछ जायदाद निकट जाती हो (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा ३२४ वो ३२७) ऐसी हालत में मौहूबअलेह को भी साबित करना चाहिये कि वह दरतोबेज जिस पर वह भरोसा करता है परदानशीन औरत ने अपना नरुा नुकसान खूब समझ कर लिख दिया और यह कि वैसे मामला में किसी किरण का शक नहीं हो सकता है (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १४ सफा ८ वो १६).

दफा १२७. जब कोई हिवा एक ही इन्त-
 हिवा जिम्मेदारी के बोझ के साथ काल के तौर पर एक ही शख्स के हक में कई चीजों के बाबत हो, जिन में से एक चीज पर जिम्मेदारी का बोझ हो और दूसरी चीजें उस से बरी हों तो मौहूब-अलेह एमे हिवा से जायदा न उठा सकेगा सिवाए इस के कि जब वह कुल हिवा को कबूल करे.

जब कोई हिवा अलग अलग और जुदा जुदा इन्तकालों के तौर पर एक ही शख्स के हक

में बावत जुदा जुदा चीजों के हो तो मौहूबअलेह को अखत्यार होगा कि हिवा की हुई एक चीज को कबूल करे और दूसरी चीज से इंकार करे, चाहे पहिले बयान की हुई चीज उस के हक में फायदावर हो और पीछे बयान की हुई चीज से उसे जेरबारी उठाना पड़े.

मौहूबअलेह, जो माहदा यानी ठहराव करने
 वैसा हिवा उन शख्तों के हक में जो नाकाबल
 हों. के लायक न हो, अगर हिवा की
 हुई ऐसी जायदाद को कबूल करे
 कि जिस पर किसी जिम्मेदारी का बोझा होवे,
 वह अपने इकबाल का पाबन्द न होगा—लेकिन अ-
 गर वह पीछे से माहदा करने के लायक हो जावे
 और जिम्मेदारी से वाकिफ होकर फिर भी उस जा-
 यदाद पर काबिज रहे तो इकबाल की पाबन्दी उस
 पर कायम हो जावेगी.

तमसीलें.

(क) रामदत्त एक शराकती पूंजी वाली कम्पनी में
 हिस्ते रखता है जितका काम खूब अच्छी तरह
 से चलता है और एक दूसरी शराकती पूंजी
 वाली कम्पनी का भी वह हिस्तेदार है जितको

नुकसानी होती है- ऐसी उम्मेद है कि पिछली कम्पनी के हिस्सों की वाचत रकम-तलब ली जावेगी-रामदत्त ने शिवदत्त को शर्माकती पूंजी वाली कम्पनीयों में अपने कुल हिस्से दे दिया शिवदत्त पिछली कम्पनी के हिस्से लेने से इंकार करता है, तो ऐसी हालत में वह पहिली कम्पनी के हिस्से भी नहीं ले सकता है-

(ख) रामलाल के पास एक मकान का पट्टा है जिसमें चंद्र बरसों की मियाद लिखी है और जिसके किराया का रूप्या रामलाल और उस के बारास और कायम मुकामों पर ऊपर लिखी मियाद तक देना वाजिब है; मगर वह किराया इस कदर जियादा है कि वह मकान उस किराया पर नहीं उठ सकता है-रामलाल ने वह पट्टा शिवलाल को हिवा कर दिया और बतौर एक अलग मामला के जिसको पट्टा से कुछ ताल्लुक नहीं है, शिवलाल को कुछ रूप्या भी हिवा किया- शिवलाल ने उस पट्टा के लेने से इंकार किया तो ऐसे इंकार करने से शिवलाल उस रूप्या से महरूम न रखा जावेगा-

त. श. री. ह.

यह दफा हम उरूल पर कायम की गई है । ये कायदा है उस को
अभिमोदारी का बोझ में उठाना चाहिये-सतलु

एक ही

भामेसा के जगिये से चद ऐसी चीजें एक शफ्त के नाम हिवा की जावें कि जिन में से किसी किसी के ऊपर मन्नाखना यानी बोग्गा है तो ऐसी हालत में मौद्बूखलेह को यह अख्तियार न होगा कि उन चीजों में से सिर्फ ऐसी चीजों का हिवा कब्ज करे जिनपर कि बॉर यानी घोष नहीं है और उन चीजों को कबूल करने से इकार करे कि जिन पर घोष है—जब तक कुछ हिजा धूरी तौर पर कबूल न कियो जावे मौद्बूखलेह को कुछ हक नहीं मिलेगा—तमसीलों के पढ़ने से दफा का मतलब सही तौर पर माहूम हो जाना है.

मौद्बूखलेह को नायालगो की वजह से उस के हक में किसी इन्तकाल का अंधर बन्द नहीं हो जायेगा—वैसे नायालिंग की तरफ से कोई ऐसा शफ्त हिवा कबूल कर सकता है जो उस को तरफ से मजाज कसर दिया गया हो [मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट नम्बर ६ सर्का ४६९].

दफा १२८. धपाबन्दी उन अहकामात के

कुल जायदाद का जो दफा १२७ में दर्ज है, जब
मौद्बूखलेह वाहिब के कुल जायदाद की निसबत

हिवा होवे तो मौद्बूखलेह अपनी जात खास से उस तमाम करजा की रकम के अदा करने का जिम्मेदार होगा जो हिवा की तारीख तक वाहिब के जिम्मे वाजिव होवे जहां तक कि हिवा की हुई जायदाद में मुजायेश होवे—

त श री ह

इस दफा की रू से साहूकार लोग हिवा नामा को रद्द यानी मसूख कराने के बगैर मौद्बूखलेह पर करजा के वास्त नालिश इस तौर पर कर सकते हैं कि मानो मौद्बूखलेह वाहिब की जायदाद को वारिस हुई—मर्गर यदि रखना चाहिये कि यह दफा सिर्फ उसी मूरत में लागू होगी कि जब कोई शफ्त अपनी मुल जायदाद के निसबत हिवा तहरीर कर दे और अपने पास कुछ जायदाद बाकी न रख छोटे

दफा १२६. कोई इबारत इस बाब की जायदाद गैर मनकूला के उन हिवा नामों से ताल्लुक नहीं समझी जावेगी जो ऐसे शरह की तरफ से की जावे कि जो अनकरीब मरने वाला हो या शरह मोहम्मदी के किसी कायदे में या ब्रपाबन्दी शरायत दफा १२३ के हिन्दू धर्म शास्त्र या बुध मत के किसी शास्त्र के कायदा में नुकसान न पहुंचेगा—

त श री ह.

इम दफा का मतलब यह है कि जब कोई शरह इस खयाल से कि वह अब अनकरीब मरने वाला है अपनी जायदाद मनकूला का हिवा कर दे-तो उस के लिये इस बाब का कोई हुकम लागू न होगा—एकट निरासत हिन्दू की दफा १७८ हिवा जायदाद मनकूला व सूरत मौत के बारे में हुकम दर्ज है—इम दफा की रू से एमा कोई कायदा में कुछ हर्जे न पहुंचेगा जो मुसलमानों के शरह मोहम्मदी में या हिन्दू वा बुध लोगों के धर्म शास्त्र में जायदाद के हिवा के बारे में दर्ज है—शरह मोहम्मदी का सब से बड़ा भारी कायदा यह है कि हिवा की हुई जायदाद पर हिवा नम्मा की सहरीर के मुक्त वाहिब सच्चमुच में अपना कब्जा रखता हो और येनी जायदाद पर कब्जा भी मौहूवअजेह के हवाला कर देवे—अगर इम तौर पर हिवा भी हुई जायदाद का कब्जा न दिया जाये तो हिवानामा की रजिस्ट्री से कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा [इ ला रि. वम्बई जिल्द २२, सफा १८९] हवाली कब्जा के बारे में सिर्फ यह काफी होगा कि बाहिब का उसी तरह का करादेम कि जैसा उस्का था [इ ला रि. वम्बई जिल्द २२, सफा १६९; इ. ऑ. रि. कच्छा जिल्द १३ सफा]

भावः—८

बावत इन्तकाल दावी काविल नालिश.

दफा १३०. (१) किसी दावी काविल ना-

इन्तकाल दावी काविल
नालिश,

लिश का इन्तकाल सिर्फ बजरिये
दस्तावेज तहरीरी के हो सकता

है जिस पर इन्तकाल करने वाले या उस के बा
जाब्ता अखत्यार पाए हुए मुखत्यार ने दस्तखत
किया हो; और ऐसा इन्तकाल दस्तावेज भजकूर
तहरीर किये जाने पर मुकम्मिल वो असरदार
होगा--ऐसा होने पर इन्तकाल करने वाले के कुल
हुकूम वो दादरसी, चाहे बतौर हरजा के हो या
दूसरे तौर पर, इन्तकाल लेने वाले को मिल
जावंगी, चाहे इन्तकाल की ऐसी इत्तला दी गई
हो या नहीं कि जिस के बावत हुकूम आगे दर्ज
है—

मगर शर्त यह है कि किसी करजा या दीगर
दावी काविल नालिश की वेवाकी ऐसे करजदार या
दीगर शरूस की तरफ से जिस से या जिस के मुका-

दफा १२६. कोई इबारत इस बाब की
 वचत हिवा की जो मरते
 वक्त की जावे वो वचत
 कायदा शरह मोहम्मदी
 भी जावेगी जो ऐसे शरह की तरफ से की जावे
 कि जो अनकरीब मरने वाला हो या शरह मोहम्मदी
 के किसी कायदे में या बपाबन्दी शरायत दफा
 १२३ के हिन्दू धर्म शास्त्र या बुध मत के किसी
 शास्त्र के कायदा में नुकसान न पहुंचेगा—

त श री ह.

इम दफा का मतलब यह है कि जब कोई शरह इस दयाल से कि वह अब
 अनकरीब मरने वाला है अपनी जायदाद मनकूला का हिवा कर देतो उस के
 लिये इस बाब का कोई हुकम लागू न होगा—एकट विरासत हिन्द की दफा १७८
 हिवा जायदाद मनकूला व सूरत मौत के बारे में हुकम दर्ज है—इम दफा की रू से
 ऐसा कोई कायदा में कुछ हर्ज न पहुंचेगा जो मुसलमानों के शरह मोहम्मदी में या
 हिन्दू वा बुध लोगों के धर्म शास्त्र में जायदाद के हिवा के बारे में दर्ज है—शरह
 मोहम्मदी का सब से बड़ा भारी कायदा यह है कि हिवा की हुई जायदाद पर हिवा
 नामा की तहरीर के ब्रफ वाहिब सचमुच में अपना कब्जा रखता हो और येनी
 जायदाद पर कब्जा भी मौहूबअलेह के हवाला कर देवे—अगर इम तौर पर हिवा
 भी हुई जायदाद का कब्जा न दिया जाये तो हिवानामा की रजिस्ट्री से कुछ कायदा
 नहीं पहुंचेगा [३ ला रि. बम्बई जिह्द २९ सफा १८९] हवालगी कब्जा के
 बारे में धिक यह काफी होगा कि वाहिब मौहूबअलेह का कब्जा उसी तरह का
 करावे कि जैसा उसका था [३ ला रि. अटाहाबाद जिह्द ३१ सफा १६३;
 ३ ला रि. कन्नका जिह्द १९ सफा ६८४]

गार से जिम्मेदारी की पालीसी से ताल्लुक न रखेगी. तमसीलें.

(१) रामदत्त पर शिवदत्त का करजा आता है, और शिवदत्त ने इस करजा को बनाम शिवलाल मुत्तकिल कर दिया--इस पर शिवदत्त ने रामदत्त से वही करजे का रूपया तालब किया और चूंकि रामदत्त की दफा १३१ की मनशा के मुताबिक कोई वृत्तला नहीं मिली थी इस लिये उस ने करजा मजकूर की अदाई शिवदत्त को कर दिया--ऐसी अदाई जायज है और शिवलाल रामदत्त पर करजा मजकूर के बाबत नालिश नहीं कर सकता है—

(२) रामलाल ने अपनी जिन्दगी के बाबत एक पालिमी गान्ती बीमा इन्सुरैन्स कम्पनी के साथ किया और वही बीमा एक बैंक के सिपुर्द वतौर इतमीनान अदाई करजा हाल या आयन्दा के कर दिया--अगर रामलाल मर जावे तो बैंक मजकूर बीमा का रूपया पाने का मुस्तेहक होगा और वह उस के रू से बिला रजामन्दी मूसीयान रामलाल के वपावन्दी शर्त के जो दफा १३० की मातेहती दफा १ के साथ लगी है और

बले में इन्तकाल करने वाला, दरसूरत न होने ऊपर जिक्र किये हुए दस्तावेज इन्तकाल के, ऐसा करजा या दीगर दावी काबिल नालिश वसूली करने का मुस्तेहक होता, बमकाबले ऐसे इन्तकाल के जायज समझी जावेगी (सिवाए उस सूरत में कि जेब वह करजेंदारे या दूसरा शख्स इन्तकाल मजकूर में फरीक हो या उस नें आगे लिखे हुए तरीका के मुताबिक वैसे इन्तकाल की निसबत साफ तौर से इत्तला पाया हो)।

(२) किसी दावी काबिल नालिश के इन्तकाल लेने वाले को अखत्यार है कि ऊपर लिखे मुताबिक वैसे इन्तकाल के दरतावेज की तकमील हो जाने पर दावा मजकूर के बाबत अपने नाम से नालिश दायर करे या कार्रवाई मुकदमा की शुरू करे, बगैर हासिल करने रजामन्दी वैसे इन्तकाल करने वाली की निसबत ऐसी नालिश या कार्रवाई में और उस के फरीक मुकदमा बनाने के बगैर—

मुसतस्नाः—इस दफा की कोई इबारत इन्तकाल जहाजी सिपाही या अं-

१९१ की मगशा के मुताबिक नोटिस न दिया जाने तबतक इतफाठ कराने छाला मरफुज न सगशा जायेगा-हाल के कानून के मुताबिक जन किसी करजदार को ऐसा नोटिस न मिले और वह इन्तकाल में करीफ भी न होवे लेकिन अगर वह असली साहूकार को अपने करजा की अदाई कर देवे तो ऐसी अदाई इन्तकाल करने वाले को नाउश में फाफी जनाव सगशा जायेगा (इ ला रि मदराम जिल्द २ सफा २१४)

दफा १३१ दावी काबिल नालिश के इन्त-

नोटिस तहरीरी वो काल का हर नोटिस तहरीरी होगा
दस्ताइती होगा जिरपर इन्तकाल करने वाले या

उरुके ऐसे मुखत्यार के दस्तखत किये जावेंगे जिसे इस बारे में बाजाप्ता अखत्यार दिया गया हो, या अगर इन्तकाल करने वाला दस्तखत करने से इंकार करे तो उरुपर इन्तकाल कराने वाले या उस के मुखत्यार के दस्तखत रहेंगे और उरुमें इन्तकाल लेने वाले का नाम वो पता दर्ज रहेगा—

त श री ह

जिम तरह पिछली दफा के बमजिय इन्तकाल तहरीरी यानी लिखा हुआ होना चाहिये उसी तरह पर इस दफा की रू से इन्तकाल का नोटिस भी लिखा हुआ होना जरूर है और उस पर वैसे शहम के दस्तखत किये जावेंगे जो इन्तकाल करना है, अगर ऐसा शरस उस पर दस्तखत करने से इंकार करे तो जिस शहम ने इतकाल करने नाम कराया हो वह या उस का मुखत्यार नोटिस मजफूर पर अपना दस्तखत करेगा-यह बात जरूर नही है कि इतकाल का दस्तावेज टिखा जाने के पेशतर करजदार को नोटिस दिया जाये या उसे इन्तकाल की इत्ला दी जाये, लेकिन अगर असली साहूकार को कुल करजे का रूपया वसूल देना बयान करे तो

अहकामातें दफा १३२ के नालिश दायर करने के हकदार होंगे.

त श री ह.

इस एक्ट का आठवां वाच बजरिये एक्ट न. २ सन १९०० ई० के कायम किया गया जिसे जनाब नवाब गवर्नर जनरल बहादुर ने तारीख २ माह फरवरी सन १९०० ई० को मजूर फरमाया—इस दफा की रू से एक नई बात यह कायम की गई है कि दावी काबिल नालिश का हर एक इन्तकाल बजरिये तहरीरी दस्तावेज के होना चाहिये और उस पर खुद इन्तकाल करने वाले या उस का मुखत्यार मजाज अपने दरलखत करेगा, और जब इस तौर पर इन्तकालनामा लिखा जावे तो इन्तकाल कराने वाला अपने नाम पर इन्तकाल करने वाले की रजामन्दी के बगैर और उसे फरीक मुकदमा बनाने बिना और असली करजदार को नोटिस यानी इच्छा न देकर करजदार पर नालिश बअदालत दीजानी दायर कर सकता है—लेकिन इन्तकाल करने वाला खुद नालिश न कर सकेगा (बगाल ला. रिपोर्टे जिल्द १३ सफा ५०९) या अगर वह करना की वसूली बजरिये नालिश या और तरह पर खुद कर लेवे तो उस पर हरजा की नालिश की जा सकती है—माविजा न अदा किये जाने का उजुर सिर्फ उस सूरत में सुनाई के लायक होगा कि जब इन्तकाल करने का गैरमुकम्मिल यानी अग्रा हेवे—ऐसी हाउत में इन्तकाल करने वाला शल्स अदालत से कुछ मदद पाने का दावी नहीं कर सकता है, क्योंकि उस को दैसियत बराबर उस शल्स के समझी जावगी कि जिस के हक में एक इकरार बिला बदल यानी माविजा किण गया है [३ ला रि बम्बई जिल्द ७ सफा २५१] पर अगर इन्तकाल मुकम्मिल यानी पूरा हो जावे तो करजदार का यह जवाब माकूल न होगा कि माविजा अदा नहीं किया गया (३ ला. रि. बम्बई जिल्द १२ सफा ६८६ मनोरकर-बनाम-वाई मुठी).

इस दफा के नीचे जो शर्त लिखी है वह पुगानी दफा १३१ में दर्ज थी— सिर्फ परक इतना है कि परतर नोटिस यानी इच्छानामा का दिया जाना लाजिमी था—परतर यह कायद था कि अगर करजदार को इन्तकाल का मालूम होना साबित किया जावे तो जो वसूली उस ने असल साहूकार को दी वह ज़ायज समझी जाती थी मगर अब नए कानून की रू से यह त्रिलकुल सारु हो गया है कि जब तक दफा

(२) अने एक तमसुक (ब) के हक में ऐसी सूरतों में लिख दिया कि जिन से वह तमसुक मजकूर के मंसूर करापाने का मुस्तेहक था— (ब) उस करजा को (क) के नाम कीमत के बदले में ऐसी सूरतों की इत्तला के बगैर इन्तकाल कर देता है—पस (क) उस दरता-वेज की रू से (अ) पर नालिश नहीं कर सकता है—

त श री ह.

ऊपर लिखी तमसीलों के पढ़ने से साफ मालूम होता है कि जिम्मेदारी और वाजरी हुकूम से क्या मुराद है इस दफा का मतलब यह पाया जाता है कि जम इन्तकाल करने वाला अपने करजा के निसबत किसी जिम्मेदारी का पावद है तो उस का मुत्तकिलअलेह यानी इतकाल करने वाला भी वैसी जिम्मेदारी का पावद समझा जायेगा और अगर इन्तकाल करने वाले को कोई हुकूम निसबत उस के करजा के हासिल है तो ऐसे हुकूम वाजरी तौर पर वैसे मुत्तकिलअलेह को मिल जायेंगे—

दफा १३३ जब किसी करजा का इन्त-

करजदार के सादार होने की जिम्मेदारी

काल करने वाला करजदार की सादारी का जिम्मेदार हो जावे

तो ऐसी जिम्मेदारी, अगर कोई साफ ठहराव इस के बरखिलाफ न हो, सिर्फ उस वक्त की सादारी से ताल्लुक रखेगी कि जब इन्तकाल अमल में आया था और जब इन्तकाल माविजा के बदले में हुवा

यह साबित करना जरूर है कि करजा की वसूली के पेशतर करजदार को इस दफा की मनशा के मुताबिक नोटिस दिया गया था—जब नोटिस कोई गैर शख्स देवे या जब नोटिस तहरीरी न हो और न उस पर उन शरतों में से किसी के दस्तखत होवे कि जिन का जिक्र इस दफा में किया गया है या जब नोटिस ऐसे इन्तकाल के बारे में दिया जाये कि जो तहरीरी न हो और जिन पर दस्तखत राजान्ता नहीं किये गये हो तो करजदार के लिये ऐसे नोटिस को माना वो उस पर अमल करना लाजिमी नहीं है.

दफा १३२. दावी काबिल नालिश का सु-

दावी काबिल नालिश के
मुत्तकिल अलेह की जि-
म्मेदारी.

न्तकिलअलेह दावी मजकूर को
ऐसी जिम्मेदारियों और हुकूम

वाजबी के साथ लेवेगा कि जिन का पाबन्द इन्त-
काल करने वाला तारीख इन्तकाल को था.

तमसीलें.

- (१) शिवलाल ने रामदत्त के नाम ऐसे करजे का इन्तकाल करता है जो रामलाल की तरफ से उसे पाना वाजिब है—शिवलाल पर रामलाल का करजा आता था—रामदत्त ने रामलाल पर उस करजा के बाबत नालिश दायर की जो शिवलाल को रामलाल से पाना वाजिब था—ऐसी नालिश में रामलाल उस करजे की मुजराई पाने का मुस्तेहक है जो शिवलाल की तरफ से उसे पाना वाजिब है हालांकि रामदत्त को उस करजे का हाल इन्तकाल की तारीख को मालूम नहीं था—

त श री ह.

जो करजा बगैर जमानत के तसेअर किया जावे और फिर वह रहन किया जाये तो उस के साथ करवाई उसी तरह पर की जायेगी कि मानों वह करजा के ईदूरी जमानत है--अगर वह करजा की बमूली किसी तरह से कर लेवे तो उसे वसूल की हुई रकम को मुअरर देना पड़ेगा और इस के बाद जो फाजिअ रकम बचे वह इन्तकाल करने वाडे के इवाला की जावेगी अगर वह जनबूझकर अपो फसूर या मुस्ती की वजह से रकम मजकूर वसूल न कर सके तो करजा मजकूर काबिल गैर वसूल हो जायेगा और उसमे तुरुमती भरलो जायेगी--इम अलिमे होशियार मुत्तकिल अलेह को चाहिय कि रहन नामा में यह शर्त छिटावा देवे कि उस पर करजा की वावत नलिश करना लाजमी न होगा सिवाय उस मुत्त मे कि जत्र वद वेत्ती नालिश करना पुनामित्र समझता हो [देखो ब्राउन गैंग शिफर्ड साइन की शह एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ४४८]

दफा १३५. हर एक मुत्तकिल अलेह, चाहे

बीमा दरवाई या आग के वह वजरिये इवारत जुहरी के हो
हकूम का इन्तकाल या दीगर तहरीर के, बीमा जिम्मे-

दारी दरवाई या बीमा जिम्मेदारी अंगार के, जिस्के हक में वह जायदाद कि जिस्के निसवत बीमा किया गया हो, तारीख इन्तकाल को शामिल तौर पर पहुंच जावे. नालिश के कुल हकुक उसी तरह पावेंगे और उस के हक में मुत्तकिल समझे जावेंगे कि मानों पालिसी यानी बीमा का माहदा उसी के साथ हुवा था--

त श री ह.

‘ मुत्तकिल अलेह ’ से वह शकम मुराद है जिस्के नाम इन्तकाल किया जाने-

हो तो वैसी जिम्मेदारी माविजा की तादाद या मा-
लियत की हद्द तक समझी जावेगी.

त श री ह.

इस दशा में लफ्ज "सादार" का इत्तेफाल किया गया है--उस का मतलब वरन्धिलाफ यानी विरुद्ध "नादार" अर्थात् दीवारिया के है--नादार उस शख्स को कहते है कि जिस के पास करजदारो की अदाई के वास्ते कुछ माळ वगैरा न हो और सादार वह शख्स है जो हैसियत अदाई को रखता हो--जब कोई इन्तकाज करने वाला इस बात की जिम्मेदारी लेवे कि उस का करजदार सादार है यानी अपने करजा की अदाई करने की हैसियत रखता है तो इस से मतलब यह पाया जावेगा कि जिम्मेदारी मजदूर उस वक्त में ताल्लुक रखती है कि जिस तारीख को करजे का इन्तकाल हुवा न कि बाद में और अगर इन्तकाज माविजा लेकर हुवा हो तो वह जिम्मेदारी ऐसे माविजा की तादाद तक पहुंचेगी.

दफा १३४. जब कोई करजा बगरज इत-
करजा रहन मीनान करजा हाल या आयन्दा के
मुन्तकिल किया जावे तो अगर वैसे करजा की वसूली
इन्तकाल करने वाला या मुन्तकिल अलेह की तरफ
से की जावे तो वह पहिले वसूली मजदूर के खर्चा
की अदाई में लगाया जावेगा और फिर उस रकम
की में बाकी में मुजरा किया जावेगा जो उस वक्त
के जरिये से निकलता हो और अगर
तो वह इन्तकाल करने वाले की
समझी जावेगी—

<p>एकट न० ११ सन १८७९ ई०</p>	<p>वासलात व तरकी आराजी</p>	<p>दफा १ और एकट के सिर- नामा वो मजमून मे लफज "वासलात" और दीवाचा के यह लफज " बगरज म- हत्तू करने जिम्मेदारी अदाई वासलात और "</p>
<p>एकट न० २७ सन १८६६ ई०</p>	<p>एकट अमानतदार हि द.</p>	<p>दफा ३१</p>
<p>एकट न० ४ सन १८७२ ई०</p>	<p>एकट मजमूया कानून पजाव</p>	<p>जहा तक यह एकट बगाल के कानून न० १ सन १७९८ ई० पार न० १७ सन १८०६ ई० से ताल्लु- क है</p>
<p>एकट न० २० सन १८७१ ई०</p>	<p>एकट कानून मध्यप्रदेश</p>	<p>जहा तक यह एकट बगाल के कानून न० १ सन १७९८ और न० १७ सन १८०६ ई० से ताल्लुक है</p>
<p>एकट न० १८ सन १८७६ ई०</p>	<p>एकट मजमूया कानून मुल्क अरब</p>	<p>जिस कदर बगाल के कानून न० १७ सन १८०६ से ताल्लुक है</p>
<p>एकट न० १ सन १८७७ ई०</p>	<p>एकट दादरसी खान</p>	<p>दफा ३५, ३६ में लफज "तहरीर का"</p>

(ग) कवानीन.

<p>गधर और सन</p>	<p>मजमूय</p>	<p>दितना मसूख हुआ</p>
<p>बगाल कानून न १ सन</p>	<p>वैमुलवफा</p>	<p>कुठ कानून</p>

जमीना.

(क) कानून पारलियमेंट.

सन और भाग.	मजमून	कितना मसूदा हुआ.
मसदरा जलूम २७ हेन- री प्रथमा भाग १०	वास्त फरजा को तसर्क नायदाद.	कुल.
मसदरा सन १३ जूस मलिका इलेनियम भाग ५	इतफानात फरेबी.	कुल.
मसदरा सन २७ कटप अंजन भाग ४	शं०	कुल.
मसदरा सन चौथा जलूम शाह त्रितीयम को मेरी भाग १६	रहन खुफिया	कुल

(क) एक्ट हाय जनाब नव्वाब गवर्नर
जनरल वहादुर बहजलारा कौंसिल.

नम्बर को सन	मजमून	कितना मसूदा हुआ
एक्ट न ९ सन १८४२ ई०	बाबत पट्टा व फारखती	कुल.
एक्ट न० ३१ सन १८५४ ई०	बाबत तरीका इतफात माराजी	दफा १७

<p>एक्ट न० ११ सन १८०१ ई०</p>	<p>वासलात व तरकी आराजी</p>	<p>दफा १ और एक्ट के सिर- नामा वो मजमून मे लफज “वासलात” और दीवाचा के यह लफज “बगरज म- हत्तु करने जिम्मेदारी अदाई वासलात और ”</p>
<p>एक्ट न० २७ सन १८१६ ई०</p>	<p>एक्ट अमानतदार रिद</p>	<p>दफा ३१</p>
<p>एक्ट न० ४ सन १८७२ ई०</p>	<p>एक्ट मजमूना कानून पजाव</p>	<p>जहा तक यह एक्ट बगाल के कानून न० १ सन १७९८ ई० और न० १७ सन १८०६ ई० से ताल्लु- क है</p>
<p>एक्ट न० २० सन १८७१ ई०</p>	<p>एक्ट कानून मन्नेदेश</p>	<p>जहा तक यह एक्ट बगाल के कानून न० १ सन १७९८ और न० १७ सन १८०६ ई० से ताल्लुक है</p>
<p>एक्ट न० १८ सन १८७६ ई०</p>	<p>एक्ट मजमूना कानून मुल्क अवध</p>	<p>जिस कदर बगाल के कानून न० १७ सन १८०६ से ताल्लुक है</p>
<p>एक्ट न० १ सन १८७७ ई०</p>	<p>एक्ट दादरसी खास</p>	<p>दफा ३५, ३६ मे लफज “तहरीर का”</p>

(ग) कवानील.

नम्बर और सन	मजमून	दफा
बगाल कानून न १ सन	बेनुलनफा	

जमीना.

(क) कानून पारलिंगट.

सन और बान	मजगून.	कितना मसूख हुआ.
मसदरा जलूम २७ हेन- री प्रथमा बाष १०	नाशन कदजा वो ससरक जायदाद.	कुठ.
मसदरा सन १३ जलूम मलिका इतोअिनय बाव ९.	इन्तकानान फोबी.	कुठ
मसदरा सन २७ जलूम अजन बाव ४	ई०	कुठ.
मसदरा सन चौथा जलूम शाह रिडियम वो मेरी बाव १६	रहन खुकिया	कुल

(क) एक्ट हाय जनान्न नठवान्न गवर्नर
जनरल वहादुर बइजलारा कौंसिल.

नम्बर वो सन	मजगून	कितना मसूख हुआ
एक्ट न० ९ सन १८४२ ३०	बावत पद्दा व फारखती	कुठ
एक्ट न० ३१ सन १८५४ ई०	शानत तरीका इतकाल ग्राजाजी	दफा १७

एकट न० ११ सन १८५९ ई०	वासलात व तरकी आराजी	दफा १ धीर एकट के सिर- नामा वो मजमूा में लफज “वासलात” और दीनाचा के यह लफज “ बगरज म- हदू करने जिम्मेदारी अदाई वासलात और ”
एकट न० २७ सन १८६६ ई०	एकट अमानतदार हिंद	दफा ३१
एकट न० ४ सन १८७२ ई०	एकट मजमूआ कानून पजाव	जहा तक यह एकट बगाल के कानून न० १ सन १७९८ ई० और न० १७ सन १८०६ ई० से ताल्लु- क है
एकट न० २० सन १८७९ ई०	एकट कानून मन्प्रदेश	जहा तक यह एकट बगाल के कानून न० १ सन १७९८ और न० १७ सन १८०६ ई० से ताल्लुक है
एकट न० १८ सन १८७६ ई०	एकट मजमूआ कानून मुल्क अयव	जिस कदर बगाल के कानून न० १७ सन १८०६ से ताल्लुक है.
एकट न० १ सन १८७७ ई०	एकट दादरसी खाम	दफा ३५, ३६ में लफज “तहरिर का”

(ग) कवानीन.

नम्बर और सन.	मजमूट	किना मन्व्य हुना
बेगाल कानून न १ सन	बेगुलबदा	कुठ कानून

<p>१७९८ ई०. बंगाल कानून न. १७ सन १८०६ ई०. कानून बम्बई न. ९ सन १८२७ ई०</p>	<p>अधिकार रहन. ब्राह्मण इकरार अदाई करजा वो सूद मुर्तहिनान कावेज.</p>	<p>कुष कानून दफा १५</p>
---	--	-----------------------------



श्रुति



Central Law Press Chhurdwara

